BBNL

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

3वां वार्षिक रिपोर्ट
3rd Annual Report

2014-15

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड
BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

हमारी दृष्टि

'भारत भर में सुरक्षित, विश्वसनीय, सस्ती और उच्च गुणवत्ता कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी बनना।

OUR VISION

To become the leading telecom company to provide secure, reliable, affordable and high quality connectivity across India.

लक्ष्य

- सभी ग्राम पंचायतों के लिए 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- गैर भेदभावपूर्ण तरीके से बी–टू–बी सेवाएं प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं जी2सी, बी2सी और पी2पी सुविधाएं देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड की पैठ बढ़ाकर सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह बनना।

Our Mission

- To provide 100 mbps Broadband connectivity to all the Gram Panchayats
- To provide B2B services in a non-discriminatory manner
- To facilitate proliferation of G2C, B2C and P2P Broadband services in rural areas
- To be a catalyst for increasing broadband penetration in rural areas so as to foster socio-economic development

fun'kd eMy / BOARD OF DIRECTORS

lqJh v:.kk lqnjjktu
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक – डब्ल्यु.ई.एफ. 01.10.2014
Ms. Aruna Sundararajan
Chairman-Cum-Managing Director - w.e.f. 01.10.2014
DIN 03523267

Jh ,u- jfo 'kadj
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
Shri N. Ravi Shanker
Chairman-cum-Managing Director
(From 25.02.2012 to 31.07.2014)
DIN 01785616

Jh ,- d- Hkkxo
निदेशक (ऑपरेशन) सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Sh. A. K. Bhargava
Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director
(CMD - w.e.f. 01.09.2014 to 30.09.2014)
DIN 06387723

Jh oh- mek'kadj
सरकारी निदेशक
Sh. V. Umashankar
Government Director
DIN 06553185

Jh vkbZ- ,l- 'kkL=h
सरकारी निदेशक
Sh. I. S. Sastry
Government Director
DIN 00236807

lqJh v:.k/krh ikaMk
निदेशक (वित्त)
Ms. Arundati Panda
Director (Finance)
DIN 05355640

Jh ih- d- vxzoky
निदेशक (योजना)
Sh. P. K. Agarwal
Director (Planning)
DIN 06375447

Jh ch- d- feÙky
निदेशक (प्रचालन)
Sh. B. K. Mittal
Director (Operation)
DIN 07251326

iathÑr dk;kZy; / Registered Office
कमरा सं. 306, तृतीय तल, सी–डॉट परिसर, मांडी गाँव रोड, महरौली, नई दिल्ली–110030
Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030

dEiuh lfpo ,oa fof/k izeq[k / Company Secretary & Head Legal
श्री ए.सी. उपाध्याय / Sh. A. C. Upadhyay

lkafof/kd ys[kkijh{kd / Statutory Auditors
मै. वोहरा एंड सहगल, सनदी लेखाकार
M/s Vohra & Sehgal, Chartered Accountants

lfpoh; ys[kkdkj@ Secretarial Auditor
मै. जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
M/s J. K. Gupta & Associates, Company Secretaries

cSdj / Banker
केनरा बैंक / Canara Bank

fo"k;&oLrq

1.	अध्यक्ष का भाषण	3
2.	तीसरी वार्षिक आम बैठक की नोटिस	6
3.	बोर्ड की रिपोर्ट	11
4.	कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी की रिपोर्ट	28
5.	प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	34
6.	कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र	37
7.	सीईओ–सीएमडी/सीएफओ – निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाण–पत्र/घोषणा	38
8.	आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा	38
9.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	39
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	41
11.	तुलन–पत्र	45
12.	लाभ एवं हानि विवरण	46
13.	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां	47
14.	कैश फ्लो विवरण	67
15.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर	69
16.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	79
17.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	81

CONTENTS

1.	Chaiperson's Speech	82
2.	3rd Annual General Meeting Notice	85
3.	Board's Report	90
4.	Company's Report on Corporate Governance	107
5.	Management Discussion and Analysis Report	113
6.	Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms	116
7.	Certification/declaration of financial statements by the CEO-CMD/CFO - Director (F)	117
8.	Declaration Regarding Compliance with Code of Conduct	117
9.	Secretarial Audit Report	118
10.	Independent Auditor's Report	120
11.	Balance Sheet	124
12.	Statement of Profit and Loss	125
13.	Notes forming part of the Financial Statements	126
14.	Cash Flow Statements	146
15.	Replies of Management to Auditor's Report	148
16.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	158
17.	Management's Reply to the Comments of Comptroller and Auditor General of India	160

vLohdj.k% हिन्दी संस्करण की व्याख्या की कठिनाई के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of difficulty in the Interpretration of Hindi Version, English Version will prevail.

v/;{k dk Hkk"k.k

fç; 'ks;jèkkjdks]

निदेशक बोर्ड की ओर से आपकी कंपनी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक में आपका अभिनंदन और आप सभी का स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। इस अवसर पर हमारा साथ देने के लिए मैं आप सब का धन्यवाद करती हूं।

निदेशकों की रिपोर्ट, संपरीक्षित वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट पहले से आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मानती हूँ।

मैं आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की कुछ झलकियां सूचीबद्ध कर रही हूं:

क) सितंबर, 2015 के अनुसार देश भर में 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 27041 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 63336 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल, 36501 ग्राम पंचायचतों को शामिल करते हुए लगभग 89657 किलोमीटर पीएलबी डक्ट बिछायी गई हैं। लगभग 3200 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है और वे उपयोग के लिए तैयार हैं तथा वर्तमान में कई अधिक कार्य प्रगतिरत है।

ख) केरल, पुदुचेरी और चंडीगढ़ को परियोजना के तहत जोड़ा गया है। अन्य राज्य जहां ग्राम पंचायतों को सक्रिय बनाया गया है, उनमें शामिल हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश इत्यादि।

ग) वर्तमान में एनओएफएन के तहत परियोजना का क्रियान्वयन तीन क्रेंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों नामतः बीएसएनएल, पीजीसीआईएल और रेलटेल द्वारा प्रथम चरण में किया जा रहा है। इस परियोजना की एक मुख्य विशिष्टता यह है कि परियोजना में प्रयुक्त जीपीओएन उपकरण का सीडॉट द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास किया गया है तथा इसका निर्माण घरेलू रूप से किया गया है।

घ) परियोजना की स्थापना, प्रबंधन और संचालन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) का गठन किया गया है। वर्तमान में इस परियोजना का प्रबंधन सीडॉट द्वारा विकसित की जा रही एक उच्च क्षमता नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का वित्त–पोषण यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ), दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

ङ) भारतनेट परियोजना के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, विशेषकर वृहत डिजीटल डिवाइड को पाटने के संबंध में परियोजना की समयबद्ध और प्रभावी डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के साथ इस परियोजना के कार्यान्वयन की गति में अत्यधिक तेजी आई है।

,uvks,Q,u ¼Hkkjru sV½ ifj;kstuk dk egRo

एनओएफएन (अब भारतनेट) विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना है। इसमें ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत की प्रत्येक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की अपेक्षा की गई है। इसके पूरा होने पर भारतनेट के देश के 600 मिलियन से अधिक ग्रामीण नागरिकों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की संभावना है।

यह आशा की जाती है कि भारतनेट की स्थापना न केवल नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा बल्कि यह अगली पीढ़ी की सेवाओं को आरंभ करने तथा ई–कॉमर्स, आईटी, आउटसोर्सिंग, ग्रामीण बीपीओ इत्यादि को शामिल करते हुए स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के सृजन में अत्यधिक वृद्धि और साथ ही समावेशी उन्नति के लिए ई–बैंकिंग, ई–स्वास्थ्य और ई–शिक्षा जैसी सेवाओं के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, केबल टीवी ऑपरेटरों, विषय प्रदाताओं इत्यादि जैसे पहुंच सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर भी खोलेगा। यह पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के तहत स्थानीय आयोजन, प्रबंधन, निगरानी और भुगतान जैसी विभिन्न सेवाओं की योजना डिलीवरी भी सुगम बनाएगा।

ब्रॉडबैंड तक पहुंच से आर्थिक वृद्धि में अत्यधिक तेजी आती है। वर्ष 2009 में संचालित विश्व बैंक के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि ब्रॉडबैंड संघनता के प्रत्येक 10 प्रतिशत प्वाइंट के लिए विकासशील अर्थव्यवस्था में 1.38 प्रतिशत की वृद्धि होती है जबकि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 1.21 प्रतिशत की वृद्धि होती है। वर्ष 2012 में भारतीय अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंध परिषद् (आईसीआरआईईआर) द्वारा संचालित एक अध्ययन में यह सूचित किया गया है कि भारतीय राज्यों की इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या में प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.08 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि करने की संभावना है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को आधार बनाते हुए यह अनुमान है कि भारतनेट लगभग 66,500 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान करेगा।

डिजीटल इंडिया केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजीटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। प्रत्येक नागरिक तक ब्रॉडबैंड

कनेक्टिविटी का प्रावधान डिजीटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है तथा भारतनेट की शुरूआत करने से इस उत्साही दृष्टिकोण को प्राप्त करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है।

miyfC/k;k

12 जनवरी, 2015 को केरल में इडूकी जिला भारत में उच्च गति ग्रामीम ब्रॉडबैंड पहुंच के अंतर्गत पूरी तरह से लाये जाने वाला पहला जिला बन गया। केरल की इडामलकुडी ग्राम पंचायत जो कि एक सुदूर स्थित बिना किसी सड़क मार्ग, बिजली और कुछ समय पहले तक पानी की आपूर्ति के बिना एक जनजातीय ग्राम पंचायत है – वह अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल वॉइस सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। आज इडामलकुडी डिजीटल नेटवर्क के माध्यम से बाह्य जगत के साथ जुड़ गई है। यह ऐसा परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है जिसका ग्रामीम जनसंख्या के जीवन पर असर हुआ है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 01 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के प्रथम उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारतनेट का शुभारंभ किया। इस समारोह ने डिजीटल इंडिया के नए युग में प्रवेश में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की।

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 07 जुलाई, 2015 के बीच राष्ट्र भर में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत/सर्व सेवा केंद्रों/डाक घरों/स्कूलों इत्यादि के माध्यम से नागरिकों को सूचित, शिक्षित और शामिल करने के उद्देश्य से एक वृहत अभियान आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के भाग के रूप में बीबीएनएल ने 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 ग्राम पंचायतों में समारोह आयोजित किए। लोगों को एनओएफएन/भारतनैट नेटवर्क का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में अधिकारियों को ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–शासन और इंटरनेट सेवाओं इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायतों तथा डिजीटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रम के स्थानों तथा साथ ही नई दिल्ली में अन्य कार्यालयों के बीच वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के साथ आगे और भी इन्टरैक्शन किए गए।

foÙkh; izn'kZu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कुल 11,32,68,916.00 रुपए का राजस्व और वर्ष के लिए कर पश्चात् 28,56,272.00 रुपए का घाटा दर्ज किया। कंपनी में पूर्व अवधि मदों तथा कर से 38,92,745.00 रुपए का लाभ हुआ है। कंपनी का संचालन अभी आरंभ होना बाकी है। अतः आपके निदेशकगण आलोच्य वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रहे हैं।

mUufr dh fy, j.kuhfr;k

बीबीएनएल के समक्ष आने वाले वर्षों में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस वर्ष जनवरी में भारत सरकार ने सरकार के डिजीटल इंडिया दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की नीति और पहुंच की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने प्रतिभागियों के साथ व्यापक विचार–विमर्शों के पश्चात् 31 मार्च, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में देश की विविधता, भिन्न परिदृश्यों और इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की भिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन के वैकल्पिक प्रारूपों के संबंध में सिफारिशें दी गई हैं। राज्यों की क्षमताओं का दोहन करने और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है।

çkS|ksfxdh; fodkl igy

जारी प्रौद्योगिकी के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण पहल हैं :–

- दिल्ली में प्रमुख डाटा केंद्र का विकास और आईटी अवसंरचना तथा नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के लिए बंगलुरू में डीआर डाटा केंद्र।
- संपूर्ण एनओएफएन नेटवर्क की निगरानी के लिए सीडॉट द्वारा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) का विकास। मुख्य डीआर डाटा केंद्रों के साथ भूगोलीय उच्च उपलब्धता वास्तुकला में एनएमएस प्रणाली तैनात की गई थी। एनएमएस प्रणाली ने फॉल्ट मैनेजमेंट, ट्रवल टिकटिंग, निष्पादन प्रबंधन, संपत्ति सूची प्रबंधन, जीआईएस मानचित्र पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सजीव निगरानी के लिए जीआईएस प्रणाली के साथ समेकन सहित सेवा क्षमताएं।
- जीपीओएन नेटवर्क के लिए सीडॉट द्वारा आयोजना उपकरण का विकास।
- मैप्स ऑफ इंडिया से खरीदी गई लगभग 5400 शीट्स का उपयोग करते हुए एनआईसी द्वारा केंद्रीयकृत भूगोलीय सूचना प्रणाली का विकास। जारी फाइबर नेटवर्क एवं जीपीओएन प्रणाली के लिए जीआईएस प्रणाली बाह्य संयंत्र लक्षणों तथा निर्मित रचनाओं के भंडारण का विवरण इकट्ठा कर रही है।
- परियोजना प्रबंधन प्रणाली का विकास प्राइमवेरा टूल के साथ बीबीएनएल कारपोरेट और राज्य पीएमयू के बीच आयोजना एवं प्रबंधन परियोजना गतिविधियों तथा सहयोग के साथ किया जा रहा है।
- सीडॉट द्वारा फाइबर फॉल्ट लोकेलाइजेशन प्रणाली का विकास।

ekuo lalkèku dh Hkfedk

कंपनी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों और मानव संसाधन को एक सक्रिय भूमिका निभानी अपेक्षित है। बीबीएनएल ने इस संबंध में प्रयास किए हैं और नियमित आधार पर युवा स्नातक इंजीनियरों तथा वित्त कर्मियों की तथा निश्चित अवधि के आधार पर परामर्शदाताओं की भर्ती करने और डीओटी से प्रतिनियुक्ति आधार पर लिए गए मौजूदा अधिकारियों के कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

ifjpkyu&lacaèkh >yfd;k

एनओएफएन परियोजना की एक केंद्र–राज्य के संयुक्त प्रयास की परिकल्पना की गई थी। राज्य सरकारों से आरओडब्ल्यू प्रभारों को न वसूलते हुए योगदान देने की आशा की गई थी। जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और बीबीएनएल के बीच समुचित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता थी। तमिलनाडु और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अजमेर जिले में अरेन ब्लॉक (राजस्थान), उत्तरी त्रिपुरा जिला में पानी सागर ब्लॉक (त्रिपुरा), विशाखापट्टनम जिले में परवडा ब्लॉक (आंध्र प्रदेश) की 59 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए तीन पायलट परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएनएस) और नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (एनओसी) सीडॉट बंगलुरू साइट से संचालित की जा रही हैं। एनओसी में प्रमुख गतिविधियों में नेटवर्क स्टेट्स मॉनीटरिंग, जीआईएस समेकन के साथ फॉल्ट एवं ट्रवल टिकट प्रबंधन, सेवा स्थापना, नेटवर्क संपत्ति सूची प्रबंधन, फाइबर प्रबंधन और सेवा प्रबंधन शामिल है।

केरल में तिरुवनंतापुरम जिले के नेडुमंगाड़ ब्लॉक में आनद ग्राम पंचायत से एक पायलट परियोजना के रूप में 15 संस्थानों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार किया गया है। केरल में सभी ग्राम पंचायतों को भारतनेट के माध्यम से केएसडब्ल्यूएएन के साथ जोड़ने का कार्य प्रगतिरत है।

पुदुचेरी में 43 सीएससी जो ग्राम पंचायत भवनों में स्थित है, भारतनेट के माध्यम से उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

चंडीगढ़ की सभी 12 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई सेवाएं प्रदान करने का कार्य मैसर्स नेटप्लस ब्रॉडबैंड एंड ब्लूटाउन कन्सोर्टियम को सौंपा गया है।

dkjiksjsV xouZsal

आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट गवर्नेन्स से संबंधित दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है।

nf"Vdks.k

एनओएफएन (भारतनेट) 2018 तक स्थापित किए जाने वाली राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना होगी, जो गैर–भेदभाव आधार पर उच्च गति नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करेगी, सभी घरों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और मांग पर सभी संस्थाओं को क्षमता प्रदान करेगी, राज्यों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से डिजीटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करेगी।

vfHkLohÑfr

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं आपके सतत सहयोग और विश्वास के लिए आपका, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों का आभार व्यक्त करती हूं। यह हमें हमारे प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और आपके तथा साथ ही राष्ट्र के लिए निरंतर महत्व पैदा करता है। मैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सतत सहयोग और मूल्यवान दिशा–निर्देशों की प्रशंसा करती हूं। मैं प्रशासक (यूएसओएफ), भागीदार सीपीएसयू, सीडॉट, एनआईसी, सीएंडएजी, लेखापरीक्षकों और बैंकों का उनके संपूर्ण सहयोग के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करती हूं।

cgqr cgqr èkU;oknA

g-@&
v#.kk lqanjjktu] vkbZ,,l
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
डीआईएन–03523267

fnukad% 28-09-2015
LFkku% ubZ fnYyh

BBNL
एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

lhvkbl,u % ;64100Mh,y2012 thvkvkb232070

lnL;ks dks fy, lwpuk

कंपनी की निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 28 सितंबर, 2015, सोमवार को 16:00 बजे, सम्मेलन कक्ष 13वां तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली तीसरी (3रीं) वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना दी जाती है:–

lkekU; dk;l

en l[;k 1

दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित लेखों और उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।

en l[;k 2

श्रीमती अरुणधती पांडा (डीआईएन:05355640) जो सेवानिवृत्ति हो रही है के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, और पात्र होने पर उन्हें स्वयं को पुनः नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया है।

en l[;k 3

कंपनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत करना।

fo'k"k dk;l

en l[;k 4

निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा उसके बगैर, यदि कोई हो, lkekU; ladYi के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे पारित करना:

Þ ladYi fy;k tkrk g कि श्रीमती अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन–03523267) जिन्हें दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत अपर निदेशक एवं सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था और जो तीसरी आम बैठक के समाप्त होने तक पद धारित करती है तथा कंपनी को सुश्री अरुणा संदर राजन से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक के कार्यालय हेतु अभ्यर्थी का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें कंपनी के निदेशक एवं सीएमडी के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

en l[;k 5

निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा उसके बगैर, यदि कोई हो, lkekU; ladYi के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे पारित करना:

Þ ladYi fy;k tkrk ह कि श्री बी.के. मित्तल (डीआईएन–07251326) जिन्हें दिनांक 29 जुलाई, 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत निदेशक बोर्ड द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और निदेशक (ऑपरेशन) के रूप में पदनामित किया गया था जो तीसरी आम बैठक के समाप्त होने तक पद धारित करते है तथा कंपनी को श्री बी.के. मित्तल से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक के कार्यालय हेतु अभ्यर्थी का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

ckMl dk vkns'k }kjk —rs Hkkjr c,McSM usVodl fyfeVsM

g-@&
,-lh- mik/;k;

fnukd% 23-09-2015
LFkku% ubl fnYyh

lh,l ,o fof/k çeq[k
lnL; l[;k & ,Q4324

lsok e]

1- chch,u,y ds lHkh lnL;

2- lkfof/kd ys[kkijh{kd

3- lfpoh; ys[kkijh{kd

4- chch,u,y ds lHkh funs'kd

layXud%

1- çca/ku fopkj&foe'kZ rFkk fo'ys"k.k vkSj dkjiksjsV xouZsUl fjiksVZ lfgr cksMZ dh fjiksVZ

2- foÙkh; fooj.k rFkk foÙkh; o"kZ 2014&15 ds fy, funs'kd dh fjiksVZ esa funs'kd dh fjiksVZ&ifjf'k"V ds layXud lkfof/kd ys[kkijh{kdksa dh fVIif.k;ksa vkSj mlij çca/ku ds mÙkj

3- funs'kd dh fjiksVZ ds layXud & lh,M,th dh fVIif.k;k

fVIi.kh%

1- cSBd esa Hkkx ysus vkSj ernku djus dk ik= dksbZ lnL; mlds ctk; cSBd esa Hkkx ysus vkSj ernku djus ¼pqukO dh fLFkfr esa½ ds fy, fdlh vU; O;fä] tks vfuok;Z :i ls daiuh dk lnL; gksuk vko';d ugha g] dks çkDlh ds :i esa fu;qä djus dk ik= gksxkA çHkkoh gksus ds fy, çkDlh QkeZ daiuh ds iathÑr dk;kZy; esa cSBd vkjaHk gksus ls 48 ?kaVs igys tek djokbZ tkuh pkfg,A çkDlh Q,eZ ifjf'k"V esa fn;k x;k gSA dksbZ O;fä lnL;ksa ds LFkku ij izkDlh gks ldrk gS ft lsa ehfVax esa Lo;a mifLFkr gksuk gksxkA

2. ऐसे कॉरपोरेट सदस्य जो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजना चाहते है उनसे बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प की एक समुचित रूप से प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।

3. नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न है।

4. संलग्न नोटिस तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में संदर्भित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की तारीख तक शनिवार और रविवार (सार्वजनिक अवकाश सहित) को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को सामान्य कार्य घंटों (9:30 प्रातः से 06:00 सांय तक) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

5. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा संलग्न है और सूचना का एक हिस्सा है।

6. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 22 सितंबर, 2015, मंगलवार से 28 सितंबर, 2015, सोमवार (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) बंद रहेंगे।

7. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत उनके द्वारा धारित शेयर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए अनुबंध अथवा करार रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के स्थान पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

8. कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सदस्य बोर्ड को कार्य की मात्रा और प्रचलित मुद्रास्फीति इत्यादि में वृद्धि पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2015–16 के लिए लेखापरीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं।

9. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार एक दूसरे से संबद्ध नहीं है।

daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 102 ds vuqlj.k esa O;k[;kRed fVIi.kh

en la[;k 4

Jherh v#.kk lqnjjktu dh fu;qfä

श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के बोर्ड में अपर निदेशक एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे तीसरी आम बैठक के समाप्त होने तक पद धारित करती हैं। कंपनी को उनसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के कार्यालय हेतु अभ्यर्थी का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्रीमती सुंदरराजन केरल काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अत्यधिक वरिष्ठ सिविल सिविल सेवा अधिकारी हैं। उनका केंद्र सरकार तथा केरल राज्य में कई नेतृत्व भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वे केरल सरकार की अपर मुख्य सचिव के स्तर की अधिकारी थी। वर्तमान में श्रीमती सुंदरराजन, प्रशासनक (यूएसओएफ), ने अतिरिक्त सचिव के स्तर पर दिनांक 01.10.2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

उनके पास बीबीएनएल में इक्विटी शेयर शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में श्रीमती सुंदरराजन को छोड़कर कंपनी का कोई भी प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संकल्प से संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल श्रीमती सुंदरराजन की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए यह मानते है कि उन्हें कंपनी के निदेशक/सीएमएडी के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड संकल्प को आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करते है।

en l[;k 5

Jh ch-d- feÙky dh fu;qfä

श्री बी.के. मित्तल को दिनांक 29 जुलाई, 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे तीसरी आम बैठक के समाप्त होने तक पद धारित करते है। कंपनी को उनसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक के कार्यालय हेतु अभ्यर्थी का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्री बी.के. मित्तल, 1979 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के एक अधिकारी रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की) से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेश में इंजीनियरिंग डिग्री के स्नातक है। वे दूरसंचार के क्षेत्र में 34 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ दूरसंचार उद्योग जगत में एक जानेमाने व्यक्ति है।

श्री बी. के. मित्तल ने दिनांक 29.07.2015 को निदेशक (ऑपरेशन), बीबीएनएल के रूप में कार्य ग्रहण किया है और उन्हें मुख्यतः सभी को त्वरित गति ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए भारतनेट/एनओएफएन परियोजना जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, की जिम्ममेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे कार्यकारी निदेशक, एमटीएनएल थे और ऑप्टिकल फाइबर तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क सहित लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और उद्यमी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली में दूरसंचार नेटवर्क के प्रशासन, ऑपरेशन, अनुरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार थे।

उन्होंने एमटीएनएल दिल्ली में प्रधान महाप्रबंधक (विकास) के रूप में भी कार्य किया है जहां वे सॉफ्ट–स्विच, फाइबर टू द होम, अगली पीढ़ी के अभिसरण नेटवर्कों इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं की स्थापना सहित दूरसंचार नेटवर्क के विकास में अग्रणी थे।

उनके पास बीबीएनएल में इक्विटी शेयर शून्य है।

कंपूनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल को छोड़कर कंपनी का कोई भी प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संकल्प से संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल श्री बी.के. मित्तल की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए यह मानते है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड संकल्प को आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करते है।

okf"kd vke cBd e iqu% p;fur gksus ds bPNqd funs'kdks vkj fu;qä fd, tk jgs funs'kdks dk laf{kIr oÙk&fp=

rhljh okf"kd vke cBd e iqu% p;fur gksus ds bPNqd funs'kd%

Uke	Jherh v#.kk lqnjjktu
MhvkbZ,u	03523267
tUe frfFk	12.07.1959
fu;qfä dh rkjh[k	01.10.2014
;kX;rk	स्नातकोत्तर (दर्शनशास्त्र), डिप्लोमा (जन प्रशासन), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)
fof'k"V lapkyu {ks= e fo'ks"kKrk	श्रीमती सुंदरराजन केरल कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की एक अत्यधिक वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी हैं। उनका केंद्र सरकार तथा केरल राज्य में कई नेतृत्व भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वे केरल सरकार की अपर मुख्य सचिव के स्तर की अधिकारी थी। वर्तमान में श्रीमती सुंदरराजन, प्रशासक (यूएसओएफ), ने अतिरिक्त सचिव के स्तर पर दिनांक 01.10.2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। उनके द्वारा धारित महत्वपूर्ण पदों में संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई–स्कूल पहल के राष्ट्र प्रमुख, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मिशन निदेशक, राजीव आवास योजना और भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के तहत सम्मानित सर्व सेवा केंद्र परियोजना के सीईओ का पद शामिल है। श्रीमती सुंदरराजन केरल, कोच्चि इन्फोपार्क के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना करने तथा स्मार्ट सिटी परियोजना, कोच्चि आरंभ करने में अग्रणी थी।

31-03-2015 d vuqlkj vU; difu;k e/kkfjr funs'kd in ¼vi'kdkyhu½	शून्य
31-03-2015 d vuqlkj vU; difu;k e lnL;rk@lfefr;k dh v/;{krk	शून्य
/kkfjr 'k;jk dh l[;k	शून्य

Uke	Jh ch-d- feÙky
Mhvkbl,u	07251326
tUe frfFk	18 / 10 / 1957
fu;fä dh rkjh[k	29 / 07 / 2015
;kX;rk	बी.टेक. (भारतीय दूरसंचार सेवा)
fof'k"V lpkyu {k= e fo'k"kKrk	श्री बी.के. मित्तल के पास उनके नेतृत्व के अधीन वैश्विक अनुभव भी है, एमटीएनएल मॉरीशस में अपनी ईकाई के ऑपरेशन सफलतापूर्वक आरंभ कर पाया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वे एमटीएनएल मॉरीशस की स्थापना करने में अग्रणी थे और उन्होंने एक समयबद्ध तरीके से पीएसपीएन, मोबाइल, आईएसडी और आईएसपी सेवाओं को सफलतापूर्वक आरंभ किया। पूर्व में उन्होंने मॉरीशस में परियोजना निदेशक, टीसीआईएल के रूप में भी कार्य किया जहां इन्कम्बैंट ऑपरेटर मॉरीशस टेलीकॉम के लिए बाह्य संयंत्र परियोजना तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया गया था। उनके विगत के अनुभव में एमटीएनएल दिल्ली में महाप्रबंधक का पद भी शामिल है जहां उन्होंने ब्रॉडबैंड, मूल्यवर्धित सेवाओं, ट्रांसमिशन नेटवर्क के क्षेत्र में तथा क्षेत्रीय–प्रभारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंनें हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम सर्कल में कुल्लू तथा सोलन में एसएसए प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है और अपने कैरियर के आरंभिक चरण के दौरान उत्तर प्रदेश टेलीकॉम सर्कल में काम किया है।
31-03-2015 d vuqlkj vU; difu;k e/kkfjr funs'kd in ¼vi'kdkyhu½	शून्य
31-03-2015 d vuqlkj vU; difu;k e lnL;rk@lfefr;k dh v/;{krk	शून्य
/kkfjr 'k;jk dh l[;k	शून्य

mifLFkfr iph

मैं कंपनी की दिनांक 28 सितंबर 2015 को सम्मेलन कक्ष, 13वां तल, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में 16.00 बजे आयोजित होने वाली तीसरी (3वीं) वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं:

शेयरधारक का नाम : ____________________

प्रोक्सी का नामः ____________________

(शोयनधारक के स्थान पर प्रोक्सी द्वारा भरा जाए)

लेजर फोलियो संख्या : ____________ धारित शेयर की संख्याः ____________

शेयरधारक / प्रोक्सी के हस्ताक्षर ____________

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

Q,e la[;k ,e thVh&11 & çkDlh Q,e

[कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 105(6) और कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसर में]

lhvkbZ,u % ;64100Mh,y2012thvksvkbZ232070
dEiuh dk uke % Hkkjr czkMcSaM usVodZ fyfeVsM
iathÑr dk;kZy; % dejk la[;k 306] rhljk ry] lh&M,V dkEIysDl] ekMy xkao jksM] egjkSyh] ubZ fnYyh&1100 30

lnL; ¼;ksa½ dk uke% ....
iathÑr irk% ....
bZ&esy vkbZMh% .... Qksfy;ks la[;k@xzkgd vkbZMh% .... Mhih vkbZMh% ....

मैं/हम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के .... इक्विटी शेयर का सदस्य, निम्निलिखित को

1. नामः ....
   पताः ....
   ई–मेल आईडीः ....
   हस्ताक्षरः ...., अथवा उसके न होने पर

2. नामः ....
   पताः ....
   ई–मेल आईडीः ....
   हस्ताक्षरः ...., अथवा उसके न होने पर

3. नामः ....
   पताः ....
   ई–मेल आईडीः ....
   हस्ताक्षरः ...., अथवा उसके न होने पर

दिनांक 28 सितंबर, 2015, सोमवार को 16.00 बजे सम्मेलन कक्ष, 13वें तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली कंपनी तीसरी आम बैठक तथा निम्नानुसार बैठक के संचालन के नोटिस में निर्धारित संकल्पों के संबंध में किसी स्थगन में मेरे लिए और मेरी तरफ से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने तथा मतदान करने (मतदान की स्थिति में) के लिए नियुक्त करता हूंः

Ø-la-	ladYi
	lkekU; dk;Z
1.	दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित लेखों और उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2.	श्रीमती अरुणधती पांडा (डीआईएनः 05355640) जो क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो रही हैं के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, उन्होंने निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए स्वयं को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है।
3.	कंपनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करना और उन्हें निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत करना।
	fo'ks"k dk;Z
4.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन की निदेशक एवं सीएमडी के रूप में नियुक्ति
5.	श्री बी.के. मित्तल की निदेशक के रूप में नियुक्ति

2015 के.......... की.................. तारीख को हस्ताक्षरित

शेयरहोल्डर के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

jlhnh
fVdV
yxk,

fVIi.kh% प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म पूरी तरह से भरकर बैठक आरंभ होने के न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए।

lnL;ksa ds fy, ckMZ dh fjiksVZ

fç; lnL;ksa]

निदेशक मंडल की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ उस पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है।

1- foÙkh; ifj.kke

fooj.k	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½	
	31 ekpZ] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ] 2014 dks lekIr o"kZ ds fy,
संचालन से राजस्व	41,33,354	41,33,355
अन्य आय	10,91,35,562	7,98,79,064
dqy jktLo	**11,32,68,916**	**8,40,12,419**
कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा भत्ते	2,43,67,262	1,12,96,129
वित्तीय लागत	3,69,009	5,81,153
अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय	3,64,79,824	1,96,08,782
प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	4,81,60,076	2,42,20,666
dqy O;;	**10,93,76,171**	**5,57,06,730**
iwoZ vof/k en vkSj dj ls iwoZ ykHk@¼gkfu½	**38,92,745**	**2,83,05,689**
dj ls iwoZ ykHk@¼gkfu½	**(14,16,551)**	**2,76,80,877**
dj O;;%		
चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय	25,84,148	67,00,731
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	17,26,686	1,110
स्थगित कर	(28,71,113)	32,08,033
dj i'pkr ykHk@¼gkfu½	**(28,56,272)**	**1,77,71,003**
çfr 'ks;j vtZu% मूल सरलीकृत	 (0.05) (0.05)	 0.30 0.30
lkekU; vkjf{kr esa gLrkarfjr	-	**1,77,71,003**

2- dk;Z >yfd;ka vkSj flagkoyksdu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कुल 11,32,68,916.00 रुपए का राजस्व और वर्ष के लिए कर पश्चात् 28,56,272.00 रुपए का घाटा दर्ज किया। कंपनी में पूर्व अवधि मदों और कर से 38,92,745.00 रुपए का लाभ हुआ है। कंपनी का संचालन अभी आरंभ होना बाकी है।

3- ykHkka'k

वर्ष के दौरान घाटे को देखते हुए आपके निदेशक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं कर रहे हैं।

4- vkjf{krksa esa gLrkarj.k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित खाते में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जा रही है।

5- ekuo lalk/ku fodkl ,oa çf'k{k.k

कंपनी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों और मानव संसाधन को एक सक्रिय भूमिका निभानी अपेक्षित है। बीबीएनएल ने इस संबंध में प्रयास किए हैं और नियमित आधार पर युवा स्नातक इंजीनियरों तथा वित्तीय कर्मियों की तथा निश्चित अवधि के आधार पर परामर्शदाताओं की भर्ती करने और डीओटी से प्रतिनियुक्ति आधार पर लिए गए मौजूदा अधिकारियों के कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

çf'k{k.k

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणी के कार्यकारियों के लिए अवसर प्रदान करने हेतु कदम उठाए गए थे। आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर कार्यकारियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

6- dk;ZLFky ij efgykvksa ds ;kSu mRihMu ¼jksdFkke] fu"ks/k vkSj fuokj.k½ vf/kfu;e] 2013 ds vuqlkj çdVu

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शून्य सहनशीलता हैं और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में एक नीति अपनाई है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बीबीएनएल में सीजीएम (डब्ल्यूटी) सीजीएम (जीआईएस) और सीजीएम (पीएफसी) की एक आंतरिक समिति का कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखने हेतु गठन किया गया है।

7- oc lkbV ij j[k x, nLrkost (www.bbnl.nic.in)

अधिनियम के अनुसरण में वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेज डाले गए है:

i) आचार संहिता (बीबीएनएल के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार आचार संहिता और नीति);

ii) सिटीजन चार्टर;

iii) बीबीएनएल प्रापण पुस्तिका;

iv) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटरों का विवरण (आईईएमएस);

v) एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट;

vi) विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र;

vii) उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति।

8- vc rd gbZ çxfr ¼20 flrEcj] 2015 dh vuqlkj½

i) वर्तमान में कंपनी परियोजना पद्धति में है और एनओएफएन परियोजना के पहले चरण में 1,00,000 जीपी में कार्य करने की प्रक्रिया में है। यह कार्य 2704 ब्लॉकों में किया जाएगा।

ii) एनओएफएन का कार्य 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ हो गया है।

iii) देश भर में 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 27041 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 63336 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल, 36501 ग्राम पंचायचतों को शामिल करते हुए लगभग 89657 किलोमीटर पीएलबी डक्ट बिछायी गई हैं। लगभग 3200 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है और वे उपयोग के लिए तैयार हैं तथा वर्तमान में कई अधिक कार्य प्रगतिरत है।

iv) कार्य को तीन सीपीएसयू–बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल के बीच बांटा गया है।

fcNk;h xbZ ikbi ¼fdeh½

बिछायी गई पाइप ■ चरण 1 बाकी

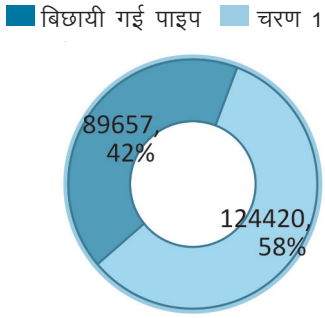

lhih,l;w	fcNk;h xbZ ikbi ¼fdeh½	pj.k 1 ckdh ¼fdeh½
बीएसएनएल	72389	101084
रेलटेल	6521	12043
पीजीसीआईएल	10747	11293

fcNk;h xbZ dscy ¼fdeh½

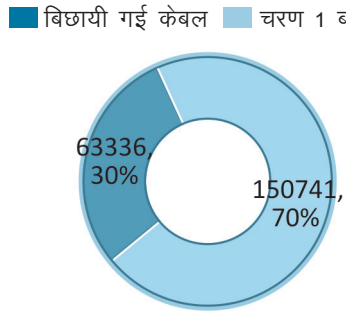

बिछायी गई केबल ■ चरण 1 बाकी

lhih,l;w	fcNk;h xbZ dscy ¼fdeh½	pj.k 1 ckdh ¼fdeh½
बीएसएनएल	54859	118814
रेलटेल	3358	15205
पीजीसीआईएल	5319	16721

v) 2386 ब्लॉकों में कार्य निष्पादन के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया है, 2212 ब्लॉकों में कार्य आदेश जारी किया गया है और 2086 ब्लॉकों में कार्य आरंभ हो गया है।

vi) केरल, पुदुचेरी और चंडीगढ़ को पूरी तरह से परियोजना के तहत जोड़ा गया है। अन्य राज्य जहां ग्राम पंचायतों को सक्रिय बनाया गया है, उनमें शामिल हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश इत्यादि।

vii) miyfC/k;k

12 जनवरी, 2015 को केरल में इडुकी जिला भारत में उच्च गति ग्रामीम ब्रॉडबैंड पहुंच के अंतर्गत पूरी तरह से लाये जाने वाला पहला जिला बन गया। केरल की इडामलकुडी ग्राम पंचायत जो कि एक सुदूर स्थित बिना किसी सड़क मार्ग, बिजली और कुछ समय पहले तक पानी की आपूर्ति के बिना एक जनजातीय ग्राम पंचायत है – वह अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल वॉइस सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। आज इडामलकुडी डिजीटल नेटवर्क के माध्यम से बाह्य जगत के साथ जुड़ गई है। यह ऐसा परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है जिसका ग्रामीम जनसंख्या के जीवन पर असर हुआ है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 01 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के प्रथम उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारतनेट का शुभारंभ किया। इस समारोह ने डिजीटल इंडिया के नए युग में प्रवेश में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की।

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 07 जुलाई, 2015 के बीच राष्ट्र भर में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत/सर्व सेवा केंद्रों/डाक घरों/स्कूलों इत्यादि के माध्यम से नागरिकों को सूचित, शिक्षित और शामिल करने के उद्देश्य से एक वृहत अभियान आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के भाग के रूप में बीबीएनएल ने 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 ग्राम पंचायतों में समारोह आयोजित किए। लोगों को एनओएफएन नेटवर्क का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में अधिकारियों को ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–शासन और इंटरनेट सेवाओं इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायतों तथा डिजीटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रम के स्थानों तथा साथ ही नई दिल्ली में अन्य कार्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के साथ आगे और भी इंटरैक्शन किए गए।

viii) çkS|kfxdh fodkl igy

जारी प्रौद्योगिकी विकास में शामिल प्रमुख पहल हैं:

- दिल्ली में प्रमुख डाटा केंद्र का विकास और आईटी अवसंरचना तथा नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के लिए बंगलुरू में डीआर डाटा केंद्र।
- संपूर्ण एनओएफएन नेटवर्क की निगरानी के लिए सीडॉट द्वारा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) का विकास। मुख्य डीआर डाटा केंद्रों के साथ भूगोलीय उच्च उपलब्धता वास्तुकला में एनएमएस प्रणाली तैनात की गई थी। एनएमएस प्रणाली ने फॉल्ट मैनेजमेंट, ट्रवल टिकटिंग, निष्पादन प्रबंधन, संपत्ति सूची प्रबंधन, जीआईएस मानचित्र पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सजीव निगरानी के लिए जीआईएस प्रणाली के साथ समेकन सहित सेवा क्षमताएं।
- जीपीओएन नेटवर्क के लिए सीडॉट द्वारा आयोजना उपकरण का विकास।
- मैप्स ऑफ इंडिया से खरीदी गई लगभग 5400 शीट्स का उपयोग करते हुए एनआईसी द्वारा केंद्रीयकृत भूगोलीय सूचना प्रणाली का विकास।
- जारी फाइबर नेटवर्क एवं जीपीओएन प्रणाली के लिए जीआईएस प्रणाली बाह्य संयंत्र लक्षणों तथा निर्मित रचनाओं के भंडारण का विवरण इकट्ठा कर रही है।
- परियोजना प्रबंधन प्रणाली का विकास प्राइमवेरा टूल के साथ बीबीएनएल कॉरपोरेट और राज्य पीएमयू के बीच आयोजना एवं प्रबंधन परियोजना गतिविधियों तथा सहयोग के साथ किया जा रहा है।
- सीडॉट द्वारा फाइबर फॉल्ट लोकेलाइजेशन प्रणाली का विकास।

9- dEiuh vf/kfu;e] 2013 ds vUrxZr vis{kr dkjikjsV xousZUl fjiksVZ] çca/ku fopkj&foe'kZ ,oa fo'ys"k.k rFkk vU; lwpuk

dkjikjsV xousZUl fjiksVZ

आपकी कंपनी सभी प्रतिभागियों के हितों की सुरक्षा में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट गवर्नेन्स के उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु वचनबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसयू के कारपोरेट गवर्नेन्स दिशा–निर्देशों को मई, 2010 से अनिवार्य बनाया गया है और बीबीएनएल ने अधिकतम संभावित सीमा तक इसका क्रियान्वयन किया है।

शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी सचिव के एक प्रमाण–पत्र के साथ दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेट गवर्नेन्स संबंधी एक रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, इस रिपोर्ट के vuqc/k&[k के साथ संलग्न है।

çca/ku dk fopkj&foe'kZ vkSj fo'ys"k.k fjiksVZ

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कारपोरेट गवर्नेन्स संबंधी दिशा–निर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और निष्पादन के संबंध में "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" अनुबंध–ग में संलग्न है।

10- funs'kd mÙkjnkf;Ro dFku

अधिनियम की धारा 134(5) तथा प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक इस बात की पुष्टि करते है कि:

i) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सभी लागू लेखा मानकों को वस्तुस्थिति से विचलन से संबंधित समुचित व्याख्या के साथ अपनाया गया है;

ii) उन्होंने ऐसी लेखन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से अपनाया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के अनुसार कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते का सही और समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने केलिए समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं;

iii) उन्होंने उनकी जानकारी और योग्यता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखन रिकॉर्ड रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखभाल की है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि उनके पास कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने एवं उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण मौजूद है;

iv) उन्होंने जारी हितों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए है;

v) उन्होंने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi) उन्होंने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

11- lkfof/kd y[kkijh{kd

मेसर्स वोहरा एंड सहगल, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है।

12- Lor= y[kkijh{kdksa dh fjikVZ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखों की समीक्षा के साथ उन पर प्रबंधन के उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के सात संलग्न हैं।

13- lfpoky;h y[kkijh{kk fjikVZ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा मेसर्स जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्श, कंपनी सचिव, नई दिल्ली द्वारा की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा अनुबंध–च के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14- lfpoh; y[kkijh{kd }kjk mudh fjikVZ esa ;kX; rkvk] fufgrkFkZ vFkok çfrdwy fVIif.k;ksa vFkok vLohdj.k ds lEc/k esa dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 134¼3½¼p½ ds vUrxZr 0;k[;k vFkok fVIif.k;k¡

सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों में निम्नलिखित योग्यताएं, निहितार्थ अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां थी और उन पर प्रबंधन का उत्तर नीचे दिया गया है:

y[kkijh{kk ijk l[;k	lfpoh; y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çc/ku dk mÙkj
i) (1)	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि आवश्यक है कंपनी के बोर्ड में और इसकी उप समितियों में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।	कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है।
i) (2)	कंपनी कुछ घटनाओं में विलंब को छोड़कर ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस, वैट, सेवाकर, आयकर रिटर्न दायर करने में नियमित रही है।	बीबीएनएल समय से अर्थात् सांविधिक आवश्यकता की देय तारीख पर अथवा उससे पहले टीडीएस, वैट, सेवाकर, आयकर रिर्टन नियमित रूप से जमा और प्रस्तुत कर रही है। बीबीएनएल नियमित रूप से ईपीएफ जमा कर रही है और ईपीएफ प्राधिकरण को मासिक रिपोर्ट दायर कर रही है। तथापि, राज्य वैट के मामले में चार परियोजना निगरानी इकाइयों के संबंध में विलंब हुआ है। अब विलंब के सभी मामलों को नियमित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध–क पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई है:–

y[kkijh{kk ijk l[;k	lfpoh; y[kkijh{k dh fVIif.k;k
अनुबंध–क – क्रम संख्या 3	हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर (सनदी लेखाकार) की आतंरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिक/विधायी अनुपालनों की सटीकता की जांच की है।
अनुबंध–क – क्रम संख्या 4	हमने समीक्षा अवधि के लिए मैसर्स वोहरा एंड सहगल (सनदी लेखाकार) की सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है अतः हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पियां इस रिपोर्ट का भाग हैं।

उपर्युक्त के संबंध में प्रबंधन का समेकित उत्तर पहले ही वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधकों के उत्तर के खंड में दिया गया है।

15- Åtk lj{k.k] çk|kfxdh; lekos'k.k rFkk 'kk/k ,o fodkl ij 0;;

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अनसुरण में ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क) Åtk lj{k.k

d½ Åtk dk lj{k.k dk fy, mBk, x, dne vFkok çHkko%

कंपनी अपने नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र/कार्यालय में एलईडी ट्यूब लाइट/बल्बों को स्थापित करने की योजना बना रही है।

[k½ Åtk dk oSdfYid lkrk dk mi;kx dk fy, dEiuh }kjk mBk, x, dne%

ग्राम पंचायतों में स्थापित अपने सभी उपकरणों में ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है अर्थात् (ओएनटी)।

x½ Åtk lj{k.k midj.k dk lc/k e iathxr fuos'k%

कंपनी ने कार्यालय भवन में ऊर्जा संरक्षण उपकरण लगाए है।

[k½ çk|kfxdh; lekos'k.k] mUgs viukuk vkj uokpkj

d½ çk|kfxdh; lekos'k.k] mUgs viukus vkj uokpkj dk fy, mBk, x, l{ki e dne%

जीपीओएन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक पॉयलट योजना चलाई गई हैं। इस पायलट परियोजना के प्राप्त ज्ञान जीपीओएन के लिए निविदा में शामिल किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

ख) उपर्युक्त प्रयासों, उदाहरण उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के परिणामस्वरूप पहुंचे लाभ

जीपीओएन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

ग) आयाती प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से शुरू करते हुए विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना दी जा सकती है:

क) आयातित प्रौद्योगिकी : शून्य

ख) आयात का वर्ष : शून्य

ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से समावेशित की गई है : शून्य

घ) यदि पूरी तरह से समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहां ऐसा नहीं हुआ है, इसके कारण तथा भविष्य की योजनाएं : शून्य

¼x½ vkj,.MMh ij 0;; ¼:i, yk[k e½

Ø- l-	fooj.k	2014&15	2013&14
1.	पूंजी	शून्य	शून्य
2.	आवर्ती	शून्य	शून्य
3.	कुल	शून्य	शून्य
4.	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कुल आरएंडडी व्यय	शून्य	शून्य

16- fons'kh eqæk vk; vkj 0;;

Ø- l-	fons'kh eqæk vk;@0;;	jkf'k Hkkjrh; #i, e	
		31 ekp] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekp] 2014 dks lekIr o"kZ ds fy,
1	विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य
2	विदेश यात्रा के भुगतान पर हुआ व्यय	2,36,609	17,35,167
3	अन्य	4,79,489	8,77,734
4	सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य (अर्जन आधार पर)	शून्य	शून्य
5	विदेशी मुद्रा वापसी, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

17- dkjikjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत अपेक्षित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है, अतः, न तो सीएसआर समिति का गठन किया गया है और न ही कोई व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति दूरसंचार विभाग में प्रक्रियाधीन है।

18- ykxksa ls tek

कंपनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार लोगों से मूल अथवा जमा पर ब्याज के लिए कोई राशि तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बकाया नहीं थी।

19- fun'kd ckM

Ø-l-	fun'kd dk uke	inuke
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन*	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2.	श्री एन. रविशंकर**	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
3.	श्री ए.के. भार्गव***	निदेशक (ऑपरेशन) एवं सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार
4.	श्री वी. उमाशंकर	सरकार के नामिती निदेशक
5.	श्री आई.एस. शास्त्री	सरकार के नामिती निदेशक
6.	श्रीमती अरुणधती पांडा	निदेशक (वित्त)
7.	श्री पी.के. अग्रवाल	निदेशक (योजना)
8.	श्री बी. के. मित्तल****	निदेशक (ऑपरेशन)

* दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या एफ.13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

** श्री एन. रवि शंकर ने 31 जुलाई, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है। बोर्ड श्री एन. रवि शंकर द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त मूल्यवान योगदान और मार्गदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

*** श्री ए.के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) को दिनांक 28 अगस्त, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) को कंपनी के निदेशक (ऑपरेशन) सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है, चूंकि उन्हें सलाहकार (टी), दूरसंचार विभाग के रूप में तैनात किया गया है।

**** डीओटी के दिनांक 24 जुलाई, 2015 के आदेश संख्या एफ13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने निदेशक (ऑपरेशन), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बी.के. मित्तल, कार्यकारी निदेशक, एमटीएनएल को 31.12.2015 तक की अवधि तक अथवा पद के लिए नियमित व्यक्ति की नियुक्ति अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, को सौंपा है। श्री बी.के. मित्तल ने 29.07.2015 से कार्यग्रहण किया है।

19.1 fuEufyf[kr 0;fä;k dk leh{kk/khu vof/k d nkjku d iuh vf/kfu;e] 2013 d çko/kkuk d vulkj çe[k çc/kdh; dkfe dk d :i e inukfer fd;k x;k Fkk%

Ø-l-	fun'kd dk uke	inuke	fu;fä dh rkjh[k
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन*	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.10.2014
2.	श्री एन. रविशंकर**	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	25.02.2012
3.	श्री ए.के. भार्गव***	निदेशक (ऑपरेशन) एवं सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार	03.09.2012
4.	श्रीमती अरुणधती पांडा	निदेशक (वित्त)	26.07.2012
5.	श्री पी.के. अग्रवाल	निदेशक (योजना)	31.08.2012
6.	श्री बी. के. मित्तल****	निदेशक (ऑपरेशन)	29.07.2015
7.	श्री ए.सी. उपाध्याय	सीएस एवं प्रमुख विधि	01.04.2014

* दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या एफ.13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

** श्री एन. रवि शंकर ने 31 जुलाई, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

*** श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) को कंपनी के सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (ऑपरेशन) के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

**** श्री बी. के. मित्तल ने 29.07.2015 से कार्यग्रहण किया है।

19-2 ckMZ dh cSBdsa

बोर्ड के सदस्यों की बोर्ड बैठक में उपस्थिति तथा अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक बोर्ड की निम्न तारीखों को दस बैठकें हुई:

32वीं बोर्ड बैठक 29.05.2014	33वीं बोर्ड बैठक 27.06.2014	34वीं बोर्ड बैठक 30.07.2014	35वीं बोर्ड बैठक 02.09.2014
36वीं बोर्ड बैठक 30.09.2014	37वीं बोर्ड बैठक 09.10.2014	38वीं बोर्ड बैठक 27.11.2014	39वीं बोर्ड बैठक 08.01.2015
40वीं बोर्ड बैठक 09.02.2015	41वीं बोर्ड बैठक 20.02.2015		

20- ys[kkijh{kk lfefr

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है जो लंबित है। जैसे ही मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाती है तो तत्काल लेखापरीक्षा समिति का पुर्नगठन कर दिया जाएगा।

आरंभ में बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिती निदेशक तथा एक संचालन निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव है। वर्ष के दौरान 5 (पांच) [(पांचवीं) 27.06.2014, (छठी) 02.09.2014, (7वीं) 30.09.2014, (8वीं) 27.11..2014 और (9वीं) 20.02.2015] लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है।

निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2015 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

Ø- l-	fun'kdksa dk uke	inuke	Js.kh	cSBdksa dh l[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	श्री वी. उमाशंकर	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	5
2.	श्री ए.के. भार्गव*	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3
3.	श्री आई.एस. शास्त्री	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	4
4.	श्री पी.के. अग्रवाल**	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) का अतिरिक्त प्रभार	2

* श्री ए.के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (ऑपरेशन) एवं सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

** दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में श्री पी.के. अग्रवाल, निदेशक (योजना), बीबीएनएल ने दिनांक 01.10.2014 से निदेशक (ऑपरेशन), बीबीएनएल के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

लेखापरीक्षा समिति का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के अभिशासन दिशा–निर्देशों के संबंध में 14 मई, 2010 के निर्देशों के अनुसार हैं। कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखति शामिल है:

- ys[kkijh{kdksa ds lkFk vkof/kd :i ls fuEu ds ckjs esa fopkj&foe'kZ djuk%
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहिति लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- fuEufyf[kr dk;Z djuk%
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय लें
  - प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।
  - बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।
  - लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

20.1 daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 177¼9½ ds varxZr foly Cyksvj uhfr@lrdZrk ra=

कंपनी में समिति के माध्यम से एक स्थापित विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र है और यह निदेशकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा व्यक्त सही चिंताओं की देखभाल करता है। कंपनी में उन कर्मचारियों और निदेशकों को प्रताड़ित करने के विरूद्ध समुचित रक्षोपाय किए हैं जो ऐसी चिंताएं व्यक्त करते हैं। कंपनी ने कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों के संबंध में मामले सूचित करने के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित Þfoly Cykvj uhfr@lrdZrk r=ß का कंपनी द्वारा क्रियान्वयन किया गया है। यह नीति प्रबंधन को गैर–नीति कर व्यवहार, कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन अथवा धोखाधड़ी के वास्तविक अथवा संभावित प्रबंधकीय घटनाओं की सूचना देने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने हेतु नीति तैयार की है। वर्ष के दौरान ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

21- ukfer ,oa ikfjJfed lfefr

आरंभ में बोर्ड ने वर्ष 2013 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत यथा अपेक्षित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनर्गठन नहीं किया जा सका। समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुर्नगठन किया जाएगा। एक सीपीएसई होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं और पारिश्रमिक के मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 05.06.2015 की अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान की है।

वर्ष के दौरान 20.02.2015 को एक पहली बैठक आयोजित की गई थी। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

Ø- l-	fun'kd dk uke	inuke	Js.kh	cBdk dh l[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
2.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक/अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
3.	श्री वी. उमाशंकर	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
4.	श्री आई. एस. शास्त्री	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

22- dEiuh dh tkf[ke çca/ku uhfr ds fodkl vkSj fØ;kUo;u ds laca/k esa dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh èkkjk 134¼3½¼<½ ds vuqlkj lwpuk

आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 18.08.2014 को एक बैठक (दूसरी) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2015 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

Ø- l-	fun'kd dk uke	inuke	Js.kh	cBdk dh l[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	श्री आई.एस. शास्त्री	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री ए.के. भार्गव*	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	1
3.	श्री पी.के. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक (योजना)	1

*श्री ए.के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से कंपनी के निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

23- deZpkfj;ksa ds ikfjJfed ds laca/k esa dEiuh ¼çca/kdh; dkfeZdksa dh fu;qfä vkSj ikfjJfed½ fu;e] 2014 ds fu;e 5¼2½ ds lkFk ifBr dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 197 ds vuqlkj lwpuk

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित के अंतर्गत सूचना आपकी कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी 5,00,000 भारतीय रुपए प्रतिमाह अथवा 60,00,000 रुपए प्रतिवर्ष अथवा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालीन निदेशख द्वारा ली गई राशि से अधिक अथवा उनकी पति–पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ नहीं ले रहा था जो कि कंपनी के इक्विटी शेयरों के 2 प्रतिशत से कम न हो।

तथापि, बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और संगत नियम भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे। संचालन निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और उपबंधों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। बीबीएनएल के कंपनी सचिव, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति के वेतन और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है।

24- ckMZ }kjk viuh Lo;a dh fu"iknu rFkk mldh lfefr rFkk O;fä;ksa dh fu"iknu dk vkSipkfjd okf"kZd eY;kadu djus ds lac/k esa daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 134¼3½¼r½ ds vUrxZr çDdFku

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसलिए, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अधिनियम के अनुसार गठन नहीं किया जा सका जो वार्षिक मूल्यांकन की पद्धति तथा उसके अंतर्गत निर्मित तदंतर औपचारिक मूल्यांकन के तरीके को अंतिम रूप दे सकती थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(त) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(4) के अंतर्गत अपेक्षाएं दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात् पूरी की जाएंगी।

तथापि, बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों और संगत नियम भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे।

25- lac) i{k ysunsu

संबद्ध पक्षों के साथ कोई करार अथवा प्रबंध नहीं था जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तत्वाधान में आता।

26- Q,e lala[;k ,e thVh 9 okf"kZd fjVuZ dk m)j.k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट के लिए फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में कंपनी की वार्षिक रिटर्न का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में रिपोर्ट अनुबंध–क में दी गई है।

27- daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 186 ds vUrxZr _.k] xkjaVh vFkok fd, x, fuos'k dk fooj.k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कंपनी द्वारा कोई ऋणॅगारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया और इस प्रकार उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

28- vukjf{kr _.k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अनारक्षित ऋण नहीं है।

29- foÙkh; o"kZ ds var ftlls foÙkh; fooj.k lac) gS vkSj fjiksVZ dh rkjh[k ds chp gq, daiuh dh foÙkh; fLFkfr dks çHkkfor djus okys okLrfod ifjorZu vkSj opuc)rk,a ;fn dksbZ gksa

वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं है।

30- lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए समूचे संगठन में व्यापक तंत्र गठित किया है। नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता और सुलभता प्रदान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच और प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया व्यक्त करते हुए बीबीएनएल की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा–निर्देश डाले गए हैं।

सूचना की विभिन्न श्रेणियों का प्रसार करते हुए अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप बीबीएनएल की वेबसाइट पर स्वतः प्रकटन किया गया है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का उपयोग करने की न्यूनतम आवश्यकता हो।

31- jktHkk"kk

आपकी कंपनी राजभाषा के प्रसार और संवर्धन के सटीक प्रयास करती है। राजभाषा नीति/अधिनियम/नियमों भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में सरकारी काम में हिंदी के अधिक उपयोग के लिए प्रयास जारी हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइटः URL: www.bbnl.nic.in/contenthi में भी आरंभ किया है।

32- lrdZrk

दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में कंपनी में अंशकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

33- 'ks;j/kkjdksa ds fy, lwpuk

कंपनी के वित्तीय विवरण और संबद्ध विस्तृत सूचना कंपनी के शेयरधारकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसी कोई सूचना की मांग करने वाला कोई भी शेयरधारक किसी भी समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

34- vkrfjd foÙkh; fu;=.k d i;kIr gkus d lca/k e diuh ¼y[kk½ fu;e] 2014 d fu;e 8¼5½(viii) d lkFk ifBr diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 134¼3½¼Fk½ d vrxr lpuk

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना और नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विनियमों और प्रक्रियाओं के साथ इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा अनुपालन सहित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभाविता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया जाता है और उनकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभाविता की भी समीक्षा करती है।

35- dkjiksjsV xouZUl d lca/k e fn'kk&funs'kk d vuqikyu d vk/kkj ij xzsfMx

सितंबर, 2014 के माह में डीपीई ने वर्ष 2013–14 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेन्स के संबंध में दिशा–निर्देशों के साथ उनके अनुपालन के आधार पर सीपीएसई की ग्रेडिंग की है और बीबीएनएल को "बहुत अच्छा" आंका गया है।

36- funs'kdk }kjk lkfof/kd çdVu

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक प्रकटन किया है।

37- vfHkLohÑfr

निदेशक बोर्ड भारत सरकार, विशेषकर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर, बीएसएनएल, पीजीसीआईएल, रेलटेल, सी–डॉट, टीसीआईएल और सभी अन्य भागीदारों तथा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग का हृदय से आभारी है।

निदेशक बोर्ड सीएंडएजी तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा बैंकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल्यवान सहयोग परिश्रम तथा समर्पण के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के सतत् एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना तथा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी।

38- vuq'kx"k

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:

1. कंपनी की "वार्षिक रिटर्न का उद्धरण" vuqc/k&d के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
2. "कॉरपोरेट गवर्नेन्स संबंधी रिपोर्ट" vuqc/k&[k के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
3. "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" vuqc/k&x के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
4. "निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता" vuqca/k&?k के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
5. "कंपनी के मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाण–पत्र/घोषणा" vuqc/k&³ के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
6. कंपनी की "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" vuqc/k&p के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

Hkkjr czkWMcSaM usVodZ fyfeVsM
—rs rFkk dh vkj ls funs'kd eaMy

gLrk-@&
v#.kk lqanjjktu
v/;{k&lg&çca/k funs'kd
MhvkbZ,u&03523267

fnukad% 23.09.2015
LFkku% नई दिल्ली

Q,e lañ[;k ,e thVh&9
okf"kZd fooj.kh dk m)j.k
foÙkh; o"kZ lekIr gksus dh fLFkfr ds vuqlkj
[daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 92¼3½ rFkk daiuh ¼çca/ku rFkk ç'kklu½ fu;e] 2014 ds fu;e 12¼1½ ds vuqlkj e]

I. iathdj.k rFkk vU; fooj.k%

i.	सीआईएन	यू64100डीएल2012जीओआई232070
ii.	पंजीकरण की तारीख	25 फरवरी, 2012
iii.	कंपनी का नाम	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	श्रेणी – शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड उपश्रेणी – केंद्र सरकार की कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मांडी गांव रोड, महरोली, नई दिल्ली–110030
vi.	क्या यह सूचीबद्ध कंपनी है हां / ना	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. daiuh dh çeq[k 0;kikj xfrfof/k

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक की सभी व्यापार गतिविधियां निम्न होंगी:–

Ø- lañ	eq[; mRiknksa@lsokvksa dk uke rFkk fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	daiuh ds dqy VuZvkoj dk%
1	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना, प्रबंधन और ऑपरेशन का कार्य करना जिसकी ग्राम पंचायतों को मौजूदा तथा भविष्य के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों को त्वरित गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की भारत सरकार द्वारा परिकल्पना की गई है।	9984222	100%

III. /kkfjr] lfClMjh rFkk ,lksfl,V daifu;ksa ds fooj.k

Ø- lañ	daiuh dk uke vkSj irk	lhvkbZ,u@ th,y,u	gksfYMax@ lfClMjh@,lksf'k,V	/kkfjr 'ks;jksa dk çfr'kr	ykxw [kaM
1	....	....	.... शून्य	....	....

IV. 'k;jgkfYMx i)fr ¼dy bfDoVh dk bfDoVh 'k;j iwath fooj.k dy çfr'kr½

i) *श्रेणी–वार शेयरहोल्डिंग*

'k;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ dk vkjEHk esa 'k;jksa dh la[;k				o"kZ dk var esa 'k;jksa dh la[;k				o"kZ dk nkSjku % ifjorZu
	MheSV	fQftdy	dqy	'k;jksa dk %	MheSV	fQftdy	dqy	'k;jksa dk %	
d½ çeksVj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Hkkjrh;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्ति/एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	शून्य	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999495		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999495	शून्य
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	शून्य	03	03	0.0000005		03	03	0.0000005	शून्य
ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi&;ksx ¼d½ ¼1½	'kwU;	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	'kwU;
2- fons'kh									
क) एनआरआई– व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi&;ksx ¼d½ ¼2½	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
çeksVjksa dk dqy 'k;j ¼d½¾¼d½ ¼1½$¼d½¼2½	'kwU;	6,00,00,003	6,00,00,003	100		6,00,00,003	6,00,00,003	100	'kwU;
[k½ lkoZtfud 'k;j gkfYMax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'ks;j/kkjdksa dh Js.kh	oxZ dk vkjEHk esa 'ks;jksa dh la[;k				oxZ dk vUr esa 'ks;jksa dh la[;k				oxZ dk nkSjku % ifjorZu
	MheV	fQftdy	dqy	'ks;jksa dk %	MheV	fQftdy	dqy	'ks;jksa dk %	
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi;ksx ¼[k½ ¼1½	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- laLFkk,a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक आंशिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक आंशिक शेयरपूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरहोल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mi&;ksx ¼[k½ ¼1½	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dqy lkoZtfud 'ks;j ¼[k½¾¼[k½ ¼1½ $¼[k½¼2½	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ldy ;ksx ¼d $ [k $ x½	'kwU;	6,00,00,003	6,00,00,003	100		6,00,00,003	6,00,00,003	100	'kwU;

ii) *प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग*

क्र. सं.	'k;j/kkjd dk uke	o"k d vkjHk e 'k;j			o"k d vr e 'k;j			o"k d nkjku /kkfjr 'k;j e çfr'kr ifjorU
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk çfr'kr	dy 'k;jk e opuc) 'k;jk@ HkkjxLr 'k;jk dk çfr'kr	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk çfr'kr	dy 'k;jk e opuc) 'k;jk@ HkkjxLr 'k;jk dk çfr'kr	
1	l;ä lfpo] MhvkVh d ek/;e l Hkkjr d jkVªifr	5,99,99,700	99.99945	शून्य	5,99,99,700	99.99945	शून्य	शून्य
2	उप महानिदेशक (टीपीएफ), डीओटी	100	0.000166	शून्य	100	0.000166	शून्य	शून्य
3	उप महानिदेशक (सीएस), डीओटी	100	0.000166	शून्य	100	0.000166	शून्य	शून्य
4	निदेशक (टी), डीओटी	100	0.000166	शून्य	100	0.000166	शून्य	शून्य
5	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
6	मैसर्स पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
7	मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
dy		6,00,00,003	100	'kU;	6,00,00,003	100	'kU;	'kU;

fVIi.kh क्रम संख्या 1 से 4 शेयर दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित है।

iii) *प्रोमोटरों/शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)*

क्र. सं.		o"k d vkjHk e 'k;jgkfYMx		o"k d nkjku lp;h 'k;jgkfYMx	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk çfr'kr	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk çfr'kr
1	वर्ष के आरंभ में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	....	.... कोई परिवर्तन नहीं	....	....
3	वर्ष के अंत में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

iv) ***शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयर पद्धति (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर):***

Ø- l-	lokPp 10 'k;j/kkjdk e l çR;d d fy,	o"k d vkjaHk e 'k;jgkfYMx		o"k d nkjku lap;h 'k;jgkfYMx	
		'k;jk dh l[;k	daiuh d dy 'k;jk dk çfr'kr	'k;jk dh l[;k	daiuh d dy 'k;jk dk çfr'kr
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्कीकरण की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

v) ***निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयर***

Ø- l-	çR;d funs'kd vkj dh,eih d fy,	o"k d vkjaHk e 'k;jgkfYMx		o"k d nkjku lap;h 'k;jgkfYMx	
		'k;jk dh l[;k	daiuh d dy 'k;jk dk çfr'kr	'k;jk dh l[;k	daiuh d dy 'k;jk dk çfr'kr
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. _.k

भुगतान के बकाया ब्याज/अर्जित परंतु देय नहीं सहित कंपनी का ऋण

	tek dk NksMdj vkjf{kr _.k	vukjf{kr _.k	tek	dy _.k
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dy (i + ii + iii)	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन • जमा • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dy (i + ii + iii)	'kU;	'kU;	'kU;	'kU;

BBNL
एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

vi. fun'kdk vkj çe[k çc/kdh; dkfeZdk dk ikfjJfed

v½ çc/k fun'kd] iw.kZdkyhu fun'kdk vkj@vFkok çc/kd dk ikfjJfed

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	,eMh@MCY;wVhMh@çc/kd dk uke					dqy jkf'k
		lqJh v#.kk lqnjjktu	Jh ,u- jfo 'kdj	Jh ,-d- HkkxZo	lqJh v#.kkekrh ikMk	Jh ih-d- vxokyk	
1.	सकल वेतन (क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.00	46,000.00	11,41,192.00	26,21,410.00	25,99,338.00	64,07,940.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धरा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य	0.00	0.00	1,35,600.00	0.00	0.00	1,35,600.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में						
	– अन्य, उल्लेख करें						
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dqy ¼d½		**0.00**	**46,000.00**	**12,76,792.00**	**26,21,410.00**	**25,99,338.00**	**65,43,540.00**
vf/kfu;e d s vuqlkj lhek		ljdkjh daiuh d s fy, ykxw ugha					

c½ fun'kdk dk ikfjJfed%

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	fun'kdk dk uke				dqy jkf'k
		....	....	....	....	
1	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	बर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	बर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	बर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	बर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	शून्य
dqy ¼1½		'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dqy ¼2½		'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;
dqy ¼[k½¾¼1$2½		'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;
dqy çc/kdh; ikfjJfed		'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;
vf/kfu;e d s vuqlkj leXz lhek		'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;	'kwU;

1½ ,eMh@çc/kd@MCY;VhMh l brj çe[k çc/kdh; dkfeZdk dk ikfjJfed½

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	çe[k çc/kdh; dkfeZd			
		lhbZvk	Jh ,l-lh- mik/;k;] diuh lfpo ,o çe[k fof/k	lh,Qvk	dy
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	-	15,35,253.00 29,700.00 0.00	-	15,35,253.00 29,700.00 0.00
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dy			**15,64,953.00**		**15,64,953.00**

VII. nM@lt k@vijk/k dEikmfMx

J.kh	diuh vf/kfu;e dh /kkjk	laf{kIr fooj.k	yxk, x, nM@lt k@diikmfMx Qhl dk fooj.k	çkf/kdj.k @vkjMh@,ulh,y,Vh@U;k;ky;]	dh xbl vihy] ;fn dkbl gk ¼fooj.k çnku djs½
d½ diuh					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
[k½ funs'kd					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
x½ vU; vf/kdkjh					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

dkjiksjsV xousZal ds lac/k esa dEiuh dh fjiksVZ

1- dkjiksjsV xousZal ds fn'kk&funsZ'kksa ds lcaèk esa dEiuh ds n'kZu'kkL= ij ,d laf{kIr fooj.k

कंपनी के मिशन/विजन में पणधारियों में वृद्धि करना शामिल है और कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि केवल अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस से ही सभी हितधारकों के लिए सतत् आधार पर मूल्य सृजित होंगे। कारपोरेट गवर्नेंस में मुख्यतः पारदर्शिता, तथ्यों के पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता तथा सभी हितधारकों के साथ उचित कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

आपकी कंपनी नवगठित इकाई है और समय–समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के कदम उठाए जा रहे हैं।

2- funs'kd cksMZ cksMZ dk l?kVd

बीबीएनएल के पीएसयू होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बीबीएनएल के बोर्ड में पांच सदस्य हैं, जिनमें से तीन कार्यरत निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित) हैं, दो भारत सरकार के नीमिती हैं। इस संबंध में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है। भारत सरकार इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के अधीन है।

2.1 vk;ksftr cksMZ cSBdksa dh la[;k] frfFk tc vk;ksftr dh xbZ

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की निम्न तिथियों को दस बैठकें हुईः–

32वीं बोर्ड बैठक 29.05.2014	33वीं बोर्ड बैठक 27.06.2014	34वीं बोर्ड बैठक 30.07.2014	35वीं बोर्ड बैठक 02.09.2014
36वीं बोर्ड बैठक 30.09.2014	37वीं बोर्ड बैठक 09.10.2014	38वीं बोर्ड बैठक 27.11.2014	39वीं बोर्ड बैठक 08.01.2015
40वीं बोर्ड बैठक 09.02.2015	41वीं बोर्ड बैठक 20.02.2015		

2.2 31 ekpZ] 2015 dh fLFkfr ds vuqlkj cksMZ dh cSBdksa esa funs'kdksa dh mifLFkfr vkSj vU; funs'kdksa ,oa lfefr lnL;rk] vè;{krk dh la[;k fuEekuqlkj gS%

funs'kd dk uke	Js.kh	2013&14 ds nkSjku cksMZ dh cSBd esa mifLFkfr	fiNyh ,th,e esa mifLFkfr	vU; dEifu;ksa esa funs'kd la[;k	lfefr;ksa dh la[;k ¼chch,u,y½ lfgr½	
					lnL;	vè;{k
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन*	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	5	.	.	.	.
श्री एन. रविशंकर**	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3	.	.	.	.
श्री ए.के. भार्गव***	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	5	हां	.	3	.
श्री वी. उमाशंकर	सरकार का नामिती निदेशक	9	हां	1	1	1
श्री आई.एस. शास्त्री	सरकार का नामिती निदेशक	7	नहीं	.	2	1
श्रीमती अरुणधती पांडा	निदेशक (वित्त)	10	हां	.	1	.
श्री पी.के. अग्रवाल	निदेशक (योजना)	10	हां	.	3	.

* दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या एफ.13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

** श्री एन. रवि शंकर ने 31 जुलाई, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

*** श्री ए.के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) को दिनांक 28 अगस्त, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) को कंपनी के सीएमडी एवं निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है, चूंकि उन्हें सलाहकार (टी), दूरसंचार विभाग के रूप में तैनात किया गया है।

fVIi.kh% बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 (दस) समितियों से अधिक का सदस्य नहीं है अथवा सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। सभी निदेशकों ने अन्य कंपनियों में धारित निदेशक/समिति के पदों के संबंध में अपेक्षित प्रकटन किया है।

उन निदेशकों का संक्षिप्त वृत्त–चित्र जिन्हें अगली वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्त किया जा रहा है, वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिय गया है।

2-3 fun'kdk dh vk;&lhek vkj dk;dky

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है। सामान्यत: अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तारीख से 5 (पांच) वर्षों के लिए अथवा पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार से आगे अनुदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। अंशकालीन अधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिती) बोर्ड से मंत्रालय के अधिकारी का पद छोड़ने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

2-4 o"k dk nkjku fun'kdk dh fu;fDr

Ø- l-	fun'kd dk uke	inuke	fu;fä dh rkjh[k	fof'k"V lpkyu {k=k e fo'k"kKrk dh ç–fr	mu dafu;k dk uke ftuea 0;fä u fun'kd vkj ckM dh lfefr;k dk lnL; dk in èkkfjr fd, gk ¼31-03-2015 dk vuqlkj½
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन' डीआईएन 03523267	सीएमडी	01.10.2014	नीचे दिया गया है	शून्य

lf{kIr çkQkby%&

श्रीमती सुंदरराजन केरल काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अत्यधिक वरिष्ठ सिविल सेवक है। उनको केंद्र सरकार तथा केरल राज्य में कई नेतृत्व भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वे केरल सरकार की अपर मुख्य सचिव के स्तर की अधिकारी थी। वर्तमान में श्रीमती सुंदरराजन, प्रशासनक (यूएसओएफ), विशेष दिनांक 01.10.2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

* दूरसंचार विभाग के दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 की आदेश संख्या एफ13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2.5 fun'kd ckM dk le{k j[kh xbZ lpuk

निदेशक बोर्ड को कंपनी के भीतर सूचना तक संपूर्ण पहुंच प्राप्त है जिसमें वार्षिक राजस्व और पूंजीगत बजट, कंपनी के वित्तीय परिणाम दर्शाने वाले आवधिक लेखा विवरण, कंपनी की वित्तीय योजनाएं, लेखापरीक्षा समितियों सहित विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत, वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट इत्यादि, लागू कानूनों के अनुपालन संबंधी आवधिक रिपोर्ट, निदेशक तथा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित पदों के संबंध में निदेशकों द्वारा हित संबंधी प्रकटन और अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना तक पहुंच प्राप्त है।

2.6 ckM dh cBd vk;kftr djus dh i'pkr çfØ;k

कंपनी का सचिव शासन प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक अनुमोदनों और प्रभागों और क्षेत्रों के प्रमुखों को प्रदत्त अनुमोदन/प्राधिकरण के साथ बोर्ड के परिणाम का प्रसार करता है और ऐसा बैठक–पश्चात् अनुपालन तंत्र मौजूद है जिसके द्वारा बोर्ड/समितियों द्वारा इस प्रकार प्रदत्त अनुमोदन के संबंध में कृत कार्रवाई/लंबित कार्रवाई के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.7 fun'kdk vkj çe[k çcèkdh; dkfedk dk ikfjJfed

एक सरकारी कंपनी होने के नाते पूर्णकालीन संचालन निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक भारत सरकार/बोर्ड द्वारा यथा लागू निर्णय लिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की अथवा उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर सिटिंग फीस को छोड़कर कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है परंतु वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी अभी बाकी है।

jkf'k #i, e

Ø- l-	uke	inuke	fu;käk dk ih,Q rFkk ,Qih,Q vkj vodk'k uxnhdj.k dk v'knku lfgr oru	vU; ykHk ¼,yVhlh] fpfdRlk 0;; bR;kfn lfgr½	dqy
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन*	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00
2.	श्री एन. रविशंकर**	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	46,000.00	0.00	46,000.00
3.	श्री ए.के. भार्गव***	निदेशक (ऑपरेशन) एवं सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार	10,72,770.00	68,422.00	11,411,92.00
4.	श्री वी. उमाशंकर	सरकार का नामिती निदेशक	0.00	0.00	0.00
5.	श्री आई.एस. शास्त्री	सरकार का नामिती निदेशक	0.00	0.00	0.00
6.	श्रीमती अरुणधती पांडा	निदेशक (वित्त)	24,28,680.00	1,92,730.00	26,21,410.00
7.	श्री पी. के. अग्रवाल	निदेशक (योजना)	24,74,340.00	1,24,998.00	25,99,338.00
8.	श्री ए.सी. उपाध्याय	सीएस एवं प्रमुख विधायी	12,78,112.24	2,57,141.00	15,35,253.00

*दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या एफ.13–2/2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

**श्री एन. रवि शंकर ने 31 जुलाई, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

***श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्) को कंपनी के सीएमडी एवं निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

2.8 o"kZ 2014&15 ds nkSjku Lora= funs'kdksa dks flfVax Qhl dk Hkqxrku

वर्ष 2014–15 के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग को कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया है, जिसके कारण नामिती एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका है।

2.9 va'kdkyhu vf/kdkfjd funs'kd@ljdkjh ukferh funs'kd

अंशकालीन अधिकारिक निदेशकों/सरकारी नामिती निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

3- cksMZ dh lfefr;k¡

कंपनी में निम्नलिखित चार (4) बोर्ड स्तरीय समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. पारिश्रमिक समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कार्यकारी समिति

4- ys[kkijh{kk lfefr

4.1 'krksZa dk laf{kIr fooj.k

लेखापरीक्षा समिति की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में 14 मई, 2010 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

4.2 ys[kkijh{kk lfefr dk dk;Z {ks=

लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन, सांविधिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों और निदेशक बोर्ड के बीच सेतु का कार्य करती है। इसके कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल हैः

- ys[kkijh{kdksa ds lkFk vkofèkd :i ls fuEu ds ckjs esa fopkj&foe'kZ djuk
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहिति लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- fuEufyf[kr dk;Z djuk
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
  - प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।
  - बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।
  - लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।
  - सीईओ/सीएफओ विवरण तथा प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना।

4.3 lnL;ksa vkSj v/;{k dh lajpuk] la?kVu

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है जो लंबित है। जैसे ही मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाती है तो तत्काल लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया जाएगा।

आरंभ में बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिती निदेशक तथा एक संचालन निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव है। वर्ष के दौरान 5 (पांच)/(पांचवीं) 27.06.2014, (छठी) 02.09.2014, (7वीं) 30.09.2014, (8वीं) 27.11.2014 और (9वीं) 20.02.2015, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है।

निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2015 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

Ø-la-	funs'kd dk uke	inuke	Js.kh	cSBdksa dh la[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	श्री वी. उमाशंकर	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	5
2.	श्री ए.के. भार्गव*	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3
3.	श्री आई.एस. शास्त्री	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	4
4.	श्री पी.के. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) का अतिरिक्त प्रभार	2

*श्री ए.के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से कंपनी के सीएमडी एवं निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

**दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसरण में श्री पी.के. अग्रवाल, निदेशक (योजना), बीबीएनएल ने दिनांक 01.10.2014 से निदेशक (ऑपरेशन), बीबीएनएल के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

5- ikfjJfed lfefr

आरंभ में बोर्ड द्वारा 2013 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती की जानी अभी बाकी है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत यथा अपेक्षित नामिती एवं पारिश्रमिक समिति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनः गठित नहीं की जा सकी। इस समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनः गठन किया जाएगा। एक सीपीएसई होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों की योग्यताओं और पारिश्रमिक के लिए मानदंडों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

वर्ष के दौरान 01 (एक) बैठक का दिनांक 20.02.2015 को आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

Ø- l-	funs'kd dk uke	inuke	Js.kh	cSBdksa dh la[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
2.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
3.	श्री वी. उमाशंकर	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
4.	श्री आई.एस. शास्त्री	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

6- tksf[ke çca/ku lfefr

आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग / सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 18.08.2014 को एक बैठक (दूसरी) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2015 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः

Ø- l-	funs'kd dk uke	inuke	Js.kh	cSBdksa dh la[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	श्री आई. एस. शास्त्री	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री ए. के. भार्गव*	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	1
3.	श्री पी.के. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक (योजना)	1

* श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से कंपनी के सीएमडी और निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

7- dk;Zdkjh lfefr

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (20वीं) 30.04.2014, (21वीं) 20.05.2014, (22वीं) 15.07.2014, (23वीं) 24.09.2014, (24वीं) 09.10.2014 और (25वीं) 21.11.2014 को छः (6) बैठकों का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः

Ø- l-	funs'kd dk uke	inuke	Js.kh	cSBdksa dh la[;k ftuesa mifLFkr Fks
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन*	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	2
2.	श्री एन. रविशंकर**	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3
3.	श्री ए.के. भार्गव***	सदस्य	निदेशक (ऑपरेशन) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	4
4.	श्री पी.के. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक (योजना)	6
5.	श्रीमती अरुणधती पांडा	सदस्य	निदेशक (वित्त)	6

* दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के दूरसंचार विभाग की आदेश संख्या एफ.13–2 / 2014–पीएसए के अनुसरण में श्रीमती अरुणा सुंदरराजन को दिनांक 01.10.2014 से कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

** श्री एन. रवि शंकर ने 31 जुलाई, 2014 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

*** श्री ए. के. भार्गव, निदेशक (ऑपरेशन) ने दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से कंपनी के सीएमडी और निदेशक (ऑपरेशन) के अतिरिक्त प्रभार के पद से त्याग–पत्र दे दिया है।

8- lkafof/kd ys[kkijh{kd

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक / शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों की नियुक्ति की हैं।

वोहरा एंड सहगल
सनदी लेखाकार
बी–222, (II तल), ग्रेटर कैलाश–1,
नई दिल्ली–110 048

वर्ष 2014–15 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को 3,50,000 / – रुपए (तीन लाख पचास हजार रुपए) साथ में सेवाकर का भुगतान किया गया था।

9- okf"kd vke cBd ¼,th,e½

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

,th,e dh l[;k	foÙkh; o"kZ	fnukad	le;	LFkku	ikfjr fo'ks"k ladYi
दूसरी वार्षिक आम बैठक	01.4.2013 से 31.03.2014	30.09.2014	11:30 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	हां (एमओए तथा एओए में संशोधन हेतु दो विशेष संकल्प पारित किए गए)
प्रथम वार्षिक आम बैठक	25.02.2012 से 31.03.2013	20.08.2013	15:00 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य

10- çdVu

(i) वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी संबंधित लेन–देन का प्रकटनः

कंपनी ने निदेशकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के साथ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कोई वास्तविक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

वर्ष 2014–15 के लिए लेखों का भाग बनने वाले पार्टी लेनदेन से संबंधित लेखन मानक 18 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटन किए गए हैं।

(ii) यह पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई दंड, आदेश नहीं लगाया गया है।

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ एक विसल ब्लोअर तंत्र की एक उत्साही मापदंड के रूप में स्थापना करते हुए सीजी मानदंडों के अनुपालन के समावेशन के लिए डीईपी के समझौता ज्ञापन कार्यबल के अधिदेश के परिणामस्वरूप कंपनी ने विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया था।

(iv) कंपनी दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी राष्ट्रपतीय निर्देशों और अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करती रही है।

(v) वर्ष के दौरान, पुस्तकों तथा लेखों में ऐसे किसी व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो बिजनेस व्यय के उद्देश्य के लिए न किए गए हों और व्यक्तिगत स्वरूप के किसी भी व्यय को निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया हो।

(vi) लेखे कार्रवाई का प्रकटन कंपनी वित्तीय विवरण तैयार करने में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण करती है। कंपनी ने किसी भी लेखा मानक में निर्धारित मानक से भिन्न व्यवहार नहीं अपनाया है।

(vii) लेखा पुस्तकों/अन्य व्यय में लिए गए व्यय की मदों तथा प्रशासनिक एवं अन्य वित्तीय व्यय के ब्यौरे वित्तीय विवरण तथा लेखा टिप्पणियों में दिए गए हैं।

(viii) वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण भी उन शेयरधारकों को वितरित किया जाता है जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

(ix) प्रबंधन का विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट 2014–15 का भाग है।

(x) डीपीआई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कंपनी की 'व्यापार आचार संहिता और बोर्ड सदस्यों तता वरिष्ठ प्रबंधन की नीति' बोर्ड द्वारा निर्धारित की गईहै और बीबीएनएल दवारा इसका कार्यान्वयन किया गया है। उक्त कोड़ को संबद्ध पक्षों को परिचालित किया गया है और इसे कंपनी को वेबसाइट पर डाला गया है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है। इस संबंध में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11- lpkj dj ekè;e

वार्षिक वित्तीय विवरण, नई विज्ञप्ति, निविदा तथा कैरियर संभावनाएं इत्यादि कंपनी के वेबसाइट में डाली जाती हैं।

सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर डाला जानाः– कंपनी की वेबसाइट www.bbnl.nic.in एक उपभोक्ता सुकर साइट है जिसमें सभी नवीनतम घटनाक्रम शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित लेखे, निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इन पर प्रबंधन का उत्तर भारत

के सीएंडएजी की टिप्पणियां और समीक्षा को शामिल करते हुए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों और पात्र व्यक्तियों को, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख किया गया है, को परिचालित की जाती है तथा इसे संसद के सदनों के पटल पर भी रखा जाता हैं।

12- lnL; ckMZ dk çf'k{k.k

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण नीति, वित्तीय मामलों, बिजनेस ऑपरेशन, जोखिम मामलों सहित प्रमुख मूल्यों के संबंध में उन्मुखीकरण और इंडक्शन प्रदान किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया पुस्तिका ब्राउजर्स, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, कंपनी का संगम ज्ञापन, कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देश इत्यादि प्रदान करना है।

13- funs'kdksa }kjk 'ks;jgkfYMax vkSj LV,d fodYi%

लगभग सौ प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते 99.99 प्रतिशत शेयर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। निदेशकों को किसी योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों के लिए कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

14- dkjiksjsV xouZsl ds vuqikyu lacaèkh çek.k&i=

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए लागू कारपोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिन्हें मई, 2010 से अनिवार्य बनाया गया है।

सामान्यतः, कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में यथानिर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस मामले को नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात् भारत सरकार के साथ उठाया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में मैसर्स रिम्पी जैन एंड एसोशिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

Hkkjr czkWMcSaM usVodZ fyfeVsM
—rs rFkk dh vksj ls funs'kd ckMZ

gLrk@&
v#.kk lqanjjktu
vè;{k& lg&çcaèk funs'kd
MhvkbZ,u&3523267

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 23-09-2015

çca/ku dk fopkj&foe'kZ vkSj fo'ys"k.k

i) m|ksx voljpuk vkSj fodkl

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को एक प्रमुख आर्थिक वृद्धि का साधन माना जाता है। विश्व भर में और भारत में किए गए कई अध्ययनों से ब्रॉडबैंड सघनता और ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच के मजबूत संबंध देखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्राथमिक संचार माध्यम है। चाहे यह 4जी डाटा सेवाएं, केबल टीवी सेवाएं हों अथवा ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा इत्यादि हो। असीमित बैंडविथ ले जाने की अपनी क्षमता के जरिए ऑप्टिकल फाइबर डिजीटल सिग्नल के प्रवाह के लिए अत्यधिक व्यवहार्य माध्यम प्रदान करता है।

उद्योग जगत से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण यह सुझाते है कि ऑप्टिकल फाइबर जिला तथा ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है। ब्लॉक स्तर पर यह मुख्यतः सीपीएसयू है और मुख्यतः बीएसएनएल की सबसे बड़ी उपस्थिति है, जबकि अधिकांश निजी ईकाइयां जिला स्तर पर उपस्थित है। ग्रामीण क्षेत्र अधिकांशतः ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से वंचित है। निजी संचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार मामलों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं ले जाने में शायद ही कोई निवेश किया गया है।

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजीटल डिवाइड को पाटने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। इस संदर्भ में एनओएफएन की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सृजित करने तथा उनकी सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं तक विस्तार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में सेवा प्रदाताओं को योग्य बनाने हेतु देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक छूट गए ओएफसी नेटवर्क प्रदान करने हेतु स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नेटवर्क तक सभी सेवा प्रदाताओं के लिए गैर भेदकारी पहुंच एनओएफएन का एक प्रमुख घटक है।

ii) ,lMCY;wvkVh fo'ys"k.k

–<rk,a

- मजबूत वचनबद्धता तथा सरकार से निधियन।
- सरकारी पूल से अत्यधिक अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम श्रमिकों की उपलब्धता।
- ओएफसी नेटवर्क बिछाने के लिए सुस्थापित प्रक्रियाओं और विनिर्देशनों की उपलब्धता।
- नेटवर्क के त्वरित विस्तार के लिए सीपीएसयू की मौजूदा केबल का लाभ उठाना।
- निःशुल्क आरओडब्ल्यू तथा ग्राम पंचायतों की अवसंरचना के रूप में राज्य सरकारों का मजबूत सहयोग।

detksfj;ka

- पॉवर, चोरी और कनेक्टिविटी जैसी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से नेटवर्क के प्रदर्शन पर प्रभाव।
- कुछ क्षेत्रों में मौजूदा खराब फाइबर नेटवर्क एसएएल पर प्रभाव डाल सकता है।
- बहु–एजेंसी क्रियान्वयन मॉडल से विशेषकर उस भूगोल के संबंध में सहयोग संबंधी मुद्दे उठ सकते हैं जिन्हें एनओएफएन के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- वृहत भूगोलीय प्रसार और बहु एजेंसियों के साथ समन्वय के कारण ओएंडएम चुनौतियां।
- बीबीएनएल के एक नए संगठन होने के नाते संगठनात्मक स्थापना अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं की गई है।
- निष्पादन दृष्टिकोण में अकसर परिवर्तन से प्रक्रिया में संशोधन के कारण विलंब।

lEHkkouk,a

- अल्प ब्रॉडबैंड सघनता अर्थात् रोकी न जाने वाली मांग।
- डाटा और वीडियों की बढ़ती हुई मांग से उच्च बैंडविथ की मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- डिजिटल इंडिया पहल के कारण जी2सी और बी2सी सेवाओं के लिए अधिक मांग संभावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार संभावनाएं बी2सी और बी2बी सेवाओं के प्रसार का पक्ष लेंगी।
- ब्रॉडबैंड के सेवा डिलीवरी हेतु मूल अवंसरचना के रूप में सरकार का दृष्टिकोण।

[krjs

- ग्रामीण पर्यावरण प्रणाली समग्र नहीं है जिसमें अल्प अपटेक हो सकता है जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता में प्रभाव पड़ सकता है।
- जिले से ब्लॉक क्षेत्र तक वहनीय बैंडविथ का उपलब्ध अंतर।
- डिजीटल साक्षरता, वहनीय उपकरणों और स्थानीय भाषा में पर्याप्त विषय–वस्तु का अभाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प क्रय शक्ति अनिश्चित मांग के कारण राजस्व पर दबाव बना सकती है।

iii) {ks=&okj vFkok mRikn&okj çn'kZu

एनओएफएन परियोजना के अंतर्गत बाजार को बीबीएनएल के प्रस्ताव होलसैल बैंडविथ तक सीमित हैं जो गैर भेदभाव आधार पर सेवा

प्रदाताओं को दिए जाने हैं। बैंडविथ बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा सकती है।

परियोजना क्रियान्वयन का अवस्थापनात्मक भाग पूरा किया जाने पर सेवाएं देना आरंभ हो जाएगा।

iv) ifj–';

क) वर्तमान में कंपनी परियोजना निष्पादन पद्धति के अधीन है। एनओएफएन समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावित कदम रिपोर्ट स्वीकृति होने के बाद क्रियान्वित किए जाएंगे।

ख) प्रस्तावित भारतनेट मॉडल के अंतर्गत परियोजना का निष्पादन हितबद्ध राज्यों द्वारा राज्य द्वारा संचालित प्रारूप के अंतर्गत किया जाएगा और बाकी राज्यों के लिए यह बीबीएनएल द्वारा सीपीएसयू के माध्यम से अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

ग) लगभग 18 राज्यों ने राज्य संचालित क्रियान्वयन प्रारूप के अंतर्गत भारतनेट के क्रियान्वयन में रूचि दर्शाई है। रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

घ) बीबीएनएल ने पहले ही आईएसपी लाइसेंस प्राप्त कर लिया है जो उससे अंतिम उपभोक्ता तक सेवाएं प्रदान करने, यदि आवश्यक हो, के लिए समर्थ बनाएगा। भारतनेट परियोजना में परिकल्पित संभावित अंतिम उपभोक्ता सेवा में से एक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या को समुदाय वाई–फाई सेवा प्रदान करना है।

परियोजना क्रियान्वयन का अवस्थापनात्मक भाग पूरा किया जाने पर सेवाएं देना आरंभ हो जाएगा।

v) tkf[ke vkj fpark,

जोखिम प्रबंधन कंपनी की व्यापार नीति का एक समेकित भाग है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का उद्यम जोखिम प्रबंधन अवसंरचना द्वारा अभिशासन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन परिदृश्य ढांचे में बोर्ड की समितियां वरिष्ठ प्रबंधन समितियां शामिल है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ("आरएमसी") जोखिम नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करती है, जोखिम वहनीयता सीमाओं की निगरानी करती है, विशिष्ट मुद्दों से संबंधित जोखिम प्रदर्शन की समीक्षा तथा विश्लेषण करती है और संगठन में जोखिम का परिदृश्य प्रदान करती है। आरएमसी कंपनी में एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति का समावेशन करने के लिए एक स्वस्थ तथा स्तवंत्र जोखिम प्रबंधन संचालन का पोषण करती है। बीबीएनएल के बोर्ड द्वारा इन मुद्दों को हल करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। कंपनी ने बीबीएनएल के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति ढांचा तैयार किया है।

vi) vkrfjd fu;=.k ç.kkyh rFkk mudh i;kIrrk

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना देने और नियमों और विनियमों के अनुपालन में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सहायता इसकी प्रणाली तथा प्रक्रिया और विनियमों तथा प्रक्रिया के साथ अनुपालन सहित कंपना के आंतरिक नियंत्रण की सटीकता और सक्षमता की समीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर प्रबंधन में विचार–विमर्श किया जाता है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सटीकता तथा प्रभाविता की भी समीक्षा करती है।

vii) lapkyuRed çn'ku d lcèk e foÙkh; çn'ku ij fopkj&foe'k

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैः–

fooj.k	jkf'k Hkkjrh; #i, e	
	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy,
संचालन से राजस्व	41,33,354	41,33,355
अन्य आय	10,91,35,562	7,98,79,064
कुल राजस्व	11,32,68,916	8,40,12,419
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और भत्ते	2,43,67,262	1,12,96,129
वित्तीय लागत	3,69,009	5,81,153
अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	3,64,79,824	1,96,08,782
प्रशासनिक संचालन एवं अन्य व्यय	4,81,60,076	2,42,20,666
कुल व्यय	10,93,76,171	5,57,06,730
पूर्व अवधि मद और कर से पहले लाभ/(हानि)	38,92,745	2,83,05,689
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(14,16,551)	2,76,80,877
कर व्यय		
चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय	25,84,148	67,00,731
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	17,26,686	1,110
आगे ले जाए गए कर	(28,71,113)	32,08,033
कर पश्चात् लाभ/हानि	(28,56,272)	1,77,71,003
çfr 'ks;j vtZu		
बेसिक	(0.05)	0.30
मंदित	(0.05)	0.30
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	–	1,77,71,003

viii) fu;ä 0;fä;ksa dh l[;k lfgr ekuo lalkèku] vkjf{kr lcèk ea okLrfod fodkl

आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी को शीघ्र संगठित तथा समुचित रूप से स्थापित किया गया है। निर्देशी सिद्धांत संगठन को इच्छुक बनाए रखना है। संगठन तीन शाखाओं में बना है – वित्त, आयोजना तथा ऑपरेशन। बीबीएनएल का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है:

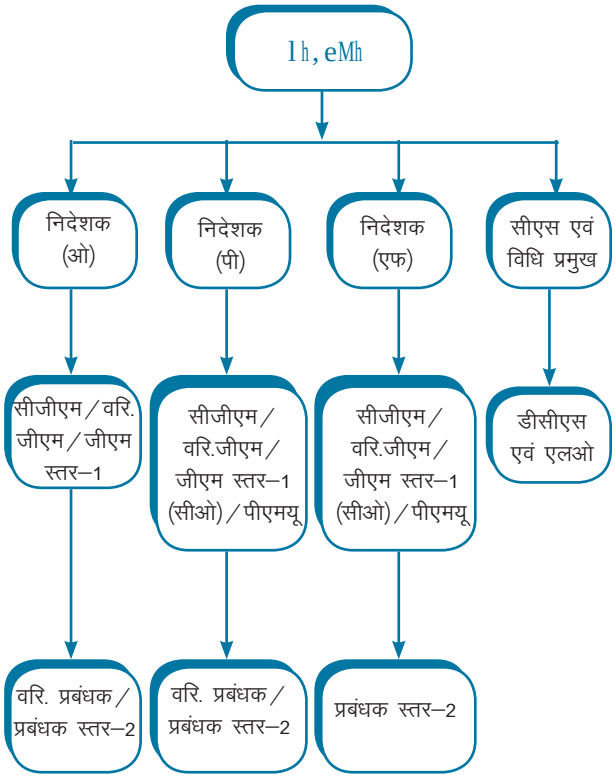

बीबीएनएल एक नया संगठन है और यह आवश्यकता अनुसार बढ़ रहा है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्मचारियों की संख्या थी।

Lrj	dk;Zjr ¼dqy½	,llh@,lVh	vkschlh	efgyk,a
स्तर–1	100	17	10	5
स्तर–2	15	0	1	1
dqy	**115**	**17**	**11**	**6**

ix) i;kZoj.k laj{k.k rFkk laj{k.k

बीबीएनएल पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता है।

x) çLrkouk

12 जनवरी, 2015 को केरल में इडुकी जिला भारत में उच्च गति ग्रामीम ब्रॉडबैंड पहुंच के अंतर्गत पूरी तरह से लाये जाने वाला पहला जिला बन गया। केरल की इडामलकुडी ग्राम पंचायत जो कि एक सुदूर स्थित बिना किसी सड़क मार्ग, बिजली और कुछ समय पहले तक पानी की आपूर्ति के बिना एक जनजातीय ग्राम पंचायत है– वह अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल वॉइस सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। आज इडामलकुडी डिजीटल नेटवर्क के माध्यम से बाह्य जगत के साथ जुड़ गई है। यह ऐसा परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है जिसका ग्रामीम जनसंख्या के जीवन पर असर हुआ है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 01 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के प्रथम उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारत नेट का शुभारंभ किया। इस समारोह ने डिजीटल इंडिया के नए युग में प्रवेश में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की।

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ दिनांक 01 जुलाई, 2015 से 07 जुलाई, 2015 के बीच राष्ट्र भर में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत/समान सेवा केंद्रों/डाक घरों/स्कूलों इत्यादि के माध्यम से नागरिकों को सूचित, शिक्षित और शामिल करने के उद्देश्य से एक वृहत अभियान आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के भाग के रूप में बीबीएनएल ने 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 ग्राम पंचायतों में समारोह आयोजित किए। लोगों को और एनओएफएन नेटवर्क का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में अधिकारियों को ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–शासन और इंटरनेट सेवाओं इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायतों तथा डिजीटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रम के स्थानों तथा साथ ही नई दिल्ली में अन्य कार्यालयों के बीच वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के साथ आगे और भी इंटर एक्शन किए गए।

xi) çkS|kfxdh fodkl igy

जारी प्रौद्योगिकी विकास में शामिल प्रमुख पहल है:

- दिल्ली में प्रमुख डाटा केंद्र का विकास और आईटी अवसंरचना तथा नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के लिए बंगलुरू में डीआर डाटा केंद्र।
- संपूर्ण एनओएफएन नेटवर्क की निगरानी के लिए सीडॉट द्वारा नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) का विकास। मुख्य डीआर डाटा केंद्रों के साथ भूगोलीय उच्च उपलब्धता वास्तु कला में एनएमएस प्रणाली तैनात की गई थी। एनएमएस प्रणाली ने फॉल्ट मैनेजमेंट, ट्रवल टिकटिंग, निष्पादन प्रबंधन, संपत्ति सूची प्रबंधन, जीआईएस मानचित्र पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सजीव निगरानी के लिए जीआईएस प्रणाली के साथ समेकन सहित सेवा क्षमताएं।

- जीपीओएन नेटवर्क के लिए सीडॉट द्वारा आयोजना उपकरण का विकास।
- मैप्स ऑफ इंडिया से खरीदी गई लगभग 5400 सीट का उपयोग करते हुए एनआईसी द्वारा केंद्रीयकृत भूगोलीय सूचना प्रणाली का विकास। जारी फाइबर नेटवर्क एवं जीपीओएन प्रणाली के लिए जीआईएस प्रणाली बाह्य संयंत्र लक्षणों तथा निर्मित रचनाओं के भंडारण का विवरण इकट्ठा कर रही है।
- परियोजना प्रबंधन प्रणाली का विकास प्राइमवेरा टूल के साथ बीबीएनएल कारपोरेट और राज्य पीएमयू के बीच आयोजना एवं प्रबंधन परियोजना गतिविधियों तथा सहयोग के साथ किया जा रहा है।
- सीडॉट द्वारा फाइबर फॉल्ट लोकेलाइजेशन प्रणाली का विकास।

xii) uohdj.kh; Åtk fodkl

बीबीएनएल ग्रामीण क्षेत्रों से काम करता है और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की आवश्यकता को समझता है। ग्राम पंचायतों में सभी ओएनटी के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है।

xiii) fon'kh eæk lj{k.k

बीबीएनएल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वरीयता विपणन पहुंच को अपनाते हुए विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सहायता कर रहा है।

ix) dkikjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

आपकी कंपनी ने अभिसंचालन आरंभ नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित सीएसआर के क्षेत्र/मापदंड के तहत नहीं आती है। इसलिए, सीएसआर गतिविधियां आरंभ नहीं की गई है।

Hkkjr czkMcSM usVodZ fyfeVsM
—rs rFkk dh vksj ls funs'kd eaMy

gLrk-@&
v#.kk lqnjjktu
v/;{k&lg&çcèk funs'kd
MhvkbZ,u&03523267

दिनांक: 23.09.2015
स्थान: नई दिल्ली

dkjikjsV xouZl ekunMk dk vuikyu lacèkh çek.k&i=

lsok esa]

lnL;]

eSll Hkkjr czkMcSM usVodZ fyfeVsM]

ubZ fnYyhA

हमने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा यथा उल्लिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के संबंध में दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित अनुसार मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में संगत पुस्तकों, रिकॉर्ड और विवरणों की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है। हमारी रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र न तो लेखापरीक्षा और न ही वह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से तथा हमारी सूचना के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम यह प्रमाणित करते है कि कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, जो डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा अपेक्षित बोर्ड की कुल संख्या के आधे से कम थी, को छोड़कर डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस के मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभाविता की सक्षमता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

—rs fjEih tSu ,.M ,lksfl,V~l
daiuh lsØsVjh

gLrk-@&
fjEih tSu
çksijkbVj
,e lh[;k 37018
lhih lh[;k 13816

fnukad% 25-08-2015
LFkku% ubZ fnYyh

lhvkb,u% ;64100Mh,y2012 thvkvkb1232070

diuh d e[; dk;dkjh@e[; foÙkh; vf/kdkjh }kjk foÙkh; fooj.kk dk çek.k&i=@çdVu

हम, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अरुणधती पांडा, निदेशक (वित्त) और सीएफओ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में यह प्रमाणित करते है कि:

1. हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्त जानकारी तथा विश्वास के अनुसार:

   i) इन विवरणों में कोई वस्तुगत असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है अथवा इनमें ऐसा विवरण शामिल नहीं है जो कि भ्रामक हो, तथा

   ii) समेकित रूप से ये विवरण कंपनी के मामलों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और वे मौजूदा लेखन मानकों, लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसरण में है।

2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, गैर–कानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते है और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा की है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में खामियों, यदि कोई हो, जिनके बारे में हमें पता हो, के संबंध में सूचित किया है और उनमें सुधार करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित किया है।

4. जहां भी लागू हों, हमने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा समिति को यह उल्लेख किया है:–

   क) वर्ष के दौरान, वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो;

   ख) वर्ष के दौरान, लेखन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, और यह कि इसके बारे में वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा

   ग) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हो, जहां प्रबंधन तथा किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

	g-@&	g-@&
	v#.kk lnjjktu	v#.k/krh ikMk
fnukd% 23-09-2015	v/;{k&lg&çc/k fun'kd	fun'kd ¼foÙk½
LFkku% ub fnYyh	Mhvkb,u&03523267	Mhvkb,u&05355640

vuc/k&?k

vkpkj lfgrk d vuikyu d lc/k e ?kk"k.kk

मैं यह घोषणा करती हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी के व्यापार और नीति की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से पुष्टि प्राप्त कर ली हैं।

	g-@&
	v#.kk lnjjktu
fnukd% 23-09] 2015	v/;{k&lg&çc/k fun'kd
LFkku% ub fnYyh	Mhvkb,u&03523267

Q,el l[;k ,evkj&3
lfpoh; y[kkijh{kk fjikVl
31 ekp] 2015 dk lekIr foÙkh; o"k dk fy,
[diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 204¼1½ vkj diuh
¼fu;fä ,o ikfjJfed dkfeZd½ fu;e] 2014 d fu;e l[;k 9 d vulj.k e]

सेवा में,
सदस्य
Hkkjr c,MckM uVod fyfeVM
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस
मंडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमने, Hkkjr c,MckM uVod fyfeVM (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा अपनाई गई लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जो कारपोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन और उन पर हमारे मत को व्यकत करने के लिए समुचित आधार है।

Hkkjr c,MckM uVod fyfeVM की पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत पुस्तकों, फॉर्म और दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों एवं कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमारी जांच के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि हमारे विचार से कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी सूचित करते है कि कंपनी में उस तरीके से तथा यहां सूचित के अधीन समुचित वृहत प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है।

हमने, Hkkjr c,MckM uVod fyfeVM ("कंपनी") की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तको और दायर रिटर्न और रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(iii) अन्य लागू अधिनियम:

(क) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(घ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ङ) अनुबंध श्रमिक (विनियम और निषेध) अधिनियम, 1970;

(च) भारत का दूरसंचार एवं विनियम अधिनियम, 1997;

हमने निम्नलिखित के लागू धाराओं/दिशा–निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की है।

(i) Mhihbi fn'kk&funs'k

समीक्षाधीमन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1- ***जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में अपेक्षित है कंपनी के बोर्ड तथा उसकी उप–समितियों में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।***

2- ***कंपनी कुछ घटनाओं में विलंब को छोड़कर ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस, वैट, सेवाकर, आयकर रिटर्न दायर करने में नियमित है।***

ge vkxs ;g lfpr djrs g fd

कंपनी का निदेशक बोर्ड समुचित रूप से गठित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी ने किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुआ था, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समय–सूची, एजेंडा और एजेंडा के संबंध में विस्तृत टिप्पणियों के पर्याप्त नोटिस न्यूनतम सात दिन अग्रिम भेजे गए थे और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा के संबंध में आगे कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय विरोधी सदस्यो के विचारों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें कार्यवृतों के भाग के रूप में दर्ज करते हुए लिए जाते है।

ge vkxs ;g lfpr djrs g fd कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है।

fVIi.kh% इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र जो þvucèk&dß के रूप में संलग्न है, तथा इस रिपोर्ट का समेकित भाग है, के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

Ñr t-d- xIrk ,M ,lf'k,V l
diuh lfpo;
g-@&
ftrs'k xIrk

LFkku% fnYyh ,Qlh,l l[;k 3978
fnukd% 04-09-2015 lhih l[;k%2448

BBNL
एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

vuc/k&d

सेवा में,

सदस्य
Hkkjr c,MckM uVodZ fyfeVsM
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी—डॉट कैम्पस
मंडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली—110030

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्ड मत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालय रिकॉर्ड की विषय—वस्तु की सटीकता के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथा उचित लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का अनुपालन किया है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर की गई थी कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और पद्धति हमारे मत के लिए समुचित आधार पर प्रदान करती है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स Bkdqj] oS|ukFk v,;j ¼lunh ys[kkdkj½ की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिक/विद्यायी अनुपालन की सटीकता की जांच की है।

4. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए eSllZ okgjk ,.M lgxy ¼lunh ys[kkdkj½ की सांविधिक लेखापरीक्षा पर भरोसा किया है, अतः, हमने कंपनी के लेखों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।

5. जहां भी आवश्यक हो हमने कानून, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कारपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण आधार पर पद्धतियों की जांच तक सीमित थी।

7. सचिवालयी लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी प्रभावित अथवा सक्षमता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

—rs t-d- xqIrk ,oa ,lksf,V~l
कंपनी सचिवीय

LFkku% fnYyh
fnukad% 04-09-2015

g-@&
ftrs'k xqIrk
,Qlh,l lnL;k 3978
lhih lnL;k%2448

Lor= y[kk ijh{kdk dh fjiksV

lok e]

lnL;

Hkkjr c,MckM uVodZ fyfeVM d lnL;x.k

foÙkh; fooj.kk d lca/k e fjiksV

हमने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

foÙkh; fooj.kk d fy, çca/ku dh ftEenkjh

कंपनी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अंतर्गत अधिसूचित लेखन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है तथा इसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखन मानक शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उन्हें हटाने के लिए प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखन रिकॉर्ड रखने समुचित लेखा नीतियों का चयन और प्रयोगय ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि सही है। और पर्याप्त आंतिरक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण करना जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों जो कि एक सही दृष्टिकोण प्रदान करते है और वास्तविक दुर्कथन से मुक्त हैं जहां भी वे धोखाधड़ी अथवा भूल के कारण हों, भी शामिल हैं।

y[kkijh{kdk dh ftEenkjh

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने, हमारी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत उल्लेख किया गया है, के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक दुर्कथन से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में मात्रा और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वास्तवकि दुर्कथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण हो, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते हुए लेखापरीक्षक कंपनी से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते है और ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने में जो परिस्थितियों से संगत है किंतु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है, के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने पर विचार करता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक द्वारा किए गए लेखन अनुमानों का औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा समुचित है।

;kX; er

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित तरीके से तथा नीचे उल्लिखित कथनों के अधीन आवश्यक सूचना प्रदान करते है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप सही और निष्पक्ष परिदृश्य प्रदान करते हैः

क) दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों के तुलन–पत्र के संबंध में;

ख) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के घाटे के लाभ एवं हानि विवरण के संबंध में।

;kX; er d fy, vk/kkj

क) यह परियोजना लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों को भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए है और इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों (पीएसयू) – भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) के माध्यम से किया जा रहा है। इन पीएसयू को निधियां समय–समय पर उनकी मांग के अनुसार जारी की जाती है। यह परियोजना 31 मार्च, 2015 तक पूरी की जानी थी परंतु आज तक की स्थिति के अनुसार परियोजना का 10 प्रतिशत भाग भी पूरा नहीं किया जा सका है। हमारे मत से आरंभिक 10 प्रतिशत पूंजीगत अग्रिम राशि के लिए अधिक निधियां जारी की गई हैं जो निम्नानुसार हैः

क) बीएसएनएल – 63.19 करोड़ रुपए, ख) पीजीसीआईएल – 23.58 करोड़ रुपए और (ग) रेलटेल – 34.43 करोड़ रुपए

ख) इन पीएसयू को सैनटेज के रुप में भुगतान किया जाता है जो कि परियोजना के क्रियान्वयन के प्रति उनका प्रभार होता है। कंपनी तथा इन पीएसयू के बीच करार के खंड संख्या 9.1 का इन पीएसयू को सैनटेज के रूप में भुगतान के संबंध में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इस खंड के अनुसार भुगतान उन्हें कार्य के निष्पादन पर किया जाना अपेक्षित है परंतु कंपनी द्वारा यह भुगतान आरंभिक पूंजीगत अग्रिम के भुगतान के साथ अग्रिम के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू द्वारा परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिए सैनटेज से 10 प्रतिशत के दंड की कटौती नहीं की जा रही है जिससे करार के खंड संख्या 9.1 की अनदेखी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, दंड न लगाए जाने से इन पीएसयू को निम्नानुसार अधिक सैनटेज का भुगतान किया जा रहा है:

(क) बीएसएनएल – 19.56 करोड़ रुपए, (ख) पीजीसीआईएल – 1.61 करोड़ रुपए और (ग) रेलटेल – 1.57 करोड़ रुपए

ग) विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति में आरंभ में तीन माह से लेकर बाद में 13 माह तक का विलंब किया गया है। यह उन्हें प्रदत्त आरंभिक डिलीवरी की अवधि से अतिरिक्त है। उनसे डिलीवरी अभी भी प्राप्त की जानी बाकी है। वर्ष के अंत में 13 माह के लंबे विलंब के पश्चात् आंशिक डिलीवरी प्राप्त हुई है। विलंब से डिलीवरी के दर्ज कारणों के अनुसार विलंब आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुएं भेजी जाने वाली गंतव्य स्थल के बारे में वैंडरों को विलंब से सूचना प्रदान किया जाना है। हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार यह विलंब पीएसयू द्वारा आदेश दी गई वस्तुओं के उपयोग के लिए सूची तैयार न करना और कंपनी एवं पीएसयू के बीच समन्वय का अभाव है जिससे कि कंपनी द्वारा वस्तुओं के उपयोग के लिए पीएसयू की समय–सूची और तैयारियां न करने की बजह है। इस समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने डिलीवरी की समय–सूची में संशोधन किया। समुचित सुधारात्मक उपाय करने और विलंब के लिए जवाबदेही तय करने के बजाय तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों के अभाव में संशोधित डिलीवरी समय–सूची से परियोजना में और अधिक विलंब हुआ।

घ) परियोजना की स्थिति के संबंध में इन पीएसयू की रिपोर्ट, तथा इनसे जुड़ी कई ग्राम पंचायतों की दिनांक 31.03.2015 की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। निधियां परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की रिपोर्ट के बगैर वितरित की गई हैं। इसको देखते हुए व्यय का समुचित पूंजीकरण संभव नहीं था। इन पीएसयू द्वारा बकाया पुष्टि प्रपत्र तथा प्राप्त सैनटेज की राशि भी उपलब्ध नहीं थी।

ङ) वस्तुओं की खरीद का अन्य संबद्ध व्यय अर्थात् उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर इत्यादि के साथ मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि कई मामलों में केंद्रीय बिक्री कर को मूल कीमत के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, दो भिन्न दरों पर भुगतान किए गए उत्पाद कर को एक ही खाते में जोड़ा गया है।

च) वस्तुओं के उपभोग और भारत भर में परियोजना के विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए अंतिम स्टॉक के विवरण उपलब्ध नहीं थे। उपभोग को अंतिम स्टॉक के साथ खरीद का पुनर्मिलान भी जांच के लिए उपलब्ध नहीं था।

छ) इन तीन सीपीएसयू द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सेवा कर, टीडीएस और अन्य संगत सांविधिक के साथ पुनर्मिलान की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि उनके विवरण और दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। यह परियोजना अपनी समय–सीमा से काफी पीछे है और ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए पीएसयू के लक्ष्य में कमी की गई है जिससे परियोजना में और अधिक विलंब हुआ तथा लागत में वृद्धि हुई है परंतु दूसरी ओर निधियां अन्य गैर–प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् सेवा कर को छोड़कर 130.48 करोड़ रुपए की लागत पर स्थान के निर्माण के लिए आवासीय और वाणिज्यिक स्थल की लीज खरीद के लिए खर्च की जा रही हैं। इसमें से 71.69 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च कर दी गई है।

शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में डीएमआरसी के भवन को ऑफिस उद्देश्य के लिए लीज किराये पर लिया गया है और वर्ष के अंत तक इस कार्यालय परिसर का उपयोग किए बगैर 3.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस कार्यालय परिसर के लिए 31.03.2015 तक एनबीसीसी के साथ कुल वचनबद्ध लागत 24.03 करोड़ रुपए है, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान 2.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। फिटआउट लागत का कार्य 31 जनवरी, 2015 तक पूरा किया जाना था परंतु आज तक इसे पूरा नहीं किया गया है। एनबीसीसी पर परियोजना की लागत के 2 प्रतिशत तक का दंड लगाया जा सकता है परंतु कंपनी द्वारा कार्य की रचना और डिजाइन अनुमोदन करने में विलंब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ज) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बीएसएनएल को निरीक्षण प्रभारों का भुगतान किया गया है जिसे कंपनी द्वारा भारत भर में विभिन्न स्थानों पर परियोजना के लिए पीएसयू द्वारा प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता इत्यादि की जांच के लिए प्रतिपूर्त किया जा रहा है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आपूर्तिकर्ताओं

को प्रतिपूर्ति करने से पहले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टीडीएस जमा कराया गया है।

झ) पीएसयू द्वारा वस्तुओं की खरीद और कंपनी की ओर से किए गए अनुबंधीय भुगतान की रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

ञ) कुछ ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड नेटवर्क पूरा किया गया है और इस अवसर पर प्रचार एवं समारोह के संबंध में 1.04 करोड़ रुपए का व्यय किया गया परंतु इन ग्राम पंचायतों के लंबित कार्यों को पूरा करने पर हुए पूंजीगत व्यय का पूंजीकरण नहीं किया गया है और उनके उपभोग के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है तथा न ही कोई राजस्व खाते में लिया गया है।

ट) इस वर्ष प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अंतरित राशि प्रयुक्त वस्तुओं, प्रत्यक्ष व्यय और पूरे किए गए कार्य के भाग के संबंध में ऊपरी शीर्ष के आधार पर नहीं किया गया है, इसके बजाय वास्तविक लागत को छोड़कर कुछ व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अंतरित किया गया है। अंतरित व्यय की राशि भी लेखन सिद्धांतों के अनुसार अथवा नीतियों के अनुसार नहीं है, जैसा कि इस संबंध में विवरण उपलब्ध न होने के कारण प्रदर्शित होता है।

ठ) वर्ष के दौरान बीएसएनएल से बैंडविथ प्रभारों के लिए 46.44 लाख रुपए लिए गए है और पिछले वर्ष संचालन से राजस्व को क्रेडिट करते हुए डेबिट की गई राशि के साथ यह वर्ष के अंत में 92.88 लाख रुपए बनता है परंतु बीएसएनएल से कुछ भी उगाई नहीं की गई है। इस राशि को उन्हें भुगतान की गई राशि के साथ समायोजित किया जा सकता था।

ड) एनओएफएन के राजस्व के निवल संचालन व्यय की निवल लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) के लिए यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य इमदाद के किसी भी प्रावधान को चालू वर्ष में अन्य आय के रूप में नहीं लिया गया है जो कि कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही है लेखा नीति संख्या 2.2 (घ) का उल्लंघन है।

ढ) हमें बताया गया था कि वस्तुओं और सेवाओं का कोई भी आपूर्तिकर्ता माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए अनुसूची–VI और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटन आवश्यक नहीं है।

ण) पिछले वर्ष एनआईसी को जीआईएस परियोजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए के अग्रिम का भुगतान किया गया था। परियोजना की स्थिति और इसके पूरा होने की समय–सूची उपलब्ध नहीं है तथा यह राशि अब भी अग्रिम के रूप में दर्शाई जा रही है।

vU; foèkk;h ,o fofu;ked vko’;drkvks ds lcaèk esa fjiksVZ

1. भारत की केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसरण में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुरूप हम अनुबंध में उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम यह सूचित करते है कि:

क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी;

ख) हमारे विचार से कंपनी द्वारा विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखों की समुचित पुस्तकें रखी हैं जैसा कि इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नगद प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

घ) हमारे विचार से उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखन मानकों के अनुरूप है।

ङ) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा दर्ज निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।

—r` okgjk ,.M lgxy
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009465एन

gLrk@&
fxjh'k pkSèkjh
पार्टनर
एम. सं. 087446

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 28.07.2015

vU; fof/kd ,oa fu;ked vko';drkvksa ij fjiksVZ ijkxzkQ 1 esa lafnHkZr vuqyXud

1- क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखे है।

ख) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों की वास्तविक जांच की गई है। हमें सूचित किया गया था कि ऐसी वास्तविक जांच के संबंध में कोई वास्तविक खामी नहीं पाई गई थी।

2- क) कंपनी की संपत्तियां तीन पीएसयू– भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड और रेलटेल लिमिटेड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत परियोजना के विभिन्न स्थानों पर हैं। कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान न तो इन संपत्तियों की कोई वास्तविक जांच की है और न ही इसके पास इन संपत्तियों के विवरण और मूल्य मौजूद है।

ख) कंपनी संपत्ति सूची के समुचित रिकॉर्ड नहीं रखती है।

3- क) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई ऋण, आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) और (ख) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

4- हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना तथा व्याख्या के अनुसार कंपनी के आकार और अचल संपत्तियों तथा संपत्ति सूची के संबंध में इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया मौजूद है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमजोरियों में सुधार करने में कोई निरंतर विफलता नहीं पाई है।

5- कंपनी ने लोगों से कोई जमा राशि प्राप्त नहीं की है।

6- केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड रखने हेतु बनाए गए नियम कंपनी के लिए लागू नहीं है।

7- क) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, बिक्री, मूल्यवर्धित कर, उपकर और इसके लिए लागू अन्य वास्तविक सांविधिक देनदारियों सहित गैर–विवादित सांविधिक देनदारियों को समुचित प्राधिकरणों के पास जमा करने में नियमित रही है।

ख) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य वास्तविक सांविधिक देनदारियों के संबंध में वर्ष के अंत में उनके लागू होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए कोई गैर–विवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है।

8- कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में कोई घाटा संचित नहीं किया है और इसने वर्तमान तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं किया है।

9- कंपनी ने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से कोई ऋण अथवा क्रेडिट सुविधा प्राप्त नहीं की है, इस प्रकार यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है।

10- हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार कंपनी ने किसी ईकाई द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं की है। इस प्रकार, इस खंड के प्रावधान लागू नहीं है।

11- कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इस प्रकार इस खंड के प्रावधान लागू नहीं है।

12- वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और व्याख्या के आधार पर हम यह सूचित करते है कि कंपनी को अथवा उसके द्वारा किसी धोखाधड़ी को ध्यान में नहीं लाया गया है और वर्ष के दौरान सूचित नहीं किया गया है।

—rs oksgjk ,.M lgxy
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 009465एन

gLrk@&
fxjh'k pkS/kjh
पार्टनर
एम. सं. 087446

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 28.07.2015

31 ekp] 2015 dh fLFkfr d vu|kj r|yu&i=

¼jkf'k Hkkjrh; #i, e½

	fooj.k	fVIi.kh l-	31 ekp] 2015 d vu|kj	31 ekp] 2014 d vu|kj
d	bfDoVh vkj nunkfj;k			
1	'ks;j/kkjdk dh fuf/k;k			
	(क) शेयर निधि	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	3,18,25,562	3,46,81,834
			63,18,25,592	63,46,81,864
2	x|j&pky nunkfj;k			
	(क) डेफर्ड कर देनदारियां (निवल)	5	4,35,318	33,06,431
	(ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	6	2349,40,64,661	917,46,88,456
			2349,44,99,979	**917,79,94,887**
3	pky nunkfj;k			
	(क) अन्य लागू देनदारियां	7	235,21,81,626	8,95,47,812
	(ख) लघु अवधि प्रावधान	8	16,91,34,485	9,496,793
			252,13,16,111	9,90,44,605
	d|y		**2664,76,41,682**	**991,17,21,356**
[k	ifj lifÙk;k			
1	x|j&pky ifj lifÙk;k			
	¼d½ vpy lifÙk;k	9		
	(i) टेन्जिबल संपत्ति		6,48,24,643	1,83,17,305
	(ii) गैर टेन्जिबल संपत्ति		5,91,24,803	7,29,06,057
	(iii) प्रगतिरत पूंजीगत कर्य	10	140,11,95,157	(2,59,26,919)
	(iv) संपत्ति सूची	11	764,46,24,299	-
			916,97,68,902	6,52,96,443
	(ख) दीर्घावधि ऋण और अग्रि	12	932,36,56,669	403,71,75,198
	(ग) अन्य गैर–चालू संपत्तियां	13	1,00,02,484	1,50,03,726
	d|y		**933,36,59,153**	**405,21,78,924**
2	चल संपत्तियां			
	(क) प्राप्ति योग्य ट्रेड	14	92,88,474	41,33,355
	(ख) रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष	15	666,50,47,516	552,63,68,439
	(ग) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	16	29,40,49,486	10,16,31,577
	(घ) अन्य चालू परिसंत्तियां	17	117,58,28,151	16,21,12,618
			814,42,13,627	579,42,45,989
	d|y		**2664,76,41,682**	**991,17,21,356**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार संलग्नक टिप्पणियां वित्तीय विवरण का समेकित भाग है।	2		

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
—rs rFkk dh vkj ls okgjk ,M lgxy
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009465एन

कृते तथा की ओर से Hkkjr c,McM uVodl fyfeVM

gLrk@&
fxjh'k pk/kjh
पार्टनर
एम.सं. 087446

gLrk@&
v#.kk lnjjktu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03523267

gLrk@&
v#.k/krh ikMk
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 05355640

gLrk@&
nolæ d|ekj fue
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

gLrk@&
vfouk'k pæ mik/;k;
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ4324

दिनांकः 27 जून, 2015
स्थानः नई दिल्ली

31 ekp] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk ,oa gkfu fooj.k

¼jkf'k Hkkjrh; #i, esa½

Ø- la-	fooj.k	fVIi.kh la-	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
1	संचालन से राजस्व	18	4133,354	41,33,355
2	अन्य आय	19	10,91,35,562	7,98,79,064
3	कुल राजस्व (12)		**11,32,68,916**	**8,40,12,419**
4	व्यय			
	(क) कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा लाभ	20	2,43,67,262	1,12,96,129
	(ख) वित्तीय लागत	21	369,009	581,153
	(ग) अवमूल्यों तथा परिशोधन व्यय		3,64,79,824	1,96,08,782
	(घ) प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	22	4,81,60,076	2,42,20,666
	कुल व्यय		**10,93,76,171**	**5,57,06,730**
5	पूर्व अवधि मद से पूर्व लाभ/(हानि) औरकर (3–4)		38,92,745	2,83,05,689
6	पूर्व अवधि मद	23	(53,09,296)	(6,24,812)
7	कर से पूर्व लाभ/(हानि) कर (56)		(14,16,551)	2,76,80,877
8	कर व्ययः			
	(क) चालू वर्ष के लिए कर व्यय		25,84,148	67,00,731
	(ख) पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय		17,26,686	1,110
	(ग) डेफर्ड कर		(28,71,113)	32,08,033
			14,39,721	99,09,874
9	कर पश्चात लाभ/(हानि) (7 –8)		**(28,56,272)**	**1,77,71,003**
10	çfr 'ks;j vtZu½	24		
	(क) मूल		(0.05)	0.30
	(ख) सरलीकृत		(0.05)	0.30
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संलग्नक टिप्पणियां वित्तीय विवरण का समेकित भाग है।	2		

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
—rs rFkk dh vksj ls okgjk ,.M lgxy
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009465एन

कृते तथा की ओर से Hkkjr czkMcS.M usVod fyfeVsM

gLrk@&
fxjh'k pk/kjh
पार्टनर
एम.सं. 087446

gLrk@&
v#.kk lqanjjktu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03523267

gLrk@&
v#.k/krh ikMs
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 05355640

gLrk@&
noUæ dqekj fue
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

gLrk@&
vfouk'k pæ mik/;k;
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ4324

दिनांकः 27 जून, 2015
स्थानः नई दिल्ली

31 ekp] 2015 dk lekIr o"k d fy, foÙkh; fooj.kk dk Hkkx cuu okyh fVIif.k;k

1-

1-1 भारत सरकार ने 25.10.2011 को भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्थापित करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि एनएओएफएन का सृजन, संचालन और अनुरक्षण यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेसन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

1-2 भारत सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ("कंपनी" अथवा "बीबीएनएल") की स्थापना की गई थी। बीबीएनएल को 25 फरवरी, 2012 को शेयरों की सीमित देनदारी के साथ एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया था। कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास गया है और इसका पंजीकृत कारपोरेट कार्य नई दिल्ली में स्थित है।

1-3 प्रशासक यूएसएओएफ के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और बीबीएनएल के बीच 25.02.2014 को हस्ताक्षरित करार (जिसे आगे "करार" कहा गया है) के अनुसार बीबीएनएल भारत के अनुमानित सभी 2,50,000 जीपी में शेयरिंग आधार पर न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविथ की प्रभावी स्थापना के लिए अपेक्षित ओएफसी परिवहन नेटवर्क तथा संबद्ध अवसंरचना की स्थापना करेगा, प्रावधान (अर्थात् प्रापण, स्थापना, परीक्षण, कमीशन), संचालन, अनुरक्षण तथा प्रबंधन करेगा। इस प्रकार सृजित नेटवर्क और संबद्ध अवसंरचना को राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कहा जाएगा।

1-4 करार के अनुसार यूएसओएफ से निधियन के साथ एनओएफएन परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामित्व यूएसओएफ/भारत सरकार के पास होगा।

1-5 करार के अनुसार बीबीएनएल अनुमानित सभी 2,50,000 जीपी में बैंडविथ के प्रावधान के लिए एनओएफएन के सृजन, संचालन और अनुरक्षण के लिए अनन्य रूप से उत्तरदायी होगी जिसमें मौजूदा मार्ग/प्रयुक्त खंड तथा नए खंड दोनों शामिल होंगे। यह जिम्मेदारी सतत् आधार पर होगी और योजना के सभी पहलुओं तक विस्तारित होगी अर्थात् रोलआउट और कमीशनिंग, लीजिंग, संचालन और अनुरक्षण, शेयरिंग आधार पर बैंडविथ प्रदान करना।

1-6 करार के अनुसार यूएसओएफ एनओएफएन के सृजन, संचालन और अनुरक्षण के लिए दिनांक 25.02.2012 से पांच वर्ष की अवधि हेतु राजस्व से निवल संचालन व्यय की निवल लागत (ओपेक्स) तथा समूचे पूंजीगत व्यय (केपेक्स) के लिए बीबीएनएल को इमदाद प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान बीबीएनएल आत्म–निर्भर बनने का प्रयास करेगा।

1-7 चूंकि एनओएफएन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समूचे केपैक्स हेतु इमदाद यूएसओएफ/भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, कंपनी अपनी लेखा–पुस्तकों में लेखामानक 12 के अनुच्छेद 1, 8.2, 8.4 और 14 अनुच्छेद में निहित प्रावधानों; वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अवसंरचना के अनुच्छेद 49(क), 56, 57, 58 और 88 के माध्यम से आईसीएआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा लेखामानक 10 के अनुच्छेद 6.1 में निहित प्रावधानों तथा लेखामानक 26 के अनुच्छेद 6 और 14 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इस प्रकार इमदाद से सृजित एनओएफएन की परिसंपत्तियों तथा इमदाद को ले रही है।

1-8 ओएफसी बिछाने, एनओएफएन परियोजना के निष्पादन के लिए और उपकरण संस्थापना इत्यादि के अनुबंध के संबंध में बीबीएनएल ने दिसंबर, 2012 में पृथक रूप से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), भारतीय पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड (रेलटेल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों के पश्चात् बीबीएनएल तथा उपर्युक्त तीन पीएसयू के बीच एनओएफएन परियोजना के निष्पादन की शर्तों की विस्तृत व्याख्या करते हुए क्रमशः 16.05.13, 21.05.13 और 23.05.13 को हस्ताक्षर किए गए थे। सी–डीओटी के साथ भी नेटवर्क मैंनेजमेन्ट सीस्टम (NMS) पर और एनआईसी के साथ जीआईएस के कार्यान्वयन हेतु भी समझौता किया गया। बाद में, 31.03.2015 तक पहले चरण में एक लाख जीपी में नेटवर्क की स्थापना के लक्ष्य के साथ एनओएफएन परियोजना के क्रियान्वयन को चरणबद्ध रूप से करने का निर्णय लिया। तथापि, समझौता ज्ञापन में संशोधन तथा कंपनी एवं उपर्युक्त तीन पीएसयू के बीच करार एनओएफएन परियोजना के क्रियान्वयन को चरणबद्ध रूप से किए जाने के कारण अभी किया जाना बाकी है।

2- egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ksa dk lkj

2-1 foÙkh; fooj.k rS;kj djus dk vk/kkj

बीबीएनएल के वित्तीय विवरण भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में लेखन की अर्जन पद्धति को अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं और इसमें प्रबंधन द्वारा धारणा व अनुमान लगाने की आवश्यकता

होती है तथा वास्तविक आंकड़े इनसे भिन्न हो सकते हैं जिनकी निर्धारित अवधि में पहचान की गई हो। कंपनी के वित्तीय विवरण भारत सरकार की दिनांक 30.03.2011 की अधिसूचना संख्या एफ.2/6/2008–सीएल–V द्वारा संशोधित अनुसूची–VI के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2013–14 तक तैयार किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 से कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2-2 jktLo ekU;rk

सेवाओं से आय को अर्जन आधार पर लिया गया है और वह लेखामानक 9 के अनुसरण में है। तदनुसार,

d½ अर्जित होने तथा बिलिंग के समय वसूली योग्य होने पर सभी सेवाओं के लिए राजस्व को मान्यता दी जाती है। बिलिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक गैर–बिल वाले राजस्व को उस अवधि के दौरान अर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है जिसमें सेवाएं प्रावधान की गई हों। विवादित माने जाने वाले (प्रबंधन द्वारा), दो वर्ष से अधिक बकाया ऋण और दो वर्ष से कम के लिए ऋण, प्रबंधन द्वारा यथा आवश्यक मानी गई सीमा तक विचारित बिलों के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं।

[k½ परियोजना कार्यों और अनुरक्षण से उत्पन्न स्क्रैप की बिक्री आय को बिक्री के वर्ष में विविध आय के रूप में लिया जाता है।

x½ जबकि आय की वसूली में अनिश्चितता होती है, जैसे कि नष्ट क्षति प्रभार सरकारी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकरणों इत्यादि पर दावें, तो इन्हें वसूली आधार पर लिया जाता है।

?k½ एनओएफएन की राजस्व विषय से निवल ऑपरेटिंग व्यय को निवल लागत (प्रशासनिक व्यय को शामिल करते हुए) पर यूएसओएफ से प्राप्त योग्य अनुदान को उस वित्तीय वर्ष में अन्य आय के रूप में लिया जाता है जिसमें उसे अर्जित होना था।

³½ बैंक के पास निधियों पर ब्याज अर्जन आधार पर लिया जाता है।

p½ राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के सृजन के लिए यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त निधियों पर ब्याज से इत्तर निधियों पर प्राप्त ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

2-3 vpy ifjlEifÙk;k

d½ अचल संपत्तियां लागत घटा अवमूल्यन आधार पर ली जाती है। एनओएफएन की अचल परिसंपत्तियों की लागत में (i) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा राज्यों को परियोजना प्रबंधन ईकाइयों के लाभ सहित स्थापना एवं अन्य व्यय, (ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा कारपोरेट कार्यालय की योजना शाखा के लाभ जो कि ऐसी अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए सीधे सबंधित है, (iii) कारपोरेट कार्यालय की योजना शाखा के साथ जुड़ी स्थापना लागत तथा अन्य व्यय, और (iv) एनओएफएन के निर्माण चरण के दौरान कारपोरेट कार्यालय की योजना शाखा के लिए आबंटित कारपोरेट कार्यालय की वित्तीय शाखा की आनुपातिक लागत।

एनओएफएन से इत्तर अचल संपत्तियों की लागत में प्रत्यक्ष स्थापना तथा कर्मचारी पारिश्रमिक और ऐसी अचल संपत्तियों के सृजन के लाभ तथा उससे जुड़े अप्रत्यक्ष व्यय के भाग सहित अन्य व्यय भी शामिल होते हैं।

उन अचल संपत्तियों की लागत जो तुलन–पत्र की तिथि पर प्रयोग के लिए तैयार नहीं है को "प्रगति–रत पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया हैं।

ख) परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन, उपकरण, औजार तथा पुनर्वास कार्य पर व्यय को तब पूंजीकृत माना जाता है, यदि प्रबंधन के मत से इसका परिणाम राजस्व सृजन क्षमता की वृद्धि में होता हो।

ग) परियोजना को जारी करने के समय स्टोर तथा सामग्रियों की लागत सीडब्ल्यूआईपी को डेबिट की जाती है।

घ) एनओएफएन को ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क तथा उपकरण को सफलतापूर्वक स्वीकार्यता परीक्षण (ए/टी) के पश्चात् ऑप्टीकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) तथा ग्राम पंचायत के बीच नेटवर्क लिंक स्थापित हो जाने पर पूंजी में परिणत किया जाता है।

ङ) इंटेंजिबल संपत्तियों को इनके अर्जन की लागत घटा नुकसान की संचयी राशि पर कहा गया है।

च) राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के सृजन के लिए यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त निधियों पर ब्याज को राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से संबद्ध पूंजीगत–प्रगतिरत–कार्य में लिया गया है।

छ) एनओएफएन स्थापित करने के लिए आवश्यक संपत्ति सूची के प्रापण हेतु क्रय आदेश की शर्तों और उपबंधों के अनुसार नष्ट क्षति प्रभार एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी परिसंपत्तियों में क्रेडिट किए गए हैं।

2-4 voewY;u@ifj'kks/ku

क) अवमूल्यन वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर छोड़ी गई मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता

है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से टेंजिबल परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के भाग (ग) के तहत निर्धारित उपयोगी चक्र के अनुसार छोड़े गए मूल्य की पद्धति के आधार पर तथा परिसंत्तियों के प्रत्येक मद के 5 प्रतिशत मूल्य को अवशिष्ट मूल्य के रूप में लेते हुए अवमूल्यन प्रदान किया गया है।

ख) "फर्नीचर तथा फिक्चर" श्रेणी के अंतर्गत शामिल परदें इत्यादि जैसी गृह सज्जा संपत्तियों को यह देखते हुए खरीद के वर्ष में पूर्णतया अवमूल्ययित किया जाता है कि ऐसी संपत्तियों का जीवन चक्र काफी सीमित और नगण्य होता है।

ग) परियोजना तथा अनुरक्षण दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त मशीनरी तथा उपकरण पर अवमूल्यन पूंजी के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

घ) प्रवेश लाइसेंस शुल्क जैसी इंटेंजिबल संपत्तियों को लाइसेंस की अवधि (अर्थात् 20 वर्ष) में परिशोधित किया जाता है।

ङ) इन्टेंजिबल परिसंतियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। इंटेंजिबल परिसंपत्तियां जिनकी लाइसेंस अवधि निर्दिष्ट होती है को 5 वर्ष की अधिकतम अवधि की सीमा के अधीन लाइसेंस की अवधि में परिशोधित किया जाता है। अन्य इंटेंजिबल परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। एक वर्ष के लाइसेंस वाली इंटेंजिबल परिसंपत्तियों को खरीद के वर्ष में पूर्णतया परिशोधित किया जाता है। वेबसाइट और ट्रेडमार्क की लागत को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

च) प्राथमिक व्यय को स्ट्रेट लाइन प्रक्रिया के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

छ) उन पुस्तकों जो एनओएफएन परियोजना के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, का एनओएफएन परियोजना के निष्पादन की अवधि में अवमूल्यन किया जाता है।

2-5 lEifÙk lwph

परिसंपत्तियों के सृजन और मरम्मत के लिए अर्जित संपत्ति सूची को मूल्य आधार पर लिया जाता है। संपत्ति सूची की लागत का निर्धारण संपत्तियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में हुई सभी लागतों को शामिल करते हुए किया जाता है। अप्रचलित नॉन मूविंग संपत्ति सूचियों को निवल अर्जित योग्य मूल्य पर लिया जाता है।

2-6 ljdkjh vuqnku

अवमूल्यन योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध सरकारी अनुदान/इमदाद को तुलन–पत्र में डेफर्ड आय के रूप में लिया जाता है। ऐसी डेफर्ड आय को ऐसे अनुदान/इमदाद से सृजित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन चक्र में लाभ एवं हानि विवरण में समायोजित किया जाता है अर्थात् किसी वित्तीय वर्ष में डेफर्ड आय की राशि जो कि उक्त वित्तीय वर्ष से संबद्ध अवमूल्यित परिसंपत्ति की राशि के बराबर है, को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है।

राजस्व (ओपेक्स) से संबद्ध सरकारी इमदाद/अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में अर्जन आधार पर (अन्य आय) के रूप में लिया जाता है।

2-7 fons'kh eqæk ysunsu

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेने देने की तारीख अर्थात् भुगतान की तारीख अथवा बिलिंग की तारीख, जैसा भी मामलो हो, पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा लाभ परिसंपत्तियां सूचित तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर सूचित की जाती है।

2-8 yht

लीज को उस सीमा पर आधारित वित्त अथवा संचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिस पर किसी लीज संपत्ति के स्वामित्व के जोखिम और लाभ लीजधारी अथवा लीज प्रदान करने वाले पर निर्भर होते है और तदनुसार लीज परिसंपत्ति तथा लीज के भुगतान को वित्तीय विवरण में कहा गया है।

2-9 deZpkjh ykHk

d½ y?kq vof/k deZpkjh ykHk

लघु अवधि कर्मचारी लाभ को उस अवधि में माना जाता है जिसमें सेवा प्रदान की गई। है।

fpfdRlk ykHk

कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अन्य व्यक्तिगत दावा बिलों को लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त बिलों के संबंध में वास्तविक आधार पर लिया गया है।

[k½ nh?kkZof/k deZpkjh ykHk

ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk%

i) isa'ku va'knku ¼xzP;qVh lfgr½% सरकारी कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें विषय पर सरकारी नियमों द्वारा शासित किया जाता है, सरकार से पेंशन के पात्र है, जिसे अंशदान योजना में परिभाषित किया गया है। कंपनी सरकार को पेंशन नियमों और एफआरएंडएसआर के अनुसार लागू दरों पर पेंशन (ग्रेच्युटी केलिए देनदारी सहित) के लिए मासिक अंशदान देती है और राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

ii) **deZpkjh Hkfo"; fufèk%** प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, कंपनी संबंधित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को कर्मचारी के मूल वेतन और भत्ते की पूर्व निर्धारित पर नियोक्ता का अंशदान और संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है, और यह राशि लाभ और हानि विवरण में ली जाती है।

बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों जो ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित होते है, के लिए कंपनी नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है और ईपीएफओ को कर्मचारियों के अंशदान के साथ संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है। नियोक्ता का अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

iii) **vodk'k osru gsrq va'knku%** सरकारी कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य स ार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बीबीएनएल द्वारा सरकार अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को एफआरएंडएसआर के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश वेतन अंशदान देती है और यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है। परिणामतः अवकाश की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए देय अवकाश वेतन सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सेवा छोड़ने/सेवानिवृत्ति से पहले अथवा पश्चात कोई अवकाश नगदीकरण भी सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्तरदायित्व है।

iv) **xzsP;qVh%** अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों, जिन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 द्वारा शासित किया जाता है, के लिए कंपनी ग्रेच्युटी के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अंशदान देती है तथा यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है।

v) बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पश्चात लाभ

xzsP;qVh% ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है।

vodk'k osru dk fy, va'knku% नियुक्ति पष्चात लाभ के रूप में भुगतान किए जाने वाले अवकाश वेतन के संबंध में मूल नियम और अनुपूरक नियमों के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रावधान किया गया है और इस राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया गया है। एफआर 115(ख) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है।

कंपनी द्वारा ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पष्चात लाभ का प्रावधान अनंतिम है और इसे नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, जैसे ही यह तैयार हो जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा।

2-10 iwoZ vofèk en

आय अथवा व्यय जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई चूक अथवा छोड़ दिए जाने के परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में सामने आता है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व अवधि मद के रूप में लिया जाता है।

2-11 vk; ij dj

चालू अवधि के लिए आय पर व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में निकाली गई आय तथा कर क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एएस–22 के अनुसार, डेफर्ड कर देनदारी/संपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार लागू कर की दरों का प्रयोग करते हुए लेखन मानक व्याख्या 3 और मात्रात्मकता के घटकों को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि के लिए लेखन आय और कर योग्य आय के बीच टाइमिंग अंतर पर मान्यता दी जाती है।

डेफर्ड कर संपत्तियों को मान्यता दी जाती है तथा उन्हें इस वास्तविक सुनिश्चितता की सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि ऐसे आगे ले जाई गई कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

2-12 çkoèkku

प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जबकि कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणास्वरूप एक वर्तमान वचनबद्धता होय यह अधिक संभावना है कि वचनबद्धता के निपटान के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी, और राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया गया है।

2-13 vkdfLed nsunkfj;k¡

देनदारियों, यद्पि आकस्मिक होने पर उनका प्रावधान किया जाता है, यदि प्रबंधन के अनुसार ऐसी देनदारियों के परिपक्व होने के समुचित अवसर हों अन्य आकस्मिक देनदारियां, गलत दावों को छोड़कर, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं लिया जाता है, को टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

2-14 çfr 'ks;j vtZu

प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") में कर पश्चात् निवल लाभ (कर से निवल असाधारण आय को छोड़कर) शामिल होता है। मूल तथा डाइलूटिड ईपीएस में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों को भारित औसत संख्या है।

2-15 {ks= dh lwpuk nsuk

ऐसा केवल एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें एओएफएन के जरिए दीर्घावधि सेवा अर्थात् शेयरिंग आधार बैंडविथ का प्रावधान है।

3- 'k;j dfiVy

¼d½ çkf/k—r jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 100,00,00,000 (पी.वाई. 100,00,00,000) इक्विटी शेयर	1000,00,00,000	1000,00,00,000
	1000,00,00,000	1000,00,00,000
जारी, अंशदान तथा पूर्णतया प्रदत्त		
प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 6,00,00,003 (पी.वाई. 6,00,00,003) इक्विटीर शेयर	60,00,00,030	60,00,00,030
tkjh] va'knku çnÙk rFkk iw.kZr;k çnÙk 'ks;j dk ;ksx	60,00,00,030	60,00,00,030

¼[k½ 'ks;jksa dh la[;k dk iqufeZyku

	31 ekp] 2015 dks vuqlkj		31 ekp] 2014 dks vuqlkj	
	'k;jksa dh la[;k	jkf'k Hkkjrh; #i, esa	'k;jksa dh la[;k	jkf'k Hkkjrh; #i, esa
वर्ष के आरंभ में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
tek% वर्ष के दौरान जारी	0	0	0	0
वर्ष के अंत में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

¼x½ daiuh dks 5 izfr'kr 'ks;j ls vf/kd 'ks;j okys 'ks;j/kkjdksa }kjk /kkfjr 'ks;jksa dk C;kSjk

	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
केंद्र सरकार	6,00,00,000	6,00,00,000
धारण का प्रतिशत	99.99%	99.99%

- बीएसएनएल, पीजीसीआईएल एवं रेलटेल 10/– रुपए प्रत्येक के एक–एक इक्विटी शेयर धारी हैं।
- कंपनी में 10/– रुपए प्रति शेयर के समान मूल्य वाले एक ही स्तर के इक्विटी शेयर है।
- सदस्यों का मत : मौजूदा प्रत्येक सदस्य और जो इक्विटी शेयरधारक हो, को एक मत देने का अधिका होगा और इक्विटी शेयरधारक की ओर से सामान्य प्रोक्सी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने पर प्रत्येक सदस्य को उसके पास धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकार होगा। मतदान होने पर इक्विटी शेयरधारक के मताधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

4- vkjf{kr vkj vf/k'ks"k

fooj.k	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	
	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
¼d½ lkeku; vkjf{k		
वर्ष के आरंभ में बकाया	3,46,81,834	1,69,10,831
tek% वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से हस्तांतरित	-	1,77,71,003
वर्ष के अंत में बकाया	3,46,81,834	3,46,81,834
¼[k½ ykHk ,oa gkfu fooj.k esa vf/k'ks"k@?kkVk		
वर्ष के आरंभ में बकाया	-	-
tek% वर्ष के लिए लाभ/(घाट)	(28,56,272)	1,77,71,003
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध राशि	-	1,77,71,003
?kVk% सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	-	1,77,71,003
वर्ष के अंत में बकाया	(28,56,272)	-
vkjf{kr c'kh dk ;ksx	**3,18,25,562**	**3,46,81,834**

5- MQM dj nunkfj;k ¼fuoy½ jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dk vuqlkj	31 ekp] 2014 dk vuqlkj
डेफर्ड कर देनदारियां	4,35,318	33,06,431
dqy MQM dj nunkfj;k ¼fuoy½	**4,35,318**	**33,06,431**

- डेफर्ड टेक्स परसंपत्तियां और देनदारियों को ऑफसेट किया जा रहा है चूंकि वे समान अभिशासन कर नियमों द्वारा लगाए गए आयकर से संबद्ध है। तुलन–पत्र में निम्नलिखित राशि दर्शाई गई है:–

MQM dj çLrqrh jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

	fooj.k	31 ekp] 2015 dk vuqlkj	31 ekp] 2014 dk vuqlkj
¼d½	MQM dj [kkrs esa xfr fuEeuqlkj g%		
	vkjfHkd 'ks"k	(33,06,431)	(98,398)
	(वासप लेना)/डेफर्ड कर देनदारी का प्रावधान (निवल)	28,71,113	(34,04,829)
	vfre 'ks"k	(4,35,318)	(33,06,431)
¼[k½	MQM dj ifjlaifÙk@nunkfj;ksa dk C;kSjk		
¼d½	MQM dj nunkfj;k¡		
	अवमूल्यन	5,33,331	33,25,702
	अन्य	-	
dqy ¼d½		5,33,331	33,25,702
¼[k½	MQM dj ifjlaifÙk;k¡		
	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	98,013	19,271
	अन्य	-	-
dqy ¼[k½		98,013	19,271
	fuoy MQM dj nunkfj;k ¼d½ & ¼[k½	**4,35,318**	**33,06,431**

6- vU; nh?kkZofèk nunkfj;k jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dk vuqlkj	31 ekp] 2014 dk vuqlkj
vU;		
¼d½ ,uvks,Q,u ifj;kstuk gsrq ;wuholy lfoZl v,Cyhxs'ku QaM ls çkIr benkn		
वर्ष के आरंभ में शेष इमदाद राशि	**910,35,04,717**	404,40,92,723
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त इमदाद की राशि	1351,86,45,971	514,00,00,000
घटा: वर्ष के दौरान परसंपत्तियों की खरीद के लिए प्रयुक्त इमदाद की राशि (डेफर्ड पूंजीगत अनुदान में हस्तांतरित)	7,20,08,035	8,05,88,006
वर्ष के अंत में बकाया इमदाद राशि	2255,01,42,653	910,35,04,717
¼[k½ MQM iwathxr benkn		
वर्ष के आरंभ में बकाया	**6,77,38,189**	55,04,412
tek% वर्ष के दौरान इमदाद राशि से हस्तांतरित	7,20,08,035	8,05,88,006
?kVk% लाभ एवं हानि विवरण में हस्तांतरित पूंजीगत इमदाद की राशि	4,03,57,533	1,83,54,229
वर्ष के अंत में बकाय	9,93,88,691	6,77,38,189
(ग) साफ्टवेयर के लिए देनदारी	-	34,45,550
(घ) ओएफसी तथा जीपीओएन हेतु क्रेडिट्स	84,45,33,317	-
vU; nh?kkZofèk nunkfj;k dk ;ksx ¼d½$¼[k½$¼x½$¼?k½	**2349,40,64,661**	**917,46,88,456**

7- vU; pkyw nunkfj;k

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 d vuqlkj	31 ekp] 2014 d vuqlkj
सरकारी विभागों को देय*	2,48,02,933	1,19,36,307
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस के लिए देनदारी	75,28,480	15,16,327
टीडीएस तथा अन्य सांविधिक देय	1,81,88,423	1,73,36,599
पीएसयू को देय**	2,96,29,415	14,79,956
निदेशकों की ओर देनदारी	45,661	47,721
कर्मचारियों के लिए देनदारी	45,23,678	38,69,329
सेवाओं के लिए देनादारी	62,84,773	4,31,99,521
ओएफसी और जीपीओए आपूर्ति के लिए वेंडर	225,37,90,379	-
अन्यों को देय	64,07,863	80,12,429
ईएमडी तथा निष्पादन सुरक्षा	9,80,021	21,49,623
vU; pkyw nunkfj;k dk ;kx	**235,21,81,626**	**8,95,47,812**

* डीओटी के अधिकारियों तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल के एबजार्ब्ड कर्मचारियों जो कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर हैं के संबंध में पेंशन अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान तथा अन्य वसूलियों के लिए (i) सरकारी विभागों को 2,07,12,526 (पिछला वर्ष 1,16,71,035 रुपए), (ii) बीएसएनएल के माध्यम से डीओटी को 2,14,093 (पिछला वर्ष 1,90,057 रुपए) (iii) एमटीएनएल के माध्यम से डीओटी को 92,011 रुपए (पिछला वर्ष 72,215) की देय राशि दर्शाता है।

** (i) कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए अवकाश वेतन अंशदान, ईपीएफ के लिए अंशदान (नियोक्ता तथा कर्मचारी), ग्रेच्युटी अंशदानय (ii) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों द्वारा लिए गए एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के क्वार्टरों के लिए एचआरए का घटकय तथा (iii) कंपनी की ओर से (क) एमटीएनएल को 4,98,455 रुपए (पिछला वर्ष 3,21,767 रुपए) और (ख) बीएसएनएल को 19,80,697 रुपए (पिछला वर्ष 11,58,189 रुपए) पर हुए खर्च के लिए देय राशि दर्शाता है।

8- y?k vofèk çkoèkku

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 d vuqlkj	31 ekp] 2014 d vuqlkj
व्यय के लिए प्रावधान*	16,45,67,425	15,24,193
आयकर के लिए प्रावधान	25,84,148	67,00,731
कर्मचारियों की ओर से कर के लिए प्रावधान	18,11,834	12,71,869
सीएस तथा डीसीएस के पोस्ट कर्मचारी लोगों के लिए प्रावधान**	1,71,078	
vU; pkyw ifjlaifRr;k dk ;kx	**16,91,34,485**	**94,96,793**

* इस राशि में कंपनी के अपने कर्मचारियों के लिए 74,413.00 रुपए (पिछला वर्ष शून्य) की ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान शामिल है जिसे नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अर्जन मूल्यांकन के माध्यम से वास्तविक देनदारी का निर्धारण किए बगैर ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनंतिम आधार पर निकाला गया है।

** कंपनी द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए पोस्ट–नियुक्ति लाभ के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अनंतिम आधार पर किया गया है।

9- voeY;u vkj ifj'kkèku 0;;

चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने टेंजिबल परिसंपत्तियों के अवमूल्यन निर्धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की vuqlph&II का अनुसरण किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की vuqlph&II में निर्धारित उपयोगी जीवन चक्र के अनुसार टेंजिबल परिसंपत्तियों के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अवमूल्यन की कुल राशि 1,85,03,967 रुपए है। यदि टेंजिबल परिसंपत्तियों के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अवमूल्यन का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 1956 की vuqlph&XIV के अनुसार किया गया होता तो अवमूल्यन की राशि 1,35,76,907 रुपए होती। अतः चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की vuqlph&II के क्रियान्वयन के कारण टेंजिबल परिसंपत्तियों के अवमूल्यन की राशि में 49,27,060 रुपए की वृद्धि हुई है।

यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की vuqlph&II का क्रियान्वयन नहीं किया गया होता और टेंजिबल परिसंपत्तियों का अवमूल्यन कंपनी अधिनियम, 1956 की vuqlph&XIV के अनुसार निर्धारित किया जाता तो चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी को कर पूर्व लाभ रुपए (14,16,551) के बजाय कर पूर्व लाभ 35,10,509 रुपए होता।

परिसंपत्ति अनुसूची अगले पृष्ठ में दी गई है।

9- vpy ifjlaifÙk;k

fooj.k	ldy Cy,d				voeY;u				31 ekp] 2015 dk vuqlkj cdk;k	31 ekp] 2014 dk vuqlkj vfre cdk;k
	1 vçSy] 2014 dk vuqlkj vkjfHkd cdk;k	tek	gVkuk@ lek;kstu	31 ekp] 2015 dk vuqlkj vfre cdk;k	1 vçSy] 2014 dk vuqlkj vkjfHkd cdk;k	o"kZ dk fy,	gVkuk@ lek;kstu	31 ekp] 2015 dk vuqlkj vfre cdk;k		
		o"kZ dk nkSjku								
1	2	3	4	5 = (2 + 3) - 4	6	7	8	9 = (6 + 7) + 8	10 = (5 - 9)	
çR;{k ifjlaifÙk;k										
दूरसंचार में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी	-	3,51,23,653	-	3,51,23,653	-	47,19,153	57,76,125	1,04,95,278	2,46,28,375	-
कार्यालय उपकरण	21,11,673	11,04,212	1,25,000	30,90,885	2,31,710	11,99,090	(34,753)	13,96,047	16,94,838	18,79,963
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और उपकरण	7,79,444	15,04,971	1,58,400	21,26,015	1,15,706	3,74,210	(38,228)	4,51,688	16,74,327	6,63,738
फर्नीचर एवं फिटिंग	91,47,550	1,17,36,090	3,65,573	2,05,18,067	20,51,304	36,04,506	(2,00,388)	54,55,422	1,50,62,645	70,96,246
कंप्यूटर्स एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	85,84,739	1,18,65,356	5,34,479	1,99,15,616	19,84,656	66,64,037	(2,98,156)	83,50,537	1,15,65,079	66,00,083
पुस्तकें	27,69,700	94,65,500	11,000	1,22,24,200	6,92,425	19,42,971	(6,10,575)	20,24,821	1,01,99,379	20,77,275
çR;{k ifjlaifÙk;ksa dk ;ksx	**2,33,93,106**	**7,07,99,782**	**11,94,452**	**9,29,98,436**	**50,75,801**	**1,85,03,967**	**45,94,025**	**2,81,73,793**	**6,48,24,643**	**1,83,17,305**
vçR;{k ifjlaifÙk;k										
सॉफ्टवेयर	6,18,82,877	12,08,253	24,198	6,30,66,932	1,33,68,664	1,66,54,138	(10,548)	3,00,12,254	3,30,54,678	4,85,14,213
वेबसाइट	7,79,840	-	-	7,79,840	2,23,484	22,400	-	2,45,884	5,33,956	5,56,356
ट्रेडमार्क	1,12,000	-	-	1,12,000	26,512	11,100	-	37,612	74,388	85,488
एनएलडी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	2,50,00,000	-	-	2,50,00,000	12,50,000	12,50,000	-	25,00,000	2,25,00,000	2,37,50,000
आईएसपी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	-	30,00,000	-	30,00,000	-	38,219	-	38,219	29,61,781	-
vçR;{k ifjlaifÙk;ksa dk ;ksx	**8,77,74,717**	**42,08,253**	**24,198**	**9,19,58,772**	**1,48,68,660**	**1,79,75,857**	**(10,548)**	**3,28,33,969**	**5,91,24,803**	**7,29,06,057**
çxfrjr iwathxr dk;Z ¼,u vks ,Q ,u dh ¼lh.Mh½ fVIi.kh la[;k 10½	**(2,59,26,919)**	**230,60,92,495**	**(87,89,70,419)**	**140,11,95,157**	-	-	-	-	**140,11,95,157**	**(2,59,26,919)**
ldy ;ksx	**8,52,40,904**	**238,11,00,529**	**(87,77,51,769)**	**158,61,52,364**	**1,99,44,461**	**3,64,79,824**	**45,83,477**	**6,10,07,762**	**152,51,44,602**	**6,52,96,443**
fiNyk o"kZ	**2,10,34,154**	**6,45,34,210**	**3,27,460**	**8,52,40,904**	**4,02,865**	**1,96,08,782**	**(67,186)**	**1,99,44,461**	**6,52,96,443**	**2,06,31,289**

fVIi.kh

(क) सभी परिसंपत्तियां (टेंजीबल तथा गैर–टेंजीबल) तथा सीडब्ल्यूआईपी एनओएफएन की परिसंपत्तियां है जिनका स्वामित्व यूएसओएफ/भारत सरकार के पास है।
(ख) सभी परिसंपत्तियों के लिए किया गया व्यय एनओएफएन के निष्पादन के लिए यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद की राशि से पूरा किया गया है।
(ग) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क के लिए है।
(घ) फर्नीचर और फिक्चर में शून्य रुपए (पिछला वर्ष 97,704 रुपए) की राशि शामिल है जिसका पूर्णतया अवमूल्यन किया गया है।
(ङ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शून्य रुपए (पिछले वर्ष 78,015 रुपए) की राशि के एमएस ऑफिस तथा एंटी वॉयरस शामिल हैं जिसे पूर्णतः परिशोधित किया गया है।
(च) 45,83,477 रुपए (पिछला वर्ष 67,186 रुपए) के हटाने/समायोजन की राशि में 51,65,928 रुपए (पिछला वर्ष 4,931 रुपए) के पूर्व अवधि अवमूल्यन शामिल है।
(छ) सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (प्राइमावेरा) शामिल हैं जिसकी लागत शून्य रुपए पिछले वर्ष में (6,16,20,891 रुपए) है।
(ज) एनओएफएन परियोजना के निष्पादन की अवधि में पुस्तक तथा परियोजना प्रबंधन सॉफ्वेयर को परिशोधित किया जा रहा है।

10- çxfrjr iwathxr dk;Z

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, eas½

विवरण	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार
o"kZ dh vkjEHk esa cdk;k		(2,59,26,919)	1,51,26,877
foÙkh; o"kZ ds nkSjku tek			
(क) सीडब्ल्यूआईपी–एनओएफएन			
बीएसएनएल द्वारा निर्माणाधीन एनओएफएन परिसंपत्ति का मूल्य*	150,36,87,781		-
पीजीसीआईएल द्वारा निर्माणाधीन एनओएफएन परिसंपत्ति का मूल्य*	27,76,26,498		-
रेलटेल द्वारा निर्माणाधीन एनओएफएन परिसंपत्ति का मूल्य*	11,31,52,699	189,44,66,978	-
(ख) एनओएफएन की स्थापना से संबंधित कंपनी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक और स्थापना पर व्यय**			
कर्मचारी लाभ व्यय		21,64,46,542	10,22,94,147
प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय		19,51,78,975	8,77,75,777
(ग) एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित एनओएफएन परियोजना के लिए यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद की राशि पर प्राप्त ब्याज***		(63,88,02,261)	(23,11,23,720)
(घ) एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित एनओएफएन की स्थापना के लिए आवश्यक प्रापण संपत्ति सूची हेतु क्रय आदेश की शर्तों और उपबंधों के अनुसार प्रभारित नष्ट क्षति की राशि****		(24,01,68,158)	-
वर्ष के अंत में बकाया		140,11,95,157	(2,59,26,919)

* निर्माणाधीन एनओएफएन परिसंपत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी – एनओएफएन) का मूल्य महत्वपूर्ण लेखन नीतियों के अनुसार भार नहीं है। यह डक्ट, ओएफसी इत्यादि बिछाने की लागत दर्शाता है परंतु इसमें डक्ट, ओएफसी की लागत शामिल नहीं है। डक्ट तथा ओएफसी की लागत सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित नहीं की जा सकी क्योंकि निष्पादन एजेंसियों से एनओएफएन की स्थापना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

** (i)कॉर्पोरेट कार्य योजना शाखा (योजना वित्त विंग सहित), (ii) जोनल कार्यालयों और (iii) परियोजना निगरानी ईकाई कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक एवं लाभ पर संपूर्ण वयय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के वित्त विंग के पारिश्रमिक और लाभ पर आनुपातिक व्यय को एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थापना की लागत तथा अन्य व्यय जो एनओएफएन कार्य के लिए हुए हैं, को एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित किया गया है।

*** करार के अनुसार एनओएफएन के निष्पादन के लिए यूएसओएफ/भारत सरकार से प्राप्त इमदाद की प्राप्त राशि जिसे बैंक में लघु अवधि जमा/सावधि जमा रखा गया है, को कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही है महत्वपूर्ण लेखानीति के अनुसार एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी में क्रेडिट किया गया है।

****एनओएफएन की स्थापना के लिए आवश्यक ओएफसी तथा जीपीओएन उपकरण के प्रापण के लिए क्रय आदेश की शर्तों और उपबंधों के अनुसार प्रभारित नष्ट क्षति प्रभार को कंपनी दवारा अनुपालन की जा रही है महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी को क्रेडिट किया गया है।

- संपूर्ण पूंजीगत प्रगतिरत कार्य राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबद्ध है जो स्थापना की प्रक्रिया के अधीन है, का स्वामित्व यूएसओएफ/भारत सरकार और कंपनी के बीच हुए करार के अनुसार यूएसओएफ/भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

11- LVkd lwph@eky lwph

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, eas½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dh vuqlkj	31 ekpZ 2014 dh vuqlkj
ऑप्टिकल फाइबर केबल और संबद्ध मदें*	723,27,18,773	-
जीपीओएन उपकरण	41,19,05,526	-
eky lwph dk ;ksx	**764,46,24,299**	-

* कुल ऑप्टिकल फाइबर केबल में से 18,43,20,197.00 रुपए मूल्य की 3425.823 किलोमीटर ओएफसी ऋण आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड को दी गई है।

- कुल माल सूचियां पूंजीगत प्रकृति की है और एनओएफएन की स्थापना के लिए प्राप्त की गई है।
- एनओएफएन की स्थापना के लिए वर्ष के दौरान प्रयुक्त माल सूची का मूल्य एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित नहीं किया है चूंकि तीनों निष्पादन एजेंसियों से उपयोग का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

12- nh?kZdkfyd _.k vkSj vfxze

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekpZ 2015 ds vuqlkj		31 ekpZ 2014 ds vuqlkj
vlqjf{kr fdUrq vPNs ekus x,			
¼d½ iwathxr vfxze			
¼d1½ ,uvks,Q,u dh LFkkiuk ds fy, ch,l,u,y dks			
1 अप्रैल, 2014 के अनुसार आरंभिक राशि	254,44,50,806		
tek% 2014–15 में दिया गया पूंजीगत अग्रिम	464,00,03,114		
?kVk% एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी के लिए समायोजित अग्रिम	150,36,87,781		
अंतिम शेष		568,07,66,139	254,44,50,806
¼d2½ ,uvks,Q,u dh LFkkiuk ds fy, ihthlhvkbZ,y dks			
1 अप्रैल, 2014 के अनुसार आरंभिक राशि	54,71,06,454		
tek% 2014–15 में दिया गया पूंजीगत अग्रिम	130,09,42,135		
?kVk% एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी के लिए समायोजित अग्रिम	27,76,26,498		
tek% प्रमुख परियोजना के जरिए सृजित एनओएफएन के लिए समायोजित अग्रिम	1,00,00,000		
अंतिम शेष		156,04,22,091	54,71,06,454
¼d3½ ,uvks,Q,u dh LFkkiuk ds fy, jsyVsy dks			
1 अप्रैल, 2014 के अनुसार आरंभिक राशि	38,82,89,921		
tek% 2014–15 में दिया गया पूंजीगत अग्रिम	87,75,63,926		
?kVk% एनओएफएन की सीडब्ल्यूआईपी के लिए समायोजित अग्रिम	11,31,52,699		
tek% प्रमुख परियोजना के जरिए सृजित एनओएफएन के लिए समायोजित अग्रिम	1,50,00,000		
अंतिम शेष		113,77,01,148	38,82,89,921
¼d4½ lh&MkV			
आरंभिक शेष	3,82,00,000		
tek% एनओएफएन एनएमएस के लिए 2014–15 में दिया गया अग्रिम	9,06,11,517		
tek% सर्वेक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए 2014–15 में दिया गया अग्रिम	1,56,00,000		
?kVk% सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्तियों के लिए समायोजित अग्रिम	-		
अंतिम शेष		14,44,11,517	3,82,00,000
¼d5½ thvkbZ,l ds fy, us'kuy bUQ,eSfVDl lsUVj ¼,uvkbZ,lh½			
आरंभिक शेष	3,90,00,000		
tek% 2014–15 में दिया गया अग्रिम	-		
?kVk% सेवा कर के लिए समायोजित	40,38,008		
अंतिम शेष		3,49,61,992	3,90,00,000

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks vuqlkj		31 ekp] 2014 dks vuqlkj
¼d6½ Hkkjrh; lo{k.k ngjknu dks			
आरंभिक शेष	94,54,500		
tek% 2014–15 में दिया गया अग्रिम	11,000		
परिसंपत्तियों के लिए समायोजित अग्रिम	94,65,500		
अंतिम शेष		-	94,54,500
¼d7½ dk;kZy; rFkk vkoklh; LFkku vkj ,u,e,l dks fy, ,uchlhlh@'kgjh fodkl ea=ky; dks			
आरंभिक शेष	**44,90,64,531**		
tek% कार्यालय एवं आवासीय स्थान के लिए 2014–15 में दिया गया अग्रिम	26,77,96,293		
tek% एनएमएस कार्य के लिए 2014–15 में दिया गया अग्रिम	1,28,45,215		
अंतिम शेष		72,97,06,039	44,90,64,531
¼d½ dqy iwathxr vfxze		**928,79,68,926**	**401,55,66,212**
¼[k½ çfrHkwfr tek			
प्रतिभूति जमा – कार्यालय किराये के लिए		3,53,96,470	2,15,24,812
प्रतिभूति जमा – अन्य के लिए		2,91,273	84,174
¼[k½ dqy çfrHkwfr tek		**3,56,87,743**	**2,16,08,986**
nh?kkZofèk _.k rFkk vfxze dk ;ksx ¼d½+¼[k½		**932,36,56,669**	**403,71,75,198**

- बीएसएनएल, पीजीसीआईएल, रेलटेल तथा सीडीओटी को दिया गया पूंजीगत अग्रिम की राशि में सेंटेज की राशि शामिल है।
- वे सभी परियोजनाएं जिनके लिए पूंजीगत अग्रिम की राशि एनओएफएन के निष्पादन के लिए यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद की राशि में से दी गई है, वे राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के भाग है।

13- vU; xSj&pkyw ifjlEifÙk;k¡

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
गैर–परिशोधित प्रारंभिक व्यय	1,00,02,484	1,50,03,726
xSj&pkyw ifjlEifÙk;ksa dk ;ksx	**1,00,02,484**	**1,50,03,726**

14- çkfIr ;ksX; VsªM

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks vuqlkj	31 ekp] 2014 dks vuqlkj
भुगतान के लिए देय होने की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
lqjf{kr vPNs ekus x,	-	
अनारक्षित, अच्छे माने गए	92,88,474	41,33,355
शंकावान	-	-
dqy	**92,88,474**	**41,33,355**
?kVk% शंकावान प्राप्ति योग्य ट्रेड के लिए प्रावधान	-	-
çkfIr ;ksX; VsªM dk ;ksx	**92,88,474**	**41,33,355**

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्राप्ति योग्य ट्रेड की राशि में सेवा कर शामिल नहीं है जिसे अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है।
- प्राप्ति योग्य ट्रेड की राशि पायलट परियोजना के जरिए सृजित सर्किटध्बैंडविथ के प्रावधान के लिए है।

15- uxn rFkk uxn led{k

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 d vuqlkj	31 ekp] 2014 d vuqlkj
हाथ रोकड़	5,343	11,291
कर्मचारियों का इम्प्रेस्ट खाता		
निदेशकों के साथ	33,467	54,962
कर्मचारियों के साथ	3,19,820	2,63,927
bEçLV [kkrs dk dqy ;ksx	**3,53,287**	**3,18,889**
हाथ चौक, ड्राफ्ट तथा आईपीओ	7,54,553	1,83,367
बैंक के पास बकाया		
चालू खाते में बकाया	11,47,33,149	87,61,201
बैंक के पास एफडीआर		
इक्विटी राशि का सावधि जमा*	63,92,65,051	64,86,80,866
एनओएफएन के लिए यूएसओएफ से इमदाद राशि का सावधि जमा**	590,42,07,633	486,84,12,825
सावधि जमा – अन्य	57,28,500	-
uxn rFkk uxn led{k dk ;ksx	**666,50,47,516**	**552,63,68,439**

* 31.03.2015 के अनुसार इक्विटी की राशि में 7.11.2013 तक अर्जित 3,92,65,051 रुपए के ब्याज की राशि शामिल है (पिछला वर्ष 4,86,80,836 रुपए) जिसका पुनः निवेश किया गया है।

* 31.03.2015 के अनुसार इक्विटी की राशि में 30,00,000.00 रुपए शामिल है जिन्हें कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए आईएसपी लाइसेंस हेतु प्रवेश शुल्क के लिए भुगतान किया गया है। उक्त राशि 2015–16 में एनओएफएन में हस्तांतरित की जाएगी।

** एनओएफएन के निष्पादन के लिए यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद की अप्रयुक्त राशि बैंक में सावधि जमा में रखी गई है।

- बैंक में सावधि जमा की 12 माह की मैच्योरिटी अवधि है।
- चूंकि इमदाद एनओएफएन के सृजन के लिए यूएसओएफध्भारत सरकार द्वारा दी जाती है, ऐसी इमदाद राशि जिसे कंपनी द्वारा बैंकों में लघु अवधि जमा/सावधि जमा में रखा गया है की राशि का शीर्षक और दावा अनिवार्य रूप से प्रशासक, यूएसओएफ के माध्यम से भारत सरकार के पास निहित है।

16- y?kq vofèk _.k vkj vfxze

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 d vuqlkj	31 ekp] 2014 d vuqlkj
कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम – अनारक्षित, अच्छे माने गए		
कर्मचारियों को अग्रिम*	5,23,976	8,46,844
अस्थायी अग्रिम	16,000	
deZpkfj;ksa dk _.k rFkk vfxze dk ;ksx	**5,39,976**	**8,46,844**
vU;ksa dk vfxze & vukjf{kr] vPNs eku x,		
श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए अग्रिम	3,12,53,431	1,65,45,635
अन्यों को अग्रिम**	19,16,92,794	15,38,251
प्रीपेड व्यय	3,90,644	3,67,399
स्रोत पर कर कटौती	7,01,47,916	2,87,88,857
प्रदत्त अग्रिम कर	24,725	5,35,44,591
vU;ksa dk dqy vfxze	**29,35,09,510**	**10,07,84,733**
y?kq vofèk _.k vkj vfxze dk ;ksx	**29,40,49,486**	**10,16,31,577**

* कर्मचारियों को 5,23,976 रुपए (पिछला वर्ष 8,46,844 रुपए) के अग्रिम में बोर्ड निदेशकों को दी गई कोई अग्रिम राशि शामिल नहीं है।

** अन्यों को अग्रिम की राशि में 18,78,42,394 रुपए के अग्रिम की राशि शामिल है जिसे 870 जगहो के लिए दो एमबीपीएस डीसीएन लिंक लेने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को दिया गया है।

17- vU; pkyw ifjlaifÙk;ka

jkf’k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 ds vuqlkj	31 ekpZ 2014 ds vuqlkj
एफडीआर पर अर्जित ब्याज – बैंक के पास इक्विटी फंड	2,03,02,033	2,14,06,741
एफडीआर पर अर्जित ब्याज– बैंक के पास यूएसओएफ से इमदाद राशि	14,47,40,666	8,19,42,563
कर्मचारियों से वसूली योग्य	23,030	7,20,958
अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट	58,66,10,692	5,36,56,082
अगले वित्तीय वर्ष में सेनवेट क्रेडिट (उत्पाद कर)	40,99,29,552	-
अन्यों से वसूली योग्य	6,79,064	39,27,271
डीओटी से वसूली योग्य	1,31,58,419	2,62,267
बीएसएनएल तथा एमटीएनएल से वसूली योग्य	18,231	1,96,736
सी–डॉट से वसूली योग्य	3,66,464	-
vU; pkyw ifjlaifÙk;ksa dk ;ksx	**117,58,28,151**	**16,21,12,618**

18- lapkyu ls jktLo

jkf’k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
बैंडविथ प्रभार	41,33,354	41,33,355
lapkyu ls dqy jktLo	**41,33,354**	**41,33,355**

- संचालन से राजस्व, पायलट परियोजना के माध्यम से सृजित ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से अर्जित राजस्व दर्शाता है।

19- vU; vk;

jkf’k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy,
डेफर्ड आय से हस्तांतरित राशि	4,03,57,533	1,83,54,229
इक्विटी राशि के एफडीआर से ब्याज*	5,96,42,746	5,67,64,812
एनओएफएन के लिए इमदाद की राशि के एफडीआर से ब्याज***	-	-
अन्य गैर–संचालन आय***	91,35,283	47,60,023
नष्ट क्षति**	-	-
vU; vk; dk ;ksx	**10,91,35,562**	**7,98,79,064**

* ब्याज की राशि में 59,64,275 रुपए का टीडीएस शामिल है (पिछला वर्ष 56,76,481 रुपए)

** संशोधित महत्वपूर्ण लेखन नीति के अनुसार एनओएफएन के निष्पादन के लिए यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद की राशि की लघु अवधि जमा/सावधि जमा पर बैंक से वित्तीय वर्ष 2014–15 में अर्जित 63,88,02,261 रुपए का ब्याज (पिछला वर्ष 23,11,23,720 रुपए) को एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी में क्रेडिट किया गया है। साथ ही, 24,01,68,158 रुपए (पिछला वर्ष शून्य) की नष्ट क्षति की राशि को एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी में क्रेडिट किया गया है। यह ब्याज आय का विपथन और प्रशासक यूएसओएफ के जरिए भारत सरकार के पक्ष में अधिक राशि द्वारा नष्ट क्षति आय है।

*** यूएसओएफ से चालू वर्ष के लिए ओपेक्स हेतु इमदाद की राशि को नहीं माना गया है क्योंकि ओपेक्स के संबंध में दिशा–निर्देश, प्रक्रिया इत्यादि यूएसओएफ/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अभी तैयार किए जाने बाकी है।

20- deZpkfj;ksa dk ikfjJfed vkSj ykHk

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	20,52,48,132	9,92,17,144
अवकाश वेतन अंशदान	87,77,999	45,62,236
पेंशन अंशदान	1,35,86,968	72,39,240
कर्मचारियों भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में अंशदान'	6,72,353	2,18,476
चिकित्सा लाभ	1,09,20,462	23,53,180
	23,92,05,914	**11,35,90,276**
?kVk, एनओएफएन के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए आबंटित कर्मचारी लाभ व्यय	21,48,38,652	10,22,94,147
deZpkfj;ksa dk ikfjJfed rFkk ykHk dk ;ksx	**2,43,67,262**	**1,12,96,129**

- निदेशक बोर्ड द्वारा संस्वीकृत कुल 36 ई9 तथा 81 ई7 पदों में से कंपनी विधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार समस्त पदों के लिए भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
- सभी कर्मचारी (कम्पनी द्वारा दो सीधे भर्ती कर्मचारी को छोड़कर) केंद्र सरकार/बीएसएनएल/एमटीएनएल से प्रतिनियुक्ति पर है और उनका पारिश्रमिक विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा दिशा–निर्देशित होता है।
- कंपनी को अभी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। कंपनी ने उसे अनुसूची "क" कंपनी के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए मामला अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया है। तथापि, कंपनी बोर्ड स्तर पर तथा बोर्ड स्तर से नीचे अपने कर्मचारियों को अनुसूची "क" कंपनी की सुविधाएं प्रदान कर रही है।

21- foÙkh; ykxr

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
बैंक प्रभार	3,18,299	77,021
ब्याज – अन्य	50,710	5,04,132
dqy foÙkh; ykxr	**3,69,009**	**5,81,153**

22- ç'kklfud] lapkyu vkSj vU; O;;

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
संचार व्यय	72,61,606	39,11,496
सेवाओं पर व्यय तथा अन्य व्यय	50,50,574	16,34,148
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस	91,11,756	67,20,994
सामान्य व्यय	42,77,326	38,65,314
पॉवर तथा ईंधन	50,14,203	30,08,750
व्यावसायिक तथा परामर्श प्रभार	1,57,32,109	62,88,545
दर तथा कर	1,67,406	27,830
किराया	7,73,49,063	3,36,95,456
मरम्मत और अनुरक्षण – भवन	98,55,583	49,41,429
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	37,55,802	1,03,913
यात्रा एवं परिवहन	1,37,11,256	1,09,18,243
विज्ञापन व्यय	1,10,70,583	19,63,343

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekp] 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
लेखापरीक्षकों को भुगतान – लेखापरीक्षा भुल्क	6,60,000	3,51,250
लेखापरीक्षकों को भुगतान – अन्य मामले	98,842	10,000
मुद्रण तथा स्टेशनरी	22,88,899	10,58,068
सुरक्षा सेवा	3,54,237	3,11,616
प्रशिक्षण व्यय	48,18,747	10,75,610
छोड़े गए प्रारंभिक व्यय	50,01,242	50,01,242
अचल संपत्तियों की ब्रिकी पर घाटा	3,57,253	1,28,927
श्रमिकों को किराये पर लेना	2,21,57,297	60,52,173
सॉफ्टवेयर के लिए होस्टिंग प्रभार	11,40,000	33,81,987
वाहन किराए पर लेने संबंधी व्यय	2,92,74,565	1,75,16,174
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएं	5,31,585	29,935
	22,90,39,934	**11,19,96,443**
?kVk% एनओएफए के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय	18,08,79,858	8,77,75,777
dqy ç'kklfud] lapkyu rFkk vU; O;;	**4,81,60,076**	**2,42,20,666**

23- iwoZ vof/k enas

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekp] 2014 dks lekIr vof/k ds fy,
vk; ¼d½		
निविदा दस्तावेजों की ब्रिक्री	3,000	-
dqy ¼d½	**3,000**	**-**
O;; ¼[k½		
कर्मचारी लाभ (ख1)		
क्वार्टरों के लिए मकान किराया	11,65,505	-
चिकित्सा लाभ	2,466	-
पूर्वा अपेक्षित पर कर	4,97,031	-
कर्मचारी लाभ – अन्य	37,803	3,66,738
[k1 dk ;ksx	**17,02,805**	**3,66,738**
प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय (ख2)		
यात्रा व्यय	9,559	6,840
संचार व्यय	1,17,866	9,404
सेवाओं पर व्यय	2,65,609	2,25,746
सामान्य व्यय	1,110	21,015
ऊर्जा तथा ईंधन	3,83,049	-
व्यावसायिक और परामर्शी प्रभार	11,19,623	-
किराया	26,24,176	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	7,930	-
श्रमिकों को किराये पर लेना	84,95,947	-

fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k dh fy,	31 ekp] 2014 dk lekIr vofèk dh fy,
सॉफ्टवेयर के लिए प्रभार	11,40,000	-
मरम्मत और अनुरक्षण – भवन	1,85,701	-
अवमूल्यन	51,65,928	-4,931
[k2 dk ;kx	**1,95,16,498**	**2,58,074**
io| vofèk enk dk ;kx ¼d½&¼[k1½&¼[k2½	**(2,12,16,303)**	**(6,24,812)**
x1 ?kVk| पूर्व अवधि कर्मचारी लाभ व्यय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	16,07,890	-
x2 ?kVk| पूर्व अवधि प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय मदें प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	1,42,99,117	-
io| vofèk enk dk ;kx	**(53,09,296)**	**(6,24,812)**

24- çfr 'k;j vt|u

fooj.k	bdkbZ	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k dh fy,	31 ekp] 2014 dk le-kIr vofèk dh fy,
कर पश्चात लाभ	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	(28,56,272)	1,77,71,003
?kVk| dj lfgr ojh;rk ykHkka'k*	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	-	-
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध बकाया	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	(28,56,272)	1,77,71,003
बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या**	(संख्या में)	6,00,00,003	6,00,00,003
शेयरों का फेस मूल्य	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	10	10
प्रति शेयर मूल तथा डायलूटिड अर्जन***	jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½	(0.05)	0.30

* कंपनी के प्राधिकृत शेयरपूंजी में कोई वरीयता शेयर नही है।

** बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या दिनों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है।

*** कोई डायलूटिड इक्विटी शेयर नही है।

25- lc) ikVh çdVu

d½ çe[k çcèku 0;fä

inuke	uke	dk;Zxg.k dh vofèk çHkkoh
सीएमडी	श्री एन. रवि शंकर	25.02.2012 से 31.07.2014 तक
	श्री ए के भार्गव	01.09.2014 से 30.09.2014 तक
	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	01.10.2014 से
निदेशक (एफ)	श्रीमती अरुणधती पांडा	26.07.2012 से
निदेशक (ओ)	श्री ए के भार्गव	03.09.2012 से 30.09.2014 तक
	श्री पी के अग्रवाल	01.10.2014 से
निदेशक (पी)	श्री पी के अग्रवाल	31.08.2012 से
सरकारी नामिती निदेशक	श्री आई. एस. शास्त्री	25.02.2012 से
सरकारी नामिती निदेशक	श्री वी. उमाशंकर	15.03.2013 से

* प्रशासक–यूएसओएफ कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के भी पदधारी हैं। 31.03.2014 तक कंपनी ने एनओएफएन परियोजना के निष्पादन के लिए यूएसओएफ से 2270,86,45,971 रुपए (पिछले वर्ष 919,00,00,000 रुपए) की इमदाद राशि प्राप्त की है।

[k½ diuh rFkk lc) i{kks d s chp yunu rFkk cdk;k fooj.k dh fLFkfr dk çdVu

ikVh dk uke	yunu dk fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k d s nkjku yunu dh jkf'k	31 ekp] 2014 dk lekIr vof/k d s nkjku yunu dh jkf'k
प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति	वेतन तथा भत्तों का भुगतान	73,75,345	62,28,812
	देय बकाया		47,721
	अग्रिम:		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान विस्तारित	10,04,373	7,50,556
	dqy	**10,04,373**	**7,50,556**
	अग्रिम का पुनर्भुगतान/समायोजन	10,04,373	7,50,556
	cdk;k jkf'k	-	-

- निदेशक मंडल से शून्य रुपए (पिछले वर्ष 24,064 रुपए) की राशि वसूली योग्य है।

ग) एक पूर्णतया राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की कंपनी होने के नाते अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबद्ध पार्टी संबंधों और उन उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में लेखामानक 18– संबद्ध पार्टी प्रकटन के अनुसरण में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

26- çcaèku dk ikfjJfed

fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k d s fy,	31 ekp] 2014 dk lekIr vof/k d s fy,
वेतन तथा भत्ते	73,75,345	62,28,812
पूर्व अपेक्षित	23,11,834	1,30,094
ईपीएफ अंशदान	0	0
सीटिंग फीस	0	0
dqy çcaèku ikfjJfed	96,87,179	63,58,906

27- fun'kdk dk vfxze

fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k d s fy,	31 ekp] 2014 dk lekIr vof/k d s fy,
वर्ष के अंत में देय राशि	0	0
वर्ष के दौरान देय अधिकतम राशि	10,04,373	7,50,556
fun'kdk dk dqy vfxze	**10,04,373**	**7,50,556**

28- y[kkijh{kdk dk ikfjJfed

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k d s fy,	31 ekp] 2014 dk lekIr vof/k d s fy,
सांविधिक लेखापरीक्षा फीस	3,50,000	1,87,500
सलाहकार अथवा किसी अन्य क्षमता के रूप में – सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा		
क. प्रमाणन प्रभार	-	10,000
आंतरिक लेखापरीक्षा फीस	2,75,000	1,25,000
dj y[kkijh{kk Qhl	**35,000**	**20,000**

29- or|eku dj

25,84,145 रुपए (पिछला वर्ष 84,27,471 रुपए) का चालू कर न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक है।

30- fon'kh eæk es 0;;

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, e½

fooj.k	31 ekp] 2015 dk lekIr o"k dk fy,	31 ekp] 2014 dk lekIr vofèk dk fy,
यात्राएं	2,36,609	17,35,167
अन्य	4,79,489	8,77,734
dy	**7,16,098**	**26,12,901**

31- vkdfLed nunkfj;k vkj opuc)rk,

31-1 vkdfLed nunkfj;k

(i) nkos ftUgs dtZ ds :i esa ugh fy; x;k g] fuEukuqlkj g%

fooj.k	31-03-2015 dh vuqlkj		31-03-2014 dh vuqlkj	
	ekeyk dh l[;k	jkf'k Hkkjrh; #i, e	ekeyk dh l[;k	jkf'k Hkkjrh; #i, e
किदवई नगर में प्रस्तावित परिसर में लीज स्थान निर्माण के लिए एनबीसीसी/एमओयूडी को प्रदत्त निर्माण संबद्ध तीन किश्तों पर सेवाकर	1	4,96,25,313	1	1,61,97,083

*जैसा कि दिनांक 20.12.2013 के एनबीसीसी पत्र संख्या एनबीसीसी/जीएम–आरईएम/किदवई नगर/2013/908 द्वारा सूचित किया गया है। दीर्घावाधी लीज संपदा के संबंध में सेवा कर प्रभारित करने का मुद्दा ऐसे समान मामले में दिल्ली के माननीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित है। एनबीसीसी के वकीलों और विधायी परामर्शदाताओं का विचार है कि ऐसी लीज बिक्री पर सेवा कर लागू नहीं है चूंकि परियोजना का स्वामी शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार है। तथापि, एनबीसीसी ने सूचित किया है कि यदि किसी भी चरण में ऐसी लीज ब्रिकी पर सेवा कर लागू होता है तो बीबीएनएल इसे वहन करेगी।

(ii) dEiuh }kjk nh xbZ cSd xkjfV;k ds fy, nunkfj;k

en	31-03-2015 dh vuqlkj		31-03-2014 dh vuqlkj	
	uxn ekftZu dh lkFk	uxn ekftZu dh cxSj	uxn ekftZu dh lkFk	uxn ekftZu dh cxSj
मामलों की संख्या	5	-	9	-
राशि (भारतीय रुपए में)	2,87,36,858	-	1,63,08,452	-

31-2 opu c)rk,

iwathxr opu c)rk,¡

,uvks,Q,u ifj;kstuk

¼d½ ik;yV ifj;kstuk% पायलट परियोजना जिसके लिए बीएसएनएल, पीजीसीआईएल तथा रेलटेल को पूंजीगत खाते से 2,00,00,000 रुपए प्रदान किए गए थे पूरी हो गई हैं और स्वीकार्यता परीक्षण किया गया है। चूंकि अंतिम बिल तीन पीएसयू से प्राप्त होना बाकी है इसलिए पायलट परियोजना की कुल लागत का निर्धारण किया जाना शेष है।

¼[k½ 2]50]000 thih es uVodZ dh LFkkiuk ds fy, çe[k ,uvks,Q,u ifj;kstuk%

(i) पहले चरण में 31.03.2015 तक 1,00,000 जीपी में नेटवर्क बिछाने के लिए 11,148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ii) तीन निष्पादन एजेंसियों द्वारा एनओएफएन की स्थापना के लिए पूंजीगत वचनबद्धता की बकाया राशि 1,00,000 जीपीएस में 5189.50 करोड़ रुपए है।

(iii) बाकी दो चरणों अर्थात् बकाया 1,50,000 जीपीएस में नेटवर्क की स्थापना के लिए अनुमानित लागत तय की जानी अभी बाकी है।

(iv) ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए अग्रिम क्रय आदेश निविदा मात्रा के लिए जारी किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 359.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के अंत तक 612.58 करोड़ रुपए) (चुंगी/प्रवेश शुल्क को छोड़कर) मूल्य के प्रथम चरण हेतु अपेक्षित ओएफसी जारी किए गए है। जारी किए गए क्रय आदेश के लिए कुल पूंजीगत वचनबद्धता में से 31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया वचनबद्धता की राशि 248.99 करोड़ रुपए है।

(v) जीपीओएन उपकरण के लिए अग्रिम क्रय आदेश निविदा मात्रा के लिए जारी किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 79.15 करोड़ रुपए मूल्य के प्रथम चरण हेतु आवश्यक जीपीओएन के लिए क्रय आदेश जारी किए गए हैं। इसमें से 31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया वचनबद्धता 37.96 करोड़ रुपए है।

(vi) जीआईएस परियोजना के लिए कुल पूंजीगत वचनबद्धता 38.48 करोड़ रुपए जिसमें से 3.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 31 मार्च, 2015 के अनुसार वचनबद्धता की बकाया राशि 34.58 करोड़ रुपए है।

(vii) एनएमएस के लिए पूंजीगत वचनबद्धता 38.20 करोड़ रुपए है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक 9.06 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है अतः जारी क्रय आदेश के अनुसार बकाया पूंजीगत वचनबद्धता 29.14 करोड़ रुपए है।

(viii) किदवई नगर (पूर्वी) में प्रस्तावित परिसर में कार्यालय तथा आवास हेतु निर्मित लीज स्थान के लिए कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड को आबंटित कुल वित्तीय निहितार्थ 130,47,96,156 रुपए (प्रभारी सेवा कर, यदि कोई हो, को छोड़कर) है जो 10 किश्तों में देय है। चालू वित्तीय वर्ष में 28,33,00,147.00 रुपए (पिछले वर्ष के अंत में 44,64,05,892 रुपए) का भुगतान किया गया है।

32- yht

कंपनी ने ऑपरेटिंग लीज पर (प) 21.12.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय हेतु 1700 वर्ग मीटर और ब्लॉक–प्ट सी–डीओटी परिसर से 03.02.2015 से 114.04 वर्ग मीटर, (पप) शास्त्री पार्क (दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क) पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड से 10 वर्ष के लिए अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग केंद्र हेतु 06.11.2013 से 3488.39 वर्ग मीटर और 30.01.2015 से 1174 वर्ग मीटर तथा (पपप) पटना, पंजाब (मोहाली), बंगलौर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, एर्नाकुलम, शिलांग (सीटीओ भवन) रायपुर, जबलपुर, रांची स्थित परियोजना प्रबंधन ईकाई कार्यालयों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 31.03.2014 तक 250.55 वर्ग मीटर तथा इसके आगे 2247.49 वर्ग मीटर का स्थान लिया है। कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए ऑपरेटिंग लीज पर वाहन भी लिए हैं। ऑपरेटिंग लीज पर मई, 2014 से 48 माह के लिए वाहन लिए गए है। सेवा कर को छोड़कर स्थान के लिए सकल लीज किराया व्यय और वाहनों के लिए सेवा कर सहित सकल लीज किराया निम्नानुसार हैः

LFkku dk fy,

¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	,d o"kZ ls vf/kd ugha	,d o"kZ ls vf/kd vkSj ikap o"kZ dk vf/kd ugha	5 o"kZ ls vf/kd
सी–डॉट से कारपोरेट कार्यालय के लिए स्थान	2,14,50,755	-	-
डीएमआरसी से एनओसी (एनएमएस) के लिए स्थान	3,09,76,903	14,18,70,995	15,35,12,288
जोन तथा पीएमयू कार्यालय के लिए स्थान	1,76,43,816	3,94,74,168	2,86,53,111
LFkku dk fy, dqy	**7,00,71,474**	**18,13,45,163**	**18,21,65,399**

okgu dk fy,

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½

fooj.k	,d o"kZ ls vf/kd ugha	,d o"kZ ls vf/kd vkSj ikap o"kZ dk vf/kd ugha	5 o"kZ ls vf/kd
कॉर्पोरेट कार्य के लिए वाहन	48,73,608	1,03,59,716	-
LFkku dk fy, dqy ;ksx	**48,73,608**	**1,03,59,716**	**-**

- चालू वर्ष में स्थान के लिए 7,99,73,239 रुपए और लीज वाहन के लिए 34,11,203 रुपए के लिए लीज किराये के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में लिया गया है।

33- निदेशक बोर्ड के मतानुसार, चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का कंपनी के बिजनेस के सामान्य क्रम में मूल्य अर्जन है जो कि न्यूनतम उस राशि तक है जहां तक उनका तुलन–पत्र में उल्लेख किया गया है।

34- पिछले वर्ष के आंकड़ों का चालू वर्ष के सामूहीकरण तथा वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनः सामूहीकरण अथवा पुनः वर्गीकरण, जहां आवश्यक हो, किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

d`r okgjk ,M lgxy
lunh y[kkdkj
एफआरएन 0094565एन

हस्ता0/–
fxjh'k pkèkjh
पार्टनर
एम.सं.:087446

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2015

Ñr rFkk dh vkj l Hkkjr c,McM uVod fyfeVM

हस्ता0/–
v#.kk lnjjk tu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03523267

हस्ता0/–
v#.kèkrh ikMk
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 05355640

हस्ता0/–
noUæ dekj fue
मुख्य महाप्रबंधक (लेखा)

हस्ता0/–
vfouk'k pUæ mikè;k;
कंपनी सेक्रेटरी एवं मुख्य विधी
एम.सं. एफ4324

Hkkjr c,McM uVodl fyfeVM

jkf'k ¼Hkkjrh; #i, esa½

foÙkh; o"kZ 2014&15 ds fy, uxn çokg	o"kZ 31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ
v,ijfVx xfrfof/k;ksa ls uxn çokg	
dj iwoZ ykHk	(14,16,551)
निवल नगद प्रवाह में कर पूर्व लाभ के मिलान का समायोजन	
अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय	4,16,45,752
अचल संपत्ति की बिक्री पर घाटा/लाभ	-
गैर–वसूल विदेशी मुद्रा (लाभ)/घाटा (निवल)	-
शेकालू व्यापार व्यय हेतु प्रावधान	-
ब्याज आय	(5,96,42,746)
अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	(91,35,283)
डेफर्ड पूंजीगत इमदाद	(4,03,57,533)
ब्याज व्यय	-
बेशी प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं है तो छोड़े गए हैं	-
शंकाग्रस्त छोड़े गए प्राप्ति योग्य हेतु प्रावधान	-
dk;Zdkjh iwathxr çHkkjksa ls iwoZ ykHk	(6,89,06,361)
कार्यकारी पूंजी में संचलन	
प्राप्ति योग्य व्यापार में (वृद्धि)/कमी	(51,55,119)
ऋण तथा अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(19,24,17,909)
अन्य चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(100,87,14,292)
संपत्ति–सूची में (वृद्धि)/कमी	(740,44,56,141)
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	226,26,33,814
अन्य देनदारियों तथा प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	15,96,37,692
v,ijs'ku ls@esa ¼ç;qä½ vftZr jkdM+	(649,75,46,474)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी से निवल)	7,13,21,883
v,ijfVx xfrfof/k;ksa esa fuoy uxn çokg@¼ç;qä½	(642,62,24,591)
fuos'k xfrfof/k;ksa ls uxn çokg	
पूंजीगत प्रगतिरत कार्य सहित अचल संपत्तियों की खरीद	(150,21,30,109)
पूंजीगत अग्रिम (पूंजी क्रेडिटर्स से निवल)	
nh?kkZofèk vfxze	(528,64,81,472)

jkf’k ¼Hkkjrh; #i, e½

foÙkh; o"kZ 2014&15 ds fy, uxn çokg	o"kZ 31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ
बैंक जमा मैच्युरिटी (तीन माह से अधिक की मूल मैच्युरिटी)	
सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश	
अन्य ऑपरेशन से आय	91,35,283
अचल संपत्तियों की बिक्री से अर्जन	2,17,495
प्राप्त ब्याज आय	58,53,99,052
fuos’k xfrfof/k;ksa esa fuoy uxn çokg ¼ç;qä½¼[kk½	**(595,36,91,593)**
foÙkh; xfrfof/k;ksa ls uxn çokg	
ईएसओपी के तहत जारी शेयर पूंजी से अर्जन	-
ईएसओपी योजना के तहत प्राप्त सुरक्षा प्रीमियम से अर्जन	-
यूएसओएफ से प्राप्त इमदाद	1351,86,45,971
दीर्घावधि ऋण का पुनः भुगतान	-
लघु अवधि ऋण का पुनः भुगतान	-
लघु अवधि ऋण से अर्जन	-
प्रदत्त ब्याज	(50,710)
इक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश (कारपोरेट लाभांश सहित)	-
foÙkh; xfrfof/k;ksa esa fuoy uxn çokg@¼ç;qä½ ¼x½	**1351,85,95,261**
uxn rFkk led{k esa fuoy of)@deh ¼d$[k$x½	**113,86,79,077**
o"kZ ds vkjaHk esa uxn rFkk uxn led{k	**552,63,68,439**
fons’kh eqæk esa uxn rFkk uxn led{k ij fofue; nj ds vraj dk çHkko	**-**
o"kZ ds var esa uxn rFkk led{k	**666,50,47,516**

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
—rs rFkk dh vksj ls okgjk ,.M lgxy
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009465एन

कृते तथा की ओर से Hkkjr czkWMcSaM usVodZ fyfeVsM

gLrk@&
fxjh’k pk/kjh
पार्टनर
एम.सं. 087446

gLrk@&
v#.kk lqanjjktu
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03523267

gLrk@&
v#.k/krh ikMk
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 05355640

gLrk@&
noUæ dqekj fue
मुख्य महा प्रबंधक (लेखा)

gLrk@&
vfouk’k pæ mik/;k;
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ4324

दिनांकः 27 जून, 2015
स्थानः नई दिल्ली

ckM dh fjikV dk vu’k"k

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर नीचे दिया गया हैः

y[kkijh{kk i|jk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
d	भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की इस योजना का क्रियान्वयन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) द्वारा किया जा रहा है। इन पीएसयू को समय–समय पर उनकी मांग के अनुसार निधिया प्रदान की जाती हैं। यह परियोजना 31 मार्च, 2015 को पूरी की जानी थी परंतु आज तक परियोजना का 10 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे विचार से उन्हें आरंभिक 10 प्रतिशत पूंजी अग्रिम के लिए निम्नानुसार अधिक निधियां वितरित की गई हैः बीएसएनएल– 63.19 करोड़ रुपए, ख) पीजीसीआईएल – 23.58 करोड़ रुपए और ग) रेलटेल– 34.43 करोड़ रुपए	बीबीएनएल और तीन निष्पादन एजेंसियों अर्थात पीजीसीआईएल, रेलटेल और बीएसएनएल के बीच करार की शर्तो और उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की निष्पादन एजेंसियों द्वारा क्रमशः लगभग 35791, 36047 और 173910 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए स्थापना की जानी है। प्रथम चरण में vufre vfxe (बाद में तीन निष्पादन एजेंसियों के साथ हुए करार में çFke vfxe के रूप में दर्शाया गया) 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और 140 करोड़ रुपए क्रमशः पीजीसीआईएल, रेलटेल और बीएसएनएल को ऊपर उल्लिखित अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण संबंधित कार्य करने के लिए दिया गया था। अग्रिम राशि में सैनटेज की राशि भी शामिल है। अतः, सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रथम अग्रिम की वास्तविक राशि 27.27 करोड़ रुपए, 27.27 करोड़ रुपए और 127.27 करोड़ रुपए के लिए प्रदान की गई थी। बाद में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एनओएफएन की स्थापना तीन चरणों में की जाएगी और तदनुसार पीजीसीआईएल, रेलटेल और बीएसएनएल को çFke pj.k में क्रमशः 15,000 जीपी, 15,000 जीपी और 70,000 जीपी के साथ जोड़ा गया था। करार के अनुसार स्थापना कार्य करने के लिए बीबीएनएल को निष्पादन एजेंसियों को अग्रिम प्रदान करना होगा। करार के अनुसार f}rh; vfxe अनुमानित मूल्य (अर्थात् करार के खंड 2.2 की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित लागत के आधार पर निकाला गया मूल्य) का 4 प्रतिशत होगा, जोकि पहले दिए गए अग्रिम के समायोजन के पश्चात् ईए द्वारा किए गए कार्य के लिए दिया जाएगा और कृत्य अग्रिम निष्पादित किए जाने वाले कार्य का 6 प्रतिशत होगा और उक्त अग्रिम राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों जहां मार्ग अधिकार करार अस्तित्व में है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत प्रारंभिक अनुमान पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त, पहले rhu vfxe का योग प्रारंभिक अनुमान संस्वीकृति के आधार पर निष्पादि किए जाने वाले कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। करार की शर्तो और उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित एजेंसियों को दूसरा और तीसरा अग्रिम नीचे दिए गए ब्यौरै के अनुसार दिया गया थाः– ihthlhvkb,y dk% दूसरा अग्रिम अर्थात् 15,000 जीपी के लिए नेटवर्क की अनुमानित लागत का 4 प्रतिशत जिसे पीजीसीआईएल द्वारा प्रथम चरण में स्थापित किया जाना था, 27,27,27,272.00 रुपए जो समूचे 35791 ग्राम पंचायतों के लिए सर्वेक्षण कार्य हेतु दिए गए थे में से 11,56,48,678.00 रुपए के अनुपातिक अग्रिम के समायोजन के पश्चात् जारी किया गया था।

y[kkijh{kk ijk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcaèku dk mÙkj
		तीसरा अग्रिम 14,284 जीपी के लिए दिया गया था जिसके लिए प्रारंभिक संस्वीकृत अनुमान का ब्यौरा पीजीसीआईएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतः, 15,000 जीपी के लिए 4 प्रतिशत का आरंभिक गतिशीलता अग्रिम की राशि और 10 प्रतिशत (ऊपर उल्लिखित 4 प्रतिशत मूल्य सहित) 14284 जीपी के लिए संस्वीकृति प्रारंभिक अनुमान के आधार पर अग्रिम के रूप में दी गई थी। jsyVsy dk चरण–वार स्थापना समय–सीमा के अनुसार रेलटेल को प्रथम चरण में 15,000 जीपी में नेटवर्क स्थापित करना था। तथापि, 23.11.2013 को हुई समीक्षा बैठक में रेलटेल ने यह बात व्यक्त कि वह प्रथम चरण में 8106 जीपी में नेटवर्क स्थापित करेगा और इस प्रकार दूसरे अग्रिम (4 प्रतिशत) का भुगतान 8106 जीपी के लिए जारी किया गया था। बाद में पहले चरण में 15000 जीपी नेटवर्क की स्थापना के लिए योजना प्रस्तुत करने पर और इस प्रकार जीपी की बकाया संख्या के लिए दूसरा अग्रिम (4 प्रतिशत) अर्थात् 15000 जीपी घटा 8106 जीपी के लिए अग्रिम जारी किया गया था। अतः, दूसरा अग्रिम 36047 जीपी के लिए सर्वेक्षण कार्य हेतु दिए गए 27,27,27.272.00 के अग्रिम में से 11,34,88,198.00 रुपए के अग्रिम की अनुपातिक राशि के समायोजन के पश्चात् 15000 जीपी के लिए दिया गया था। बीबीएनएल द्वारा डीओटी के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए रेलटेल ने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया और प्रथम चरण में 5000 जीपी में नेटवर्क स्थापित करने की वचनबद्धता जाहिर की परंतु 5000 जीपी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, तदंतर रेलटेल ने गुजरात था पूर्वोत्तर के 9124 जीपी के संबंध में 6 प्रतिशत के तीसरे अग्रिम की मांग की। 9124 जीपी के लिए संस्वीकृत प्रारंभिक अनुमान के आधार पर 6 प्रतिशत अग्रिम (अर्थात् तीसरा अग्रिम) जारी किया गया। इसी दौरान, एनओएफएन की स्थापना के चरण का अनुमोदन प्रदान करने के लिए रेलटेल को अधिक जीपी जोड़ने के प्रयास करने तथा चरण–1 के लिए स्थापना समय–सूची की पुष्टि करने के लिए कहा गया। प्रत्युत्तर में रेलटेल ने 10680 जीपी का विवरण प्रस्तुत किया जहां उसके दवारा प्रथम चरण में नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। हालांकि ऐसे कई ब्लॉक थे जो 9124 जीपी का भाग थे परंतु 10680 जीपी का भाग नहीं थे, यह महसूस किया गया कि ब्लॉकों के लिए किए गए भुगतान में 9124 जीपी की सूची शामिल थी परंतु वे 10680 जीपी की सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें इस तथ्य को देखते हुए समायोजित नहीं किया गया ताकि दूसरे और तीसरे चरण में नेटवर्क की स्थापना की योजना तय की जा रही थी और उक्त ब्लॉकों के लिए अग्रिम 9124 जीपी अगले चरण में समायोजित किए जाएंगे।

y[kkijh{kk iSjk la-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
		9124 जीपी के लिए तीसरे अग्रिम के भुगतान के पश्चात् रेलटेल ने फिर से पूर्वोत्तर के 1865 जीपी के संबंध में तीसरे अग्रिम (6 प्रतिशत) की मांग प्रस्तुत की जिसे तमिलनाडु के लिए किए गए भुगताने के समायोजन के पश्चात् प्रदान किया गया चूंकि आरओडब्ल्यू के लिए त्रिपक्षीय करार पर तमिलनाडु के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अतः, 15,000 जीपी के लिए 4 प्रतिशत का आरंभिक गतिशीलता अग्रिम की राशि तथा संस्वीकृति प्रारंभिक अनुमान के आधार पर 10989 जीपी (9124 + 1865) के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम (ऊपर उल्लिखित 40 प्रतिशत मूल्य सहित) दिया गया था। ch,l,u,y dk% हालांकि आरंभ में पहले चरण में 70,000 जीपी में नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु बाद में बीबीएनएल द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीओटी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए स्थापना का लक्ष्य 81000 जीपी में परिवर्तित कर दिया गया। परंतु प्रथम चरण की स्थापना योजना की पुष्टि करते हुए बीएसएनएल ने 81,224 जीपी के ब्यौरे प्रदान किए। तदनुसार, सर्वेक्षण कार्य के लिए दिए गए 127,27,27,271.00 रुपए में से 59,44,22,403.00 रुपए के अनुपातिक अग्रिम के समायोजन के पश्चात् 81,224 जीपी के लिए दूसरा अग्रिम (4 प्रतिशत) जारी किया गया। तथापि, तीसरे अग्रिम (अर्थात् 6 प्रतिशत) के लिए मांग रखते हुए बीएसएनएल ने 78468 जीपी के लिए प्रारंभिक अनुमान के ब्यौरे प्रस्तुत किए और उक्त 78468 जीपी के लिए तीसरा अग्रिम जारी किया गया। इस प्रकार, 81224 जीपी के लिए 4 प्रतिशत का आरंभिक गतिशीलता अग्रिम की राशि और 78,464 जीपी के लिए संस्वीकृति प्रारंभिक अनुमान के आधार पर 10 प्रतिशत अग्रिम (ऊपर उल्लिखित 4 प्रतिशत मूल्य सहित) जारी किया गया। सर्वेक्षण से संबंधित कार्य के लिए तीन क्रियान्वित एजेंसियों को दी गई अग्रमि की समूची राशि स्थापना के प्रथम चरण के लिए दिए गए 10 प्रतिशत आरंभिक गतिशीलता अग्रिम में समायोजित नहीं की गई है चूंकि उक्त प्रथम अग्रिम पहले, दूसरे और स्थापना के तीसरे चरण में शामिल किए जाने के लिए सभी जीपीएफ हेतु दिया गया था। यह उल्लेख किया जाता है कि दूसरा और तीसरा आरंभिक गतिशीलता अग्रिम पहले चरण में स्थापना के लिए ईए द्वारा की गई वचनबद्ध ताओं के आधार पर दिया गया है और पहले चरण के लिए अग्रिम का कथित अधिक भुगतान, यदि कोई हो, क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा प्रथम चरण में जीपी में नेटवर्क की स्थापना की वचनबद्धता/लक्ष्य में अकसर परिवर्तन के कारण हुआ है और इस प्रकार अधिक भुगतान, यदि कोई हो, को बाकी जीपी के लिए योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् समायोजित किया जाएगा।

y[kkijh{kk i{jk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
[k	इन पीएसयू को सैनटेज के रुप में भुगतान किया जाता है जो कि परियोजना के क्रियान्वयन के प्रति उनका प्रभार होता है। कंपनी तथा इन पीएसयू के बीच करार के खंड संख्या 9.1 का इन पीएसयू को सैनटेज के रूप में भुगतान के संबंध में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इस खंड के अनुसार भुगतान उन्हें कार्य के निष्पादन पर किया जाना अपेक्षित है परंतु कंपनी द्वारा यह भुगतान आरंभिक पूंजीगत अग्रिम के भुगतान के साथ अग्रिम के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू द्वारा परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिए सैनटेज से 10 प्रतिशत के दंड की कटौती नहीं की जा रही है जिससे करार के खंड संख्या 9.1 की अनदेखी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, दंड न लगाए जाने से इन पीएसयू को निम्नानुसार अधिक सैनटेज का भुगतान किया जा रहा है: बीएसएनएल – 19.56 करोड़ रुपए, ख) पीजीसीआईएल – 1.61 करोड़ रुपए और (ग) रेलटेल – 1.57 करोड़ रुपए	बीबीएनएल और ईए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.3 के अनुसार सैनटेज का भुगतान निष्पादन की लागत के साथ जोड़ा जा है। इसके अतिरिक्त, ईए तथा बीबीएनएल के बीच हुए करार के खंड 10.8 के अनुसार ईए द्वारा प्रस्तुत वीजक के आधार पर नेटवर्क की स्थापना की लागत के लिए प्रत्येक अग्रिम जारी के साथ जारी किया जाना है। करार के खंड 10 में उल्लिखित भुगतान की शर्तो के अनुसार परियोजना के निष्पादन के लिए अग्रिम को निष्पादन के विभिन्न चरणों में वितरित किया जाना है। करार की शर्तों और उपबंधों में यह उल्लेख किया गया है कि सैनटेज का भुगतान परियोजना चरण–वार के निष्पादन के लिए प्रत्येक अग्रिम की जारी राशि के साथ किया जाएगा। अतः, समझौता ज्ञापन और करार दोनों के खंड इकट्ठे मान्य है तथा परस्पर विरोधी नहीं है। अन्यथा भी समझौता ज्ञापन और करार की शर्तों में विरोध से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के मामले में करार के पृष्ठ 2 के पैरा 5 के अनुसार करार की शर्तें और उपबंध लागू होंगे। इस प्रकार आरंभिक पूंजी अग्रिम के साथ सैनटेज सही रूप से जारी किया गया है। सैनटेज से पैनॉल्टी की कटौती के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि खंड 9.1 के अनुसार सैनटेज का भुगतान बीबीएनएल तथा ईए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.3 और 6.1.4 के अनुसार जारी किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.3 (ii) के अनुसार दिए जाने वाले सैनटेज की मात्रा कार्य के निष्पादन में विलंब के लिए लगाए गए दंड, यदि कोई हो, की राशि को घटाते हुए निष्पादित कार्य की लागत का 10 प्रतिशत होगा। निष्पादन में विलंब के लिए दंड लगाने के संबंध में ईए और बीबीएनएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खंड 16.1 और 16.2 के अनुसार ईए को परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिए 12 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक दंड लगाने के संबंध में परियोजना के निष्पादन के लिए उनके अनुबंधकर्ताओं के साथ करार में हस्ताक्षरित किए जाने हेतु एक खंड शामिल होना चाहिए और उक्त दंड की राशि को वापसी आधार पर अनुबंधकर्ताओं से वसूला जाना चाहिए। इस प्रकार, यह उल्लेख किया जा सकता है कि बीबीएनएल और क्रियान्वित एजेंसियों के बीच हस्ताक्षरित करार में परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिए पूर्ववर्ती द्वारा पश्चातवर्ती अर्थात् बीएसएनएल, पीजीसीआईएल और रेलटेल पर दंड लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि ईए द्वारा अनुबंधकर्ताओं से लिए गए दंड को वापसी आधार पर समायोजित किया जाना है और बीबीएनएल द्वारा ईए को सैनटेज का भुगतान तदुसार समायोजित किया जाना होगा।

y[kkijh{kk ijk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
		यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह अग्रिम राशि जिसे अब तक सैनटेज के लिए दिया गया है, परियोजना के निष्पादन के काफी आरंभिक चरण से संबंधित है और दंड की मात्रा, यदि कोई हो, क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा चालू बिलों को प्रस्तुत करने पर पैदा होगी और दंड की उक्त राशि को वापसी आधार पर समायोजित किया जाएगा तथा सैनटेज को तदनुसार विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार सैनटेज पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ है।
x	विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति में आरंभ में तीन माह से लेकर बाद में 13 माह तक का विलंब किया गया है। यह उन्हें प्रदत्त आरंभिक डिलीवरी की अवधि से अतिरिक्त है। उनसे डिलीवरी अभी भी प्राप्त की जानी बाकी है। वर्ष के अंत में 13 माह के लंबे विलंब के पश्चात् आंशिक डिलीवरी प्राप्त हुई है। विलंब से डिलीवरी के दर्ज कारणों के अनुसार विलंब आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वस्तुएं भेजी जाने वाली गंतव्य स्थल के बारे में वैंडरों को विलंब से सूचना प्रदान किया जाना है। हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार यह विलंब पीएसयू द्वारा आदेश दी गई वस्तुओं के उपयोग के लिए सूची तैयार न करना और कंपनी एवं पीएसयू के बीच समन्वय का अभाव है जिससे कि कंपनी द्वारा वस्तुओं के उपयोग के लिए पीएसयू की समय–सूची और तैयारियां न करने की बजह है। इस समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने डिलीवरी की समय–सूची में संशोधन किया। समुचित सुधारात्मक उपाय करने और विलंब के लिए जवाबदेही तय करने के बजाय तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों के अभाव में संशोधित डिलीवरी समय–सूची से परियोजना में और अधिक विलंब हुआ।	ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रापण के लिए क्रय आदेश (पीओ) की शर्तों के अनुसार डिलीवरी की अवधि अग्रिम क्रय आदेश (एपीओ) को जारी करने की तारीख से 8 माह थी। प्रेषण के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि क्रियान्वित एजेंसियों और बीबीएनएल के बीच हस्ताक्षरित करार के खंड 8.2 के अनुसार पूर्ववर्ती को पश्चावर्ती को प्रेषण का विवरण सूचित किया जाना था जिसके लिए बीबीएनएल द्वारा जारी पीओ के आधार पर वैंडरों द्वारा ओएफसी इत्यादि की डिलीवरी की जानी थी। क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के आधार पर बीबीएनएल को वैंडरों को प्रेषण के विवरण सूचित करने अपेक्षित थे। तथापि, क्रियान्वित एजेंसियों निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रेषण के विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। क्रियान्वित एजेंसियों के साथ आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठकों से भी यह पता चला कि स्थापना के संबंध में प्रगति असामान्य रूप से धीमी थी और उन ब्लॉकों में भी जिनमें वैंडरों द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई थी, स्थापना का कार्य उनके द्वारा ओएफसी तैयार करने और बिछाने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब/अंतिम रूप न दिए जाने के कारण क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा स्थापना का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। उपरोक्त को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि यदि बीबीएनएल प्रेषण के ब्यौरे कार्य की प्रगति के साथ उन्हें न जोड़ते हुए प्रदान करें तो संपत्ति सूची काफी लंबी होगी और इस प्रकार यह एनओएफएन परियोजना के हित में होगा कि डिलीवरी की समय–सीमा को परिवर्तित कर दिया जाए और 8 माह से आगे इसमें विस्तार किया जाए। इस आशय के विधायी मत भी लिए गए कि क्या डिलीवरी की शर्तों में निविदा के पश्चात संशोधन का कानूनी प्रभाव होगा। इस मामले पर कंपनी की 23वीं ईसीएम में विचार–विमर्श किया गया। सभी पहलुओं को ध्यान में लेते हुए कंपनी कार्यकारी समिति ने बोर्ड को डिलीवरी की अवधि में संशोधन करने की सिफारिश की और पश्चावर्ती ने तदनुसार कंपनी के सर्वोत्तम हित में एपीओ जारी करने की तारीख से 14 माह तक की अवधि तक डिलीवरी में विस्तार का अनुमोदन किया। शर्तों के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी की परियोजना निगरानी ईकाई सतत् आधार पर ईए के साथ प्रभावी रूप से संपर्क कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापना समय–सीमा के भीतर पूरी हो जाए, स्थापना की प्रगति की निगरानी के लिए ईए के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर रही हैं।

y[kkijh{kk ijk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
?k	परियोजना की स्थिति के संबंध में इन पीएसयू की रिपोर्ट, तथा इनसे जुड़ी कई ग्राम पंचायतों की दिनांक 31.03. 2015 की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। निधियां परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की रिपोर्ट के बगैर वितरित की गई हैं। इसको देखते हुए व्यय का समुचित पूंजीकरण संभव नहीं था। इन पीएसयू द्वारा बकाया पुष्टि प्रपत्र तथा प्राप्त सैनटेज की राशि भी उपलब्ध नहीं थी।	कंपनी की परियोजना निगरानी ईकाई सतत आधार पर परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध अखिल भारतीय आधार पर स्थिति रिपोर्ट (साप्ताहिक और दैनिक) कंपनी की परियोजना निगरानी ईकाई के पास उपलब्ध है। क्रियान्वयन की स्थिति को दर्शाते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है और उक्त रिपोर्ट कंपनी के योजना प्रकोष्ठ में उपलब्ध है। निधियां क्रियान्वित एजेंसियों तथा कंपनी के बीच हुए करारों की शर्तों और अनुबंधों का पालन करते क्रियान्वित एजेंसियों वितरित की गई हैं। नेटवर्क की स्थापना के लिए हुए व्यय का पूंजीकरण इसे सफलतापूर्वक स्वीकार्य परीक्षण और ईए से स्थापना के संबंध में सभी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा। क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा कंपनी से प्राप्त सैनटेज के संबंध में बकाया की पुष्टि के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाये की पुष्टि के लिए क्रियान्वित एजेंसियों को समुचित रूप से कहा गया है और यह कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना अभी बाकी है।
3	वस्तुओं की खरीद का अन्य संबद्ध व्यय अर्थात् उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर इत्यादि के साथ मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि कई मामलों में केंद्रीय बिक्री कर को मूल कीमत के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, दो भिन्न दरों पर भुगतान किए गए उत्पाद कर को एक ही खाते में जोड़ा गया है।	कंपनी की परियोजना वित्त ईकाई बीबीएनएल द्वारा प्राप्त की गई सामग्री/संपत्ति सूची की प्रत्येक घटक–वार लागत (अर्थात् मूल कीमत, उत्पाद कर, सीएसटी/वेट, भाड़ा/बीमा इत्यादि) रखती है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति सूची के मूल्यों के प्रत्येक घटक–वार ब्यौरे भी संपत्ति सूची परिशिष्ट में रखे जाते हैं जिन्हें टेली ईआरपी प्रणाली में बनाया जाता है। उत्पाद कर का लागू दर पर भुगतान किया गया है।
p	वस्तुओं के उपभोग और भारत भर में परियोजना के विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए अंतिम स्टॉक के विवरण उपलब्ध नहीं थे। उपभोग को अंतिम स्टॉक के साथ खरीद का पुनर्मिलान भी जांच के लिए उपलब्ध नहीं था।	बीबीएनएल और क्रियान्वित एजेंसियों के बीच हस्ताक्षरित करार के खंड 8.5 के अनुसार पश्चातवर्ती (i) बीबीएनएल द्वारा खरीदी गई संपत्ति सूची और बीबीएनएल की ओर से ईए द्वारा प्राप्त संपत्ति सूची (ii) ईए द्वारा खरीदी गई और प्राप्त तथा बीबीएनएल की ओर से खरीदी गई तथा प्राप्त संपत्ति सूची के संबंध में विस्तृत लेखें (अर्थात् एनओएफएन के सृजन के लिए कार्यों में प्राप्ति, जारी, प्रयुक्त वास्तविक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, मूल्य इत्यादि) रखेगा।

y{kkijh{kk iSjk la-	lkfofèkd y{kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcaèku dk mÙkj
		क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा बीबीएनएल की ओर से संपत्ति सूची के विवरण रखने के अलावा करार के खंड 10.11 के अनुसार क्रियान्वित एजेंसियों को परियोजना प्रबंधन उपकरण अर्थात् बीबीएनएल द्वारा स्थापित परियोजना प्रबंधन (प्राइमवेरा) सॉफ्टवेयर उपकरण का उपयोग करना चाहिए ताकि परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। यह उल्लेख किया जा सकता है कि परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग केबल तब प्रभावी होगा जबकि सभी आंकड़े अर्थात् अपेक्षित और प्रयुक्त संपत्ति सूची/भंडारों की मात्रा, ऐसी संपत्ति सूची/भंडारों का मूल्य, अन्य स्थापना लागत प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रबंधित डाटाबेस में तीन क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा प्रत्येक अनुमान–वार अपलोड की जाए। तथापि, क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा यह डाटाबेस अभी अपलोड किया जाना बाकी है। यदि अनुमान–वार डाटा/सूचना को क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा डाटाबेस में डाला जाता तो प्रत्येक अनुमान में प्रयुक्त सामग्री/संपत्ति सूची के उपभोग के संबंध में सूचना उपलब्ध होती। इसके अतिरिक्त, करार के खंड 12, 13 इत्यादि के अनुसार क्रियान्वित एजेंसियों को बीबीएनएल क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा प्रापण किए गए संपत्ति सूची तथा परियोजना की स्थापना में उनके प्रयोगों के संबंध में विभिन्न दस्तावेज बीबीएनएल प्रस्तुत करने अपेक्षित होते है। तथापि, ऐसी सूचना क्रियान्वित एजेंसियों से प्राप्त होनी बाकी है।
N	इन तीन सीपीएसयू द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सेवा कर, टीडीएस और अन्य संगत सांविधिक के साथ पुनर्मिलान की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि उनके विवरण और दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।	बीबीएनएल और क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा हस्ताक्षरित करार के खंड 8.9 और 8.10 के अनुसार पश्चातवर्ती को बीबीएनएल को शोध पर काटे गए कर, किए गए व्यक्तिक भुगतान के विवरण और बीबीएनएल की ओर से उनके द्वारा किए गए जमा को शामिल करते हुए मासिक भुगतान एवं सांविधिक कर अनुपालन (एमपीएसटीसी) रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। एमपीएसटीसी की रिपोर्ट के आधार पर सेवा कर टीडीसीएस इत्यादि से संबंधि रिपोर्ट कंपनी द्वारा नियमित रूप से दायर की जा रही है। एमपीएसटीसी रिपोर्ट सहित स्थिति के अनुपालन के संबंध में सभी विवरण बीबीएनएल कारपोरेट कार्य की परियोजना वित्त ईकाई–1 में उपलब्ध है।
t	यह परियोजना अपनी समय–सीमा से काफी पीछे है और ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए पीएसयू के लक्ष्य में कमी की गई है जिससे परियोजना में और अधिक विलंब हुआ तथा लागत में वृद्धि हुई है परंतु दूसरी ओर निधियां अन्य गैर–प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् सेवा कर को छोड़कर 130.48 करोड़ रुपए की लागत पर स्थान के निर्माण के लिए आवासीय और वाणिज्यिक स्थल की लीज खरीद के लिए खर्च की जा रही हैं। इसमें से 71. 69 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च कर दी गई है।	इस परियोजना की, सभी स्तरों पर यूएसओएफ तथा डीओटी और बीबीएनएल द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है तथा वास्तविकताओं के आधार पर लक्ष्यों में संशोधन किए गए है। एनबीसीसी के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय से लीज आधार पर निर्मित वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों की खरीद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एनओएफएन परियोजना अनुमान का एक भाग है। इस प्रकार यह एक गैर–कोर मुद्दा नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा माना गया है।

y[kkijh{kk iSjk la-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcaèku dk mÙkj
	शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में डीएमआरसी के भवन को ऑफिस उद्देश्य के लिए लीज किराये पर लिया गया है और वर्ष के अंत तक इस कार्यालय परिसर का उपयोग किए बगैर 3.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस कार्यालय परिसर के लिए 31.03.2015 तक एनबीसीसी के साथ कुल वचनबद्ध लागत 24.03 करोड़ रुपए है, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान 2.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। फिटआउट लागत का कार्य 31 जनवरी, 2015 तक पूरा किया जाना था परंतु आज तक इसे पूरा नहीं किया गया है। एनबीसीसी पर परियोजना की लागत के 2 प्रतिशत तक का दंड लगाया जा सकता है परंतु कंपनी द्वारा कार्य की रचना और डिजाइन अनुमोदन करने में विलंब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	डीएमआरसी से शास्त्री पार्क, दिल्ली में लीज आधार पर लिया गया स्थान आरंभ में कार्यालय तथा नेटवर्क संचालन केंद्र की स्थापना के लिए था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 21वीं ईसीएम में डीएमआरसी भवन में स्थापना के लिए 30 रैक क्षमता के डाटा केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया। तथापि, डाटा केंद्र की स्थापना में डीएमआरसी से अतिरिक्त भार की आवश्यकता है परंतु डीएमआरसी द्वारा अतिरिक्त लोड का प्रावधान आरंभिक करार का भाग नहीं था। 100 किलोवाट के अतिरिक्त लोड के प्रावधान से संबंधित मुद्दा 03.12.2014 को डीएमआरसी के साथ उठाया गया था और अंततः 30.01.2015 को डीएमआरसी द्वारा इसे उपलब्ध कराया गया। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के कारण एनबीसीसी को सौंपा गया कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सका। विलंब के लिए दंड लगाने, यदि कोई हो, का निर्णय ऊपर उल्लिखित परिवर्तित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और ऐसे निर्णय के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
>	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बीएसएनएल को निरीक्षण प्रभारों का भुगतान किया गया है जिसे कंपनी द्वारा भारत भर में विभिन्न स्थानों पर परियोजना के लिए पीएसयू द्वारा प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता इत्यादि की जांच के लिए प्रतिपूर्त किया जा रहा है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने से पहले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टीडीएस जमा कराया गया है।	आयकर अधिनियम के अनुसार संबद्ध वैंडर/कंपनी उनके द्वारा बीएसएनएल को दिए गए क्यूए प्रभारों पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार है, संबद्ध प्राधिकरण को कर की उक्त राशि को जमा करवाने और विधान के अनुसार अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। क्यूए प्रभार क्रय आदेश की शर्तों और उपबंधों के अनुसार वास्तविक आधार पर वैंडरों को प्रतिपूर्ति किए जा रहे हैं।
´	पीएसयू द्वारा वस्तुओं की खरीद और कंपनी की ओर से किए गए अनुबंधीय भुगतान की रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच नहीं की जा सकी।	बीबीएनएल और क्रियान्वित एजेंसियों के बीच हुए करार के खंड 10.5 के अनुसार पश्चातवर्ती द्वारा प्राप्त की जाने वाली सामग्रियों के प्रथम 10 प्रतिशत मूल्य का अग्रिम करार के खंड 2.2 के क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अनुमानित बजटीय लागत को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए संस्वीकृत आरंभिक अनुमान के आधार पर दिया जाना अपेक्षित है। तदंतर अग्रिम के संबंध में अर्थात् क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा बीबीएनएल की ओर से प्राप्त की जाने वाली सामग्री के 10 प्रतिशत मूल्य के प्रथम अग्रिम के पश्चात् सभी संगत रिकॉर्ड अर्थात् क्रय आदेश जिनके लिए ईए को तदंतर अग्रिम राशि जारी की गई है, कारपोरेट कार्यालय के योजना अनुभाग में उपलब्ध है।
V	कुछ ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड नेटवर्क पूरा किया गया है और इस अवसर पर प्रचार एवं समारोह के संबंध में 1.04 करोड़ रुपए का व्यय किया गया परंतु इन ग्राम पंचायतों के निवल कार्यकरण को पूरा करने के लिए हुए पूंजीगत व्यय का पूंजीकरण नहीं किया गया है और उनके उपभोग के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है तथा न ही कोई राजस्व खाते में लिया गया है।	नेटवर्क के मूल्य का पूंजीकरण क्रियान्वित एजेंसियों से उन नेटवर्कों के संबंध में जिन्हें सफलतापूर्वक स्वीकार्य परीक्षण के पश्चात् आरंभ किया गया है, से संगत रिकॉर्डों के साथ संपूर्ण विवरण प्राप्त होने पर निर्भर करता है। कंपनी को क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा लगाए गए नेटवर्क के विवरण प्राप्त होने अभी बाकी है। तथापि, संबंधित क्रियान्वित एजेंसियों को ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। कंपनी नेटवर्क के उपयोग के लिए समुचित कार्रवाई कर रही है।

y[kkijh{kk iSjk la-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çca/ku dk mÙkj
B	इस वर्ष प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अंतरित राशि प्रयुक्त वस्तुओं, प्रत्यक्ष व्यय और पूरे किए गए कार्य के भाग के संबंध में ऊपरी शीर्ष के आधार पर नहीं किया गया है, इसके बजाय वास्तविक लागत को छोड़कर कुछ व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अंतरित किया गया है। अंतरित व्यय की राशि भी लेखन सिद्धांतों के अनुसार अथवा नीतियों के अनुसार नहीं है, जैसा कि इस संबंध में विवरण उपलब्ध न होने के कारण प्रदर्शित होता है।	बीबीएनएल और क्रियान्वित एजेंसियों के बीच हुए करार के खंड 10.1 के अनुसार (i) ईए द्वारा बीबीएनएल की ओर से प्राप्त सामग्रियों के लिए वैंडरों को (ii) ईए द्वारा बीबीएनएल की ओर से नेटवर्क बिछाने के लिए शामिल किए गए अनुबंधकर्ताओं को सभी भुगतान ईए द्वारा अग्रिम के रूप में बीबीएनएल से क्रियान्वित एजेंसियों को दी जाने वाली निधि से किया जाएगा। ईए द्वारा प्रस्तुत एमपीएसटीसी रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि क्रियान्वित एजेंसियों ने उन्हें बीबीएनएल द्वारा दिए गए अग्रिम का अनुबंधकर्ताओं द्वारा दाबा बिल के लिए नेटवर्क की स्थापना पर व्यय की पूर्ति करने हेतु प्रयोग किया गया था। इस प्रकार, लेखन सिद्धांतों के अनुसार ईए द्वारा स्थापना व्यय के लिए इसे सूचना/ऑकड़ों जो ईए द्वारा बीबीएनएल को उपलब्ध करवाए गए थे के आधार पर एनओएफएन की प्रगतिरत पूंजीगतज कार्य को हस्तांतरित करते हुए समायोजित करना सिद्धांततः सही था। सामग्री की लागत के लेखन के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि मान्यता पूर्ण विवरण अर्थात् प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, लागत इत्यादि पर निर्भर करती है। चूंकि नेटवर्क की स्थापना में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में क्रियान्वित एजेंसियों द्वारा बीबीएनएल को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, सामग्री पर व्यय को एनओएफएन के सीडब्ल्यूआईपी में नहीं लिया गया। यह माना जाएगा कि बिना किसी रिकॉर्ड के व्यय को मान्यता देना लेखन सिद्धांतों के विपरीत होगा।
M	वर्ष के दौरान बीएसएनएल से बैंडविथ प्रभारों के लिए 46.44 लाख रुपए लिए गए है और पिछले वर्ष संचालन से राजस्व को क्रेडिट करते हुए डेबिट की गई राशि के साथ यह वर्ष के अंत में 92.88 लाख रुपए बनता है परंतु बीएसएनएल से कुछ भी उगाई नहीं की गई है। इस राशि को उन्हें भुगतान की गई राशि के साथ समायोजित किया जा सकता था।	लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार कंपनी बीएसएनएल को देय सैनटेज की राशि के लिए बीएसएनएल से प्राप्त की जाने वाली लंबित बैंडविथ प्रभारों की राशि को समायोजित करेगी।
<	एनओएफएन के राजस्व के निवल संचालन व्यय की निवल लागत (प्रशासनिक व्यय सहित) के लिए यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य इमदाद के किसी भी प्रावधान को चालू वर्ष में अन्य आय के रूप में नहीं लिया गया है जो कि कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही है लेखा नीति संख्या 2.2 (घ) का उल्लंघन है।	दूरसंचार विभाग और बीबीएनएल के बीच दिनांक 25.02.2014 के करार संख्या 30–166/2014–बीबी–यूएसओएफ के खंड 5.18 के अनुसार राजस्व के ओपेक्स निवल के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए दिशा–निर्देश, पद्धति और अपेक्षित स्वरूप, निधियां जारी करने और उपयोग के तदंतर जांच प्रक्रिया जिन्हें अलग से कहा गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जानी अभी बाकी है। तथापि, कंपनी के प्रबंधन ने यूएसओएफ से पहले ही ओपेक्स इमदाद के लिए दिशा–निर्देश आदि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विशिष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव में ओपेक्स इमदाद के लिए आय को मान्यता देना करार की शर्तों और उपबंधों का उल्लंघन होगा।

y[kkijh{kk iSjk l-	lkfofèkd y[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcèku dk mÙkj
		इसी दौरान प्रशासक, यूएसओएफ को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ओपेक्स की प्रतिपूर्ति के लिए 31 अगस्त, 2015 के पत्र संख्या 100–21/बीबीएनएल/सीए/परिपत्र/2013/खंड–1 द्वारा अनुरोध किया गया है।
.k	हमें बताया गया था कि वस्तुओं और सेवाओं का कोई भी आपूर्तिकर्ता माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए अनुसूची–VI और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटन आवश्यक नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
r	पिछले वर्ष एनआईसी को जीआईएस परियोजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए के अग्रिम का भुगतान किया गया था। परियोजना की स्थिति और इसके पूरा होने की समय–सूची उपलब्ध नहीं है तथा यह राशि अब भी अग्रिम के रूप में दर्शाई जा रही है।	जीआईएस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 06.12.2012 को एनआईसी तथा कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके पश्चात् एनआईसी को अग्रिम दिया गया था। एनआईसी द्वारा जीआईएस परियोजना के संबंध में वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और इसे 01.04.2015 को आयोजित 42वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। जैसा कि एनआईसी द्वारा सूचित किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (व्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, एनएमएस जीआईएस एंटीग्रेशन एप्लीकेशन) का विकास प्रगतिरत है तथा डाटा संशोधन का कार्य भी प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त, यह एक टर्नकी परियोजना है और बिल प्रस्तुत किए जाने तथा एनआईसी द्वारा स्थापना संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम राशि को समायोजित किया जाएगा।

—r rFkk dh vkj l fun'kd ckM

g-@&
¼v#.kk lqnjjktu½
vè;{k ,o çcèk fun'kd
Hkkjr c,MckM uVodZ fyfeVM

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

dk;kZy;

egkfun'kd ys[kkijh{kk Mkd o nwjlapkj

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the

Director General of Audit, Post & Telecommunications

Sham Nath marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

Øekad ....

No. Rep-PSU A/cs./F-105/Ann. Acct./BBNL/2014-15/557

दिनांक / **Date : 18/09/15**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड,
नई दिल्ली

fo"k;% Hkkjr czkWMcSaM usVodZ fyfeVsM ds [kkrksa ds lEcU/k esa 31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy, dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ ds rgr Hkkjr ds fu;a=.k ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;kaA

महोदय,

मुझे, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वार्षिक खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सूचनार्थ तथा अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

¼ijkx çdk'k½
महानिदेशक लेखापरीक्षा (पीएंडटी)

31 ekpZ 2015 dks lekIr o"kZ ds fy, Hkkjr czkWMcSaM usVodZ fyfeVsM ds foÙkh; fooj.kksa ds laca/k esa daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ ds varxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग अवसंरचना के अनुसरण में भारत ब्रॉडबैंड कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसे 28 जुलाई, 2015 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया कहा गया है।

मैं, भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान किए बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के व्यक्तियों के प्रश्नों तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक है।

तुलन–पत्र लघु अवधि ऋण और अग्रिम (टिप्पणी संख्या 16) – 29.40 करोड़ रुपए – अन्यों को अग्रिम – श्रमिकों को किराये पर लेने के लिए अग्रिम – 3.13 करोड़ रुपए

उपरोक्त प्रोफार्मा बीजकों के आधार पर एनआईसीएसआई को दिए गए अग्रिम दर्शाता है जिसके लिए एनआईसीएसआई द्वारा बिलों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण अंतिम समायोजन नहीं किया जा सका। चूंकि अग्रिम प्रोफार्मा बीजकों के आधार पर श्रमिकों को किराये पर लेने के लिए किया गया था, 2014–15 से संबंधित राशि में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था और इस सीमा तक अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए था। 2014–15 से संबंधित राशि का प्रावधान न किए जाने के कारण अग्रिम का अधिक कथन हुआ है और प्रावधानों का अल्प कथन हुआ है, जिसकी राशि का ब्यौरा विवरण के अभाव, में परिमाणित नहीं किया जा सकता है।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(पराग प्रकाश)
लेखापरीक्षक महानिदेशक
डाक एवं दूरसंचार

स्थानः
दिनांकः

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधकों का उत्तर

Hkkjr d fu;=d egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k	çcaèkdk dk mÙkj
तुलन–पत्र लघु अवधि ऋण और अग्रिम (टिप्पणी संख्या 16) – 29.40 करोड़ रुपए – अन्यों को अग्रिम – श्रमिकों को किराये पर लेने के लिए अग्रिम – 3.13 करोड़ रुपए	
उपरोक्त प्रोफार्मा वीजकों के आधार पर एनआईसीएसआई को दिए गए अग्रिम दर्शाता है जिसके लिए एनआईसीएसआई द्वारा बिलों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण अंतिम समायोजन नहीं किया जा सकता चूंकि अग्रिम प्रोफार्मा वीजकों के आधार पर श्रमिकों को किराये पर लेने के लिए प्रदान किए गए थे। इसलिए, 2014–15 से संबंधित राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था और उस सीमा तक अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए था। 2014–15 से संबंधित राशि के लिए गैर–प्रावधान से अग्रिम का अधिक कथन हुआ है और प्रावधानि का अल्प कथन हुआ है, जिसकी राशि को विवरण के अभाव में मात्रात्मक स्वरूप नहीं दिया जा सकता।	एनआईसीएसआई द्वारा श्रमिकों की आपूर्ति के लिए शर्तों और अनुबंधों के अनुसार अग्रिम उस समूची अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित होता है जिसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। व्यय को मान्यता प्रदान करने में आपूर्ति किए गए श्रमिकों की संख्या और किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे श्रमिकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मात्रा, एनआईसीएसआई द्वारा कम से कम विचाराधीन वित्तीय वर्ष के अंत में आपूर्त किए गए श्रमिकों की उपस्थिति के ब्यौरे के संबंध में सही सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। प्रबंधन ने आंकड़े एकत्रित करने और एनआईसीएसआई द्वारा अंतिम वीजक/बिल प्राप्त करने के सतत प्रयास किए हैं। तथापि, एनआईसीएसआई द्वारा 2014–15 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित कई वीजक/बिल उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रबंधन अर्जन आधार पर (श्रमिकों पर हुए व्यय को मान्यता देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा) वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त वास्तविक श्रमिकों की सेवाओं के आधार पर।
—rs rFkk dh vksj ls Hkkjr d fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd gLrk@& ijkx çdk'k egkys[kkijh{kd Mkd ,oa nwjlapkj LFkku% ubZ fnYyh fnukad% 18-09-2015	—rs ,oa funs'kd cksMZ dh vksj ls gLrk@& ¼v#.kk lqnjjktu½ v/;{k ,oa çca/k funs'kd Hkkjr czkMcSaM usVodZ fyfeVsM LFkku% ubZ fnYyh fnukad% 21-09-2015

Chairperson's Speech

Dear Shareholders,

I am pleased to welcome you today, on behalf of the Board of Directors of your Company, at its 3rd Annual General Meeting. My sincere thanks to all of you for being with us on this occasion.

The Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2015 along with Board's Report, Audited Financial Statement and Auditor's Reports are already with you and with your permission, let me share with you the performance highlights of your company over the Last Financial Year.

I am listing out some of the highlights achieved by your Company:

a) As of Sept 2015, around 89657 Kms of PLB Duct covering 36501 GPs, 63336 Kms of Optical Fiber Cable covering 27041 GPs have been laid in 27 States and 2 UTs across the country. Around 3200 GPs have been connected and are ready for use and also work in many more is currently in progress.

b) Kerala, Puducherry and Chandigarh have been completely linked under the project. Other States where the Gram Panchayats have been made active include Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Assam, Uttar Pradesh etc.

c) Currently the project under NOFN is being implemented by three central PSUs (CPSUs) namely BSNL, PGCIL and Railtel in the phase first. A key feature of the project is that the GPON equipment used in the project has been indigenously designed and developed by C-DOT and manufactured domestically.

d) Bharat Broadband Network Limited (BBNL), a Special Purpose Vehicle (SPV) has been incorporated for the establishment, management and operation of the project. The project is centrally managed by BBNL using a high capacity Network Management System being developed by C-DOT. The project is funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF), Department of Telecom, Ministry of Communications & IT, Govt. of India.

e) Recognizing the importance of BharatNet project, specifically with respect to bridging the huge digital divide, focus is being put on timely and effective delivery of the project. Since the time the current Government has come to power, the pace of implementation of the project has been substantially accelerated.

IMPORTANCE OF NOFN (BHARATNET) PROJECT

NOFN (now BharatNet) is the largest rural connectivity project of its kind in the world. It seeks to link each of the 2.5 lakh Gram Panchayats of India through Broadband optical fibre network. On its completion, Bharat Net is expected to facilitate Broadband connectivity to over 600 million rural citizens of the country.

It is expected that the establishment of BharatNet would not only have a transformational impact on the lives of citizens, but it would also open up new avenues for Access service providers such as Telecom Service Providers, Internet Service Providers, Cable TV Operators, Content Providers etc. to launch next generation services, and spur creation of local employment opportunities encompassing e-commerce, IT outsourcing, rural BPOs etc. as well as services such as e-banking, e-health and e-education for inclusive growth. This will also enable delivery of various services such as local planning, management, monitoring and payments under Government schemes at panchayat level.

Access to Broadband significantly boosts economic growth. A World Bank study conducted in 2009 shows that for every 10 percentage points of broadband penetration, developing economies grew by 1.38 percent whereas developed countries' economies grew by 1.21 percent. A study conducted by Indian Council for Research and International Economic Relations (ICRIER) in 2012 reports that Indian States can be expected to grow by 1.08% points for every 10% increase in the number of internet subscribers. Taking the findings of this report as the base, it is estimated that BharatNet will provide economic benefits of around INR 66,500 Cr.

Digital India is a flagship programme of the Central Government which aims to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. The

provision of broadband connectivity to every citizen is one of the key objectives of Digital India, and the commissioning of the BharatNet is expected to mark a significant step towards realization of this ambitious vision.

ACCOMPLISHMENTS

On 12th January, 2015 Idduki district in Kerala became India's first ever district to get wholly covered by High Speed Rural Broadband access. Edamalakudy Gram Panchayat of Kerala a remotely located tribal Gram Panchayat with no road connectivity, no electricity and no water supply till some time back - can now boast of Broadband Internet as well as Mobile voice services. Today, Edamalakudy is connected to the outside world through digital network. This is an example of the transformational effects that Broadband would have on the lives of rural population.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modiji commissioned India's First Hi-Speed Rural Broadband Network BharatNet under the Digital India Programme at a function held in New Delhi on 1St July, 2015. The event marked a key milestone in ushering in a new era of Digital India.

The National launch of Digital India programme was celebrated nationwide from 1st July 2015 to 7th July 2015. A massive campaign aimed at informing educating and engaging citizens was organized through Gram Panchayat / Common Service Center / Post Offices / Schools etc. As part of this national campaign, BBNL had organized events in 30 Gram Panchayats (GPs) across 12 States and UTs. Various E-Services like E-education, E-Health, E-governance and Internet Services etc. were demonstrated to people and to officials at Gram Panchayats using NOFN / BharatNet network. Further Interaction with people through video conferencing were conducted between GP and venues for Digital India week programme as well as with other offices in New Delhi.

FINANCIAL PERFORMANCE

During the period under review, your Company recorded a Total Revenue of ₹ 11,32,68,916.00 and Loss after tax for the year of ₹ 28,56,272.00. The Company has profit before prior period items and tax of ₹ 38,92,745.00. The operations of the Company is yet to start. The Company is still in project mode. Therefore, your directed are not declaring any dividend during the year under reviews.

STRATEGIES FOR GROWTH

BBNL is faced with a challenging target in the ensuing years. In January this year, the Government of India had constituted an Expert Committee to review the strategy and approach of National Optical fiber network (NOFN), with a view to suggesting measures for speedy and effective implementation in the light of the Government's Digital India vision. The Committee after wide ranging consultations with stake-holders submitted its report on 31st March 2015. The Report has made recommendations regarding alternative models of implementation, taking into account the diversity of the country, the varying contexts and the different capabilities of various states in this field. It has also kept in mind the need to tap the capacities of the States and the expertise of private sector.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT INITIATIVES

Key initiatives in technology development underway include:

- Development of Main Data Centre at Delhi and DR Data Centre at Bengaluru for hosting IT infrastructure and Network Operation Centre.
- Development of Network Management System (NMS) by CDOT for monitoring of the entire NOFN network. The NMS system was deployed in geographical high availability architecture with Main and DR Data Centres. NMS System provided Fault Management, Trouble Ticketing, Performance Management, Inventory Management, Service Provisioning capabilities along with integration with GIS system for Live Monitoring of Electronics on GIS Map.
- Development of Planning Tool by CDOT for GPON Network
- Development of Centralized Geographical Information System by NIC using approx. 5400 Sheets purchased from Maps of India. For ongoing Fiber Network & GPON System roll-out, GIS system is capturing details of Outside Plant features, Fiber Routes and storing As-Built Diagrams.
- Development of Project Management System with Primevera tool for planning & managing Project activities and collaborating between BBNL Corporate and State PMUs.

- Development of Fibre Fault Localization System by C-DOT

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES

For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource has to play an active role. BBNL has made efforts in this regard and has drawn up a comprehensive plan to recruit young graduate engineers and finance personnel on regular basis, as well as consultants on fixed tenure basis, and to ensure skill upgradation of existing officers taken on deputation from DOT.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

The NOFN Project was envisaged as a Centre-State joint effort. State Governments are expected to contribute by way of not levying any RoW charges thus require suitable tri-partite MoU to be signed by GOI, State Governments & BBNL. Tri-partite MoU has been signed with all states and Union Territories except Tamil Nadu and Lakshadweep. Three Pilot Projects have been completed to cover 59 Gram Panchayats of Arain Block in Ajmer District (Rajasthan), Panisagar Block in North Tripura District (Tripura), Paravada Block in Vishakhapatnam District (A.P.).

Network Management System (NMS) and Network Operation Centre (NOC) are operational from C-DOT Bengaluru site. The key activities at NOC includes Network Status Monitoring, Fault & Trouble Ticket Management with GIS Integration, Service Provisioning, Network Inventory Management, Fibre Management & security management.

High speed broadband services have been extended to 15 institutes from Anad Gram Panchayat in Nendumangad Block of Thiruvananthapuram District in Kerala as a pilot project. The work of connecting all Gram Panchayats in Kerala with KSWAN through BharatNet is in progress.

43 CSCs in Puducherry which are located in Gram Panchayat buildings are using high speed broadband connections through BharatNet.

Work of providing Wi-Fi services in all 12 Gram Panchayats of Chandigarh has been awarded to M/s Netplus Broadband and Bluetown consortium.

CORPORATE GOVERNANCE

Your company complied with conditions of corporate governance, as stipulated in guidelines on corporate governance for Centre Public Sector Enterprises (CPSE) issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India except for appointment of independent directors.

PERCEPTION

NOFN (BharatNet) shall be a project of national importance to establish by 2018, a highly scalable network infrastructure accessible on a non-discriminatory basis, to provide connectivity of 2 Mbps to 20 Mbps for all households and on demand capacity to all institutions, to realize the vision of Digital India, in partnership with States and the Private sector.

ACKNOWLEDGEMENT

On behalf of your company's Board of Directors I wish to convey my deep gratitude to you, our valued shareholders for your continued support and trust. This motivates us to excel in all our pursuits and constantly create value for you as well as for the nation. I appreciate the unstinted support and valuable guidance received from Ministry of Communication & IT and Department of Telecommunication, Government of India. I also express my sincere thanks to Administrator (USOF), participating CPSUs, CDOT, NIC, C&AG, Auditors and the Banks for their whole hearted co-operation and support.

Thank you very much.

Sd/-
Aruna Sundararajan, IAS
Chairman-Cum-Managing Director
Bharat Broadband Network Limited
DIN-03523267

Date:- 28.09.2015
Place:- New Delhi

CIN : U64100DL2012GOI232070

Notice to the Member

Notice is hereby given for the Third (3rd) Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, the 28th day of September 2015 at 16.00 hrs. at Conference hall at 13th Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi-110001 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

ITEM NO. 1

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2015 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on March 31, 2015 and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.

ITEM NO. 2

To appoint a Director in place of Ms. Arundati Panda (DIN: 05355640) who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

ITEM NO. 3

To authorise Board of Directors of the Company to ratify remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2014-15 and & fix the remuner ation for the Financial Year 2015-16, in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.

SPECIAL BUSINESS

ITEM NO. 4

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), if any, the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**.

"**RESOLVED THAT** Ms. Aruna Sundararajan (DIN-03523267) who was appointed as an Additional Director & CMD under Section 161 of the Companies Act, the 2013, with effect from 1st October, 2014 and holds office upto the conclusion of 3rd Annual General meeting and the Company having received a notice in writing, under Section 160 of the Companies Act, 2013, from Ms. Aruna Sundararajan proposing her candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director & CMD of the Company.

ITEM NO. 5

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), if any, the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**:

"**RESOLVED THAT** Shri B.K.Mittal (DIN - 07251326) who was appointed as an Additional Director by the Board of Directors and designated as Director (Operation)under Section 161 of the Companies Act, the 2013, with effect from 29th July, 2015 and holds office upto the conclusion of 3rd Annual General meeting and the Company having received a notice in writing, under Section 160 of the Companies Act, 2013, from Shri B.K.Mittal proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company.

By order of the Board

For Bharat Broadband Network Limited

Sd/-
A. C. Upadhyay
CS & Head Legal
M.No.: F4324

Date: 23.09.2015
Place: - New Delhi

To,

1. **All the Members of BBNL**
2. **Statutory Auditor**
3. **Secretarial Auditor**
4. **All Directors of BBNL**

Enclosures:-

1. **Board's Report including Management Discussion and Analysis and Corporate Governance Report**
2. **Financial Statements & Annexure to Directors' Report-Addendum to Directors' Report for the Financial Year 2014-15, Comments of Auditors and Management Replies thereto**
3. **Annexure to Board's Report – Comments of C&AG and Management Replies thereto**

NOTES:

1. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXY FORM DULY COMPLETED MUST BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS (48 HRS.) BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. BLANK PROXY FORM IS ATTACHED. A PERSON CAN ACT AS A PROXY ON BEHALF OF MEMBERS. MEETING WILL BE HELD IN PHYSICALLY.**
2. Corporate members intending to send their authorized representative are requested to send a duly certified true copy of the Board Resolution authorizing their representative to attend and vote at the meeting.
3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(2) of the Companies Act, 2013, in respect of Special Business, as set out above is annexed hereto.
4. Documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9:30 am to 6:00 pm) on all working days except Saturdays and Sundays (including Public Holidays) up to the date of the Annual General Meeting.
5. Brief profile of the Directors seeking appointment/ reappointment is annexed hereto and forms part of the Notice.
6. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 22nd September, 2015 to Monday, the 28th September, 2015 (both days inclusive).
7. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 & the Register of Contracts or arrangements, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available for inspection by the members at the AGM venue.
8. Pursuant to Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and their remuneration is to be fixed by the Company in the Annual General Meeting. The members may authorise the Board to fix up an appropriate remuneration of Auditors for the year 2015-16 after taking into consideration the increase in volume of work and prevailing inflation etc.
9. None of the Directors of the Company is in any way related with each other.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NO. 4

APPOINTMENT OF MS. ARUNA SUNDARARAJAN

Ms. Aruna Sundararajan was appointed as an Additional Director & Chairman-cum Managing Director on the Board of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) w.e.f 1st October, 2014. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, she holds office upto the conclusion of 3rd Annual General meeting of the Company. Pursuant to the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a notice in writing from her, signifying her intention as candidate for the office of Director & Chairman-cum Managing Director.

Ms. Sundararajan is one of the most senior civil servants of the Indian Administrative Service (IAS) in the Kerala cadre. She has over three decades of experience in a variety of leadership roles in the Central Government and Kerala State. She was an Additional Chief Secretary ranked officer of the Government of Kerala. Presently, Ms. Sundararajan, Administrator (USOF), in the rank of Adl. Secretary has assumed the additional charge of Chairman-cum- Managing Director, BBNL on 01.10.2014

She holds NIL equity shares in BBNL.

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, except Ms. Sundararajan, None of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel of the Company and

their relatives thereof is anyway concerned or interested in the proposed resolution.

The Board of Directors considers that in view of the background and experience of Ms. Sundararajan, it would be in the interest of the Company to appoint her as a Director / CMD of the Company. The Board recommends the resolution for your approval.

ITEM NO. 5

APPOINTMENT OF SHRI B.K.MITTAL

Shri B.K.Mittal was appointed as an Additional Director on the Board of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) on 29th July, 2015. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office upto the conclusion of 3rd Annual General meeting of the Company. Pursuant to the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a notice in writing from him, signifying his intention as candidate for the office of Director.

Shri B. K. Mittal, an officer of the Indian Telecommunications Service (ITS) of 1979 batch, holds a Bachelor of Engineering degree in Electronics and Communications from the University of Roorkee (now IIT Roorkee). He is a telecom industry veteran with more than 34 years of experience in the field of telecommunications.

Shri B. K. Mittal has taken over as Director (Operations), BBNL on 29/07/2015 and is entrusted mainly responsibility for Bharat Net / NOFN Project to provide high speed Broadband to all which has been envisaged to provide Broadband connectivity to 2.5 lakh Gram Panchayats. Prior to this he was Executive Director, MTNL Delhi and was responsible for the administration, operations, maintenance and development of telecom network in Delhi, focusing on landline, broadband and enterprise businesses including the optical fiber and transmission network.

He has also worked as Principal General Manager (Development) in MTNL Delhi, wherein he was instrumental in the development of the telecom network, including induction of new technologies and services, such as soft-switch, Fiber To The Home, next generation converged networks, etc.

He holds NIL equity shares in BBNL.

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, except Shri B.K.Mittal, None of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel of the Company and their relatives thereof is anyway concerned or interested in the proposed resolution.

The Board of Directors considers that in view of the background and experience of Shri B.K.Mittal, it would be in the interest of the Company to appoint him as a Director of the Company. The Board recommends the resolution for your approval.

BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING RE-ELECTION AND DIRECTORS BEING APPOINTED AT THIS ANNUAL GENERAL MEETING

Director seeking re-election at the 3rd AGM:

Name	Ms. Aruna Sundararajan
DIN	03523267
Date of Birth	12/07/1959
Date of Appointment	01/10/2014
Qualification	P.G.(Philosophy), Diploma (Public Admn), Indian Administrative Service (IAS)
Expertise in specific functional area	Ms. Sundararajan is one of the most senior civil servants of the Indian Administrative Service (IAS) in Kerala cadre. She has over three decades of experience in a variety of leadership roles in the Central Government and Kerala State. She was an Additional Chief Secretary ranked officer of the Government of Kerala. Presently, Ms. Sundararajan, Administrator (USOF) in the rank of Secretary has assumed the additional charge of Chairman-cum- Managing Director, BBNL on 01.10.2014. Important positions she has held include the Country Head of the Global E schools Initiative of the UN, Mission Director, Rajiv Awas Yojana under JNNURM, and CEO of the prestigious Common Service Centre Project under the National E-Governance Project, Government of India. Ms Sundararajan was instrumental in establishing the IT department of Kerala, the Kochi Infopark, and in initiating the SMART City project, Kochi.
Directorship held in other Companies (Part-time) as on 31.03.2015	Nil

Membership / Chairmanship of Committees in other Companies as on 31.03.2015	Nil
No. of Shares held	Nil

Name	Shri B.K.Mittal
DIN	07251326
Date of Birth	18/10/1957
Date of Appointment	29/07/2015
Qualification	B.Tech - (Indian Telecom Service)
Expertise in specific functional area	Shri B.K. Mittal also has global experience– under his leadership, MTNL was able to successfully launch the operations of its subsidiary in Mauritius. As the Chief Executive Officer, he was instrumental in setting up MTNL, Mauritius and successfully launched PSTN, mobile, ISD and ISP services in a time bound manner. Earlier, he has also worked as Project Director, TCIL in Mauritius, where outside plant projects and optical fibre network were deployed for the incumbent operator Mauritius Telecom.
	His past experience also include as General Manager in MTNL Delhi, where he has worked in the domains of broadband, value added services, transmission networks, and as Area-in charge. He has also served as the SSA heads in Kullu and Solan in HP Telecom circle; and worked in UP Telecom. circle during the initial phase of his career.
Directorship held in other Companies (Part-time) as on 31.03.2015	Nil
Membership / Chairmanship of Committees in other Companies as on 31.03.2015	Nil
No. of Shares held	Nil

ATTENDANCE SLIP

I hereby record my presence at the Third (3rd) Annual General Meeting of the Company held on Monday, the 28th day of September 2015 at 16.00 hrs. at Conference hall at 13th Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001:

Name of the Shareholder_____

Name of the Proxy_____

(To be filled if the proxy attends, instead of the shareholders)

Ledger Foil No._____ No. of shares held_____

Signagure of the Shareholder/ Proxy_____

Form No. MGT -11— PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : **U64100DL2012GOI232070**

Name of the Company : **BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED**

Registered office : **R. No. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi - 110 030**

Name of the Members (s) : _____

Registered Address : _____

E-mail Id : _____ **Folio No/Client Id :** _____ **DP ID:** _____

I/We, being the Member (s) of.....Equity Shares of Bharat Broadband Network Limited, hereby appoint

1. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

2. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

3. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me /us and on my/our behalf at the 3rd Annual General Meeting of the Company, to be held on Monday, the 28th day of September, 2015 at 16.00 hrs. at conference hall, 13th Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001 and at any adjournment thereof, in respect of such resolutions set out in the Notice convening the meeting as are indicated below:

Sl. No.	Resolutions
	Ordinary Business
1.	To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2015 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on that date and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.
2.	To appoint a Director in place of Ms. Arundati Panda (DIN: 05355640) who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.
3.	To authorise Board of Directors of the Company to ratify & fix the remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2014-15 & 2015-16, in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.
	Special Business
4.	Appointment of Shri Aruna Sundararajan as Director & CMD
5.	Appointment of Shri B.K.Mittal as Director

Signed this ..... day of 2015

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder (s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Board's Report to the Members

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, it is my privilege to present the Third (3rd) Annual Report of Bharat Broadband Network Limited (**the Company**) and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2015 together with the report of the Auditors and Review of the Comptroller & Auditor General of India thereon.

1. FINANCIAL RESULTS

Particulars	Amount in ₹	
	For the year ended 31st March, 2015	For the year ended 31st March 2014
Revenue from Operations	41,33,354	41,33,355
Other Income	10,91,35,562	7,98,79,064
Total Revenue	**11,32,68,916**	**8,40,12,419**
Employee's Remuneration and Benefits	2,43,67,262	1,12,96,129
Finance cost	3,69,009	5,81,153
Depreciation and amortisation expense	3,64,79,824	1,96,08,782
Administrative, operating and other expenses	4,81,60,076	2,42,20,666
Total Expenses	**10,93,76,171**	**5,57,06,730**
Profit/(Loss) before prior period items and tax	**38,92,745**	**2,83,05,689**
Profit / (Loss) before Tax	**(14,16,551)**	**2,76,80,877**
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	25,84,148	67,00,731
Current Tax expense relating to prior period	17,26,686	1,110
Deferred Tax	(28,71,113)	32,08,033
Profit / (Loss) after Tax	**(28,56,272)**	**1,77,71,003**
Earnings per share		
Basic	(0.05)	0.30
Diluted	(0.05)	0.30
Transferred to General Reserve	-	**1,77,71,003**

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS AND OVERVIEW

During the period under review, your Company recorded a Total Revenue of ₹ 11,32,68,916.00 and Loss after tax for the year of ₹ 28,56,272.00. The Company has profit before prior period items and tax of ₹ 38,92,745.00. The operations of the Company is yet to start.

3. DIVIDEND

In view of the loss incurred during the year, Your Directors are not recommending any dividend for the year ended 31st March, 2015.

4. TRANSFER TO RESERVES

During the year under review no amount is being transferred to General Reserve Account.

5. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT & TRAINING

For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource has to play an active role. BBNL has made efforts in this regard and has drawn up a comprehensive plan to recruit young graduate engineers on regular basis, as well as consultants on fixed tenure basis, and to ensure skill upgradation of existing officers taken on deputation from DOT.

Training

Initiatives were taken to organise and provide opportunities to different class of Executives in different training programmes. Your Company has taken adequate steps to bring improvement in the quality of training to executives at all levels.

6. DISCLOSURE AS PER SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in line with the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules framed there under.

During the financial year 2014-15, the Company has not received any complaints on sexual harassment. A internal Committee of CGM (WT), CGM (GIS) & CGM (PFC), has been formed in BBNL to look into issues related with the sexual harassment of women at work place.

7. DOCUMENTS PLACED ON THE WEBSITE (www.bbnl.nic.in)

The following documents have been placed on the website in compliance with the Act:

i) Code of Conduct (Code of Business Conduct and Ethics for Directors and Senior Management of BBNL);

ii) Citizen Charter;

iii) BBNL Procurement Manual;

iv) Details of Independent External Monitors (IEMs);

v) Annual Reports of the Company along with AGM Notice;

vi) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism

vii) Enterprise Risk Management policy

8. PROGRESS SO FAR (AS ON 20th SEPTEMBER, 2015)

i) The company is currently in the project mode and is in the process of rolling out 1,00,000 GPs in Phase I of the NOFN project. The work will be carried out in 2704 Blocks.

ii) Work for NOFN has started in 27 States and 2 Union Territories.

iii) Around 89657 Kms of PLB Duct covering 36501 GPs, 63336 Kms of Optical Fiber Cable covering 27041 GPs have been laid in 27 States and 2 UTs across the country. Around 3200 GPs have been connected and are ready for use and also work in many more is currently in progress.

iv) The work has been divided between the three CPSUs – BSNL, RailTel and PGCIL.

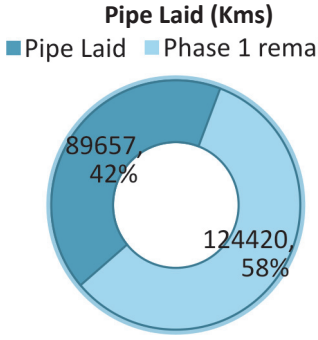

CPU	Pipe Laid (Kms)	Phase 1 Remaining (Kms)
BSNL	72389	101084
Rail Tel	6521	12043
PGCIL	10747	11293

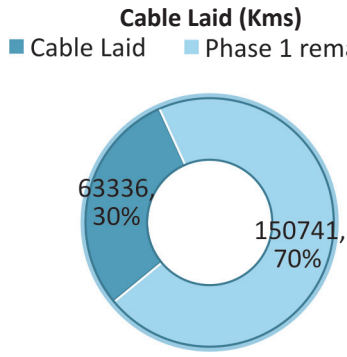

CPU	Cable Laid (Kms)	Phase 1 Remaining (Kms)
BSNL	54859	118814
Rail Tel	3358	15205
PGCIL	5319	16721

v) Tender for work execution is finalized in 2386 Blocks, work order has been issued in 2212 Blocks and work has started in 2086 Blocks.

vi) Kerala, Puducherry and Chandigarh have been completely linked under the project. Other States where the Gram Panchayats have been made active include Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Assam, Uttar Pradesh etc.

vii) ACCOMPLISHMENTS

On 12th January, 2015 Idduki district in Kerala became India's first ever district to get wholly covered by High Speed Rural Broadband access. Edamalakudy Gram Panchayat of Kerala a remotely located tribal Gram Panchayat with no road connectivity, no electricity and no water supply till some time back - can now boast of Broadband Internet as well as Mobile voice services. Today, Edamalakudy is connected to the outside world through digital network. This is an example of the transformational effects that Broadband would have on the lives of rural population.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modiji commissioned India's First Hi-Speed Rural Broadband Network BharatNet under the Digital India Programme at a function held in New Delhi on1St July, 2015. The event marked a key milestone in ushering in a new era of Digital India.

The National launch of Digital India programme was celebrated nationwide from 1st July 2015 to 7th July 2015. A massive campaign aimed at informing, educating and engaging citizens was organized through Gram Panchayat / Common Service Center / Post Offices / Schools etc. As part of this national campaign, BBNL had organized events in 30 Gram Panchayats (GPs) across 12 States and UTs. Various E-Services like E-education, E-Health, E-governance and Internet Services etc. were demonstrated to people and to officials at Gram Panchayats using NOFN network. Further Interaction with people through video conferencing were conducted between GP and venues for Digital India week programme as well as with other offices in New Delhi.

xi) TECHNOLOGY DEVELOPMENT INTIATIVES

Key initiatives in technology development underway include:

- Development of Main Data Centre at Delhi and DR Data Centre at Bengaluru for hosting IT infrastructure and Network Operation Centre.
- Development of Network Management System (NMS) by CDOT for monitoring of the entire NOFN network. The NMS system was deployed in geographical high availability architecture with Main and DR Data Centres. NMS System provided Fault Management, Trouble Ticketing, Performance Management, Inventory Management, Service Provisioning capabilities along with integration with GIS system for Live Monitoring of Electronics on GIS Map.
- Development of Planning Tool by CDOT for GPON Network
- Development of Centralized Geographical Information System by NIC using approx. 5400 Sheets purchased from Maps of India. For ongoing Fiber Network & GPON System roll-out, GIS system is capturing details of Outside Plant features, Fiber Routes and storing As-Built Diagrams.
- Development of Project Management System with Primevera tool for planning & managing Project activities and collaborating between BBNL Corporate and State PMUs.
- Development of Fibre Fault Localization System by C-DOT

9. CORPORATE GOVERNANCE REPORT, MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS AND OTHER INFORMATION REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2013

Corporate Governance Report:

Your company is committed towards maintaining high standards of Corporate Governance to ensure transparency and accountability at all levels protecting the interest of all the stakeholders. The company complies with the conditions of Corporate Governance as stipulated under the Companies Act. Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India, have been made mandatory from May, 2010 and BBNL has implemented the same to the maximum extent possible.

A "Report on Corporate Governance" for the year ended March 31, 2015, supported by a Certificate from, Practicing Company Secretary confirming compliance of conditions, forms part of the Annual Report, is attached to this report as **Annexure-B**.

Management Discussion & Analysis Report:

In terms of the Clause 7.5 of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the DPE, a "Management Discussion and Analysis Report" on the operations and performance of the company for the year ended March 31, 2015, is attached to this report as Annexure-C.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 134(5) of the Act, and based on the representations received from the management, the directors hereby confirm that:

i) in the preparation of the annual accounts for the financial year 2014-15, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures;

ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the financial year;

iii) they have taken proper and sufficient care to the best of their knowledge and ability for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act. They confirm that there are adequate systems and controls for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv) they have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v) they have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and operating effectively; and

vi. they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

11. STATUTORY AUDITORS

M/s. Vohra & Sehgal, Chartered Accountants, New Delhi were appointed as Statutory Auditors of your Company for the financial year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) in terms of Section 139 of the Companies Act, 2013. Statutory Auditors have audited the Financial Statements of the Company for the Period ended 31st March, 2015.

12. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Independent Auditors' Report on the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2015 and the Management's Replies thereon and the Review on Financial Statements for the period ended 31st March, 2015 by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 along with the Management's Replies thereon are enclosed to the Board's Report.

13. SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Secretarial Audit of the company for financial year 2014-15 pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 has been conducted by M/s. J.K.Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi. The Secretarial Audit Report has been attached to this report as **Annexure-F**.

14. EXPLANATION OR COMMENTS UNDER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

There were following qualifications, reservations or adverse remarks made by the Secretarial Auditor in their reports and the Management's Replies thereon is given below:

Audit Para No.	Comments of Secretarial Auditor	Management's Reply
(i) (1)	As required under the provisions of the Companies Act, 2013 there is no Independent Director on the Board of the Company and its sub-committees.	Company has already approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors on the Board of the Company.
(i) (2)	Company is regular in filing of EPF, ESI, TDS, VAT, Service Tax, Income Tax Return except delay in few instances.	BBNL is regularly depositing and submitting TDS, VAT, Service Tax, Income Tax Return on time i.e. on or before due date of statutory requirement. BBNL is also regular to deposit EPF & filing monthly return to EPF Authority. However, in case of state VAT, there was delay in respect of 4 project Monitoring Units. Now all the cases of delay are regularised.

Further, in their Secretarial Audit Report of Annexure A commented the following:-

Audit Para no.	Comments of Secretarial Auditor
Annexure A – Sl. No.3	We have relied on the Internal Auditors Report of M/s Thakur, Vaidyanath Aiyar (Chartered Accountants) for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory / Legal Compliances on sample basis.
Annexure A – Sl. No.4	We have relied on the Statutory Auditors Report of M/s Vohra & Sehgal (Chartered Accountants) for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. The qualifications/observations mentioned in their report also forming part of this report.

Consolidated Management's replies on the above has already been given in the section of Management's Reply attached with Annual Report.

15. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & EXPENDITURE ON RESEARCH & DEVELOPMENT

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy is given below:-

A) **Conservation of Energy**

a) The steps taken or impact of conservation of energy:

The Company is planning to place LED tube lights/bulbs at its Network Operations Centre/ office place.

b) The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy:

Solar Power is being used as an alternative source of power in all its equipment installed in Gram Panchayats i.e. ONT.

c) The capital investments on energy conservation equipment:

The Company has installed power saver devices in the Office building.

B) **Technology absorption, adaptation and innovation**

a) **Efforts, in brief, made towards technology absorption, adaptation and innovation**

A Pilot has been carried out using GPON technology. Learning's for the Pilot is incorporated in the tender for GPON which has been finalized.

b) Benefits derived as a result of the above efforts e.g. Product improvement, cost reduction, product development, import substitution etc.

Indigenous technology in GPON is being inducted.

c) In case of imported technology (imported during the last 5 years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished:

a) Technology imported : NIL

b) Year of import : NIL

c) Has technology been fully absorbed? : NIL

d) If not fully absorbed, areas where this has not taken place, reasons therefore and future plans action. : NIL

C) Expenditure on R&D (INR in lakhs)

Sl. No.	Particulars	2014-15	2013-14
1.	Capital	NIL	NIL
2.	Recurring	NIL	NIL
3.	Total	NIL	NIL
4.	Total R&D expenditure as a percentage of total turnover	NIL	NIL

16. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

Sl. No.	Foreign Exchange Earnings/Outgo	Amount in INR	
		For the year ended 31st March, 2015	For the period ended 31st March 2014
1	Foreign Exchange Earnings	NIL	NIL
2	Expenditure on Payment on Foreign Travel	2,36,609	17,35,167
3	Others	4,79,489	8,77,734
4	Value of imports based on CIF basis (on Accrual basis)	NIL	NIL
5	Foreign Exchange repatriated, if any	NIL	NIL

17. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

During the year under review your Company is not meeting any required conditions under section 135(1) of the Companies Act, 2013, hence neither CSR committee has been constituted nor any expenses made. Moreover, the appointment of Independent Directors on BBNL Board is under process at Department of Telecommunications.

18. DEPOSIT FROM PUBLIC

The Company has not accepted any deposits from public and as such, no amount on account of principal or interest on deposits from public was outstanding as on the date of the balance sheet.

19. BOARD OF DIRECTORS

Sl. No.	Name of the Director	Designation
1.	Ms. Aruna Sundararajan*	Chairman-cum-Managing Director
2.	Shri N.Ravi Shanker**	Chairman-cum-Managing Director
3.	Shri A.K.Bhargava***	Director (Operation) & Additional charge of CMD
4.	Shri V. Umashankar	Govt. Nominee Director
5.	Shri I.S.Sastry	Govt. Nominee Director
6.	Ms. Arundati Panda	Director (Finance)
7.	Shri P.K.Agarwal	Director (Planning)
8.	Shri B.K.Mittal****	Director (Operation)

*Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Ms. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014.

** Shri N. Ravi. Shanker had resigned from the post of Chairman-cum-Managing Director on 31.07.2014. Board placed on record its deep appreciation of the invaluable contribution and guidance provided by Shri N.Ravi Shanker during his tenure.

***Shri A. K. Bhargava, Director (Operation) had been entrusted an additional charge of Chairman-cum-Managing Director on August 28, 2014**.** Further, Shri A.K Bhargava, Director (Operation) had tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N), since he had been posted as Advisor (T), Department of Telecommunications.

**** In pursuance to the DOT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 24th July, 2015 stated that the Appointment Committee of the Cabinet has entrusted additional Charge of the post of Director (Operation), Bharat Broadband Network Limited (BBNL) to Shri B.K.Mittal, Executive Director, MTNL for a period upto 31.12.2015 or till the appointment of a regular incumbent to the post or until further orders, whichever is the earliest. Shri B.K.Mittal assumed the charge on 29.07.2015.

19.1 **The following persons were designated as Key Managerial Personnel (KMP) as per provisions of the Companies Act, 2013 during the period under report:**

Sl. No.	Name of the KMP	Designation	Date of Appointment
1.	Ms. Aruna Sundararajan*	Chairman-cum-Managing Director	01.10.2014
2.	Shri N.Ravi Shanker**	Chairman-cum-Managing Director	25.02.2012
3.	Shri A.K.Bhargava***	Director (Operation) & Additional charge of CMD	03.09.2012
4.	Ms. Arundati Panda	Director (Finance)	26.07.2012
5.	Shri P.K.Agarwal	Director (Planning)	31.08.2012
6.	Shri B.K.Mittal****	Director (Operation)	29.07.2015
7.	Shri A.C.Upadhyay	Company Secretary & Head Legal	01.04.2014

*Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Smt. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014.

** Shri N. Ravi. Shanker has resigned from the post of Chairman-cum-Managing Director on 31.07.2014.

*** Shri A.K Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

****Shri B.K.Mittal assumed the charge on 29.07.2015.

19.2 **Board Meetings:**

Attendance and other details in the Board Meeting of the Board Members are given in the Corporate Governance Report. During the year the Board of Directors of the Company met ten times on:-

32nd Board Meeting 29.05.2014	33rd Board Meeting 27.06.2014	34th Board Meeting 30.07.2014	35th Board Meeting 02.09.2014
36th Board Meeting 30.09.2014	37th Board Meeting 09.10.2014	38th Board Meeting 27.11.2014	39th Board Meeting 08.01.2015
40th Board Meeting 09.02.2015	41st Board Meeting 20.02.2015		

20. AUDIT COMMITTEE

Company has approached to Department of Telecommunications (MOC&IT) / Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors which is pending. As soon as Independent Directors are appointed by the Ministry/Department of Public Enterprises on the Board of BBNL, the Audit Committee will be reconstituted immediately.

Initially, the Audit Committee has been constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Director and One Functional Director. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 5 (Five) [(5th) 27.06.2014, (6th) 02.09.2014, (7th) 30.09.2014, (8th) 27.11.2014 & (9th) 20.02.2015] Audit Committee meetings were held.

The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2015: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri V. Umashankar	Chairman	Govt. Nominee Director	5
2.	Shri A. K. Bhargava*	Member	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	3
3.	Shri I. S. Sastry	Member	Govt. Nominee Director	4
4.	Shri P. K. Agarwal**	Member	Additional Charge of Director (Operation)	2

*Shri A.K Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).
**Pursuant to DOT order, Shri P.K.Agarwal, Director (Planning), BBNL has taken an additional charge of the post of Director (Operation), BBNL w.e.f 01.10.2014.

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises. The list of functions inter-alia includes the following:

- To hold discussion with Auditors periodically about:
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- **To perform the following functions:**
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
  - Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
  - Recommending the appointment and removal of external auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
  - Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.

20.1 **Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism u/s 177(9) of the Companies Act, 2013.**

The company has already in place an established Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism and oversees through the committee, the genuine concerns expressed by the Directors and other employees. The company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of employees and the company.

Further, the "**Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism**" as approved by the Board of Directors of BBNL has been implemented by the company. The policy has been formulated to provide an opportunity to employees to report to the management instances of unethical behaviour, actual or suspected, fraud or violation of the company's code of conduct. No such instances were reported during the year.

21. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Initially, the Board was constituted the remuneration Committee in the year 2013. As per DPE Guidelines Chairman should be an Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the Act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSE, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees is decided by the Govt. of India. However, the Ministry of Corporate Affairs has granted exemption vide notification dated 05.06.2015.

During the year 1 (One) meeting was held on (1st) 20.02.2015. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official / official part time Directors	-
2.	*	Independent Director	Non-official / official part time Directors	-
3.	Shri V. Umashankar	Member	Govt. Nominee Director	1
4.	Shri I. S. Sastry	Member	Govt. Nominee Director	1

*The position of Independent Director is vacant.

22. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(n) OF THE COMPANIES ACT, 2013 CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

Your Company has approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors. During the period under review one (1) meeting was held on (2nd) 18.08.2014. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2015:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri I. S. Sastry	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri A. K. Bhargava*	Member	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	1
3.	Shri P. K. Agarwal	Member	Director (Planning)	1

*Shri A.K. Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

23. INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 REGARDING EMPLOYEES REMUNERATION

Information as per Section 197 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, is not applicable to your Company as no employee in the Company was drawing more than INR 5,00,000/- per month or INR 60,00,000/- per annum or in excess of that drawn by the Chairman-cum-Managing Director or Whole-Time Director and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

However, BBNL being a Government Company, the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013 and relevant Rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.15 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs. The terms and conditions of the appointment of Functional Directors is decided by the Government of India. The salary and terms and conditions

of the appointment of Company Secretary, KMPs of BBNL, is in line with the parameters prescribed by the Company.

24. STATEMENT UNDER SECTION 134(3)(p) OF THE COMPANIES ACT, 2013 REGARDING FORMAL ANNUAL EVALUATION MADE BY BOARD OF ITS OWN PERFORMANCE AND THAT OF ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

There were no Independent Directors on Board of the company during the year under review. The appointment of Independent Directors are under process by Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises. Therefore, Nomination & Remuneration Committee could not be constituted as per the Act which would have finalized the manner of annual evaluation and subsequent formal evaluation made thereunder. The requirement under section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 will be complied as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications/ Department of Public Enterprises.

However, BBNL being a Government Company, the provisions of section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules shall not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.15 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs.

25. RELATED PARTY TRANSACTIONS

There was no contract or arrangements made with related parties which would come under the purview of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

26. FORM NO. MGT.9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The extract of Annual Return of the Company in Form No. MGT-9 for the year under report pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed at Annexure-A.

27. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There was no loans, guarantees or investments made by the company exceeding the limits specified under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review and hence, the said provision is not applicable.

28. UNSECURED LOAN

During the year under review, there is no unsecured loan.

29. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT:

No material changes and commitments affecting the financial position of the company occurred between the end of the financial year to which the financial statements relate and the date of this report.

30. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your company has set up an elaborate mechanism throughout the Organization to deal with the requests received under the Right to Information (RTI) Act, 2005. To assist and facilitate the citizen in obtaining information, detailed guidelines have been placed on BBNL's website, spelling out the procedure for securing access to information and filing of first appeals under the Act.

Proactive disclosures have been made on BBNL's website in line with Section 4(1)(b) of the Act, disseminating various categories of information so that citizens have minimum need to resort to the Act for the purpose of obtaining information.

31. RAJBHASHA (OFFICIAL LANGUAGE)

Your company makes concerted efforts to spread and promote the Official Language (Rajbhasha Hindi). In pursuance of Official Language Policy/ Act/ Rules/ Orders of the Govt. of India, efforts are continuing towards increasing the use of Hindi in Official work. The Company has launched its website in Hindi also at URL: www.bbnl.nic.in/contenthi.

32. VIGILANCE

In pursuance to Department of Telecommunications order, the part time Chief Vigilance Officer has been appointment in the Company.

33. INFORMATION TO SHAREHOLDERS

Financial Statements of the Company and the related detailed information shall be available to the stakeholders of the Company. Any stakeholders seeking any such information at any point of time, can inspect the same during business hours in a working day at the registered office of the Company.

34. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(q) OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH RULE 8(5)(viii) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014 REGARDING ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

35. GRADING ON THE BASIS OF COMPLIANCE WITH GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

In the month of September 2014, DPE has finalized the grading of CPSEs on the basis of their Compliance with Guidelines on Corporate Governance for the year 2013-14 and BBNL has been graded as "Very Good".

36. STATUTORY DISCLOSURE BY DIRECTORS:

None of the Directors of your company is disqualified as per provisions of Section 164 of the Companies Act, 2013. Your Directors have made necessary disclosures as required under various provisions of the Companies Act, 2013.

37. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors acknowledges with deep sense of appreciation for the cooperation received from the Govt. of India, particularly the Ministry of Communications & Information Technology (Department of Telecommunications), Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Universal Service Obligation Fund, Department of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, BSNL, PGCIL, RAILTEL, C-DOT, TCIL and all other stakeholders and also from various State Governments.

The Board of Directors acknowledge with thanks the valued cooperation received from C&AG and the Statutory Auditors, Secretarial Auditors and also Banks. The Directors take this opportunity to express their thanks for the valuable contribution, hard work and dedication of every employee. The Board is confident that with the employees' continued and dedicated efforts, your Company will be able to face the new challenges and achieve improved performance.

38. ADDENDA

The following documents are annexed:

1. "Extract of Annual Return" of the company is attached to this report as **Annexure-A**.
2. "Report on Corporate Governance" is attached to this report as **Annexure-B**.
3. "Management Discussion & Analysis Report" is attached to this report as **Annexure-C**.
4. "Declaration regarding compliance with code of conduct for directors and senior management" is attached to this report as **Annexure-D**.
5. "Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company" is attached to this report as **Annexure-E**.
6. "Secretarial Audit Report" of the company is attached to this report as **Annexure-F**.

Bharat Broadband Network Limited

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman-Cum-Managing Director
DIN-03523267

Date: 23.09.2015
Place: New Delhi

ANNEXURE – A

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on
[Pursuant to section 92(3) *of the Companies Act, 2013* and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i.	CIN	U64100DL2012GOI232070
ii.	Registration Date	25th February, 2012
iii.	Name of the Company	Bharat Broadband Network Limited
iv.	Category / Sub-Category of the Company	Category - Company Limited by Shares Sub-Category – Union Government Company
v.	Address of the Registered office and contact details	Room no. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030
vi.	Whether listed company Yes / No	No
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	To carry on the business of establishment, management and operation of National Optical Fibre Network (NOFN) which has been envisaged by the Government of India to provide high speed broadband connectivity to all gram panchayats by extending the existing and future Optical Fibre network to the gram panchayats	9984222	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES :

S. No.	Name and address of the company	CIN/GLN	Holding/ subsidiary/Associate	% of shares held	Applicable Section
1	.....	.....	..... NIL	.....	.....

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) *Category-wise Share Holding*

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	NIL	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999495		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999495	NIL
c) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corp.	NIL	03	03	0.0000005		03	03	0.0000005	NIL
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any Other….	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(1)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**
2) Foreign									
a) NRIs-Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other….	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A)(2)	NIL	6,00,00,003	6,00,00,003	100		6,00,00,003	6,00,00,003	100	NIL
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) **Bodies Corp.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) **Indian**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) **Overseas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) **Individuals**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) **Others (specify)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A + B + C)	NIL	6,00,00,003	6,00,00,003	100		6,00,00,003	6,00,00,003	100	NIL

ii) *Shareholding of Promoters*

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			%change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumber-red to total shares	
1	President of India through Joint Secretary, DOT	5,99,99,700	99.99945	NIL	5,99,99,700	99.99945	NIL	NIL
2	Dy. Director General (TPF), DOT	100	0.000166	NIL	100	0.000166	NIL	NIL
3	Dy. Director General (CS), DOT	100	0.000166	NIL	100	0.000166	NIL	NIL
4	Director (T), DOT	100	0.000166	NIL	100	0.000166	NIL	NIL
5	M/s Bharat Sanchar Nigam Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
6	M/s PowerGrid Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
7	M/s Railtel Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
Total		**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**NIL**

NOTE: Sl. No. 1 to 4 shares are held on behalf of President of India through Department of Telecommunications

iii) *Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)*

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.:	.....	..... NO CHANGE	.....	.....
3	At the End of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)	Nil	Nil	Nil	Nil
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	NIL
3	At the End of the year	NIL	NIL	NIL	NIL

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i + ii + iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager					Total Amount
		Ms. Aruna Sundararajan	Shri N. Ravi Shanker	Shri A.K. Bhargava	Ms. Arundati Panda	Shri P.K. Agarwal	
1.	Gross Salary	0.00	46,000.00	11,41,192.00	26,21,410.00	25,99,338.00	64,07,940.00
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax, 1961						
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	0.00	0.00	1,35,600.00	0.00	0.00	1,35,600.00
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Commission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	– as % of profit						
	– Others, specify						
5.	Others, please specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (A)		**0.00**	**46,000.00**	**12,76,792.00**	**26,21,410.00**	**25,99,338.00**	**65,43,540.00**
Ceiling as per the Act		Not Applicable to Government company					

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		.....	.....	.....	.....	
1	Independent Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	NIL
Total (1)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
2	Other Non-Executive Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (2)		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (B)=(1+2)		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total Managerial Remuneration		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Overall Ceiling as per the Act		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

C. Remuneration to key Managerial Personnel other than Md/Manager/Wtd

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Shri A. C. Upadhyay, Company Secretary & Head Legal	CFO	Total
1.	Gross salary				
	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	15,35,253.00	-	15,35,253.00
	b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961		29,700.00		29,700.00
	c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) Income-tax Act, 1961		0.00		0.00
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	- as % of profit				
	- others, specify				
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
Total			**15,64,953.00**		**15,64,953.00**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

ANNEXURE-B

Company's Report on Corporate Governance

1. A brief statement on Company's philosophy on Guidelines of Corporate Governance

The Mission/Vision statement of the Company includes enhancing the stakeholders' value and the Company firmly believes that only good corporate governance will generate value on a sustained basis to all its stakeholders. Corporate Governance primarily concerns transparency, full disclosure of material facts, independence of Board and fair play with all stakeholders.

Your Company is newly incorporated entity and steps are being taken up to comply/adhere with all compliances in terms of the Guidelines of Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises from time to time.

2. Board of Directors. Composition of the Board

BBNL being a PSU, appointment/nomination of Directors is made by the President of India through Ministry of Communication & Information Technology, Department of Telecommunications and Department of Public Enterprises. Presently, Board of BBNL have Five Members, of whom three are Functional Directors (including Chairman–cum–Managing Director), two are nominees of Government of India. There are no Independent Directors. Company has approached Administrative Ministry/Department of Public Enterprises for the appointment of Independent Director. The Government of India is in process of filling up these vacancies.

2.1 Number of Board Meetings held, dates on which held:

During the year the Board of Directors of the Company met ten times on:-

32nd Board Meeting 29.05.2014	33rd Board Meeting 27.06.2014	34th Board Meeting 30.07.2014	35th Board Meeting 02.09.2014
36th Board Meeting 30.09.2014	37th Board Meeting 09.10.2014	38th Board Meeting 27.11.2014	39th Board Meeting 08.01.2015
40th Board Meeting 09.02.2015	41st Board Meeting 20.02.2015		

2.2 The details as to the attendance of the Directors in the Board Meetings and number of other directorships and committee memberships, chairmanships as on 31st March, 2015 are as follows:

Name of the Director	Category	Attendance in Board Meeting during 2014-15	Attendance in Last AGM	Number of Directorships in other Companies	Number of Committees (including BBNL)	
					Member	Chairman
Ms. Aruna Sundararajan*	Chairman-cum-Managing Director	5	-	-	-	-
Shri N.Ravi Shanker**	Chairman-cum-Managing Director	3	-	-	-	-
Shri A. K. Bhargava***	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	5	Yes	-	3	-
Shri V. Umashankar	Govt. Nominee Director	9	Yes	1	1	1
Shri I.S.Sastry	Govt. Nominee Director	7	No	-	2	1
Ms. Arundati Panda	Director (Finance)	10	Yes	-	1	-
Shri P.K.Agarwal	Director (Planning)	10	Yes	-	3	-

*Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Ms. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014.

** Shri N. Ravi. Shanker has resigned from the post of Chairman-cum-Managing Director on 31.07.2014.

***Shri A. K. Bhargava, Director (Operation) has been entrusted an additional charge of Chairman-cum-Managing Director on August 28, 2014. Further, Shri Anil Kumar Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N), since he has been posted as Advisor (T), Department of Telecommunications.

Note: None of the Directors of the Board is a member of more than 10 (ten) committees or Chairman of more than 5 (five) committees across all the companies in which he is a Director. All the Directors have made requisite disclosures regarding Directorship/ Committee position occupied by them in other Companies.

A brief resume of the Directors who are being re-appointed at the forthcoming Annual General Meeting is given in the Notice of the Annual General Meeting.

2.3 Age Limit and Tenure of Directors

The age limit for the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-time Functional Directors is 60 (sixty) years. Generally, the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-Time Functional Directors are appointed for a period of 5 (five) years from the date of taking over the charge or till the date of superannuation of the incumbent, or till further instructions from the Government of India, whichever event occurs earlier. Part-time Official Directors (Government Nominees) retires from the Board on ceasing to be officials of the Ministry. Independent Directors are appointed by the Government of India.

2.4 Directors appointed during the year:

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Nature of expertise in specific functional areas	Names of companies in which the person holds the Directorship and the membership of Committees of the Board (as on 31.03.2015)
1.	Ms. Aruna Sundararajan* DIN 03523267	CMD	01.10.2014	Given below	NIL
Brief Profile:- Ms. Sundararajan is one of the most senior civil servants of the Indian Administrative Service (IAS) in the Kerala cadre . She has over three decades of experience in a variety of leadership roles in the Central Government and Kerala State. She was an Additional Chief Secretary ranked officer of the Government of Kerala. Presently, Ms. Sundararajan, Special Secretary & Administrator (USOF) has assumed the additional charge of Chairman-cum- Managing Director, BBNL on 01.10.2014.					

*Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Ms. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014.

2.5 Information placed before the Board of Directors

The Board of Directors have complete access to the information within the Company which includes Annual Revenue and Capital Budget, Periodic Statement of Accounts showing financial results of the Company, Financing Plans of the Company, Minutes of the Meetings of various Committees including Audit Committees, Annual Report, Directors' Report etc., Periodic Report on Compliance of applicable Laws, Disclosure of interest by Directors about Directorship and position occupied by them in other companies & other materially important information.

2.6 Process after the Board Meeting is held

The Secretary of the company as a part of the Governance Process, disseminate the outcome of the Board with necessary approvals and permissions/authorizations accorded to the Heads of the Divisions/Areas and there is a post-meeting compliance mechanism by which the necessary follow-ups, review and reporting for actions taken/ pending on the approval so accorded by the Board/ Committees are made.

2.7 Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel:

Being a Government company, the remuneration of the Whole-Time Functional Directors and Other Key Managerial Personnel is decided by the Government of India / Board, as applicable. The Independent Directors are not paid any remuneration except sitting fees at the rate fixed by the Board within the ceiling fixed under the Companies Act, 2013 for attending each meeting of the Board or Committees thereof, but during the year Independent Director is yet to be appointed by the Govt. of India.

Amount in ₹

Sl. No.	Name	Designation	Salary including employer's contribution of PF & FPF and Leave Encashment	Other Benefits (includes LTC, Medical Expenses etc.)	Total
1.	Ms. Aruna Sundararajan*	Chairman-cum-Managing Director	0.00	0.00	0.00
2.	Shri N.Ravi Shanker**	Chairman-cum-Managing Director	46,000.00	0.00	46,000.00
3.	Shri A. K. Bhargava***	Director (Operation) & Additional charge of CMD	10,72,770.00	68,422.00	11,411,92.00
4.	Shri V. Umashankar	Govt. Nominee Director	0.00	0.00	0.00
5.	Shri I.S.Sastry	Govt. Nominee Director	0.00	0.00	0.00
6.	Ms. Arundati Panda	Director (Finance)	24,28,680.00	1,92,730.00	26,21,410.00
7.	Shri P.K.Agarwal	Director (Planning)	24,74,340.00	1,24,998.00	25,99,338.00
8.	Shri A.C.Upadhyay	CS & Head Legal	12,78,112.24	2,57,141.00	15,35,253.00

*Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Ms. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014
** Shri N. Ravi. Shanker has resigned from the post of Chairman-cum-Managing Director on 31.07.2014.
***Shri A.K. Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

2.8 **Payment of sitting fees to Independent Directors during the year 2014–15:**

There were no Independent Director on BBNL Board during the year 2014-15. The position of Independent Director is vacant. The company has communicated about the requirement of Independent Directors in the Company, to the Department of Telecommunications, due to which Nomination & Remuneration Committee is not constituted.

2.9 **Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors:**

No remuneration is paid by the company to Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors.

3. COMMITTEES OF THE BOARD

The company has the following Four (4) Board level Committees:

1. Audit Committee
2. Remuneration Committee
3. Risk Management Committee
4. Executive Committee

4. Audit Committee

4.1 **Brief description of terms of reference**

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises.

4.2 **Scope of Audit Committee**

The Audit Committee acts as a link between the Management, Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors. The list of functions inter-alia includes the following:

- To hold discussion with Auditors periodically about:
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- To perform the following functions:
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
  - Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
  - Recommending the appointment and removal of external auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
  - Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.
  - Review the CEO/CFO Statement and also Management Discussion and Analysis Report.

4.3 **Constitution, Composition, name of Members and Chairperson**

Company has approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors which is pending. As soon as Independent Directors are appointed by the Ministry/Department of Public Enterprises on the Board of BBNL, the Audit Committee will be reconstituted immediately.

Initially, the Audit Committee has been constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Director and One Functional Director. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 5 (Five) [(5th) 27.06.2014, (6th) 02.09.2014, (7th)30.09.2014, (8th) 27.11.2014 & (9th) 20.02.2015] Audit Committee meetings have been convened.

The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2015: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri V. Umashankar	Chairman	Govt. Nominee Director	5
2.	Shri A. K. Bhargava*	Member	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	3
3.	Shri I. S. Sastry	Member	Govt. Nominee Director	4
4.	Shri P. K. Agarwal	Member	Additional Charge of Director (Operation)	2

*Shri A.K. Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

**Pursuant to DOT order, Shri P.K.Agarwal, Director (Planning), BBNL has taken an additional charge of the post of Director (Operation), BBNL w.e.f 01.10.2014.

5. Remuneration Committee

Initially, the Board constituted the Remuneration Committee in 2013. As per DPE Guidelines, Chairman should be Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSE, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees however, is decided by the Govt. of India.

During the year 1 (One) meeting was held on (1st) 20.02.2015. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official/ official part time Directors	-
2.	*	Independent Director	Non-official/ official part time Directors	-
3.	Shri V. Umashankar	Member	Govt. Nominee Director	1
4.	Shri I. S. Sastry	Member	Govt. Nominee Director	1

* The position of Independent Director is vacant.

6. Risk Management Committee

Your Company has approached to Department of Telecommunications/Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors. During the year under review one (1) meeting was held on (2nd) 18.08.2014. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2015.

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri I. S. Sastry	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri A. K. Bhargava*	Member	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	1
3.	Shri P. K. Agarwal	Member	Director (Planning)	1

* Shri A.K. Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

7. Executive Committee

During the year under review Six (6) meeting were held on (20th) 30.04.2014, (21st) 20.05.2014, (22nd)15.07.2014, (23rd)24.09.2014, (24th) 09.10.2014 & (25th)21.11.2014. The composition and category of Members of the Executive Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Ms. Aruna Sundararajan*	Chairperson	Chairman-cum-Managing Director	2
1.	Shri N. Ravi Shanker**	Chairman	Chairman-cum-Managing Director	3
2.	Shri A. K. Bhargava***	Member	Director (Operation) & Chairman-cum-Managing Director	4
3.	Shri P. K. Agarwal	Member	Director (Planning)	6
4.	Ms. Arundati Panda	Member	Director (Finance)	6

* Pursuant to DoT Order no. F.No. 13-2/2014-PSA dated 1st October, 2014 Smt. Aruna Sundararajan was entrusted the additional charge of Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f. 01.10.2014

** Shri N. Ravi. Shanker has resigned from the post of Chairman-cum-Managing Director on 31.07.2014.

*** Shri A.K.Bhargava, Director (Operation) has tendered his resignation from the charge of the position of additional charge of CMD & Director (Operation) of the Company w.e.f. 30.09.2014 (A/N).

8. Statutory Auditor

In exercise of the powers conferred by Section 139 of Companies Act, 2013, the Comptroller & Accountant General of India (C&AG) has appointed the following Chartered Accountant Firms as Statutory Auditor / Branch Auditors of the company for the year 2014-15:

Vohra & Sehgal
Chartered Accountants
B-222, (II Floor), Greater Kailash-1,
New Delhi-110048

Statutory Audit for the year 2014-15 was paid ₹ 3,50,000/- (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus service tax.

9. Annual General Meetings (AGMs)

The details of last 3 Annual General Meetings of the Company are as under:-

No. of AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Special Resolutions Passed
2nd Annual General Meeting	01.04.2013 to 31.03.2014	30.09.2014	11:30 hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Yes (Two Special Resolutions were passed for amendment in MOA & AOA)
1st Annual General Meeting	25.02.2012 to 31.03.2013	20.08.2013	15:00 hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil

10. Disclosures:

(i) Disclosure of the materially significant related party transactions:

The company has not entered into any materially significant related party transactions with the Directors or the Senior Management Personnel or their relatives for the year ended 31st March, 2015 that has potential conflicts with the interest of the company.

Necessary disclosures have been made under the Accounting Standards 18 relating to the Related Party Transactions forming part of the Accounts for the year 2014-15.

(ii) It is reaffirmed that no penalties, strictures have been imposed by any statutory body.

(iii) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:- Consequent upon the mandate of the DPE's MoU Task Force for inclusion of Compliance of CG Norms, inter-alia, establishing a whistle blower mechanism also as one of the Dynamic Parameters, the Company has put in place the Whistle Blower Policy /Vigil Mechanism which was approved by the Board.

(iv) The Company has been meticulously following the presidential directives and other guidelines issued by the Department of Telecommunications and the Department of Public Enterprises from time to time.

(v) During the year, no expenditure is debited to the books and accounts which are not for the purpose of business expenditure and no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and Top Management.

(vi) Disclosure of Accounting Treatment: Company follows the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India in the preparation of Financial Statements. Company has not adopted a treatment different from that prescribed in any of the Accounting Standard.

(vii) Items of expenditure debited in Books of Accounts / Other Expenses and details of Administrative and other financial expenses are given in the Financial Statements and Notes to Accounts.

(viii) Chairman's Speech at AGM is also distributed to the Shareholders who attend the Annual General Meeting of the Company and the same is also displayed in the website of the Company.

(ix) Management Discussion and Analysis Report forms part of the Directors' Report 2014-15.

(x) Pursuant to DPE Guidelines, the 'Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management' of the company has been laid down by the BBNL Board and the same has been implemented in BBNL. The said code has been circulated to all concerned and the same is also hosted on the website of the company. The Board members and Senior Management Personnel of the company have affirmed compliance with the provisions of the said Code of Conduct for the Financial Year ended 31st March, 2015. A declaration in this regard by Chairman-cum-Managing Director of the company is annexed with the report:

11. Means of Communication

Annual financial statements, New releases, tenders and career opportunities etc., are put in the company's website.

Posting of information on the website of the Company:- The company's website www.bbnl.nic.in is a user friendly site, containing all the latest developments.

Annual Report of the Company containing inter-alia, Audited Accounts, Directors Report, Independent Auditors Report and replies of management thereto, Comments and Review of the C & AG of India are circulated amongst all the Members and other entitled thereto, as enunciated in the Companies Act, 2013, and also laid before the Houses of the Parliament.

12. Training of Board of Members:

The new Directors are given orientation and induction regarding Company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, risk matters. The normal practice is to furnish booklets, brochures, Annual report, MOU signed with administrative ministry, Memorandum & Article of Association of the Company, guidelines on Corporate Governance etc.

13. Shareholding by the Directors and Stock Options:

Being a nearly hundred percent Government Owned Company, 99.99% shares are held by the President of India through Ministry of Communications and IT, Department of Telecommunications. The Directors are not required to hold any qualification shares.

The Company has not issued any stock options to its Directors/Employees.

14. Certificate on Compliance of Corporate Governance

Department of Public Enterprises (DPE) has issued Corporate Governance guidelines applicable for Central Public Sector Enterprises, which has been made mandatory effective from May 2010.

In general, the Company has complied with the mandatory requirement of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE except the requirement relating to minimum number of Independent Directors in the Board of the Company. The Company has taken up the issue with the appointing authority, viz., Government of India. The appointment of Independent Directors is under the consideration of Government of India. A certificate to the effect has been obtained from M/s Rimpi Jain & Associates, Company Secretaries which forms part of the Report.

Bharat Broadband Network Limited

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman-cum-Managing Director
DIN-03523267

Date: 23.09.2015
Place: New Delhi

ANNEXURE-C

Management Discussion and Analysis

i) Industry Structure and Developments

Proliferation of broadband services in the rural areas of the country is seen as a key economic growth driver. Number of studies done world-wide and in India have shown a strong correlation between broadband penetration and economic well-being of the rural population. Optical Fibre is the primary communication media for broadband services. Whether it is 4G data services, Cable TV services or e-Health, e-Education etc., optical fibre through its ability to carry virtually unlimited bandwidth provides the most viable medium for carrying the digital signals.

Analysis of data received from industry suggests that the optical fibre has reached up to the District and Block level. At the Block level, it is predominantly the CPSUs and mainly BSNL that has the largest present, while most of the private players are present up to the District level. Rural areas are by and large deprived of optical fibre connectivity. Due to lack of business case in rural areas for private operators, there has hardly been any investment done in taking the broadband services up to the rural areas.

In order to bridge the digital divide that exists between rural and urban areas of the country Government intervention is required. In this context NOFN is proposed to be setup to provide the missing OFC network up to the 2,50,000 Gram Panchayats in the country to enable service providers both in Government as well as Private sector to create last mile connectivity and provision their services to rural users. Non-Discriminatory Access to all the service providers to the network is one of the key tenets of NOFN.

ii) SWOT Analysis

Strengths:

- Strong commitment and funding from the Government.
- Availability of highly experienced and technically sound manpower from Government pool.
- Availability of established field proved processes and specifications for laying the OFC network.
- Leveraging the existing OF cables of CPSUs for faster roll out of the network.
- Strong support from State Governments in terms of free RoW and infrastructure at GPs.

Weaknesses:

- Problems of rural areas like power, theft and connectivity may strain the performance of the network.
- Poor health of existing fiber network in some of the areas may impact the SLAs.
- Multi-agency implementation model leads to coordination issues specifically with respect to vast geographies that need to be covered under NOFN.
- O&M challenges due to vast geographical spread and coordination with multiple agencies.
- BBNL being relatively newer organization, the organizational setup is not yet fully established.
- Frequent changes in execution approach leading to delays due to modification in processes.

Opportunities

- Low broadband penetration means huge untapped demand.
- Growing demand for data and video will spur demand for high bandwidth.
- Due to impetus from Digital India initiatives, high demand expected for G2C and B2C services.
- Business imperatives in rural areas will favour proliferation of B2C and B2B services.
- Government vision of Broadband as basic infrastructure for service delivery.

Threats

- Rural Ecosystem is not mature which may result in low uptake threatening the viability of the project.
- Availability gap of affordable bandwidth from District to Block segment.
- Lack of digital literacy, affordable devices and adequate content in local language.
- Low purchasing power in rural areas may put pressure on revenues due to uncertain demand.

iii) Segment wise or product wise performance

BBNL's offering to market under NOFN project is limited to wholesale bandwidth to be offered to service providers

on a Non-Discriminatory basis. The bandwidth may be offered under different plans suitable to cater to the market needs.

The services offering shall start once a critical mass of the project implementation has been completed.

iv) Outlook

a) Company is currently in the project execution mode. The proposed steps recommended by NOFN review committee shall be implemented once the report is accepted.

b) Under the proposed BharatNet model the project would be executed by interested States under the State led Model and for the remaining States would be executed by BBNL either through the CPSUs or through the Private Sector companies.

c) Around 18 States have shown interest to undertake implementation of BharatNet under the State Led Implementation Model. The guidelines for implementation shall be provided to them on approval of the report.

d) BBNL has already acquired the ISP license that would enable it to deliver services to end users, if required. One of the possible end user service as envisaged in the BharatNet project is the community Wi-Fi services to rural population at the GP level.

The services offering shall start once a critical mass of the project implementation has been completed.

v) Risks and Concern

Risk Management is an integral part of the Company's business strategy. The risk management process is governed by the Enterprise Risk management framework. The Risk Management oversight structure includes Committees of the Board and Senior Management Committees. The Risk Management Committee of the Board ("RMC") reviews compliance with risk policies, monitors risk tolerance limits, reviews and analyses risk exposure related to specific issues and provides oversight of risk across the organization. The RMC nurtures a healthy and independent risk management function to inculcate a strong risk management culture in the Company. A Risk management Committee has been constituted by BBNL Board to address these issues. The Committee has formulated a Risk Management Policy framework for BBNL.

vi) Internal Control Systems and their Adequacy

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

vii) Discussion on financial performance with respect to operational performance:

The brief financial results are given below:

Particulars	Amount in ₹	
	For the year ended 31st March, 2015	For the period ended 31st March 2014
Revenue from Operations	41,33,354	41,33,355
Other Income	10,91,35,562	7,98,79,064
Total Revenue	11,32,68,916	8,40,12,419
Employee's Remuneration and Benefits	2,43,67,262	1,12,96,129
Finance cost	3,69,009	5,81,153
Depreciation and amortisation expense	3,64,79,824	1,96,08,782
Administrative, operating and other expenses	4,81,60,076	2,42,20,666
Total Expenses	**10,93,76,171**	**5,57,06,730**
Profit / (Loss) before prior period items and tax	**38,92,745**	**2,83,05,689**
Profit / (Loss) before Tax	**(14,16,551)**	**2,76,80,877**
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	25,84,148	67,00,731
Current Tax expense relating to prior period	17,26,686	1,110
Deferred Tax	(28,71,113)	32,08,033
Profit / (Loss) after Tax	**(28,56,272)**	**1,77,71,003**
Earnings per share		
Basic	(0.05)	0.30
Diluted	(0.05)	0.30
Transferred to General Reserve	-	**1,77,71,003**

viii) Material developments in Human Resource, Industrial Relations front, including number of people employed

Your Company has been rapidly organized and properly structured to meet the present day requirements. The guiding principle is to keep the organisation Lean and Flat. The organisation is built around three Branches – Finance, Planning and Operations. The organization chart of BBNL is as follows:

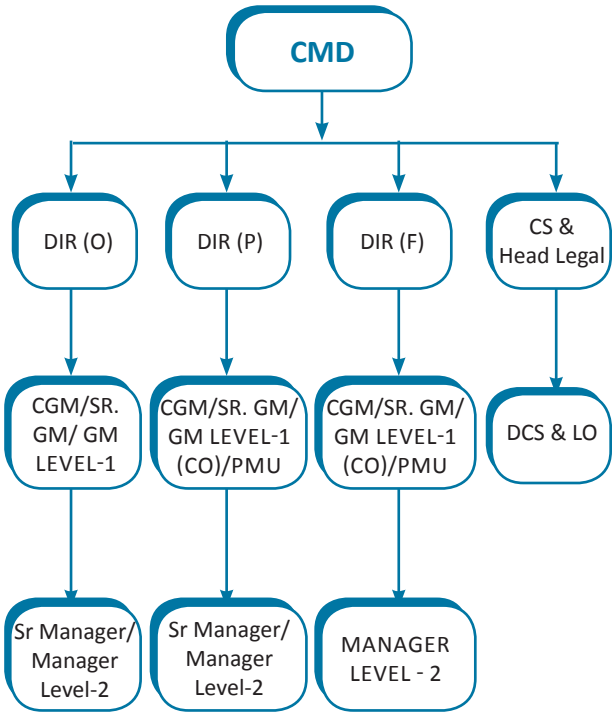

BBNL is a nascent organisation and is growing as per its need. As on 31st March 2014, your Company had strength of the employees as per details given below:

Level	Working (Total)	SC/ST	OBC	Women
Level – 1	100	17	10	5
Level – 2	15	0	1	1
Total	115	17	11	6

ix) Environmental Protection and Conservation

BBNL affirms its commitments towards Environmental Protection and conservation.

x) Accomplishments

On 12th January, 2015 Idduki district in Kerala became India's first ever district to get wholly covered by High Speed Rural Broadband access. Edamalakudy Gram Panchayat of Kerala a remotely located tribal Gram Panchayat with no road connectivity, no electricity and no water supply till some time back - can now boast of Broadband Internet as well as Mobile voice services. Today, Edamalakudy is connected to the outside world through digital network. This is an example of the transformational effects that Broadband would have on the lives of rural population.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modiji commissioned India's First Hi-Speed Rural Broadband Network BharatNet under the Digital India Programme at a function held in New Delhi on 1st July, 2015. The event marked a key milestone in ushering in a new era of Digital India.

The National launch of Digital India programme was celebrated nationwide from 1st July 2015 to 7th July 2015. A massive campaign aimed at informing, educating and engaging citizens was organized through Gram Panchayat / Common Service Center / Post Offices / Schools etc. As part of this national campaign, BBNL had organized events in 30 Gram Panchayats (GPs) across 12 States and UTs. Various E-Services like E-education, E-Health, E-governance and Internet Services etc. were demonstrated to people and to officials at Gram Panchayats using NOFN network. Further Interaction with people through video conferencing were conducted between GP and venues for Digital India week programme as well as with other offices in New Delhi.

xi) Technology Development Initiatives

Key initiatives in technology development underway include:

- Development of Main Data Centre at Delhi and DR Data Centre at Bengaluru for hosting IT infrastructure and Network Operation Centre.
- Development of Network Management System (NMS) by CDOT for monitoring of the entire NOFN network. The NMS system was deployed in geographical high availability architecture with Main and DR Data Centers. NMS System provided

Fault Management, Trouble Ticketing, Performance Management, Inventory Management, Service Provisioning capabilities along with integration with GIS system for Live Monitoring of Electronics on GIS Map.

- Development of Planning Tool by CDOT for GPON Network
- Development of Centralized Geographical Information System by NIC using approx. 5400 Sheets purchased from Maps of India. For ongoing Fiber Network & GPON System roll-out, GIS system is capturing details of Outside Plant features, Fiber Routes and storing As-Built Diagrams.
- Development of Project Management System with Primevera tool for planning & managing Project activities and collaborating between BBNL Corporate and State PMUs.
- Development of Fibre Fault Localization System by C-DOT

xi) Renewable energy developments

BBNL operates in rural areas and understands the need for use of renewable energy. It has decided to use Solar Panel power system for all ONTs in Gram Panchayats.

xii) Foreign Exchange conservation

BBNL is helping conserve Foreign Exchange by adopting Preferential Market Access as decided by the Government.

xiii) Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company has not started operations yet. Moreover, the Company does not fall under the purview / criteria of CSR as mentioned in the Companies Act, 2013. Hence CSR activities have not been taken up.

Bharat Broadband Network Limited

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman-cum-Managing Director
DIN-03523267

Date: 23.09.2015
Place: New Delhi

The Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms

To

The Members,

M/s Bharat Broadband Network Limited,

New Delhi

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by M/s Bharat Broadband Network Limited for the financial year ended 31st March, 2015, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises, as enunciated by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the guidelines. Our Report/ Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the DPE Guidelines, except for the number of Independent Directors on the Board, which was less than half of the total strength of the Board as required under the DPE Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Rimpi Jain & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Rimpi Jain
Proprietor
M No. 37018
CP No. 13816

Place : New Delhi
Date : 25.08.2015

Annexure - E

Certification/declaration of financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company– Dir (F)

We Aruna Sundararajan, Chairman-cum-Managing Director and Arundati Panda, Director (Finance) & CFO of Bharat Broadband Network Limited certify that in respect of the Financial Year ended on 31st March 2015:

1. We have reviewed financial statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:
   i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading; and
   ii) these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
2. There are to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.
3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken or proposed to be taken to rectify the same.
4. We have indicated, wherever applicable, to the Auditors and the Audit Committee.
   a) significant changes, if any, in internal control over financial reporting during the year;
   b) significant changes, if any, in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   c) instances of significant fraud, if any, wherein there has been involvement of management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman-cum-Managing Director
DIN-03523267

Sd/-
Arundati Panda
Director (Finance)
DIN-05355640

Date: 23.09.2015
Place: New Delhi

Annexure - D

Declaration Regarding Compliance with the Code of Conduct

I hereby declare that the Company has received affirmation from the Board Members and the Senior Management Personnel with regard to Compliance of the Code of Business Conduct and Ethics of the Company for Directors and Senior Management Personnel, in respect of the financial year ended on 31st March, 2015.

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman-Cum-Managing Director
Bharat Broadband Network Limited
DIN-03523267

Place: New Delhi
Date: 23.09.2015

Form No. MR-3 **Annexure - F**

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2015

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited

Room No. 306, 3rd Floor,
C-Dot Campus Mandi Gaon Road,
Mehrauli New Delhi-110030

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bharat Broadband Network Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bharat Broadband Network Limited** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2015 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Bharat Broadband Network Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2015 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iii) OTHER APPLICABLE ACTS:

(a) Payment of Wages Act, 1936, and rules made thereunder,

(b) Employees' State Insurance Act, 1948 and rules made thereunder,

(c) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and rules made thereunder,

(d) Payment of Gratuity Act, 1972, and rules made thereunder,

(e) The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970,

(f) Telecommunication and Regulation Act of India, 1997

We have also examined compliance with the applicable clauses/guidelines of the following:

(i) DPE guidelines

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. ***As required under the provisions of the Companies Act, 2013, there is no Independent Director appointed on the Board of the Company and its Sub-Committee.***
2. ***Company is regular in filing of EPF, ESI, TDS, VAT, Service tax, Income Tax Return except delay in few instances.***

We further report that

The Board of Directors of the Company is not duly constituted as company has not appointed any Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took, place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'Annexure A' and forms an integral part of this report.

For J. K. Gupta & Assoiates
Company Secretaries

Sd/-
Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No. : 2448

Place : Delhi
Date : 04.09.2015

'ANNEXURE – A'

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited

Room No. 306, 3rd Floor,

C-Dot Campus, Mandi Gaon Road,

Mehrauli New Delhi-110030

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have relied on the Internal Auditors Report of M/s **Thakur, Vaidyanath Aiyar (Chartered Accountants)** for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory/Legal Compliances on sample basis.
4. We have relied on the Statutory Auditors Report of **M/s Vohra & Sehgal (Chartered Accountants)** for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.
5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For J. K. Gupta & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No.: 2448

Place: Delhi
Date: 04.09.2015

Independent Auditor's Report

To

The Members of

Bharat Broadband Network Limited

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying financial statements of BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act,2013 ("the Act") with respect to preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Company in accordance with the Accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal control system over financial reporting and the effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and **subject to the undermentioned qualifications** give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015;

b) In the case of the Statement of Profit and Loss, of the Loss of the Company for the year ended on that date.

Qualifications

A) The project is for connecting approximately 2,50,000 Gram Panchayats with broadband Network in India is being implemented through three public sector undertakings (PSUs)- Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), PowerGrid Corporation of India Ltd. (PGCIL) and Railtel India Ltd. (RAILTEL). Funds are provided to these PSUs from time to time as per

their requisition. This project was to be completed by 31st March 2015 but till date not even 10 % of project has been completed. In our opinion excess funds have been disbursed to them towards initial ten percent capital advance as under:

a) BSNL – ₹ 63.19 Crores , b) PGCIL – ₹ 23.58 Crores and c) RAILTEL ₹ 34.43 Crores.

B) Payment is made to these PSUs as Centage – their charges towards implementing the project. Clause no 9.1 of the agreement between the Company and these PSUs is not implemented regarding payment to these PSUs as Centage. As per this clause payment is to be made on execution of work by them but payment is made by the company as advance with the payment of initial capital advance. Besides deduction as penalty of ten percent from Centage towards delay in execution of the project by these PSUs is not done thereby clause no: 9.1 of the agreement is being bypassed. Besides non levy of penalty excess Centage has been paid to these PSUs as under :

a) BSNL – ₹ 19.56 Lacs, b) PGCIL- ₹ 1.61 Crores and c) RAILTEL – ₹1.57 Crores.

C) Supply of material by different Vendors is delayed from three months initially to thirteen months later. This is beyond the delivery period allowed to them initially. Delivery is still received from them. Towards the end of the year part delivery after the long delay of thirteen months has also been received. As per the records reasons of delayed delivery is delayed intimation to vendors about the destination of material to be delivered by vendors. The reason, as per the records verified by us, is non preparation by the PSUs for thirteen months has also been received. As per the records reasons of delayed delivery is delayed intimation to vendors about the destination of material to be delivered by vendors. The reason, as per the records verified by us, is non-preparation by the PSUs for utilization of ordered material and lack of coordination between the Company and PSUs thereby not placing the order by the Company as per the schedule and preparations of PSUs for utilizing the materials. To overcome the problem Board revised the delivery schedules. Instead of taking appropriate corrective measures and fixing the accountability for delay and lack of coordinated efforts for implementing the project revised delivery schedule has further delayed the project.

D) Report from these PSUs on the status of the project, number of Gram Panchayats connected etc. as on 31.3.2015 is not available. Funds have been disbursed without report of the implementation and progress of the project. In view of this proper capitalization of expenses was not possible. Balance confirmation from and amount of Centage received by these PSUs were also not available.

E) Purchase of material could not be reconciled with other related expenses viz, Excise Duty,Central Sales Tax etc. since in many cases Central Sales Tax has been clubbed with basic price. Besides Excise Duty paid at two different rates has been clubbed in one account

F) Details of Consumption of materials, and closing stock lying at different locations of the project all over India were not available. Reconciliation of Purchases with consumption and closing stock was thus not available for verification.

G) Compliance of Service tax, TDS and other relevant statutes by 3 CPSUs could not be verified in respect of work done by them since details and documents were not available.

H) Project is far behind the schedule and targets of PSUs for connecting Gram Panchayats have been reduced thereby further delaying the project and cost overrun but on the other hand funds are being committed for other non core areas, viz lease purchase of residential and commercial built up space at a cost of ₹ 130.48 crores excluding Service tax. Out of this commitment ₹ 71.69 crores have already been paid.

DMRC Building in Shastri Park, Delhi has been taken on lease rent for office purposes and rent has been paid ₹ 3.96 crores till the end of the year without utilization of this office premises till date. Total Fit out cost committed with NBCC for this office premises till 31.3.2015 is ₹ 24.03 crores, out of which ₹ 2.38 crores have been paid during the current year. Work of Fitout cost was to be completed by 31st January, 2015 but till date this has not been completed. Penalty of upto two percent of the project cost is leviable on NBCC but no provision has been made due to delay in approving drawing and designs of

the work by the company.

I) Inspection charges have been paid by vendors to BSNL which is being reimbursed by the company for verification of quality etc. of the material received by the PSUs for the project at different locations all over India. The company should ensure that TDS has been deposited by the vendors before reimbursement to vendors.

J) Purchases of Materials by the PSUs and contractual payments made on behalf of the Company could not been verified due to non availability of records.

K) Broad band Network has been completed in few Gram Panchayats and expenses on publicity and celebrations on this occasion were spent amounting to ₹ 1.04 Crores but capital expenses incurred for completion of Net working of these Gram Panchayats have not been capitalized and their utilization has not been confirmed nor any revenue has been accounted for.

L) Amount transferred to Capital work in Progress this year is not on the basis of material utilized, direct expenses and overhead attributable on the part of work completed instead certain expenses excluding material cost has been transferred to Capital work in progress. Amount of expenses transferred are also not as per any accounting principle or policy due to non availability of details in this regard.

M) ₹ 46.44 lacs has been debited to BSNL towards bandwidth charges during the year and together with the amount debited in the previous year by crediting revenue from operations total outstanding at the year end becomes ₹ 92.88 lacs but nothing has been realised from BSNL. This amount could have been adjusted against amount paid to them.

N) No provision of subsidy receivable from USOF on account of net cost of operating expenses (including administrative expenses) net of revenue streams, of NOFN, is accounted for as other income in the current year in contravention of the accounting policy no. 2.2(d) followed by the company.

O) We were told that no supplier of material and services is covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) hence disclosure under Schedule VI and MSMED Act, 2006 is not required.

P) Advance to NIC for GIS Project paid ₹ 3.50 crores in the previous year. Status of the project and its completion schedule is not available and the amount is still being shown as advance.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 (the Order) issued by the Central Government of India in terms of sub – Section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by Section143(3) of the Act, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2015, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2015, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

For VOHRA & SEHGAL
Chartered Accountants
FRN :009465N

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M.NO- 087446

Place : New Delhi
Date : 28.07.2015

'Annexure Referred to Paragraph 1 of the Report on Other Legal and Regulatory Requirements'

1. a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

   b) According to the information & explanation given to us, the fixed assets have been physically verified by the management during the year. We were informed that no material discrepancies were noticed on such physical verification.

2. a) The Inventory of the company are at various locations of the project under the control and supervision of three PSUs – Bharat Sanchar Nigam Ltd., Powergrid Corporation of India Ltd. and Railtel Ltd. Management of the Company has neither conducted physical verification of these inventory during the year nor it has details and value of the Inventory.

   b) The Company is not maintaining proper records of Inventory.

3. According to information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act 2013. Accordingly, provisions of clause 3(iii) (a) and (b) of the Order are not applicable to the Company.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and nature of its business with regard to purchase of fixed assets and Inventory. During the course of our audit we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control.

5. The Company has not accepted any deposits from public.

6. Rules made by Central Government for the maintenance of Cost records under section 148(1) of the Companies Act,2013 are not applicable to the Company.

7. a) The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, service tax, sales tax, value added tax, cess and other material statutory dues applicable to it.

   b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, service tax, sales tax, excise duty, value added tax, cess and other material statutory dues were outstanding, at the year end, for a period of more than six months from the date they became payable.

8. The Company has no accumulated losses at the end of the financial year and it has not incurred cash losses in the current and immediately preceding financial year.

9. The company had not availed any loan or credit facility from any Bank or financial institution as such this clause is not applicable to the Company.

10. According to the information and explanations given to us, the Company has not given guarantee for loans taken by any entity. As such provisions of this clause are not applicable.

11. The Company has not taken any term loan as such provisions of this clause are not applicable.

12. Based upon the Audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements and as per the information and explanations given by the management, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year.

For VOHRA & SEHGAL
Chartered Accountants
FRN :009465N

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M.No. : 087446

Place: New Delhi
Date: 28.07.2015

Balance Sheet as at 31st March, 2015

(Amount in ₹)

	Particulars	Note No.	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
A	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholders' funds**			
	(a) Share capital	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	(b) Reserves and surplus	4	3,18,25,562	3,46,81,834
			63,18,25,592	**63,46,81,864**
2	**Non-current liabilities**			
	(a) Deferred Tax Liabilities (Net)	5	4,35,318	33,06,431
	(b) Other long-term liabilities	6	2349,40,64,661	917,46,88,456
			2349,44,99,979	**917,79,94,887**
3	**Current liabilities**			
	(a) Other current liabilities	7	235,21,81,626	8,95,47,812
	(b) Short-term provisions	8	16,91,34,485	94,96,793
			252,13,16,111	**9,90,44,605**
	TOTAL		**2664,76,41,682**	**991,17,21,356**
B	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Fixed assets	9		
	(i) Tangible assets		6,48,24,643	1,83,17,305
	(ii) Intangible assets		5,91,24,803	7,29,06,057
	(iii) Capital work-in-progress	10	140,11,95,157	(2,59,26,919)
	(iv) Inventory	11	764,46,24,299	-
			916,97,68,902	**6,52,96,443**
	(b) Long-term loans and advances	12	932,36,56,669	403,71,75,198
	(c) Other Non Current Assets	13	1,00,02,484	1,50,03,726
			933,36,59,153	**405,21,78,924**
2	**Current assets**			
	(a) Trade Receivables	14	92,88,474	41,33,355
	(c) Cash and Cash Equivalents	15	666,50,47,516	552,63,68,439
	(c) Short-term loans and advances	16	29,40,49,486	10,16,31,577
	(e) Other Current Assets	17	117,58,28,151	16,21,12,618
			814,42,13,627	**579,42,45,989**
TOTAL			**2664,76,41,682**	**991,17,21,356**
Summary of Significant Accounting Policies The accompanying notes are an integral part of the financial statements		2		

As per our Report of even date attached.
For Vohra & Sehgal
Chartered Accountants
FRN 009465N

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M.No. 087446

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman & Managing Director
DIN : 03523267

Sd/-
Arundati Panda
Director (Finance)
DIN : 05355640

Sd/-
Devendra Kumar Nim
Chief General Manager (Accounts)

Sd/-
Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 28th July, 2015
Place : New Delhi

Statement of Profit and Loss

For the year ended 31st March, 2015

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2015	For the period ended 31st March, 2014
1	Revenue from Operations	18	41,33,354	41,33,355
2	Other Income	19	10,91,35,562	7,98,79,064
3	**Total revenue (1+2)**		**11,32,68,916**	**8,40,12,419**
4	**Expenses**			
	(a) Employee's Remuneration and Benefits	20	2,43,67,262	1,12,96,129
	(b) Finance costs	21	3,69,009	5,81,153
	(c) Depreciation and amortisation expense		3,64,79,824	1,96,08,782
	(d) Administrative, Operating and Other Expenses	22	4,81,60,076	2,42,20,666
	Total expenses		**10,93,76,171**	**5,57,06,730**
5	**Profit / (Loss) before Prior Period items and tax (3-4)**		38,92,745	2,83,05,689
6	Prior Period Items	23	(53,09,296)	(6,24,812)
7	**Profit / (Loss) before tax (5 + 6)**		(14,16,551)	2,76,80,877
8	**Tax Expense:**			
	(a) Current tax expense for current year		25,84,148	67,00,731
	(b) Current tax expense relating to prior period		17,26,686	1,110
	(c) Deferred tax		(28,71,113)	32,08,033
			14,39,721	99,09,874
9	**Profit / (Loss) after tax (7 -8)**		**(28,56,272)**	**1,77,71,003**
10	**Earnings per share :**	24		
	(a) Basic		(0.05)	0.30
	(b) Diluted		(0.05)	0.30
	Summary of Significant Accounting Policies	2		
	The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

As per our Report of even date attached.

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

For Vohra & Sehgal
Chartered Accountants
FRN 009465N

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M.No. 087446

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman & Managing Director
DIN : 03523267

Sd/-
Arundati Panda
Director (Finance)
DIN : 05355640

Sd/-
Devendra Kumar Nim
Chief General Manager (Accounts)

Sd/-
Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 28th July, 2015
Place : New Delhi

Notes Forming Part of the Financial Statements for the Year Ended 31St March 2015

1.

1.1 The Government of India decided on 25.10.2011 to install National Optical Fibre Network (NOFN) for providing broadband connectivity to approximately 2,50,000 Gram Panchayats (GPs) in India. It was also decided that the creation, operation and maintenance of NOFN shall be funded through the Universal Service Obligation Fund (USOF).

1.2 To implement the decision of the Government of India Bharat Broadband Network Limited (the "Company" or "BBNL") was set up as a Special Purpose Vehicle (SPV). BBNL was incorporated on 25th February 2012 under the Companies Act 1956 as a Public Sector Company with limited liability by shares. The Company is owned by the Government of India and its registered Corporate Office is located in New Delhi.

1.3 As per the agreement (hereinafter called 'the Agreement') signed on 25.02.2014 between the President of India, acting through the Administrator USOF and BBNL, BBNL shall set up, provide (i.e. procure, install, test, commission), operate, maintain and manage OFC transport network and associated infrastructure required for effective provision of at least 100 Mbps bandwidth on sharing basis in all the estimated 2,50,000 GPs of India. The network and associated infrastructure so created shall be called the National Optical Fibre Network (NOFN).

1.4 As per the Agreement, the assets created under the NOFN project with funding from USOF shall be owned by USOF / Government of India.

1.5 As per the Agreement, BBNL shall be solely responsible for creation, operation and maintenance of NOFN for provision of bandwidth to all the estimated 2,50,000 GPs, covering both existing routes / sections utilized and new sections. This responsibility shall be on a continuous basis and will extend to all aspect of the scheme viz. roll-out and commissioning, leasing, operation and maintenance, providing bandwidth on sharing basis.

1.6 As per the agreement, the USOF shall provide subsidy to BBNL for the entire Capital Expenditure (Capex) and Net Cost of Operating Expenditure (Opex) net of Revenue for a period of five years w.e.f. 25.02.2012 for creation, operation and maintenance of NOFN. BBNL will strive to become self-sustaining during this period.

1.7 Since the subsidy for the entire Capex, required for implementation of NOFN project, will be provided by the USOF / Government of India, the Company is accounting in its books of accounts the subsidy as well as assets of NOFN being created out of such subsidy, following the provisions contained in Paragraph 1, 8.2, 8.4 & 14 of Accounting Standard 12; the guidelines issued by ICAI through Paragraph 49(a), 56, 57, 58 & 88 of Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement; and provisions contained in Paragraph 6.1 of Accounting Standard 10, and Paragraph 6 & 14 of Accounting Standard 26.

1.8 With regard to contracting of work of laying OFC, installation of equipment etc for execution of NOFN Project, BBNL has entered into Memorandum of Understanding separately with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) and Railtel Corporation of India Limited (RAILTEL) in December 2012. The MOUs were followed by formal agreement between BBNL and above mentioned three PSUs (Executing Agency) on 16.05.13, 21.05.13 & 23.05.13 respectively enumerating the detailed terms and conditions of execution of NOFN project. MOU / Agreement has also been entered with C-DOT for Network Management System (NMS) and NIC for implementation of GIS. Later on, the project has been phased out with the target of completion of the 1st phase of 1,00,000 GPs by 31.03.2015. However, the amendments in the MOUs and Agreements between the Company and above mentioned three PSUs due to phasing of NOFN project implementation are yet to be made.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements of BBNL are prepared under the historical cost convention adopting the accrual method of accounting in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles and in accordance with the provisions

of the Companies Act, 2013 and it requires the management to make estimates & assumptions and actual may differ from these which are recognized in the period it is ascertained. The financials of the Company has been prepared up to the financial year 2013-14 in accordance with the revised schedule VI which was notified by the Government of India vide Notification No F. No. 2/6/2008-CL-V dated 30-03-2011. From financial year 2014-15 the Financial Statements of the Company are prepared as per Schedule III to the Companies Act 2013.

2.2 REVENUE RECOGNITION

Income from services is accounted for on accrual basis and in conformity with Accounting Standard – 9. Accordingly,

a) Revenue for all services is recognized when earned and are realizable at the time of billing. Un-billed revenues from the billing date to the end of the year are recorded as accrued revenue during the period in which the services are provided. Provisions are made in respect of bills considered to be disputed (by the management), debts outstanding for more than two years and for debts due for less than two years, to the extent considered necessary by the management.

b) Sale proceeds of scrap arising from maintenance and project works are taken into miscellaneous income in the year of sale.

c) Wherever there is uncertainty in realization of income, such as liquidated damages, claims on Government Departments & Local Authorities etc., these are recognized on realization basis.

d) The subsidy receivable from USOF on account of net cost of Operating Expense (Including administrative expense) net of revenue streams, of NOFN, is accounted for as other income in the financial year in which it is accrued.

e) The interest on funds with bank is recognized on accrual basis.

f) The interest earned on funds, other than the interest on funds received from Universal Service Obligation Fund (USOF) for creation of National Optical Fibre Network, is recognized as revenue.

2.3 FIXED ASSETS

a) Fixed assets are carried at cost less depreciation. Cost of fixed assets of NOFN includes (i) establishment and other expenses including employee remuneration and benefits of Project Management Units of States, (ii) employee remuneration and benefits of Planning Branch of Corporate Office which are directly identifiable to the construction of such fixed assets, (iii) the cost of establishment and other expense attributable to Planning Branch of Corporate Office, and (iv) the proportionate cost of Finance Branch of Corporate Office allocated to Planning Branch of Corporate Office during construction stage of NOFN.

Cost of fixed assets of other than NOFN includes both direct establishment and other expenses including employee remuneration and benefits for creation of such fixed assets as also proportion of indirect expenses attributable thereof.

Cost of fixed assets which are not yet ready to use on the date of Balance Sheet are disclosed under “Capital Work- in- Progress”.

b) Expenditure on replacement of assets, equipment, instruments and rehabilitation works is capitalized if, in the opinion of the management, it results in enhancement of revenue generating capacity.

c) The cost of stores and materials at the time of issue to project is debited to CWIP.

d) Optical Fibre Cable network and equipment of NOFN are capitalized as and when the network links between Optical Line Terminal (OLT) and Gram Panchayat are commissioned after successful Acceptance Testing (A/T).

e) Intangible assets are stated at cost of acquiring the same less accumulated amount of amortization.

f) The interest on funds received from Universal Service Obligation Fund (USOF) for creation of National Optical Fibre Network is credited to Capital-work-in-progress belonging to National Optical Fibre Network.

g) The liquidated damage charged as per terms and conditions of Purchase Order for procurement of inventory required for installation of NOFN is credited to CWIP Asset of NOFN.

2.4 DEPRECIATION / AMORTIZATION

a) Depreciation has been provided based on the Written down Value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act 1956, up to the financial year 2013-14. From

financial year 2014-15 onwards depreciation in respect of tangible asset is provided based on the Written Down Value method as per useful life prescribed under Part C of Schedule II to the Companies Act 2013 and taking into account 5% value of each item of asset as its 'residual value

b) Home furnishing assets such as 'curtains' etc included under the category 'Furniture and Fixture' are depreciated fully in the year of purchase in view of the life of such asset is very limited and negligible

c) The depreciation on machinery & tools used both for project and maintenance work is charged to Statement of Profit and Loss instead of capitalization.

d) Intangible assets such as Entry License Fee are amortized over the license period (i.e. 20 years).

e) Intangible asset is amortized on straight line method. Intangible asset, whose license period is specified, is amortized over the license period subject to a maximum period of 5 years. Other intangible asset is amortized over a maximum period of 5 years. Intangible asset having one year license is fully amortized in the year of purchase. Cost of Website and trademarks are amortized over a period of 5 years on straight line method.

f) Preliminary Expense is amortized over five years as per straight line method.

g) Books which are utilized for execution of NOFN project are depreciated over the period of execution of NOFN project.

2.5 INVENTORIES

Inventories procured for creation as well as for repair and maintenance of asset are valued at cost. The cost of inventory is arrived at taking all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The obsolete / non-moving inventories are valued at net realizable value.

2.6 GOVERNMENT GRANTS

Government grants/subsidy related to depreciable assets are recognized as deferred income in the Balance Sheet. Such deferred income is appropriated in the Profit & Loss Statement over the useful life of the asset created out of such grant/subsidy i.e. in a financial year an amount of deferred income which is equal to the amount of deprecation of asset in question pertaining to said financial year is credited to Profit & Loss A/c.

Government subsidy / grant related to revenue (Opex) is recognized in the statement of profit and loss as 'Other Income' on accrual basis.

2.7 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction i.e. on the date of payment or the billing as the case may be.

Foreign currency monetary asset at Balance sheet date is reported at the exchange rate prevailing at the reporting date.

2.8 LEASES

Leases are classified as finance or operating leases based on the extent to which risks and rewards incident to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee and accordingly leased assets and lease payments are recognized in the financial statement.

2.9 EMPLOYEES' BENEFITS

a) SHORT TERM EMPLOYEE BENEFITS:

Short Term employee benefits are recognized in the period during which the services have been rendered.

Medical Benefits

Medical reimbursements and other personal claim bills of employees are accounted for on actual basis in respect of bills received till finalization of accounts.

b) LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS

DEFINED CONTRIBUTION PLAN:

i) Pension Contribution (including gratuity): The Government employees and employees of other Public Sector Companies on deputation, who are governed as per extant Government Rules on the subject, are eligible for pension from the Government, which is a defined contribution plan. The company makes monthly contribution towards pension (including liability on account of gratuity) at the applicable rates as per Government Pension Rules and FR & SR, to the Government and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

ii) Employees' Provident Fund:

For employees of other Public Sector Companies on deputation who are governed by EPF Act

the Company remits Employer's Contribution and related administrative charges at a predetermined rate of employees' basic salary and dearness allowance to concerned other Public Sector Companies, and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

For employees recruited by BBNL who are governed by EPF Act, the Company remits Employer's contribution and related administrative charges along with employees' contribution to EPFO. The employer's contribution and administrative charges are expensed in the Statement of Profit & Loss.

iii) Contribution for Leave Salary:

For Government Employees and other Public Sector Companies on deputation, Leave salary contribution is paid by BBNL to Government/ other Public Sector Companies for the deputation period in accordance with FR115(b) of FR & SR and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. Consequently the leave salary payable for those on deputation during the period of leave rests with Government/other Public Sector Companies. Further any leave encashment either before or after quitting service/retirement is also the responsibility of Government/other Public Sector Companies.

iv) Gratuity:

For employees on deputation from other Public Sector Companies who are governed by Payment of Gratuity Act 1972 the company remits contribution towards gratuity to other Public Sector Companies and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

v) Post-employment Benefits to employees recruited by BBNL

Gratuity: Provision is made for gratuity as per Payment of Gratuity Act.

Contribution for Leave Salary: Provision in respect of Leave salary to be paid as post-employment benefit is made in accordance with FR115(b) of Fundamental Rules & Supplementary Rules and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. FR 115(b) is applicable to Central Government employee

The provision of post-employment benefits for employees recruited by the Company as mentioned above is provisional and to be replaced by Policy as soon as the same is framed and approved by the competent authority.

2.10 PRIOR PERIOD ITEMS

Income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements of one or more prior periods are recognized as prior period items in the Statement of Profit & Loss.

2.11 TAXES ON INCOME

Taxes on Income for the current period are determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. In accordance with the AS-22, Deferred Tax Liability/ Asset is recognized on the timing differences between accounting income and the taxable income for the period taking into consideration the contents of Accounting Standard Interpretations 3 and quantified using the tax rates in force or substantively enacted as on the reporting date. Deferred Tax Assets are recognized and carried forward to the extent there is a virtual certainty that such deferred tax assets can be realized.

2.12 PROVISIONS

Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of past events; it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and the amount has been reliably estimated.

2.13 CONTINGENT LIABILITIES

Liabilities, though contingent, are provided for if there are reasonable chances of maturing such liabilities as per management. Other contingent liabilities, barring frivolous claims, not acknowledged as debts, are disclosed by way of notes.

2.14 EARNINGS PER SHARE

Earnings Per Share ("EPS") comprises the Net Profit After Tax (excluding extraordinary income net of tax). The number of shares used in computing Basic & Diluted EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year.

2.15 SEGMENT REPORTING

There is only one primary segment which is provision of long distance service i.e. provision of bandwidth on sharing basis through NOFN.

3. SHARE CAPITAL

(a) Authorized (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March 2015	As at 31st March 2014
100,00,00,000 (P.Y. 100,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	1000,00,00,000	1000,00,00,000
	1000,00,00,000	**1000,00,00,000**
Issued, Subscribed and Fully Paid Up		
6,00,00,003 (P.Y. 6,00,00,003) Equity Shares of ₹ 10/- each	60,00,00,030	60,00,00,030
Total of issued, subscribed and Fully Paid up Share	**60,00,00,030**	**60,00,00,030**

(b) Reconciliation of number of shares

	As at 31st March 2015		As at 31st March 2014	
	Number of shares	Amount in ₹	Number of shares	Amount in ₹
Balance at the beginning of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
Add: Issued during the year	0	0	0	0
Balance at the end of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

(c) Details of shares held by shareholders having more than 5% shares in the Company

	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Central Government	6,00,00,000	6,00,00,000
% of holding	99.99%	99.99%

- BSNL, PGCIL & RailTel hold one equity share each of ₹ 10/-
- The Company has only one class of equity shares having at par value of ₹ 10/- per share.
- **Vote of members :** Every member present on person and being a holder of Equity Share shall have one vote and every person either as a General Proxy on behalf of a holder of Equity Share, shall have one vote and upon a poll every member shall have one vote for every share held by him. On poll the voting rights of holder of Equity Share are specified in Section 47 of the Companies Act 2013.

4. RESERVE AND SURPLUS (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March 2015	As at 31st March 2014
(a) General Reserve		
Balance at the beginning of the year	3,46,81,834	1,69,10,831
Add : Transferred from Statement of Profit and Loss	-	1,77,71,003
Balance at the end of the year	3,46,81,834	3,46,81,834
(b) Surplus/(Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Balance at the beginning of the year	-	-
Add : Profit / (Loss) for the year	(28,56,272)	1,77,71,003
Amount Available for transfer to General Reserve	-	1,77,71,003
Less : Transferred to General Reserve	-	1,77,71,003
Balance at the end of the year	(28,56,272)	-
Total Reserve and Surplus	**3,18,25,562**	**3,46,81,834**

5. DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Deferred Tax Liability	4,35,318	33,06,431
Total of Deferred Tax Liabilities (Net)	**4,35,318**	**33,06,431**

- Deferred Tax assets and liabilities are being offset as they related to taxes on income levied by the same governing taxation laws.

DEFERRED TAX PRESENTATION

(Amount IN ₹)

	Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
(A)	**The movement in Deferred Tax Account is as follows:**		
	Opening Balance	(33,06,431)	(98,398)
	(Write back) / Provision for Deferred Tax Liability (Net)	28,71,113	(34,04,829)
	Closing Balance	(4,35,318)	(33,06,431)
(B)	**Break up of Deferred Tax Asset / Liabilities**		
(a)	**Deferred Tax Liabilities:**		
	Depreciation	5,33,331	33,25,702
	Others	-	
TOTAL (a)		**5,33,331**	**33,25,702**
(b)	**Deferred Tax Assets:**		
	Provision for Gratuity	98,013	19,271
	Others	-	-
TOTAL (b)		**98,013**	**19,271**
	Net deferred Tax Liabilities (a) - (b)	**4,35,318**	**33,06,431**

6. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount IN ₹)

Particulars		As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
OTHERS			
(a)	**Subsidy received from Universal Service Obligation Fund for NOFN Project**		
	Balance of subsidy amount at the beginning of the year	**910,35,04,717**	**404,40,92,723**
	Add: Amount received during the year	1351,86,45,971	514,00,00,000
	Less: Amount of subsidy utilized for purchase of NOFN asset during the year (transferred to Deferred income)	7,20,08,035	8,05,88,006
	Balance of subsidy at the end of the year	**2255,01,42,653**	**910,35,04,717**
(b)	**Deferred Income**		
	Balance at the beginning of the year	**6,77,38,189**	**55,04,412**
	Add: Transferred from Subsidy amount during the year	7,20,08,035	8,05,88,006
	Less: Amount of Deferred income transferred to Statement of Profit & Loss	4,03,57,533	1,83,54,229
	Balance at the end of the year	**9,93,88,691**	**6,77,38,189**
(c)	Liability for Software	-	34,45,550
(d)	Creditors for OFC & GPON supplied	84,45,33,317	-
Total of Other Long Term Liabilities (a)+(b)+(c)+(d)		**2349,40,64,661**	**917,46,88,456**

7. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Payable to Govt. Departments*	2,48,02,933	1,19,36,307
Liability for AGR Based License Fee	75,28,480	15,16,327
TDS & Other Statutory Dues	1,81,88,423	1,73,36,599
Payable to PSUs**	2,96,29,415	14,79,956
Liabilities towards Directors	45,661	47,721
Liabilities towards employees	45,23,678	38,69,329
Liability for Services	62,84,773	4,31,99,521
Payable to Vendor for OFC & GPON Supplied	225,37,90,379	-
Payable to Others	64,07,863	80,12,429
EMD and Performance Security	9,80,021	21,49,623
Total of Other Current Liabilities	**235,21,81,626**	**8,95,47,812**

* Represents the amount payable on account of Pension Contribution, Leave Salary Contribution & other recoveries in respect of officers of DOT and absorbed employees of BSNL & MTNL who are on deputation to the Company, to (i) Government Departments ₹ 2,07,12,526 (P.Y. ₹ 1,16,71,035), (ii) DOT through BSNL ₹ 2,14,093 (P.Y. ₹ 1,90,057) (iii) DOT through MTNL ₹ 92,011 (P.Y. ₹ 75,215).

** Represents the amount payable on account of (i) Leave salary contribution, Pension Contribution, contribution towards EPF (Employer's & Employees'), Gratuity contribution for employees of MTNL on deputation to the Company; (ii) HRA element for quarters of MTNL & BSNL held by employees on deputation; and (iii) expenses incurred on behalf of the Company, to (a) MTNL ₹ 4,98,455 (P.Y. ₹ 3,21,767) and (b) BSNL ₹ 19,80,697 (P.Y. ₹ 11,58,189).

8. SHORT TERM PROVISIONS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Provision for Expenses*	16,45,67,425	15,24,193
Provision for Income-Tax	25,84,148	67,00,731
Provision for Tax on behalf of employees	18,11,834	12,71,869
Provision for Post employment benefits of CS & DCS**	1,71,078	-
Total of Other Current Assets	**16,91,34,485**	**94,96,793**

* The amount includes provision for gratuity amounting to ₹ 74,413.00 (P.Y. Nil) for Company's own employee which has been calculated on provisional basis as per provisions of Gratuity Act without ascertaining the actual liability through actuarial valuation pending finalization of policy.

** Made on provisional basis pending finalization of policy regarding post employment benefits for staff recruited by the Company.

9. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSE

In the current financial the Company has followed the Schedule II to the Companies Act 2013 for calculating the depreciation of the Tangible asset. The total amount of depreciation for the current financial year in respect of tangible assets as per useful life prescribed in Schedule II to the Companies Act 2013 comes to ₹ 1,85,03,967. Had the depreciation for the current financial year in respect tangible asset been calculated as per Schedule XIV of the Companies Act 1956, the amount of depreciation would have been ₹ 1,35,76,907. So there is an increase in the amount of depreciation of tangible asset in the current financial year due to implementation of Schedule II to the Companies Act 2013 to the tune of ₹ 49,27,060.

Had the Schedule II to the Companies Act 2013 not been implemented and depreciation of tangible asset been calculated as per Schedule XIV of Companies Act 1956, the Company in the current financial year would have earned a Profit Before Tax (PBT) to the tune of ₹ 35,10,509 instead of PBT of ₹ (14,16,551).

The Asset Schedule is in the next page.

9. FIXED ASSETS

(All Figures in ₹)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Closing Balance as at 31st March 2015	Closing Balance as at 31st March 2014
	Opening Balance as at 1st April 2014	Additions During the Year	Deletions/ Adjustments During the Year	Closing Balance as at 31st March 2015	Opening Balance as at 1st April 2014	For the year	Deletions/ Adjustments	Closing Balance as at 31st March 2015		
1	2	3	4	5=(2 +3)-4	6	7	8	9 = (6 + 7) + 8	10 = (5 -9)	
TANGIBLE ASSETS										
Plant & Machinery used in Telecommunication	-	3,51,23,653	-	3,51,23,653	-	47,19,153	57,76,125	1,04,95,278	2,46,28,375	-
Office Equipment	21,11,673	11,04,212	1,25,000	30,90,885	2,31,710	11,99,090	(34,753)	13,96,047	16,94,838	18,79,963
Electrical Installations & Equipment	7,79,444	15,04,971	1,58,400	21,26,015	1,15,706	3,74,210	(38,228)	4,51,688	16,74,327	6,63,738
Furniture and Fittings	91,47,550	1,17,36,090	3,65,573	2,05,18,067	20,51,304	36,04,506	(2,00,388)	54,55,422	1,50,62,645	70,96,246
Computers and Data processing units	85,84,739	1,18,65,356	5,34,479	1,99,15,616	19,84,656	66,64,037	(2,98,156)	83,50,537	1,15,65,079	66,00,083
Books	27,69,700	94,65,500	11,000	1,22,24,200	6,92,425	19,42,971	(6,10,575)	20,24,821	1,01,99,379	20,77,275
Total of Tangible Assets	**2,33,93,106**	**7,07,99,782**	**11,94,452**	**9,29,98,436**	**50,75,801**	**1,85,03,967**	**45,94,025**	**2,81,73,793**	**6,48,24,643**	**1,83,17,305**
INTANGIBLE ASSETS										
Software	6,18,82,877	12,08,253	24,198	6,30,66,932	1,33,68,664	1,66,54,138	(10,548)	3,00,12,254	3,30,54,678	4,85,14,213
Website	7,79,840	-	-	7,79,840	2,23,484	22,400	-	2,45,884	5,33,956	5,56,356
Trademark	1,12,000	-	-	1,12,000	26,512	11,100	-	37,612	74,388	85,488
Entry fee for NLD License	2,50,00,000	-	-	2,50,00,000	12,50,000	12,50,000	-	25,00,000	2,25,00,000	2,37,50,000
Entry fee for ISP License	-	30,00,000	-	30,00,000	-	38,219	-	38,219	29,61,781	-
Total of Intangible Assets	**8,77,74,717**	**42,08,253**	**24,198**	**9,19,58,772**	**1,48,68,660**	**1,79,75,857**	**(10,548)**	**3,28,33,969**	**5,91,24,803**	**7,29,06,057**
Capital Work In Progress (of NOFN) (Refer Note No. 10)	(2,59,26,919)	230,60,92,495	(87,89,70,419)	140,11,95,157	-	-	-	-	140,11,95,157	(2,59,26,919)
GRAND TOTAL	**8,52,40,904**	**238,11,00,529**	**(87,77,51,769)**	**158,61,52,364**	**1,99,44,461**	**3,64,79,824**	**45,83,477**	**6,10,07,762**	**152,51,44,602**	**6,52,96,443**
Previous Year	**2,10,34,154**	**6,45,34,210**	**3,27,460**	**8,52,40,904**	**4,02,865**	**1,96,08,782**	**(67,186)**	**1,99,44,461**	**6,52,96,443**	**2,06,31,289**

Note:

(a) All the assets (Tangible & Intangible) and CWIP are NOFN assets which are owned by USOF / Government of India.

(b) The expenditure incurred for all the assets has been met out of the amount of subsidy received from USOF for execution of NOFN.

(c) The Capital Work In Progress is for National Optical Fibre Network.

(d) Furniture and Fixtures include furnishing amounting to ₹ Nil, (P.Y. ₹ 97,704) which has been fully depreciated.

(e) Computer Software includes MS Office and Antivirus amounting to ₹ NIL, (P.Y. ₹ 78,015) which has been fully amortised.

(f) Amount of deletion / adjustments of ₹ 45,83,477 (P.Y ₹ 67,186) includes prior period depreciation of ₹ 51,65,928 (P.Y. ₹ 4,931)

(g) Addition to software includes Project Management Software (Prima Vera) cost of which is ₹ NIL. (P.Y ₹ 6,16,20,891)

(h) Books and Project Management Software are being amortised over the period of execution of NOFN Project.

10. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(Amount IN ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015		As at 31st March, 2014
Balance at the beginning of the year		(2,59,26,919)	1,51,26,877
Addition during the Financial Year			
(a) CWIP – NOFN			
Value of NOFN Asset under construction by BSNL*	150,36,87,781		-
Value of NOFN Asset under construction by PGCIL*	27,76,26,498		-
Value of NOFN Asset under construction by RAILTEL*	11,31,52,699	189,44,66,978	-
(b) Expense on Establishment and Remuneration of Employee of Company related to installation of NOFN**			
Employees Benefit Expense		21,64,46,542	10,22,94,147
Administrative, Operative & Other Expense		19,51,78,975	8,77,75,777
(c) Interest received on amount of subsidy received from USOF for NOFN Project, allocated to CWIP of NOFN***		(63,88,02,261)	(23,11,23,720)
(d) Amount of Liquidated damage levied as per terms & condition of Purchase Order for procurement of inventory required for installation of NOFN, allocated to CWIP of NOFN****		(24,01,68,158)	-
Balance at the end of the Year		**140,11,95,157**	**(2,59,26,919)**

* The value of NOFN asset under construction (CWIP – NOFN) is not as per Significant Accounting policy. It represents the cost of laying the Duct, OFC etc but excludes the cost of Duct, OFC. The cost of Duct & OFC could not be transferred to CWIP because of non-receipt of Progress Report regarding installation of NOFN from the Executing Agencies.

** The entire expense on remuneration and benefits pertaining to employees of (i) Planning Branch (including Planning Finance Wing) of Corporate Office, (ii) Zone offices and (iii) Project Monitoring Unit offices; and proportionate expense on remuneration and benefits of Finance Wing of Corporate Office have been allocated to CWIP of NOFN. In addition, the cost of establishment and other expense which are attributable to NOFN works, have been allocated to CWIP of NOFN.

*** The interest received on amount of subsidy received from USOF / Government of India for execution of NOFN as per agreement, which has been kept in short term deposit / fixed deposit with bank, has been credited to CWIP of NOFN as per Significant Accounting Policy followed by the Company.

**** The liquidated damage charged as per terms and conditions of Purchase Order for procurement of OFC & GPON equipment required for installation of NOFN has been credited to CWIP as per Significant Accounting Policy followed by the Company.

- The entire capital-work-in-progress relates to National Optical Fibre Network which is under the process of installation, is owned by USOF / Government of India as per Agreement between the USOF / Government of India and the Company.

11. INVENTORY

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Optical Fibre Cable and related items*	723,27,18,773	-
GPON Equipments	41,19,05,526	-
Total of Inventory	**764,46,24,299**	**-**

* Out of total Optical Fibre Cable, 3425.823 Kilometer OFC valued ₹ 18,43,20,197.00 has been given to Bharat Sanchar Nigam Limited on loan basis.

- The total inventories are of capital nature and has been procured for installation of NOFN.
- The value of inventory utilized during the year for installation of NOFN, has not been transferred to CWIP of NOFN, since the details of utilization have not been received from three Executing Agencies.

12. LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015		As at 31st March, 2014
Unsecured but considered good			
(A) Capital Advance			
(A1) To BSNL for Installation of NOFN			
Opening as at 1st April 2014	**254,44,50,806**		
Add: Capital advance given in 2014-15	464,00,03,114		
Less: Advance adjusted against CWIP of NOFN	150,36,87,781		
Closing Balance		568,07,66,139	254,44,50,806
(A2) To PGCIL for Installation of NOFN			
Opening as at 1st April 2014	**54,71,06,454**		
Add: Capital advance given in 2014-15	130,09,42,135		
Less: Advance adjusted against CWIP of NOFN	27,76,26,498		
Less: Advance adjusted against NOFN asset created through Pilot Project	1,00,00,000		
Closing Balance		156,04,22,091	54,71,06,454
(A3) To RAILTEL for Installation of NOFN			
Opening as at 1st April 2014	**38,82,89,921**		
Add: Capital advance given in 2014-15	87,75,63,926		
Less: Advance adjusted against CWIP of NOFN	11,31,52,699		
Less: Advance adjusted against NOFN asset created through Pilot Project	1,50,00,000		
Closing Balance		113,77,01,148	38,82,89,921
(A4) To Centre for Development of Telematics			
Opening Balance	**3,82,00,000**		
Add: Advance given in 2014-15 for NOFM NMS	9,06,11,517		
Add: Advance given in 2014-15 for Survey Report Analysis	1,56,00,000		
Less: Advance adjusted against CWIP / Asset	-		
Closing Balance		14,44,11,517	3,82,00,000
(A5) To National Informatics Centre for GIS (NOFN)			
Opening Balance	**3,90,00,000**		
Add: Advance given in 2014-15	-		
Less: Adjusted on account of Service Tax	40,38,008		
Closing Balance		3,49,61,992	3,90,00,000
(A6) To Survey of India Dehradun			
Opening Balance	**94,54,500**		
Add: Advance given in 2014-15	11,000		

(Amount in ₹)

Particulars		As at 31st March, 2015		As at 31st March, 2014
	Advance adjusted against Asset	94,65,500		
	Closing Balance		-	94,54,500
(A7)	**To NBCC / MoUD for office and residential space and NMS**			
	Opening Balance	**44,90,64,531**		
	Add: Advance given in 2014-15 for Office & Residential space	26,77,96,293		
	Add: Advance given in 2014-15 for NMS work	1,28,45,215		
	Closing Balance		72,97,06,039	44,90,64,531
(A)	**Total of Capital Advance**		**928,79,68,926**	**401,55,66,212**
(B)	**Security Deposit**			
	Security Deposit - for Office Rent		3,53,96,470	2,15,24,812
	Security Deposit - for Others		2,91,273	84,174
(B)	**Total of Security Deposit**		**3,56,87,743**	**2,16,08,986**
Total of Long Term Loans & Advances (A) + (B)			**932,36,56,669**	**403,71,75,198**

- The amount of Capital Advance given to BSNL, PGCIL, RailTel & CDOT includes the amount of Centage.
- All the projects for which capital advance has been given out of the amount of subsidy received from USOF for execution of NOFN, are part of National Optical Fibre Network.

13. OTHER NON CURRENT ASSETS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Un-amortized Preliminary Expense	1,00,02,484	1,50,03,726
Total of Other Non-current Assets	**1,00,02,484**	**1,50,03,726**

14. TRADE RECEIVABLES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Outstanding for a period exceeding six months from the date they were due to payment		
Secured, considered good	-	
Unsecured, considered good	92,88,474	41,33,355
Doubtful	-	-
Total	**92,88,474**	**41,33,355**
Less: Provision for doubtful trade receivable	-	-
Total of Trade Receivable	**92,88,474**	**41,33,355**

- The amount of Trade receivable of F.Y. 2013-14 excludes the amount of service tax which has been shown separately under Other Current Asset.
- The amount of trade receivable is for providing circuits / bandwidth created through Pilot Project.

15. CASH AND CASH EQUIVALENTS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Cash in Hand	5,343	11,291
Imprest Account of Employees		
With Directors	33,467	54,962
With Employees	3,19,820	2,63,927
Total amount of Imprest Account	**3,53,287**	**3,18,889**
Cheques, Drafts & POs in hand	7,54,553	1,83,367
Balance with Bank		
Balance in Current Account	11,47,33,149	87,61,201
FDRs with Bank		
Fixed deposits of Equity Amount*	63,92,65,051	64,86,80,866
Fixed deposits of subsidy amount from USOF for NOFN**	590,42,07,633	486,84,12,825
Fixed deposit – other	57,28,500	-
Total of Cash & Cash Equivalents	**666,50,47,516**	**552,63,68,439**

* The amount of FDR of Equity Fund as at 31.03.2015 includes the amount of interest of ₹ 3,92,65,051 for the period from 07.11.2013 to 06.11.2014 (P.Y ₹ 4,86,80,836) earned which has been reinvested.

* The amount of Equity Fund as at 31.03.2015 includes ₹ 30,00,000.00 which has been paid for Entry Fee for ISP license taken by the Company during the year. The said amount will be transferred to NOFN Fund in 2015-16.

** Un-utilized amount of the subsidy received from USOF for execution of NOFN has been kept in fixed deposit with bank.

- Fixed deposits with banks are having maturity period of 12 months.
- Since the subsidy is given by USOF/Government of India for creation of NOFN, the title and claim to the amount of such subsidy amount which is parked in short term deposit/fixed deposit with bank by the Company, implicitly rest with the Government of India through the Administrator, USOF.

16. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Loans and Advances to Employees-Unsecured, considered good		
Advances to Employees*	5,23,976	8,46,844
Temporary Advance	16,000	
Total of Loans & Advances to Employees	**5,39,976**	**8,46,844**
Advances to Others - Unsecured, considered good		
Advance for hiring of Manpower	3,12,53,431	1,65,45,635
Advance to Others**	19,16,92,794	15,38,251
Prepaid Expenses	3,90,644	3,67,399
Tax deducted at source	7,01,47,916	2,87,88,857
Advance Tax paid	24,725	5,35,44,591
Total of Advance to Others	**29,35,09,510**	**10,07,84,733**
Total of Short Terms Loans & Advances	**29,40,49,486**	**10,16,31,577**

* The advances to employees amounting to ₹ 5,23,976 (P.Y ₹ 8,46,844) do not include any amount of advance given to the Directors of the Board.

** The amount of advance to others includes an amount of advance of ₹ 18,78,42,394 which has been given to Bharat Sanchar Nigam Limited for taking 870 number 2 Mbps DCN link.

17. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2014
Interest accrued on FDR - Equity Fund with Bank	2,03,02,033	2,14,06,741
Interest accrued on FDR - amount of subsidy from USOF, with Bank	14,47,40,666	8,19,42,563
Recoverable from Employees	23,030	7,20,958
Un-utilized Cenvat Credit	58,66,10,692	5,36,56,082
Cenvat Credit (Excise Duty) to be availed in next F.Y.	40,99,29,552	-
Recoverable from Others	6,79,064	39,27,271
Recoverable from DOT	1,31,58,419	2,62,267
Recoverable from BSNL & MTNL	18,231	1,96,736
Recoverable from C-DOT	3,66,464	-
Total of Other Current Assets	**117,58,28,151**	**16,21,12,618**

18. REVENUE FROM OPERATIONS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Bandwidth Charges	41,33,354	41,33,355
Total of Revenue from Operation	**41,33,354**	**41,33,355**

- Revenue from Operation represents the revenue from Optical Fibre Network created through Pilot Project

19. OTHER INCOME

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Amount transferred from Deferred Income	4,03,57,533	1,83,54,229
Interest on FDR from Equity Amount*	5,96,42,746	5,67,64,812
Interest from FDR of Amount of subsidy for NOFN**	-	-
Other Non-operating Income***	91,35,283	47,60,023
Liquidated Damage**	-	-
Total of Other Income	**10,91,35,562**	**7,98,79,064**

* Interest amount includes TDS of ₹ 59,64,275 (P.Y ₹ 56,76,481)

** As per revised significant accounting policy the interest of ₹ ₹ 63,88,02,261 (P.Y. ₹ 23,11,23,720) earned in the F.Y. 2014-15 from bank on short term deposit / fixed deposit of the amount of subsidy received from USOF for execution of NOFN has been credited to CWIP of NOFN. Also the amount of liquidated damage of ₹ 24,01,68,158 (P.Y. nil) has been credited to CWIP of NOFN. It amounts to diversion of interest income and liquidated damage income by overriding title in favour of the Government of India through the Administrator, USOF.

*** The amount of subsidy for Opex for current year receivable from USOF has not been recognized since the guidelines, procedure etc about Opex are yet to be framed by the USOF / Administrative Ministry.

20. EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Salaries, Wages, Allowances and Benefits	20,52,48,132	9,92,17,144
Leave Salary Contribution	87,77,999	45,62,236
Pension Contribution	1,35,86,968	72,39,240
Contribution to Employees' Provident Fund & Gratuity *	6,72,353	2,18,476
Medical Benefits	1,09,20,462	23,53,180
	23,92,05,914	**11,35,90,276**
Less: Employees Benefit Expenses Allocated to Capital Work In Progress	21,48,38,652	10,22,94,147
Total of Employees Remuneration and Benefits	**2,43,67,262**	**1,12,96,129**

- For all 36 E9 and 81 E7 posts sanctioned by the Board of Director, the approval of the President of India has been received as per Article 89 of Articles of Association of the Company.
- All employees (except two directly recruited employees of the Company), are on deputation from Central Government / BSNL / MTNL and their remuneration are guided by Foreign Service Deputation Rules.
- The Company has not yet been classified by the Department of Public Enterprises. The Company has taken up the case of its categorization as a Schedule 'A' company with its Administrative Ministry. The Company is however, extending the facility of Schedule 'A' company to its employees as Board Level and Below Board Level.

21. FINANCE COSTS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Bank Charges	3,18,299	77,021
Interest – Others	50,710	5,04,132
Total of Finance Cost	**3,69,009**	**5,81,153**

22. ADMINISTRATIVE, OPERATIVE AND OTHER EXPENSES

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Communication Expenses	72,61,606	39,11,496
Expenditure on Services & Other Expenses	50,50,574	16,34,148
AGR Based License Fee	91,11,756	67,20,994
General Expenses	42,77,326	38,65,314
Power & Fuel	50,14,203	30,08,750
Professional & Consultancy Charges	1,57,32,109	62,88,545
Rates & Taxes	1,67,406	27,830
Rent	7,73,49,063	3,36,95,456
Repair & Maintenance – Building	98,55,583	49,41,429
Repair & Maintenance – Others	37,55,802	1,03,913
Travelling & Conveyance	1,37,11,256	1,09,18,243
Advertisement Expenses	1,10,70,583	19,63,343

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Payment to Auditors - Audit Fees	6,60,000	3,51,250
Payment to Auditors - Other Matters	98,842	10,000
Printing & Stationery	22,88,899	10,58,068
Security Service	3,54,237	3,11,616
Training Expenses	48,18,747	10,75,610
Preliminary Expenses Written Off	50,01,242	50,01,242
Loss on sale of fixed asset	3,57,253	1,28,927
Hiring of Manpower	2,21,57,297	60,52,173
Hosting charges for Software	11,40,000	33,81,987
Vehicle hiring Expense	2,92,74,565	1,75,16,174
Books & Periodicals	5,31,585	29,935
	22,90,39,934	**11,19,96,443**
Less: Administrative, Operative & Other Expenses Allocated to Capital Work In Progress of NOFN	18,08,79,858	8,77,75,777
Total of Administrative, Operative & Other Expenses	**4,81,60,076**	**2,42,20,666**

23. PRIOR PERIOD ITEMS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Income (A)		
Sale of Tender Documents	3,000	-
Total (A)	**3,000**	**-**
Expenditure (B)		
Employees Benefits (B1)		
House Rent for Quarters	11,65,505	-
Medical Benefits	2,466	-
Tax on Perquisite	4,97,031	-
Employees Benefits – Others	37,803	3,66,738
Total of B1	**17,02,805**	**3,66,738**
Administrative, Operative & Other Expenses (B2)		
Travelling Expenses	9,559	6,840
Communication Expenses	1,17,866	9,404
Expenditure on Services	2,65,609	2,25,746
General Expenses	1,110	21,015
Power & fuel	3,83,049	-
Professional & Consultancy Charges	11,19,623	-
Rent	26,24,176	-
Printing & Stationery	7,930	-

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the Year ended 31st March 2014
Hiring of Manpower	84,95,947	-
Hosting charges for Software	11,40,000	-
Repair & Maintenance - Building	1,85,701	-
Depreciation	51,65,928	-4,931
Total of B2	**1,95,16,498**	**2,58,074**
Total of Prior Period Items (A) - (B1) - (B2)	**(2,12,16,303)**	**(6,24,812)**
C1 Less: Prior Period Employees Benefit Expenses Allocated to Capital Work In Progress	16,07,890	-
C2 Less: Prior Period Administrative, Operative & Other Expense items Allocated to Capital Work In Progress	1,42,99,117	-
Total of Prior Period Items	**(53,09,296)**	**(6,24,812)**

24. EARNINGS PER SHARE

Description	Unit	For the year ended 31st March 2015	For the period ended 31st March 2014
Profit After Tax	Amount in ₹	(28,56,272)	1,77,71,003
Less:Preference Dividend including Tax *	Amount in ₹	-	-
Balance available for Equity Shareholders	Amount in ₹	(28,56,272)	1,77,71,003
Weighted average number of Equity Share outstanding**	(In number)	6,00,00,003	6,00,00,003
Face Value of shares	Amount in ₹	10	10
Basic & diluted earnings per share***	Amount in ₹	(0.05)	0.30

* The authorized share capital of the Company does not have any Preference Shares.

** Weighted average number of Equity Share outstanding has been calculated on the basis of number of days.

*** There is no diluted equity share.

25. RELATED PARTY DISCLOSURE

a) Key Management Personnel

Designation	Name	Period of occupancy with effect
CMD	Shri N. Ravi Shanker	From 25.02.2012 to 31.07.2014
	Shri A K Bhargava	From 01.09.2014 to 30.09.2014
	Smt. Aruna Sundararajan	From 01.10.2014
Director (F)	Mrs. Arundati Panda	From 26.07.2012
Director (O)	Shri A K Bhargava	From 03.09.2012 to 30.09.2014
	Shri P K Agarwal	From 01.10.2014
Director (P)	Shri P K Agarwal	From 31.08.2012
Govt. Director	Shri I.S. Sastry	From 25.02.2012
Govt. Director	Shri V. Umashankar	From 15.03.2013

* The Administrator - USOF is also holding the post of Chairman and Managing Director of the Company. Up to 31.03.2015 the Company has received an amount of subsidy of ₹ 2270,86,45,971 (₹ 919,00,00,000 up to the close of P.Y.) from USOF for execution of NONF Project.

b) **Disclosure of transactions between the Company and related parties and the status of outstanding balance**

(Amount in ₹)

Name of the party	Description of transaction	Amount of Transaction during the year ended 31st March 2015	Amount of Transaction during the period ended 31st March 2014
Key Management Personnel	Payment of salary and allowances	73,75,345	62,28,812
	Balance payable		47,721
	Advance Given :		
	Opening Balance	-	-
	Extended during the year	10,04,373	7,50,556
	Total	**10,04,373**	**7,50,556**
	Repayment/Adjustment of Advance	10,04,373	7,50,556
	Outstanding Balance	-	-

- An amount of ₹ Nil (P.Y. ₹ 24,064) is recoverable from the Director of the Board.

c) The Company being a wholly State owned enterprise, no disclosure as regards elated party relationship with other State controlled enterprises and transactions with such enterprises has been made in accordance with Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure.

26. MANAGEMENT REMUNERATION

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the period ended 31st March 2014
Salaries & Allowances	73,75,345	62,28,812
Perquisites	23,11,834	1,30,094
EPF Contribution	0	0
Sitting Fees	0	0
Total of Management Remuneration	**96,87,179**	**63,58,906**

27. ADVANCES TO DIRECTORS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the period ended 31st March 2014
Amount due at the end of the year	0	0
Maximum amount due during the year	10,04,373	7,50,556
Total of Advances to Directors	**10,04,373**	**7,50,556**

28. AUDITORS' REMUNERATION

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the period ended 31st March 2014
Statutory Audit Fees	3,50,000	1,87,500
As advisory or in any other capacity – by Statutory Auditor		
a) Certification Charges	-	10,000
Internal Audit Fee	2,75,000	1,25,000
Tax Audit Fee	35,000	20,000

29. CURRENT TAX

The current tax amounting to ₹ 25,84,148 (P.Y. ₹ 84,27,417) is higher than the Minimum Alternate Tax.

30. EXPENDITURE ON FOREIGN CURRENCY

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2015	For the period ended 31st March 2014
Travelling	2,36,609	17,35,167
Others	4,79,489	8,77,734
Total	**7,16,098**	**26,12,901**

31. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

31.1 Contingent Liabilities

(i) Claims not acknowledged as debts are follows :

Particulars	As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
	No. of cases	Amount in ₹	No. of cases	Amount in ₹
Service Tax on construction linked installments paid to NBCC/MOUD for built up leased space in the proposed complex at Kidwai Nagar	1	4,96,25,313	1	1,61,97,083

* As intimated by NBCC letter No. NBCC / GM-REM/ Kidwai Nagar/ 2013/ 908 dated 20.12.2013 the issue of charging service tax on long leased property is pending with the Hon'ble Tribunal of Delhi in such similar case. The Advocates & Legal Consultants of NBCC is of the opinion that service tax is not applicable on such lease sale since the owner of the project is Ministry of Urban Development, Government of India. However, NBCC has intimated that in case at any stage the service tax is applicable on such lease sale, BBNL is to bear the same.

(ii) Liabilities on account of Bank Guarantees given by the Company

Item	As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
	With Cash Margin	Without cash margin	With Cash Margin	Without cash margin
No. of cases	5	-	9	-
Amount in ₹	2,87,36,858	-	1,63,08,452	-

31.2 Commitments

Capital Commitments:

NOFN PROJECT

(a) Pilot Project: The Pilot Projects for which an amount ₹ 2,00,00,000 was given to BSNL on Capital Account, has been completed and acceptance testing has been carried out. Since the final bills are yet to be received from BSNL the total cost of Pilot project at Arain remains unascertained.

(b) Main NOFN Project for installation of Network in 2,50,000 GPs:

(i) The estimated cost of ₹ 11,148 crore for laying of network in 1,00,000 GPs in the first phase by 31.03.2015 has been approved by the competent authority.

(ii) The balance amount of capital commitment for installation of NOFN by three Executing Agencies in 1,00,000 GPs is ₹ 5189.50 crore.

(iii) For the remaining two phases i.e. for installation of network in balance 1,50,000 GPs, the estimated cost is yet to firm up.

(iv) Advance Purchase Orders for Optical Fibre Cable has been placed for the tendered quantity and Purchase Orders have been placed for OFC required for 1st phase, in the current financial year worth ₹ 359.69 crore (₹ 612.58 crore up to close of P.Y.) (excluding octroi / entry tax). Out of the total capital commitment for the Purchase Order placed, the pending amount of commitment as at 31st March 2015 is ₹ 248.99 crore.

(v) Advance Purchase Orders for GPON equipment has been placed for the tendered quantity and Purchase Orders have been placed for GPON required for 1st phase, in the current financial year worth ₹ 79.15 crore. Out of the same the pending commitment as at 31st March 2015 is ₹ 37.96 crore.

(vi) The total capital commitment for GIS Project is ₹ 38.48 crore. Out of which ₹ 3.90 crore has been paid and the pending amount of commitment as at 31st March 2015 is ₹ 34.58 crore.

(vii) For NMS the Capital Commitment is ₹ 38.20 crore, out of which ₹ 9.06 crore has been paid up to close F.Y. 2014-15. Hence the balance capital commitment as per Purchase Order placed is ₹ 29.14 crore.

(viii) For the built up leased space for office and residential accommodation in the proposed complex at Kidwai Nagar (East) allotted by National Building Construction Limited on behalf of the Ministry of Urban Development, Government of India in the current financial year to the Company, the total financial implication is ₹ 130,47,96,156 (excluding service tax chargeable if any) which is payable in 10 installments. In the current financial year an amount ₹ 28,33,00,147.00 (₹ 44,64,05,892 up to the close of P.Y.) has been paid.

32. LEASE

The company has taken space on operating lease (i) 1700 sq. meter for its Corporate Office for a period of three years with effect from 21.12.2012 and also 114.04 sq. meter with effect from 03.02.2015 from C-DOT at Block II, C-DOT Campus, (ii) 3488.39 sq. meter with effect from 06.11.2013 and also 1174 sq. meter with effect from 30.01.2015 for its Network Operating Centre for 10 year from Delhi Metro Rail Corporation Ltd. at Shastri Park (Delhi Technology Park), and (iii) 250.55 sq. meter. Up to 31.03.2014 and further 2247.49 sq. meter in the current financial year for Project Management Unit offices located at Patna, Punjab (Mohali), Bangalore, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bhubaneswar, Gauhati, Indore, Ernakulam, Shillong (CTO Bldg), Raipur, Jabalpur, Ranchi. The Company has also taken vehicle on operating lease for use by the Officers of the Corporate Office. The vehicles on operating lease have been taken from May 2014 for 48 months. The gross lease rental expenses for space excluding service tax, and the gross lease rental including service tax for vehicles are as follows:

For Space **(Amount in ₹)**

Particulars	Not Later than one year	Later than one year and not later than five years	Later than five years
Space for Corporate Office from C-DOT	2,14,50,755	-	-
Space for NOC (NMS) from DMRC	3,09,76,903	14,18,70,995	15,35,12,288
Space for Zone & PMU offices	1,76,43,816	3,94,74,168	2,86,53,111
Total for Space	**7,00,71,474**	**18,13,45,163**	**18,21,65,399**

For Vehicle **(Amount in ₹)**

Particulars	Not Later than one year	Later than one year and not later than five years	Later than five years
Vehicle for Corporate Office	48,73,608	1,03,59,716	-
Total for Vehicle	**48,73,608**	**1,03,59,716**	**-**

- In the current year, expense towards lease rent for space amounting to ₹ 7,99,73,239 and ₹ 34,11,203 for leased vehicle have been recognized in the Statement of Profit & Loss.

33. In the opinion of the Board of Directors, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business, which is at least to the amount at which they are stated in the balance sheet.

34. Figures of the previous year have been regrouped or reclassified wherever necessary to conform to the current year's grouping and classification

As per our report of even date

For Vohra & Sehgal
Chartered Accountants
FRN 009465N

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M. No:087446

Place : New Delhi
Date: 28.07.2015

For and on behalf of **Bharat Broadband Network Limited**

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman & Managing Director
DIN 03523267

Sd/-
Arundati Panda
Director (Finance)
DIN 05355640

Sd/-
Devendra Kumar Nim
Chief General Manager (Accounts)

Sd/-
Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Bharat Boardband Network Limited (Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2014-2015	Year ended March 31,2015
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	
Profit before tax	(14,16,551)
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows	
Depreciation and amortisation Expenses	4,16,45,752
Loss / (profit) on sale of Fixed assets (net)	-
Unrealised foreign exchange (gain)/loss (net)	-
Provision for doubtful trade receivables	-
Interest income	(5,96,42,746)
Other non operating income	(91,35,283)
Deffered Capital Subsidy	(4,03,57,533)
Interest Expenses	-
Excess provisions no longer required written back	-
Provision for doubtful receivables written back	-
Operating Profit before working capital changes	**(6,89,06,361)**
Movement in working capital	
(Increase) / Decrease in trade receivables	(51,55,119)
(Increase) / Decrease in loan and advances	(19,24,17,909)
(Increase) / Decrease in other current assets	(100,87,14,292)
(Increase) / Decrease in inventories	(740,44,56,141)
Increase / (Decrease) in other current liabilities	226,26,33,814
Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	15,96,37,692
Cash generated from/(Used) in operations	**(649,75,46,474)**
Direct taxes paid (net of refunds)	7,13,21,883
Net Cash flow from/(used) in Operating Activities	(642,62,24,591)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	
Purchase of fixed assets including capital work in progress	(150,21,30,109)
Capital advances (net of capital creditors)	
Long Term Advances	**(528,64,81,472)**

(Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2014-2015	Year ended March 31,2015
Maturity of Bank deposits (having original maturity of more than three months)	
Investment in shares of subsidiary companies	
Income from others operation	91,35,283
Proceeds from sale of fixed assets	2,17,495
Interest income received	58,53,99,052
Net cash flow/(used) in Investing Activities (B)	**(595,36,91,593)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	
Proceed from share capital Issued under ESOP Scheme	-
Proceed from security premium received under ESOP Scheme	-
Subsidy received from USOF	1351,86,45,971
Repayment of long tem borrowings	-
Repayment of short tem borrowings	-
Proceed from short tem borrowings	-
Interest paid	(50,710)
Dividends paid on equity shares (Including Corporate Dividend Tax)	-
Net cash flow/(used) in Financing Activities (C)	**1351,85,95,261**
Net Increase/ Decrease in cash and cash equivalents (A+B+C)	**113,86,79,077**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	**552,63,68,439**
Effect of Exchange differences on cash and cash equivalentss held in foreign currency	**-**
Cash and Cash equivalents at the end of the year	**666,50,47,516**

As per our Report of even date attached.
For Vohra & Sehgal
Chartered Accountants
FRN 009465N

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sd/-
Girish Chowdhury
Partner
M.No. 087446

Sd/-
Aruna Sundararajan
Chairman & Managing Director
DIN : 03523267

Sd/-
Arundati Panda
Director (Finance)
DIN : 05355640

Sd/-
Devendra Kumar Nim
Chief General Manager (Accounts)

Sd/-
Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 28th July, 2015
Place : New Delhi

Addendum to Board's Report

The replies of Management to Auditor's Report for the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 are given below:

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
A	The project for connecting 2,50,000 Gram Panchayats with broadband Network in India is being implemented through three public sector undertakings (PSUs)- Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), PowerGrid Corporation of India Ltd (PGCIL) and Railtel India Ltd. (RAILTEL). Funds are provided to these PSUs from time to time as per their requisition. This project was to be completed by 31st March 2015 but till date not even 10 % of project has been completed. In our opinion excess funds have been disbursed to them towards initial ten percent capital advance as under: BSNL – ₹ 63.19 Crores, b) PGCIL – ₹ 23.58 Crores and c) RAILTEL ₹ 34.43 Crores.	As per the terms and conditions of the Agreement between BBNL and three Executing Agencies (EAs) i.e. PGCIL, RailTel and BSNL; National Optical fibre network (NOFN) is to be installed for connecting approximately 35791 nos, 36047 nos and 173910 nos Gram Panchayats (GPs) by EAs respectively. At the first stage **provisional advance** (later termed as **first advance** in the agreement signed with 3 EAs) of ₹ 30 crore, ₹ 30 crore and ₹ 140 crore were given to PGCIL, RailTel & BSNL respectively for carrying out survey related works in all the GPs as mentioned above. The advance amount also includes the amount of Centage. Hence the actual amount of first advance for survey work were to the tune of ₹ 27.27 crore, ₹ 27.27 crore and ₹ 127.27 crore respectively. Later on it was decided by the Competent Authority that the installation of NOFN is to be carried out in three phases and accordingly PGCIL, RailTel & BSNL were to connect 15,000 GPs, 15,000 GPs and 70,000 GPs respectively in the **first phase**. To carry out the installation work, as per agreement, BBNL would have to give advance to EAs in staggered way. According to Agreement the **second advance** would be 4% of the estimated value (i.e. value to be arrived at on the basis of indicative cost mentioned at Sl. 4 of Clause 2.2 of the agreement) of the work to be done by EAs, after adjustment of advance given earlier if any; and the **third advance** would be 6% of the value of work to be executed and the said advance would be based on preliminary estimate sanctioned by competent authority in respect of States / Union Territories where the Right of Way agreement exists. Further, the total of first three advances might not exceed 10% of value of work to be executed based on preliminary estimate sanctioned. According to the terms and conditions of the agreement the second & third advances were given to EAs as per details below: **To PGCIL**: The second advance i.e. 4% of the estimated cost of network for 15000 GPs to be installed in 1st phase by PGCIL was disbursed after adjustment of proportionate advance of ₹ 11,56,48,678.00 out of ₹ 27,27,27,272.00 given for survey work for entire 35791 nos GPs.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
		The third advance was given for 14284 GPs for which details of preliminary sanctioned estimate were submitted by PGCIL. Thus the amount of initial mobilization advance of 4% was released for 15,000 GPs and 10% (including 4% value mentioned above) advance was given for 14284 GPs based on sanctioned preliminary estimate. **To RailTel:** As per phase wise installation schedule RailTel was to install network in 15,000 GPs in the first phase. However, in the review meeting held on 23.11.2013 RailTel expressed that it would install network in 8106 GPs in the first phase and hence payment of second advance (4%) was released for 8106 GPs. Later on RailTel submitted plan for installation of the network in 15,000 GPs in first phase and therefore second advance (4%) for the balance number of GPs (i.e. 15,000 GPs minus 8106 GPs) was released. Thus second advance was given for 15000 GPs after adjustment of proportionate amount of advance of ₹ 11,34,88,198.00 out of advance of ₹ 27,27,27,272.00 given for survey work for 36047 nos GPs. While signing Agreement by BBNL with DOT, the RailTel changed its plan and committed to install network in 5000 GPs in 1st phase, but no details of 5000 GPs were submitted. However, subsequently, RailTel submitted demand for third advance of 6%, in respect of 9124 GPs of Gujrat & NE. Based on sanctioned preliminary estimate for 9124 GPs 6% advance (i.e. third advance) was released. In the meantime while approving the phasing of installation of NOFN, the RailTel was asked to make efforts to connect more GPs and to firm up installation schedule for Phase I. In response RailTel furnished the details of 10680 GPs where network would be installed in 1st Phase by it. Even though there were a number of Blocks which were part of 9124 GPs but were not part of 10680 GPs, it was felt that payment made for the Blocks included in the list 9124 GPs, but not included in the list of 10680 GPs would not be adjusted in view of the fact that Plan for installation of network in Phase II & III was being firmed up and the advance for the said blocks included in 9124 GPs would be adjusted at the time of next phase.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
		After payment of 3rd advance for 9124 GPs, the RailTel again submitted demand for 3rd advance (6%) in respect 1865 GPs of NE which was paid after adjustment of payment made for Tamilnadu since Tripartite agreement for RoW was not signed with Tamilnadu. Thus the amount of initial mobilization advance of 4% was released for 15,000 GPs and 10% (including 4% value mentioned above) advance was given for 10989 (9124 + 1865) GPs based on sanctioned preliminary estimate. **To BSNL:** Though initially it was decided to install network in 70,000 GPs in the 1st phase, but later on while signing MOU by BBNL with the Administrative Ministry (DOT) for the financial year the target of installation was changed to 81,000 GPs. But while firming up Phase I installation plan, BSNL submitted the details of 81,224 GPs. Accordingly second advance (4%) was disbursed for 81,224 GPs after adjustment of proportionate advance of ₹ 59,44,22,403.00 out of ₹ 127,27,27,271.00 given for survey works. However, while placing demand for 3rd advance (i.e. 6%) BSNL submitted details of sanctioned preliminary estimate for 78468 GPs and 3rd advance was released for the said 78468 GPs. Thus the amount of initial mobilization advance of 4% was released for 81,224 GPs and 10% (including 4% value mentioned above) advance was given for 78,464 GPs based on sanctioned preliminary estimate. The entire amount of advance given to three EAs for survey related works, has not been adjusted against the 10% initial mobilization advance given for the 1st phase of installation since the said 1st advance was given for all the GPs to be covered in the 1st, 2nd and 3rd phase of installation. Incidentally it is mentioned that 2nd and 3rd initial mobilization advance have been given based on commitments made by EAs for installation at Phase I and the so called excess payment of advance for the 1st phase, if any, has occurred due to frequent change of commitments / target of installation of network in GPs in the 1st phase by the EAs and such excess payment if any, will be adjusted after finalization of the plan for remaining GPs.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
B	Payment is made to these PSUs as Centage – their charges towards implementing the project. Clause no 9.1 of the agreement between the Company and these PSUs is not implemented regarding payment to these PSUs as Centage. As per this clause payment is to be made on execution of work by them but payment is made by the company as advance with the payment of initial capital advance. Besides deduction as penalty of ten percent from Centage towards delay in execution of the project by these PSUs is not done thereby clause no: 9.1 of the agreement is being bypassed. Besides non levy of penalty excess Centage has been paid to these PSUs as under : BSNL – a) ₹ 19.56 Lacs, b) PGCIL- ₹ 1.61 Crores and c) RAILTEL – ₹ 1.57 Crores.	As per Clause 6.1.3 of MoU signed between BBNL and EAs the payment of Centage is to be linked to the cost of execution. Further, as per Clause 10.8 of the Agreement between EAs and BBNL, the centage is to be released along with release of each advance for cost of installation of network on the basis of invoice to be submitted by EAs. As per terms of payment mentioned in Clause 10 of the Agreement, the advance for execution of the project is to be disbursed at different stages of execution. The terms and conditions of the Agreement state that centage is to be paid simultaneously with release of each advance for execution of project stage-wise. Hence the Clauses of both MoU and Agreement go together and are not conflicting. Even otherwise, in case of any dispute arising due to conflicting conditions of MoU and Agreement, as per 5th Para of page 2 of the Agreement, the terms and conditions of the Agreement will prevail. As such centage has been correctly released along with initial capital advance. Regarding deduction of penalty from Centage, it may be mentioned that as per Clause 9.1 the payment of centage is to be released as per clause 6.1.3 & 6.1.4 of the MoU signed between BBNL and EAs. As per Clause 6.1.3 (ii) of the MoU, the quantum of centage to be paid, would be 10% of the cost of work executed as reduced by the amount of penalty imposed if any, for delay in execution of the work. Regarding of imposition of levy of penalty for delay in execution, as per Clauses 16.1 & 16.2 of the MoU signed between EAs and BBNL, the EAs should include a clause in the agreement to be signed by them with their contractor(s) to be engaged for execution of project, regarding imposition of penalty maximum to extent of 12% for delay in execution of project and recover the said penalty amount from the contractor(s) on a back to back basis. As such it may be mentioned that there is, as such, no provision in the Agreement signed between BBNL and EAs for imposition of penalty on the latter i.e. BSNL, PGCIL & RailTel by the former for delay in execution of the project since penalty if charged on the contractor(s) by the EAs is to be adjusted on back to back basis and payment of centage by BBNL to EAs would have to be adjusted accordingly.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
		Incidentally it may be mentioned that the advance which has been given so far for centage is related to very initial stage of execution of the project and the quantum of penalty if any, will emerge on submission of running bills by the EAs and said amount of penalty would be adjusted back to back basis and centage will be regulated accordingly. As such there is no excess payment of centage.
C	Supply of material by different Vendors is delayed from three months initially to thirteen months later. This is beyond the delivery period allowed to them initially. Delivery is still received from them. Towards the end of the year part delivery after the long delay of thirteen months has also been received. As per the records reasons of delayed delivery is delayed intimation to vendors about the destination of material to be delivered by vendors. The reason, as per the records verified by us, is non preparation by the PSUs for utilization of ordered material and lack of coordination between the company and PSUs thereby not placing the order by the company as per the schedule and preparations of PSUs for utilizing the materials. To overcome the problem Board revised the delivery schedules. Instead of taking appropriate corrective measures and fixing the accountability for delay and lack of coordinated efforts for implementing the project revised delivery schedule has further delayed the project.	As per terms of the Purchase Order (PO) for procurement of Optical Fibre Cable the delivery period was 8 months from date of issue of Advance Purchase Order (APO). Regarding consignees, it may be mentioned that as per Clause 8.2 of the Agreement signed between EAs and BBNL, the former were to intimate to the latter the details of consignees to which the OFC etc would be delivered by the vendors based on POs placed by BBNL. On the basis of details of consignees to be furnished by the EAs, BBNL is to intimate the consignee particulars to the Vendors. However, the EAs could not furnish the details of consignees within the prescribed time schedule. It was also observed from the weekly review meetings held with EAs, that the progress regarding installation was abnormally slow and even in the Blocks where the material had been supplied by the Vendors, the installation work could not be started by EAs due to non-finalization / delay in finalization of the tender for trenching and laying of OFC, by them. In view of above it was felt that if BBNL gives the consignee details without correlating it with progress of work there would be huge pile up of inventory and hence it would be in the interest of NOFN Project that delivery schedule may be staggered and extended beyond eight months. Legal opinion was also sought as to whether post tender revision of delivery condition may have legal implication. The matter was discussed in 23rd ECM of the Company. After taking into account all the aspects, the Executive Committee of the Company recommended to the Board to revise the delivery period and the latter in turn approved the extension of delivery period up to 14 months from the date of issue of APO in the best interest of the Company. Regarding coordination, it may be mentioned that the Project Monitoring Unit of the Company is effectively interacting with the EAs on continuous basis and holding weekly meeting with the EAs to monitor the progress of installation in order to ensure that installation is completed within time frame.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
D	Report from these PSUs on the status of the project, number of Gram Panchayats connected etc. as on 31.3.2015 is not available. Funds have been disbursed without report of the implementation and progress of the project. In view of this proper capitalization of expenses was not possible. Balance confirmation from and amount of Centage received by these PSUS were also not available.	The Project Monitoring Unit of the Company has been monitoring the progress of implementation of the Project on a continuous basis. All India basis Status Reports (weekly and daily) about implementation of the Project are available with Project Monitoring Unit of the Company. The monthly progress reports depicting the status of implementation are regularly submitted to the Administrative Ministry and the said reports are available in the Planning Cell of the Company. Funds have been disbursed after observing all the terms and conditions of the Agreements between the EA and the Company. The Capitalization of expense incurred for installation of Network would be made on commissioning of the same after successful acceptance testing and receipt of all documents about installation from the EAs. Regarding confirmation of balance about centage received from the Company by the EAs, it may be mentioned that the EAs have duly been addressed to confirm the balance as at the close of the Financial year, and the same are yet to be received by the Company.
E	Purchase of material could not be reconciled with other related expenses viz, Excise Duty, Central Sales Tax etc. since in many cases Central Sales Tax has been clubbed with basic price. Besides Excise Duty paid at two different rates has been clubbed in one account	The Project Finance Unit of the Company keeps each element wise cost (i.e. Basic price, Excise Duty, CST / Vat, Freight / Insurance etc) of the material / inventory procured by BBNL. Further, each element wise details of the value of the inventory are also kept in inventory schedule which is maintained in Tally ERP system. The Excise Duty has been paid at the applicable rate.
F	Details of Consumption of materials, and closing stock lying at different locations of the project all over India were not available. Reconciliation of Purchases with consumption and closing stock was thus not available for verification.	As per Clause 8.5 of the Agreement signed by BBNL and EAs, the latter would keep the detailed accounts (i.e. receipt, issue, stock actually utilized in works i.e. for creation of NOFN, closing stock, value etc) regarding (i) inventory purchased by BBNL and received by the EAs on behalf of BBNL, (ii) inventory purchased and received by EAs on behalf of BBNL.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
		Apart from keeping the details of inventory by EAs on behalf of BBNL, as per Clause 10.11 of the Agreement the EAs should use the Project Management tools i.e. Project Management (Primavera) Software installed by BBNL to monitor the implementation of the Project. Incidentally it may be mentioned that utilization of the Project Management Tools would be effective only when all the data i.e. quantity of inventory / stores required and utilized, value of such inventory / stores, other installation cost etc are fed / uploaded each estimate wise by three EAs in the Data Base managed through Primavera software. However, such data are yet to be fed / uploaded in the data base by the EAs. Had the estimate-wise data / information been fed in the data base by EAs, information about consumption of material / inventory utilized in each estimate etc would have been available. Further, as per Clause 12, 13 etc of the Agreement the EAs are required, to furnish various documents about Inventory procured by BBNL and EAs and utilized in installation of Project. However, the receipt of such information are awaited from the EAs.
G	Compliance of Service tax, TDS and other relevant statutes by 3 CPSUs could not be verified in respect of work done by them since details and documents were not available.	As per Clause 8.9 & 8.10 of the Agreement signed by BBNL and EAs, the latter submit to BBNL the Monthly Payment and Statutory Tax Compliance (MPSTC) Report incorporating the details of individual payment made, tax deducted at source and particulars of deposition made by them on behalf of BBNL. Based on MPSTC Report, the Returns pertaining to Service Tax, TDS etc are regularly being filed by the Company. All the details about compliance of Statues including the MPSTC Reports are available in Project Finance Unit I of BBNL Corporate Office.
H	Project is far behind the schedule and targets of PSUs for connecting Gram Panchayats have been reduced thereby further delaying the project and cost overrun but on the other hand funds are being committed for other non core areas, viz lease purchase of residential and commercial built up space at a cost of ₹130.48 crores excluding Service tax. Out of this commitment ₹71.69 crores have already been paid.	The project is being monitored constantly by BBNL, USOF and DOT at all levels and the targets have been revised based on ground realities. Purchase of residential and commercial built up space on lease basis from MoUD through NBCC, is a part of the NOFN Project estimate approved by the Competent Authority. Hence it is not a non core issue as observed by the Audit.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
	DMRC Building in Shastri Park, Delhi has been taken on lease rent for office purposes and rent has been paid ₹ 3.96 crores till the end of the year without utilization of this office premises till date. Total Fitout cost committed with NBCC for this office premises till 31.3.2015 is ₹ 24.03 crores, out of which ₹ 2.38 crores have been paid during the current year. Work of Fitout cost was to be completed by 31st January, 2015 but till date this has not been completed. Penalty of up to two percent of the project cost is leviable on NBCC but no provision has been made due to delay in approving drawing and designs of the work by the company.	The space taken from DMRC on lease rent at Shastri Park, Delhi was initially meant for establishing Office and Network Operating Centre. Further, the Company in its 21st ECM decided to have a Data Centre of 30 Racks capacity to be located at DMRC building. However, establishment of Data Centre requires additional load from DMRC, but provision of additional load by DMRC was not part of the initial agreement. The issue regarding provision of additional load of 100 KW was taken up with DMRC on 03.12.2014 and ultimately the same was made available on 30.01.2015 by the latter. Due to the facts mentioned above, the work assigned to NBCC could not be completed within the stipulated time. The charging of penalty etc for delay, if any, will be decided taking into account the changed situation as mentioned above and based on such decision appropriate action will be taken.
I	Inspection charges have been paid by vendors to BSNL which is being reimbursed by the company for verification of quality etc. of the material received by the PSUs for the project at different locations all over India. The company should ensure that TDS has been deposited by the vendors before reimbursement to vendors.	As per Income Tax Act the concerned Vendors / Company are responsible for deduction of tax on QA charges paid by them to BSNL, deposition of the said amount of tax to concerned authority, and also for complying with other requirements as per Statute. The QA charges are being reimbursed to the Vendors on actual basis as per terms and conditions of the Purchase Order.
J	Purchases of Materials by the PSUs and contractual payments made on behalf of the Company could not been verified due to non availability of records.	As per Clause 10.5 of the Agreement between BBNL and EAs the advance for first 10% value of materials to be procured by the latter is to be given on the basis of sanctioned preliminary estimate prepared taking into account approximate budgetary cost as mentioned at Sl. 4 of Clause 2.2 of the agreement. In respect of subsequent advances i.e. after first advance for 10% value of the material to be procured by the EAs on behalf of BBNL, all the relevant records i.e. Purchase Orders against which the subsequent advances have been released to EAs are available in the Planning Section of Corporate Office.
K	Broad band Network has been completed in few Gram Panchayats and expenses on publicity and celebrations on this occasion were spent amounting to ₹ 1.04 Crores but capital expenses incurred for completion of Net working of these Gram Panchayats have not been capitalized and their utilization has not been confirmed nor any revenue has been accounted for.	The capitalization of value of network depends upon receipt of full particulars along with relevant records from EAs in respect of the networks which are commissioned after successful acceptance testing. The Company is yet to receive the particulars of network commissioned by the EAs. However, concerned EA is being pursued to submit the details. The Company is taking appropriate actions for utilization of the network.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
L	Amount transferred to Capital work in Progress this year is not on the basis of Material utilized, direct expenses and overhead attributable on the part of work completed instead certain expenses excluding Material cost has been transferred to Capital work in progress. Amount of expenses transferred are also not as per any accounting principle or policy due to non availability of details in this regard.	As per Clause 10.1 of the Agreement between BBNL and EAs all payments (i) to vendors for materials to be procured by EAs on behalf of BBNL, (ii) to contractors engaged by EAs on behalf of BBNL for laying of network, will be made by the EAs from the fund to be given by BBNL to EAs as advance. From the MPSTC Report submitted by the EA, it was evident that the EAs had utilized the advance given by BBNL to them, for meeting the expense on installation of network against the claim bill raised by the contractor(s). As such it was found appropriate as per accounting principle to adjust the advance utilized by the EAs for installation expense, by transferring the same to Capital Work In Progress of NOFN based on the information / data which were made available to BBNL by the EAs. Regarding accounting of cost of material it may be mentioned that recognition depends upon full particulars i.e. quantity, cost etc of the material utilized. Since no information about material utilized in installation of network were made available to BBNL by EAs, the expense on material could not be recognized CWIP of NOFN. It would be appreciated that recognition of expense without having any record would be against the accounting principle.
M	₹ 46.44 lacs has been debited to BSNL towards bandwidth charges during the year and together with the amount debited in the previous year by crediting revenue from operations total outstanding at the yearend becomes ₹ 92.88 lacs but nothing has been realized from BSNL. This amount could have been adjusted against amount paid to them.	As per Audit observation, the Company will adjust the amount of bandwidth charges pending to be received from BSNL against the amount of centage payable to BSNL.
N	No provision of subsidy receivable from USOF on account of net cost of operating expenses (including administrative expenses) net of revenue streams, of NOFN, is accounted for as other income in the current year in contravention of the accounting policy no. 2.2(d) followed by the company.	As per Clause 5.18 of the Agreement No. 30-166/2014-BB-USOF dated 25.02.2014 between Department of Telecommunications and BBNL, the guidelines, procedure and requisite forms for release of funds under Opex net of revenue, verifications procedures subsequent to release and utilization of the fund which are stated to be issued separately, are yet to be issued by the competent authority. However, the Management of the Company has already requested USOF to expedite issue of guidelines etc for Opex subsidy. In the absence of specific guidelines to be issued by Government of India, recognition of income on account of Opex subsidy would be violation of the terms and conditions of the agreement.

Audit Para No	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
		In the meantime the Administrator, USOF has been requested vide letter No. 100-21/BBNL/CA/Circulars/2013/Vol. I dated 31st August 2015 for reimbursement of Opex for the financial year 2014-15.
O	We were told that no supplier of material and services is covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act,2006) hence disclosure under Schedule VI and MSMED Act,2006 is not required.	No comment.
P	Advance to NIC for GIS Project paid ₹ 3.50 crores in the previous year. Status of the project and its completion schedule is not available and the amount is still being shown as advance.	The MoU for implementation of GIS Project has been signed between NIC and the Company on 06.12.2012, after which the advance was given to NIC. Commercial proposal regarding GIS project has been submitted by NIC and the same has been approved by the Board in its 42nd Meeting held on 01.04.2015. As intimated by NIC development of application software (view application, edit application, NMS GIS integration application) is under progress as well as data correction is also under progress. Further, it is turnkey project and the advance will be adjusted on submission of bill and related commissioning documents by NIC.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Aruna Sundararajan)
Chairman & Managing Director
Bharat Broadband Network Limited

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

सत्यमेव जयते

dk;kZy;

egkfuns'kd ys[kkijh{kk] Mkd o nwj lapkj

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the

Director General of Audit, Post & Telecommunications

Sham Nath marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

Øekad.................................

No. Rep-PSU A/cs./F-105/Ann. Acct./BBNL/2014-15/557

Date : 18/09/15

To,

The Chairman and Managing Director
Bharat Broadband Networik Limited
New Delhi.

Subject : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for the year 31st March 2015.

Sir,

I am to forward herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of BBNL for the year ended 31st March 2015 for information and further necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Encl (s) : As above.

(Parag Prakash)
Director General of Audit (P&T)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED. (BBNL) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

The preparation of financial statements of BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED (BBNL) for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated July 28, 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section I43(6)(a) of the Act of the financial statements of BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED (BBNL) for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

Balance Sheet - Short-term Loans and Advances (Note No. 16) - ₹ 29.40 crore - Advances to Others -Advance for Hiring of manpower - ₹ 3.13 crore

The above represents advances made to NICSI on the basis of the proforma invoices for which final adjustment could not be made due to non-submission of bills by NICSI. As the advance was made for hiring of manpower based on Proforma Invoices, provision should have been made for the amount pertaining to 2014-15 and advance adjusted to that extent. Non-provision for the amount pertaining to 2014-15 has resulted in overstatement of advances and understatement of provision, the amount of which cannot be quantified for want of details

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Parag Prakash)
Director General of Audit
Post and Telecommunication

Place:
Date:

Management's reply to the Comments of the Comptroller & Auditor General of India for the Financial Year 2014-15

Comments of Comptroller & Auditor General of India	Management's Reply
BALANCE SHEET **Short-term Loans and Advances (Note No. 16) – ₹ 29.40 Crore –** **Advance to Others –** **Advance for Hiring of Manpower – ₹ 3.13 crore**	
The above represents advances made to NICSI on the basis of the Proforma Invoices for which final adjustment could not be made due to non-submission of bills by NICSI. As the advance was made for hiring of manpower based on Proforma Invoices, provision should have been made for the amount pertaining to 2014-15 and advance adjusted to that extent. Non-provision for the amount pertaining to 2014-15 has resulted in overstatement of advance and understatement of provision, the amount of which cannot be quantified for want of details.	As per terms and conditions for supply of manpower by NICSI, advance is required to be given for the entire period for which manpower is required. Recognition of expense requires submission of correct information / data about number of manpower supplied and quantum of services provided by such manpower in a financial year, attendance details of manpower supplied etc by NICSI at least at the close of the financial year in question. The Management has made efforts continuously to collect the data and also final invoice / bill from NICSI. However, a number of invoices / bills pertaining to the financial year 2014-15 were not made available by NICSI to the Company even up to the finalization of accounts of 2014-15. The Management will take necessary action to recognize the expense on manpower on accrual basis i.e. based on the quantum of services of manpower actually utilized in a financial year.
For and on the behalf of the **Comptroller & Auditor General of India** **Sd/-** **Parag Prakash** **Director General of Audit** **Post & Telecommunication**	**For and on behalf of the Board of Directors** **Sd/-** **(Aruna Sundararajan)** **Chairman & Managing Director** **Bharat Broadband Network Limited**
Place: New Delhi Date: 18.09.2015	Place : New Delhi Date: 21.09.2015

BBNL

एक्सेस एक्रॉस इंडिया

Access Across India

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड

BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

CIN : U64100DL2012GOI232070

पंजीकृत कार्यालय : 306, तृतीय तल सी–डॉट कैम्पस, मॉंडी गाँव मार्ग, महरौली, नई दिल्ली – 110030

Regd. Office: Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030

फोन / Phone: 011-26806100 फैक्स / Fax: 011-26806122 वेबसाईट / Visit us at: www.bbnl.nic.in